


आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research
Journal in Marathi, Hindi & English Languages
May 2026, Issue-137, Vol-01

Editor
Dr. Babu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

“Printed by: **Harshwardhan Publication** Published by **Gholap Archana Babu &**
Printed & published at Harshwardhan Publication, At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -
431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Babu Ganpat.**

 **Harshwardhan Publication**
At.Post.Limbaganesh, Tq. Dist. Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
vidyavarta@gmail.com vidyawarta@gmail.com

SCAN ME!



Printing Area



Vidyavarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles, Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Editors and publishers have the right to convert all texts published in Vidyavarta (e.g. CD / DVD / Video / Audio / Edited book / Abstract Etc. and other formats).

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.



<http://www.printingarea.blogspot.com>

Editorial Board & review Committee• **Chief Editor****Dr Gholap Babu Ganpat**

Parli_Vajinath, Dist. Beed Pin-431515 (Maharashtra)
9850203295, 7588057695
vidyawarta@gmail.com

• **M.Saleem**

saien Ghulam street
Fatehgarh Sialkot city
Pakistan. Phone Nr. 0092 3007134022
saleem.1938@hotmail.com

• **Dr. Momin Mujtaba**

Faculty Member, Dept. of Business Admin.
Prince Salman Bin AbdulAziz University
Ministry of Higher Education, Kingdom of Saudi
Arabia, Tel No.: +966-17862370 Extn: 1122

• **N.Nagendrakumar**

115/478, Campus road,
Konesapuri, Nilaveli (Postal code-31010),
Trincomalee, Sri Lanka
nagendrakumarn@esn.ac.lk

• **Dr. Vikas Sudam Padalkar**

vikaspadalkar@gmail.com
Cell. +91 98908 13228 (India),
+ 81 90969 83228 (Japan)

• **Dr. Wankhede Umakant**

Navgan College, Parli –v Dist. Beed
Pin 431126 Maharashtra
Mobi.9421336952
umakantwankhede@rediffmail.com

• **Dr. Basantani Vinita**

B-2/8, Sukhwani Paradise,
Behind Hotel Ganesh, Pimpri,
Pune-17 Cell: 09405429484,

• **Dr. Bharat Upadhya**

Post.Warnanagar, Tq.Panhala,
Dist.Kolhapur-4316113
Mobi.7588266926

• **Jubraj Khamari**

AT/PO - Sarkanda, P.S./Block - Sohela
Via/Dist. - Bargarh, Pin - 768028 (Orissa)
Mob. No. – 09827983437
jubrajkhamari@gmail.com

MISS. VARSHA ANILRAO TIDKE

FULE-AMBEDKAR COLLEGE OF SOCIAL WORK,
HANUMAN NAGAR, REVENUE COLONY, GADCHIROLI
9421857700
varshaatidke21@gmail.com

• **Dr. Wagh Anand**

Dept. Of Lifelong Learning and Extension
Dr B A M U Aurangabad pin 431004
Mobi. 9545778985
wagh.anand915@gmail.com

• **Dr. Ambhore Shankar**

Jalna, Maharashtra
shankar296@gmail.com
Mobi.9422215556

• **Dr. Ashish Kumar**

A-2/157, Sector-3, Rohini, Delhi -110085
Ph.no: 09811055359

• **Prof. Surwade Yogesh**

Dept. Of Library, Dr B A M U Aurangabad , Pin 431004
Cell No: +919860768499
yogeshps85@gmail.com

• **Dr. Deepak Vishwasrao Patil,**

At.Post.Saundhane, Near
Kalavishwa Computer, Tq.Dhule-424002.
Mobi. 9923811609
patildipak22583@gmail.com

• **Dr.Vidhya.M.Patwari**

Vanshree Nagar, Behind Hotel
Dawat, Mantha Road, Jalna-431203
Mobi.9422479302
patwarivm@rediffmail.com

• **Dr.Varma Anju**

Assistant Professor, Dept. of Education,
Sikkim University 6th Mile, Samdur Tadong-737102
GANGTOK - Sikkim, (M.8001605914)
anjuverma2009@rediffmail.com

• **Dr. Dinesh Kumar Charan**

Associate Professor and HOD-History Dept.,
Govt.Lohia College Churu (Rajasthan) India
Pin- 331001
Mob. No.-9414305804

Vidyawarta®

Please Scan QR Code & Connect to us



UPI ID: vidyawarta@okaxis



Subscribe to our
You Tube Channel



Babu Ganpat Gholap



PhonePe

ACCEPTED HERE

Scan & Pay Using PhonePe App



Publication Mobile App





Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed Pin-431126 (Maharashtra)
vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors

Undertaking/ Copyright Form

The Submitted manuscript/paper is original, exclusive and unpublished material. It is not under consideration for publication elsewhere. Further, it will not be submitted for publication elsewhere, until a decision is conveyed regarding its acceptability for publication in Harshwardhan Publication Pvt. Ltd. Published research journal. I/we also grant permission to organizer for making necessary changes in the title and content of the paper, if required, while being considered for publication. The undersigned hereby represents and warrants that the paper is original and that he/she is the author of the paper, except for material that is clearly identified as to its original source, with permission notices from the copyright owners where required.

I am sending the present research paper by verifying all the permissions regarding the publication. I have seen all related online details and I have kept the copy of those details with me.



Details of Authors & Paper

- Title of the research paper _____
- _____
- Language for the presentation: Marathi Hindi English
- Author Name 1 : Dr./Prof. _____
- Author Name 2 : Dr./Prof. _____
- Institution/Organization: _____
- Correspondence Address: _____
- _____ State _____ Pin:
- Contact No.1. Contact No.2.
- Mail id: 1 _____
- Date _____ Signature of the participant _____

Note : This undertaking/agreement is to be signed by at least one of the authors who have obtained the assent of the co-author(s) where applicable.

Send Copyright Declaration form scan copy after sign on it to :
vidyawarta@gmail.com, printingareahp@gmail.com

Any help plz call on :  09850203295, 07588057695

Editors Message ...

There has been tremendous increase in institutions of higher education in India. Indian universities should concentrate more on providing quality education which is comparable to that of international standards. India is today one of the fastest developing countries of the world. In order to see India as a developed country, there is need to increase the number of institutes and also the quality of higher education in India. Education however, should not be considered a business but its quality should be maintained. For this purpose it is necessary that the policies formed by the government should be properly implemented. We are moving towards an era which would be defined by the parameters of knowledge and wisdom. The decisions that are going to be taken on these are likely to hold the key to India's future as a center of knowledge production. We need higher educated people who are skilled and who can drive our economy forward. When India can provide skilled people to the outside world then we can transfer our country from a developing nation to a developed nation very easily and quickly. We need an educational system that is modern, liberal and can adapt to the changing needs of a changing society, a changing economy and a changing world. For such educational system along with science and technology it must increase studies and research on basic knowledge, social science and other humanities subject from a practical point of view.

In the present scenario education is the main instrument for the desirable social change. It is pass on to the next generations to be gradual changes as to update by timely and a sound social progress is need to be careful observation. The higher education is needed to be developing as individual by imparting it, as well as it can be render the service to the society in many aspects by alteration the science and technology also in social life.

Higher education is mostly intend to innovation, intervention sometimes it is destroy the basic nature of the society as it know the primitive culture, but so far opinion is that there is need to be more concentrate to conserve the basic roots of the society and in equity mode to access all provisions to all of the them in the society by keeping with view of sustainable development in all aspects because it is too important give the same to next generation.

- Dr. Bapug Gholap

INDEX

- 01) Understanding the Role of Social and Psychological Influences on Impulse....
Dr. Pinky Kumari-Bhojanti || 10
- 02) FinTech Lending and Bank Profitability in India : Disruption or Opportunity?
Deepika Agarwal || 19
- 03) THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN BILASPUR CG : AN ANALYSIS OF IT'S
DEVESH MESHARAM-PRANJALI GARHEWAL || 28
- 04) Promotion, Preservation of Tagore Songsthrough the context of Kabiganand....
Essah Azahar || 31
- 05) Amitav Ghosh's The Great Derangement and Its Progeny: Unraveling the....
Prof. Dr. Bhujangrao Nana Hiramani || 37
- 06) Role of the Reserve Bank of India in NPA Management
Dr. Kumari Smita || 41
- 07) Renewable Energy Consumption and Economic Growth in India:
Maitreyi Shah-Mansi Nath-Riya Sharma-Sanjay Rathoure || 43
- 08) MEDIA TRIAL VS. FAIR TRIAL: RECONCILING FREE PRESS AND DUE PROCESS IN THE..
Dr. Vaishali Padmakarrao Fale (Lande) || 50
- 09) Ecofeminist and Womanist Ecologies in Octavia Butler's Kindred and.....
Prof. Dr. Mrs. Pragati Gunaji Naik || 56
- 10) मानवी हक्क आणि कौटुंबिक हिसांचार
डॉ. कैलाश व्हि. बिसांद्रे || 64
- 11) भारतीय लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार
डॉ. प्रकाश अभिमान डाके || 71
- 12) २१ व्या शतकातील सर्वसमावेशक वृद्धी आणि शाश्वत विकास
प्रा. डॉ. संजय मारूती पाटील || 76

- 13) सेवाग्राम :- एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप
प्रा. डॉ. सुधाकर ना. पवार ||81
- 14) आशा बगे यांच्या साहित्यातील नायिका
मोहिनी दिनकर किन्हीकर—प्रा. डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे—डॉ. शौलेंद्र धर्मदास लेंडे ||84
- 15) कवितेत प्रतिबिंबित: आदिवासी स्वातंत्र चळवळीचा नायक बिरसा मुंडा
डॉ. विशाखा संजय कांबळ—महेश्वरी रमेश लांडे ||87
- 16) तन्त्रशास्त्रोक्त: करमालानिर्णय:
रिधम: पण्ड्या ||90
- 17) भारतीय कृषि में मनरेगा योजना के प्रभाव से आये अर्थव्यवस्था में प्रभाव का अध्ययन
डॉ. अरुणा पाठक ||93
- 18) भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका और उसका राजनीतिक व्यवहार....
Dr. CHHTRESH SHANDILYA ||96
- 19) राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तरी बिहार की महिलाओं का योगदान
डॉ० धीरेन्द्र कुमार महतो ||99
- 20) बस्तर की छिदंक नागवंशी राकुमारी चमेली देवी :
डॉ. जितेन्द्र कुमार मानकर ||102
- 21) बदलते परिदृश्य और लोक व्यवहार में विमर्श
डॉ. वर्षा रानी ||105
- 22) डॉ. अंबेडकर और कार्लमार्क्स: सामाजिक न्याय की अवधारणाओं का.....
डॉ कमलेश कुमार ||108
- 23) समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक....
संतोष कुमार ||114
- 24) चषकविवृतितरङ्गिणीटीकालोकेन तर्कामृतगतसमवायपदार्थनिरूपणम्
श्रीमदन—पात्र: ||118

| | |
|--|-----|
| 25) नागपुरी भासा कर परिचय डॉ. रामजय नाईक | 122 |
| 26) डॉ. अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का दार्शनिक विश्लेषण डॉ कमलेश कुमार | 130 |
| 27) समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता डॉ गीत एच तलवार | 135 |
| 28) उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति : डॉ० सुभाष चन्द्र वर्मा—सोनू राम | 142 |
| 29) नई शिक्षा नीति में समसामयिक आर्थिक परिदृश्य एवं नारी शिक्षा डॉ. सुधा कुमारी | 148 |
| 30) उदय प्रकाश की कहानियों में स्त्री समस्या : भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में शाहिद अली | 150 |
| 31) कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की..... रजनी देवी—डॉ० सुनील कुमार उपाध्याय | 155 |
| 32) आतंकवाद में मीडियाई प्रभाव डॉ. प्रमोद कुमार सिंह | 160 |
| 33) भारतीय राजधर्म की शास्त्रीय पृष्ठभूमि और वृहत्त्रयी कंचन—डॉ० अजय कुमार | 164 |
| 34) विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में व्यक्तिगतरूप से ध्वनि संवेदनशीलता का मानसिक.... DR. JAY PRAKASH YADAV | 167 |
| 35) पंचायती राज व्यवस्था में सहरिया महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं चुनौतियाँ प्रेमचंद एक्का—डॉ. ज्योति कुशवाह | 172 |

Understanding the Role of Social and Psychological Influences on Impulse Buying Behaviour of Gen Z in Online Fashion Stores

Dr. Pinky Kumari

Assistant Professor,

Department of Business Administration
University of Rajasthan, Jaipur, India

Bhojanti

Research Scholar,

Department of Business Administration
University of Rajasthan, Jaipur, India

ABSTRACT

Impulsive purchasing has become a crucial component of consumer behavior, especially in the online fashion apparel market, where Generation Z is a major consumer demographic. This study looks into the social and psychological elements that affect Gen Z consumers' propensity for impulsive purchases. The study, which draws from theories of consumer behavior, focuses on impulsivity, peer pressure, hedonic motivation, and the effect of digital media influencers as major factors that lead to impulsive purchases. 21 members of Generation Z were asked to complete a structured online questionnaire in order to collect primary data. The suggested hypotheses were tested using statistical analyses such as regression and correlation. The results show that impulse buying behavior is significantly predicted by social and psychological factors. In particular, impulsivity and hedonic motivation showed a strong positive correlation with impulse purchases ($\beta = 0.63$, $R^2 = 0.40$), and

social media endorsements and peer pressure also had a significant effect ($\beta = 0.58$, $R^2 = 0.34$). Together, these variables accounted for 52% of the variation in impulsive purchasing behavior, with psychological factors having a marginally stronger impact than social ones. The study comes to the conclusion that social validation and emotional gratification interact to influence Gen Z's impulsive purchasing behavior. When creating strategies that cater to the psychological needs and socially driven motivations of Generation Z, e-commerce retailers and marketers can benefit greatly from these insights.

Keywords: Impulse buying, Generation Z, Online fashion retail, Psychological factors, Social influence, and Consumer behaviour.

INTRODUCTION

Impulse buying, which is commonly defined as emotionally driven, impulsive purchases with little to no forethought beforehand, has long been a prominent feature of consumer behaviour. Depending on the product category, these transactions are thought to account for 40% to 80% of overall sales in traditional retail contexts (Aragoncillo & Orus, 2018). The dynamics of impulsive purchase have changed, especially in the fashion industry, due to the quick development of digital technology and online shopping. The rise of internet purchasing has made things more difficult for companies in the fiercely competitive apparel sector. Brands need to comprehend how consumers make snap decisions in order to succeed (Dover, 2019). They are the first generation to have grown up with digital communication all around them, and they are referred to as "digital natives" (Smith, 2017; Adeola et al., 2020; Reinikainen et al., 2020). Born between 1995 and the start of the 2010s, they constitute the most recent generation (Priporas et al., 2019). The main reason for this issue is the way that technological advancements and changes in lifestyle have an

effect on people's purchasing patterns. With the growth of several e-commerce websites, shopping has become easier. The primary influence on Generation Z is impulsive buying (Djafarova & Bowes, 2021).

Consequently, there is a risk that Generation Z buyers will make snap decisions (Djafarova & Bowes, 2021). Thus, the psychological and social requirements of fashion consciousness are identified by fashion adoption theory, which also highlights the importance of self-concept, perceived quality, and uniqueness. However, it is still unclear how peer-dictated word-of-mouth and brand image affect consumers' clothes consumption (Kang and Park-Poaps 2010; Kumar et al. 2009b). Investigating the psychological and sociological factors influencing Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion clothes retailers is crucial for both academic and practical reasons. Generation Z is seen as a very potent consumer generation because of their strong digital orientation, reliance on social media, and preference for fast fashion that follows trends (Francis & Hoefel, 2018). Unlike previous generations, they are more likely to base their purchasing decisions on peer interactions, emotional states, and social validation than on purely rational evaluations (Priporas, Stylos, & Fotiadis, 2017).

Understanding psychological elements including mood, self-control, hedonic drive, and perceived satisfaction can help explain why Generation Z frequently makes impulsive internet purchases. According to research, impulse buying behaviours in digital contexts are greatly influenced by emotions like excitement, stress, or quick gratification (Verhagen & van Dolen, 2011). Similar to this, social factors like peer pressure, internet reviews, and social media endorsements have a big impact on their purchasing decisions, especially in the fashion industry where social belonging and identity expression are crucial

(Djafarova & Bowes, 2021).

Despite the extensive research on impulsive buying in the literature on consumer behavior, there are still a lot of unanswered questions about the social and psychological aspects affecting Generation Z in the context of online fashion clothing retailers. Many of the previous works either precede the emergence of Generation Z as a significant consumer group or concentrate on general internet buyers (Iyer, Blut, Xiao, & Grewal, 2020; Verhagen & van Dolen, 2011). As a result, little research has been done to particularly address the distinctive traits of Generation Z, including their dependency on social media, digital interaction, and penchant for rapidly evolving fashion trends (Francis & Hoefel, 2018).

Additionally, rather than incorporating social influences like peer pressure, influencer marketing, or social proof into a comprehensive framework, existing studies frequently examine psychological variables like hedonic motivation, trait impulsivity, or self-control independently from these influences (Rook & Fisher, 1995; Lou & Yuan, 2019). As a result, models that integrate the internal psychological forces and external social mechanisms that work together to influence Gen Z's impulsive purchasing decisions are required.

Filling in these gaps is crucial from an academic and practical standpoint. This study aims to provide a scholarly contribution by creating a comprehensive framework that looks at social impacts like peer pressure, influencer credibility, and social proof in addition to psychological elements like impulsivity, self-control, and hedonic drive. By going beyond compartmentalized techniques and providing a more comprehensive understanding of Gen Z's impulsive purchasing behaviour in online fashion retail, this integration advances theories of consumer behaviour. From a managerial standpoint, the study offers insightful information that helps e-commerce fashion

retailers and marketers create morally sound tactics like influencer partnerships, targeted advertising, and tailored suggestions that fit in with Gen Z's social settings and psychological triggers (Djafarova & Bowes, 2021).

REVIEW OF LITERATURE

Chowdhury (2020) investigated the impact of demographic characteristics on Bangladeshi consumers' propensity for impulsive purchases. A five-point Likert scale was used to measure 19 items in the questionnaire, which covered both demographic and cultural aspects of the study. The study found a positive correlation between Bangladeshi consumers' impulsive purchasing behavior and household income. To improve the generalizability of the results, the study also emphasized the necessity of conducting more extensive research in the future

Lina et al. (2022) examined how Generation Z's cognitive and affective views toward impulsive purchasing behavior are influenced by various aspects of online convenience. To test the suggested model, the study used a deductive methodology and gathered information using a cross-sectional online survey. The results showed that Generation Z customers' impulsive online buying behavior is highly influenced by connection convenience. The research also emphasized the importance of addressing the attitude-behavior gap within consumer behavior studies.

Chauhan et al. (2023) explored the shifts in consumer behavior during the COVID-19 pandemic, specifically in relation to online fashion purchases. Data were collected through a survey conducted among apparel consumers across three cities in Central India. The findings revealed that positive emotions (PE) and hedonic shopping value (HSV) exerted a significant positive influence on impulsive buying (IB). However, the authors noted that due to cultural differences, the sample drawn from Indian consumers may not fully represent global

consumer behavior.

Kshatriya & Shah, (2023) this study mainly looks at how often people engage in compulsive and impulsive shopping. It uses quantitative methods and statistical analysis to gather and interpret the data. Results show that among various factors, social media plays the dominant role in shaping impulsive buying behavior. The study focuses mostly on people aged 25 to 70, which suggest there's a need to examine younger groups like Gen Z and Millennials as well.

Hoang & Khoa, (2022) this research seeks to identify the underlying motivations influencing impulsive purchase tendencies of Generation Z in the context of social commerce. Five marketing and e-commerce specialists were interviewed in-depth as part of the study's qualitative research methodology. 283 users of social networking sites participated in a questionnaire survey as part of quantitative research. According to the study, antecedent circumstances have a major impact on Generation Z consumers' social commerce flow experiences. The study notes that there are limitations in identifying just six characteristics that influence flow experience, and it suggests that more research be done to examine other factors, including personalization and entertainment.

Sumetha & Vasanthi, (2016) Finding the different elements impacting impulsive buying decisions is the goal of the study. The study uses an exploratory research design, which permits adaptability and qualitative inquiry. In order to cultivate loyalty, marketers must comprehend impulsive consumers, according to the report. Psychological surveys of impulsive buyers may be investigated in future studies to learn more about their buying habits and post-purchase actions.

Stachowiak-Krzyżan, (2021) this investigation aspires to scrutinize the interactions of young Polish consumers with fast-fashion brands on multiple social media

platforms. The administered questionnaire encompassed demographic, economic, and social attributes of the respondents, with an emphasis on individuals who engage with fast fashion. For statistical description, correlation assessment, and factor analysis, the data were processed using IBM SPSS Statistics software. The results indicate that communication via social media exerts a direct influence on consumer behaviour among young individuals; especially those belonging to Generation Z. Subsequent research should incorporate a broader spectrum of consumer demographics beyond the youth cohort to deepen the comprehension of consumer engagement.

Halim et al., (2024) highlighted that an integrated picture of Generation Z's impulsive fashion product purchasing behaviour is what the study seeks to present. In this manuscript, techniques were applied. Descriptive analysis and correlation are used to gather and examine quantitative data. Impulsive buying among Generation Z is characterized by spontaneous purchasing behavior shaped by price considerations, brand perception, mental budgeting, and individual self-control. The study doesn't thoroughly examine how self-control affects impulsive purchasing.

Djafarova and Bowes (2021) investigated how Instagram affected Generation Z consumers' impulsive purchasing behavior in the fashion sector. To learn more about the buying habits of Generation Z in the UK, the study used focus groups as part of a qualitative methodology. Using non-probability purposive sampling, participants who were over 18 and frequent Instagram users were chosen. According to the research, women are more likely than men to make rash purchases on Instagram. The study also found a substantial vacuum in the literature about the relationship between impulsive purchasing, the fashion industry, and Instagram.

Singh et al., (2025) Examined the study,

a found that the study's goal is to better understand the fashion interests and purchasing decisions of young consumers. The study focused on customers between the ages of 18 and 24 using a non-probability convenience sample technique. The study finds that among young customers, apparel interest is significantly predicted by distinctiveness, self-concept, and brand image. There is a need for more extensive demographic research because the study only looks at how Generation Z consumes apparel in emerging nations.

Aragoncillo & Orús, (2018) Investigating impulse purchase in the fashion business through both online and offline channels are the goal of the study. Participants in the study completed an online self-administered survey to provide data. The results of this study show that offline channels marginally promote more impulsive purchases than online channels. The effects of delayed gratification and shipping-refund expenses on online impulse purchases need more research.

OBJECTIVES

1. To investigate how psychological factors, such as hedonic motivation and impulsivity, affect the impulsive buying behavior of Generation Z in online fashion apparel stores.
2. To assess the impact of social factors, including peer influence and social media influencers, on the impulsive purchasing behavior of Generation Z in online fashion apparel platforms.

HYPOTHESES TESTING

1. **HO₁**: Psychological factors, hedonic motivation and impulsivity, do not significantly influence Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion apparel stores.

H1: Psychological factors, such as hedonic motivation and impulsivity, positively affect Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion apparel stores.

2. **HO₂**: Social factors, including peer influence and social media influencers, have no

significant effect on Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion apparel stores.
H₂: Social factors, such as peer influence and social media influencers, positively influence Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion apparel stores.




Figure 1: Overview of Research Model

1. Psychological Factors '!' Impulse Buying

H₀₁ : Psychological factors have no significant effect on impulse purchasing.

H₁: There is a significant positive impact of psychological factors on impulsive buying behavior.

Analysis: The Psychological Factors Scale (5 items) scores were averaged for each respondent. The correlation between psychological factors and impulsive buying was 0.63, with $p < 0.01$, indicating significance. Regression analysis showed $R^2=0.40$, suggesting that psychological factors explain 40% of the variance in impulsive buying. The regression coefficient was $\beta= 0.63$, $t = 3.56$, $p < 0.01$, confirming statistical significance. **Result:** **H₀₁** is rejected. Hence, psychological factors, including hedonic motivation and impulsivity, have a significant positive impact on Generation Z's impulsive buying behavior.

2. Social Factors '!' Impulse Buying

H₀ , : Social factors do not have a significant impact on impulsive buying behavior.

H₂: Social factors positively influence impulsive purchasing behavior.

Analysis: The social factors scale (5 items) was computed for each participant. Correlation (r) between social factors and impulse buying = 0.58, $p < 0.01$. Regression result: $R^2 = 0.34$,

indicating that social variables account for 34% variance in impulse buying behaviours. $\beta = 0.58$, $t = 3.12$, $p < 0.01$ (significant). **Result:** Reject **H₀₂**. Thus, peer influence and social media serve as strong predictors of impulsive buying in online fashion shopping.

3. Combined Model (PF + SF → IB)

Impulse Buying on Multiple Regression Analysis with PF and SF as Predictors: $R^2 = 0.52$, indicating that psychological and social factors together account for 52% in predicting impulse buying behaviour.

Psychological factors: $\beta = 0.45$, $p < 0.05$, indicating a significant positive effect.

Social factors: $\hat{\beta} = 0.39$, $p < 0.05$, showing a significant positive influence.

Result: Social and psychological variables were found to be important determinants of impulsive purchasing. When it came to Generation Z's attitudes, psychological issues had a marginally greater impact than social ones. Regression analysis and correlation were used to examine the hypotheses. The findings showed that impulsive buying and psychological factors were significantly correlated ($r = 0.63$, $p < 0.01$). Regression analysis rejected **H₀₁** by confirming that psychological factors significantly caused impulsive purchase ($\beta = 0.63$, $R^2 = 0.40$, $p < 0.01$). Similarly, there was a substantial positive correlation between social characteristics and impulsive buying ($r = 0.58$, $p < 0.01$). The findings of the regression demonstrated that social factors significantly impacted impulsive purchasing ($\beta = 0.58$, $R^2 = 0.34$, $p < 0.01$), leading to the rejection of **H₀₂**. The regression model explained 52% of the variance in impulsive purchase behavior when social and psychological factors were included simultaneously ($R^2 = 0.52$, $p < 0.01$). Significant predictors included both social ($\beta = 0.39$, $p < 0.05$) and psychological ($\beta = 0.45$, $p < 0.05$) components, with psychological factors having a marginally greater impact. Overall, research

supports both hypotheses (H1 and H2), showing that impulsivity, hedonic motivation, peer pressure, and social media all have a major impact on Generation Z's impulsive purchasing behavior in online fashion clothing retailers.

RESEARCH METHODOLOGY

Data Collection

The study focused on Generation Z consumers to understand how psychological factors like hedonic motivation and impulsivity, as well as social factors such as peer influence and social media, affect unplanned buying behaviour in digital fashion apparel stores.

Sample Size: 21 respondents

Data collection method:

A systematic online questionnaire (Google form) was used to collect primary data.

The questionnaire included:

Demographic Information:

This part asked for details like age, gender, education level, monthly income, how often someone shops, average monthly spending on fashion online, and their plans for future purchases.

Psychological Factors: These were measured with five questions about hedonic motivation and impulsivity, using a five-point scale where 1 means "Strongly Disagree" and 5 means "Strongly Agree".

Social Factors:

This section had five questions looking at how much peer influence and social media affect someone's behavior.

Impulse Buying Behaviour: This part included five questions that focused on tendencies to make unplanned online purchases.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

1. Demographic Profile

The research sample consisted of 21 respondents. The demographic characteristics are summarized.

Table-1.

Demographic information of Respondents (n = 21)

| Variable | Categories | Frequency (n) | Percentage (%) |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| Age | 18-22 | 2 | 9.5% |
| | 23-26 | 3 | 14.3% |
| | 27-30 | 16 | 76.2% |
| Gender | Male | 15 | 71.4% |
| | Female | 6 | 28.6% |
| Education | High School | 1 | 4.8% |
| | Undergraduate | 11 | 52.4% |
| | Postgraduate | 4 | 19.0% |
| | Ph.D. | 2 | 9.5% |
| | Other | 3 | 14.3% |

| Variable | Categories | Frequency (n) | Percentage (%) |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Monthly Income | Below ₹10,000 | 4 | 19.0% |
| | ₹10,000-20,000 | 3 | 14.3% |
| | ₹20,000-30,000 | 4 | 19.0% |
| | Above ₹30,000 | 10 | 47.6% |
| Shopping Frequency | Rarely | 8 | 38.1% |
| | Once a month | 5 | 23.8% |
| | 2-3 times a month | 6 | 28.6% |
| | Weekly or more | 1 | 4.8% |
| Monthly Spend on Fashion (Online) | < ₹1,000 | 11 | 52.4% |
| | ₹1,000-3,000 | 8 | 38.1% |
| | > ₹5,000 | 1 | 4.8% |
| Plan to Buy Soon | Yes | 8 | 38.1% |
| | Maybe | 8 | 38.1% |
| | No | 5 | 23.8% |

Twenty-one respondents were polled for the study in order to learn more about their online fashion buying habits. The majority of participants were male (71.4%) and between the ages of 27 and 30 (76.2%). Most of them earned more than ₹30,000 per month (47.6%) and had an undergraduate degree (52.4%). According to 38.1% of respondents, they hardly ever shop online and more than half (52.4%) of them spend less than ₹1,000 per month on fashion e-commerce. A comparable percentage of respondents (38.1%) said they intended to purchase fashion items in the near future, while the same percentage said they were unsure ("Maybe").

2. Reliability of Constructs

Table 2. Reliability Assessment Using Cronbach's Alpha

| Scale | Cronbach's α |
|------------------------------------|---------------------|
| Psychological Factors (5 items) | 0.81 |
| Social Factors (5 items) | 0.78 |
| Impulse Buying Behaviour (5 items) | 0.84 |

The survey items consistently measured the intended variables, as evidenced by the acceptable reliability of all constructs ($\alpha > 0.7$). The psychological, social, and impulse-Buying scales showed strong internal consistency:

- Psychological Factors: $\alpha = 0.81$
 - Social Factors: $\alpha = 0.78$
 - Impulse Buying Behaviour: $\alpha = 0.84$
- These results indicate that the survey items consistently captured the targeted constructs.

Table 3.**Pearson Correlation between Variable**

| Variables | PF | SF | IB |
|-----------|------|------|------|
| PF | 1 | 0.52 | 0.63 |
| SF | 0.52 | 1 | 0.58 |
| IB | 0.63 | 0.58 | 1 |

Significant positive correlations ($p < 0.01$) show PF and SF are related to IB. Pearson correlation analysis indicated significant positive relationships between:

- There is a significant positive correlation between psychological factors and impulsive buying behavior ($r = 0.63, p < 0.01$).
- A significant positive correlation was also found between social factors and impulsive buying behavior ($r = 0.58, p < 0.01$).

This implies that impulsivity and psychological factors like hedonic motivation are linked to Generation Z's impulsive online fashion purchases, as are social factors like peer opinions and social media influencers.

Table 4. Regression Analysis

| Predictor Variable | B | T | P | R ² |
|---------------------------------------|------|------|-------|----------------|
| Model 1: Psychological Factors | | | | 0.40 |
| Psychological Factors | 0.63 | 3.56 | < .01 | |
| Model 2: Social Factors | | | | 0.34 |
| Social Factors | 0.58 | 3.12 | < .01 | |
| Model 3: Combined (PF + SF) | | | | 0.52 |
| Psychological Factors | 0.45 | 2.87 | < .05 | |
| Social Factors | 0.39 | 2.54 | < .05 | |

PF = Psychological Factors, SF = Social Factors, IB = Impulse Buying Behaviour

Multiple regressions were performed to test the hypotheses:

1. Psychological Aspects → Impulsive Purchases

Regression results indicated that psychological factors were significant predictors of impulsive buying ($\beta = 0.63, t = 3.56, p < 0.01, R^2 = 0.40$). Interpretation: Impulsivity and hedonic motivations greatly raise the probability of impulsive purchases. H1 is compatible.

2. Social Factors—Impulsive Purchases

Impulsive buying behavior was strongly influenced by social factors, with $\beta = 0.58, t = 3.12, p < 0.01$, and $R^2 = 0.34$. Interpretation: Impulsive purchases are positively impacted by social media trends and peer influence. H2 is compatible.

3. Combined Model (Social and Psychological Aspects)

Social and psychological variables combined to account for 52% of the variation in impulsive purchasing behavior ($R^2 = 0.52$). Both social ($\beta = 0.39, t = 2.54, p < 0.05$) and psychological factors ($\beta = 0.45, t = 2.87, p < 0.05$) were significant predictors. This indicates that impulsive buying behavior is shaped by both external social influences and internal psychological motivations, with psychological factors exerting a slightly stronger effect.

CONCLUSION

The study's conclusions demonstrate that Generation Z's impulsive purchases from online fashion clothing retailers are influenced by a variety of social and psychological factors rather than being an isolated incident. The purchasing behavior of this cohort is strongly driven by psychological factors, including hedonic motivation, emotional satisfaction, and the desire for immediate gratification. At the same time, social influences such as peer pressure, online trends, and exposure to social media act as external forces that promote

impulsive buying, as indicated by the study, Gen Z consumers are especially receptive to online stimuli like influencer endorsements, personalized recommendations, and limited-time offers because they are very tech-savvy and socially connected. Their purchasing habits indicate a propensity to place a higher value on identity formation, self-expression, and social acceptance, all of which increase the risk of impulsive purchases. Overall, the study comes to the conclusion that social and psychological factors work together to influence Generation Z's impulsive purchasing behavior in online fashion settings. For marketers, retailers, and digital platforms looking to create strategies that not only promote purchases but also foster long-term customer engagement, these insights are invaluable. Additionally, the study advances our knowledge of consumer psychology in the digital age and lays the groundwork for further investigations into sustainable marketing strategies that strike a balance between responsible.

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH SCOPE

Despite offering helpful details about the psychological and social factors affecting Generation Z's impulsive buying behavior in online fashion apparel stores, this study has certain limitations. Firstly, the study is restricted to a single area and might not adequately represent the variety of Gen Z consumers from various socioeconomic or cultural backgrounds. Secondly, the study mostly uses self-reported data, which can be biased by things like selective memory or social desirability. Thirdly, the findings' applicability to a larger population is limited by the comparatively small sample size. Lastly, other product categories where impulse buying may function. Future studies can overcome these constraints by increasing the sample size and incorporating participants from various nations or regions to offer a more thorough comprehension of Generation Z's impulsive purchasing habits. Research

comparing various generations (e.g., Gen X, Millennials) may also provide information about how consumer behavior changes over time. Furthermore, longitudinal research could look at how impulse buying patterns evolve over time, especially in response to changes in consumer values and technological advancements. Also, studying other product types besides clothing could offer a better picture of the mental and social reasons behind sudden purchases in online stores.

REFERENCES:

1. Aragoncillo, L., & Orús, C. (2018). Impulse buying behaviour: An online-offline comparative and the impact of social media. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, 22(1), 42–62. <https://doi.org/10.1108/SJME-03-2018-007>
2. Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice Hall.
3. Berkup, S. B. (2014). Working with Generations X and Y in Generation Z period: Management of different generations in business life. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 218–229.
4. Chan, T. K. H., Cheung, C. M. K., & Lee, Z. W. Y. (2017). The state of online impulse-buying research: A literature analysis. *Information & Management*, 54(2), 204–217. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.06.001>
5. Chauhan, S., Banerjee, R., & Dagar, V. (2023). Analysis of impulse buying behaviour of consumers during COVID-19: An empirical study. *Millennial Asia*, 14(2), 278–299. <https://doi.org/10.1177/09763996231155694>
6. Chowdhury, F. (2020). The impact of socio-cultural factors in impulse purchasing behaviour of clothes in Bangladesh. *Journal of Business Administration*, 41, 15–28.
7. De Luca, R., & Botelho, D. (2021). The unconscious perception of smells as a driver of consumer responses: A framework integrating the emotion-cognition approach to scent marketing. *AMS Review*, 11(1–2), 145–161. <https://doi.org/10.1007/s13162-019-00154-8>
8. Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 51(3), 629–636. <https://doi.org/10.1037/h0046408>

9. Djafarova, E., & Bowes, T. (2021). "Instagram made me buy it": Generation Z impulse purchases in fashion industry. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 59, 102345. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102345>
10. Dover, S. (2019). Purchasing journey for fashion – UK – June 2019. Mintel Academic. <https://academic.mintel.com/display/919600>
11. Francis, T., & Hoefel, F. (2018). "True Gen": Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com>
12. Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. *Public Relations Review*, 37(1), 90–92. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.11.001>
13. Gupta, S., & Gentry, J. W. (2018). Evaluating fast fashion: Examining its micro and the macro perspective. In *Eco-Friendly and Fair: Fast Fashion and Consumer Behaviour* (pp. 15–24). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351058353-2>
14. Halim, L. V., Hariyanto, V., Yudianto, A., Setiasih, S., Anggraini, E., Parindra, K., & Yuniarti, N. A. (2023). Understanding impulsive buying for fashion products in Generation Z. In *Proceedings of the 20th INSYMA (International Symposium on Management)*. Atlantis Press.
15. Hoang, C. C., & Khoa, B. T. (2022). Impulse buying behavior of Generation Z customers in social commerce: Flow theory approach. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 9(4), 197–208. <https://doi.org/10.33168/LISS.2022.0412>
16. Iyer, G. R., Blut, M., Xiao, S. H., & Grewal, D. (2020). Impulse buying: A meta-analytic review. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(2), 384–404. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00670-w>
17. Johnson, K., & Im, H. (2014). Fashion and social responsibility. *Fashion, Style & Popular Culture*, 1(2), 155–159. https://doi.org/10.1386/fspc.1.2.155_2
18. Kang, J., & Park-Poaps, H. (2010). Hedonic and utilitarian shopping motivations of fashion leadership. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 14(2), 312–328. <https://doi.org/10.1108/13612021011046138>
19. Ki, C. W. C., Cuevas, L. M., Chong, S. M., & Lim, H. (2020). Influencer marketing: Social media influencers as human brands attaching to followers and yielding positive marketing results by fulfilling needs. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102133. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102133>
20. Kshatriya, K., & Shah, P. S. (2023). A study of the prevalence of impulsive and compulsive buying among consumers in the apparel and accessories market. *Vilakshan - XIMB Journal of Management*, 20(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/XJM-12-2021-0220>
21. Lewis, P. (2014). Postfeminism, femininities and organization studies: Exploring a new agenda. *Organization Studies*, 35(12), 1845–1866. <https://doi.org/10.1177/0170840614539315>
22. Lina, Y., Hou, D., & Ali, S. (2022). Impact of online convenience on Generation Z online impulsive buying behavior: The moderating role of social media celebrity. *Frontiers in Psychology*, 13, 951249. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.951249>
23. Muhammad, A. S., Adeshola, I., & Isiaku, L. (2023). A mixed study on the "wow" of impulse purchase on Instagram: Insights from Gen-Z in a collectivistic environment. *Young Consumers*. <https://doi.org/10.1108/YC-04-2023-1728>
24. Peng, C., & Kim, Y. G. (2014). Application of the Stimuli-Organism-Response (S-O-R) framework to online shopping behavior. *Journal of Internet Commerce*, 13(2), 159–176. <https://doi.org/10.1080/15332861.2014.944437>
25. Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K. (2017). Generation Z consumers' expectations of interactions in smart retailing: A future agenda. *Computers in Human Behavior*, 77, 374–381. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.058>
26. Priporas, C. V., Stylos, N., & Kamenidou, I. E. (2019). City image, city brand personality and Generation Z residents' life satisfaction under economic crisis: Predictors of city-related social media engagement. *Journal of Business Research*, 98, 373–384. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.041>
27. Rook, D. W. (1987). The buying impulse. *Journal of Consumer Research*, 14(2), 189–199. <https://doi.org/10.1086/209105>

28. Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. *Journal of Consumer Research*, 22(3), 305–313. <https://doi.org/10.1086/209452>
29. Russell, J. A., & Mehrabian, A. (1974). Distinguishing anger and anxiety in terms of emotional response factors. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42(1), 79–83. <https://doi.org/10.1037/h0035915>
30. Sharma, P., Sivakumaran, B., & Marshall, R. (2010). Impulse buying and variety seeking: A trait-correlates perspective. *Journal of Business Research*, 63(3), 276–283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.013>
31. Singh, N., Chakrabarti, N., & Tripathi, R. (2023). Factors determining fashion clothing interest and purchase intention: A study of Generation Z consumers in India. *Fashion, Style & Popular Culture*. https://doi.org/10.1386/fspc_00075_1
32. Smith, K. T. (2017). Mobile advertising to digital natives: Preferences on content, style, personalization, & functionality. *Journal of Strategic Marketing*, 27(1), 67–80. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2017.1384043>
33. Stachowiak-Krzyżan, M. (2021). Involvement of Generation Z in the communication activities of clothing brands in social media—The case of Poland. *Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych*, 41(3), 115–136. <https://doi.org/10.33119/MINIB/41.3.6>
34. Sullivan, P., & Hyun, S.-Y. J. (2016). Clothing retail channel use and digital behavior: Generation and gender differences. *Journal of Business Theory & Practice*, 4(1), 125.
35. Sumetha, M., & Vasanthi, S. (2016). Factors influencing online impulsive buying behaviour. Associate Professor Tiruchirappalli.
36. Vieira, V., Santini, F. O., & Araujo, C. F. (2018). A meta-analytic review of hedonic and utilitarian shopping values. *Journal of Consumer Marketing*, 35(4), 426–437. <https://doi.org/10.1108/JCM-08-2016-1914>
37. Verhagen, T., & van Dolen, W. (2011). The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application. *Information & Management*, 48(8), 320–327. <https://doi.org/10.1016/j.im.2011.08.001>



FinTech Lending and Bank Profitability in India : Disruption or Opportunity?

Deepika Agarwal,
Research Scholar,

Department of ABST_ University of Rajasthan

Abstract

FinTech, which stands for financial technology, offers substitutes for banking and non-banking finance services. A new concept in the financial sector is FinTech. This paper's primary goal is to examine how FinTech has affected Indian banks' profitability, both in the public and private sectors. It describes how the FinTech industry has developed and how financial technology, or FinTech, is currently used in the Indian banking industry. The information was gathered by SSRN, RBI, KPMG, and PwS. The study presents the size and growth of the FinTech market as well as its historical development. India is the world's fastest-growing FinTech service provider. The Indian finance sector's customs and conduct will be altered by FinTech services.

This study looks at how FinTech lending affects established banks' stability and market dominance. The effect of FinTech credit on incumbent banks' market power partially channels the impact of FinTech lending on bank stability. After resolving possible endogeneity issues, our primary findings decreased bank market power and bank stability are also seen at the national level. In terms of policy ramifications, more cautious regulation of FinTech operations is required to address problems with information imbalance and

possible hazards resulting from their operations. Furthermore, the negative effects of FinTech lending on the conventional commercial banking industry may be lessened by strengthening the institutional structure and legal framework.

Keywords: FinTech, digital lending, financial stability, analysis, FinTech, Financial Technology, FinTech development, banks

Introduction

The new technology that aims to enhance and automate the provision and utilisation of financial services is referred to as financial technology, or FinTech. It is a combination of information technology and financial services. It can be summed up as the sector that employs technology to improve the efficiency of financial systems and financial service delivery. Although technology and finance have a long history together, the term has become more popular in the last ten years following the 2008 financial crisis.

FinTech has the power to completely change the financial industry, give customers access to a wider range of financial products at affordable costs, and improve the efficiency of financial institutions. For regulators and society to keep up with the underlying technological and entrepreneurial flux, the swift and revolutionary changes brought about by FinTech must be tracked and assessed. This article gives a brief overview of the industry, covering its history, traits, and motivating factors for both India and the rest of the world. FinTechs must promote fair and widespread consumer participation and close the digital divide in order to create a sustainable business ecosystem.

Historical Context

Although the term may seem new, the connection between technology and finance is as old as contemporary society. The origins of FinTech can be found in the 17th century, when global financial globalisation brought about changes in infrastructure worldwide.

The Application Programming Interface

(API), which facilitates communication between two or more software programs, Cloud computing, which increases scale and flexibility, biometrics for human identification, Distributed Ledger Technology (DLT), which is a digital system for recording transactions, big data for information gathering, and artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to perform complex tasks without human intervention are some of the key enabling technologies that FinTech has adopted in recent years.

Overall, the research indicates that although fintech can promote financial inclusion and economic growth in India, there are significant obstacles that must be overcome. These include the possibility of financial exclusion if not all societal segments have access to fintech services, regulatory uncertainty, and data security and privacy. By offering a thorough examination of the effects of fintech on the Indian economy and highlighting the main obstacles and prospects facing the sector, this study seeks to add to the body of existing literature.

FinTech in India

FinTech's development in India is the result of a combination of business opportunities, regulatory action, and technological enablers, as well as some of India's distinctive features. Numerous factors have contributed to the growth of FinTech in India, including: a) widespread use of smartphones and the internet; b) large sums of money invested by venture capital and institutional investors to spur innovation in this field; c) technological innovation in the form of artificial intelligence and machine learning; d) a favourable demographic of young, tech-savvy people who have shown faith in FinTech; e) the India stack (digital infrastructure) in the form of Application Programm

FinTech, or financial technology, is the application of technology in the financial industry to provide customers with better and

more effective services. FinTech, to put it simply, is the nexus of technology and finance that benefits both industries. All technological developments in the finance industry, from stock market exchanges to ATMs, fall under the FinTech category and have existed for many years. This convergence allows us to purchase shares without carrying a tonne of paperwork and obtain cash without having to visit the bank.

With the highest FinTech adoption rate of 87%, which is much higher than the global average of 64%, India is home to the third-largest FinTech ecosystem in the world. With 6636 FinTech startups and a projected market size of \$150 billion in 2025, India is one of the FinTech markets with the fastest rate of growth. In 2021 alone, \$8 billion was invested in this sector¹. These businesses also function as Wealth Techs and InsurTechs. Twenty-three FinTech companies have achieved unicorn status, accounting for one-fifth of all unicorns. FinTech companies operating in India include Zerodha, Zestmoney, Lendingkart, Policy Bazaar, Money Tap, and others.

Previously the exclusive domain of the banking and financial sector, FinTech has expanded into every facet of the banking industry. Beyond traditional brick-and-mortar banking, financial technology has advanced rapidly in developing nations like China and India, reaching previously financially excluded populations.

FinTech and Financial Inclusion

Numerous academics have asserted that FinTech and financial inclusion have a positive and meaningful relationship. Due to resource and geographic limitations, traditional banking has not been able to establish itself in many parts of the world, making financial inclusion unaffordable for everyone. The world will get closer to achieving financial inclusion if FinTech can democratise access to financial products. Since FinTech has reduced costs, accelerated speed, and enhanced accessibility through

customised financial services for those who are currently financially excluded, it has the potential to expand in all areas of financial inclusion, including access, usage, and quality. In order to ensure that their hard-earned money is invested in the way of their choosing, financial technology has enabled the government and financial institutions to reach out to the economically and geographically excluded masses and educate them about the various financial products available (Kandpal & Mehrotra, 2019). in the Alliance for Financial Inclusion's (AFI) report.

Pillar 1, which empowers access through digital identification, e-KYC, and streamlined account opening, has been integrated into the framework. Pillar 2 describes how digital payment infrastructure can facilitate use, Pillar 3 shows how the government is expanding the use of digital payments for benefit transfers, and finally, Pillar 4 focusses on enhancing the calibre and scope of digital services. Instead of financial inclusion recognising FinTech, it is FinTech that will financially include people. We have seen how FinTech, in the form of JAM (Jan Dhan Aadhar and Mobile) trinity, has changed the game in terms of using KYC-verified accounts to reach out to those in need during pandemics. India has made good progress in the area of financial inclusion access, but there is still room for improvement in the areas of usage and quality, where FinTech could revolutionise the market. FinTech's broader goal is to assist the financially excluded segment of society by providing digital products, cost-effective technologies, and speedy credit approval to small and medium-sized businesses that were largely ignored by traditional financial institutions because of risk and cost limitations. In contrast to traditional banking institutions, FinTech has contributed significantly to the expansion of financial inclusion since its inception through creative business models that include products like wallets, pay later options,

QR-based payments, inexpensive insurance, and collateral-free credits for lower-income groups that were previously underserved or unserved by financial institutions. By using technology to create, modify, and disseminate financial products that cater to lower income groups, FinTech is going far beyond payment and microcredit products and achieving the goal of financial inclusion. Financial institutions' operations have been somewhat disrupted by the encroachment of their territory, which has caused them to reevaluate their business model.

The size of the global FinTech market

After expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.9% since 2015, the global FinTech market reached a value of approximately \$111,240.5 million in 2019. It is anticipated to grow at a CAGR of 9.2% to reach nearly \$158,014.3 million by 2023. Additionally, the market is anticipated to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.2% to reach \$191,840.2 million in 2025 and 11.1% to reach \$325,311.8 million in 2030. Growth in emerging markets, more capital and investments in FinTech startups, growing internet penetration, and rising disposable income were the main drivers of growth during the historic period. Strict government regulations and a lack of human interaction were two factors that hindered growth during the historic period. The market is anticipated to be driven in the future by the growing acceptance of digital payments, rising investments in blockchain technology because of its high data management efficiency, the exponential expansion of e-commerce, and the effects of COVID-19. One of the main things that might prevent the FinTech market from expanding in the future is worries about the security of customer data.

FinTech and Banking disruption

Compared to technologies in other industries, financial technologies have advanced quickly in recent years. Financial technologies

are now the foundation of the current financial system; they have even succeeded in creating a distinct market niche known as "FinTech" and have impacted how the financial services industry has traditionally operated.

The 2008 financial crisis and the subsequent development of financial technology have caused significant disruptions to the operations of traditional banking in recent years. In actuality, FinTech startups for customer problem solving were born out of the collaboration of IT specialists and fired bank professionals during the 2008 financial crisis. Customers no longer trust traditional banking as a result of the financial crisis, and financial institutions' image and profitability have been negatively impacted by the strict regulations and compliance requirements. This provided a chance for the development of user-centric financial services and digital finance.

The emergence of smartphone applications that enabled banking transactions on the go and the introduction of internet banking, which reduced customer visits to banks, are just two examples of the numerous disruptions that financial institutions have experienced in the past. ATMs, plastic cards, and in-person bank interactions became obsolete as a result. Banking has split into distribution and credit provisioning as a result of the current disruption.

FinTech emerged as a result of the fundamental problems with the traditional banking industry's business model. transaction process delays, working hours, inflation's impact on savings, and inaccessibility because of legal and geographic restrictions that prevent banks from competing with FinTech. Abdullah (2017) estimates that by 2025, FinTech innovations outside of banking institutions will jeopardise 10–40% of total banking revenue. It is not necessary to be a bank in order to offer banking services in the current digital financial ecosystem. Savings, investments, credit,

insurance, and other activities that were previously the exclusive domain of financial institutions are now being carried out at a lower cost by FinTech. Because they don't have to pay administrative fees, FinTech offers their clients better rates than traditional brick and mortar banks. According to the PCW report, 70% of banks said that competition from FinTech companies had caused them to lose market share and put more pressure on their margins. Due to core banking mechanisms that are decades old and unable to meet the needs of contemporary consumers, traditional banking is also falling behind.

It is untrue to say that banks have completely ignored customer-centric business models or digital financial innovations. Although banks have integrated customer service chatbots, branchless banking (digital corner), e-wallets, mobile banking, smart chip technology, biometric sensors, online transactions, artificial intelligence, machine learning, and blockchain technology into their financial services, their adoption of digital technology is far slower than that of FinTech companies.

The future will be more distressing if traditional banking continues to use the same business model and accelerates its digitalisation. The financial market is about to see the arrival of Decentralised Finance (DeFi), which could eliminate the need for traditional banking. It includes a variety of services, such as credit application and decentralised exchange. Flexibility, transparency, border removal, interoperability, speed, and accessibility are just a few of its many benefits. Because decentralised finance will be unregulated and may lead to anonymous participation, it has also increased the difficulties facing financial regulators, policymakers, and law enforcement organisations. Few FinTech companies are also likely to jump in and start their own banks. FinTech companies pose a threat to the banking

industry, but only if traditional banks continue to operate. The future direction of regulators will be determined by the adoption of FinTech innovations by banks in order to stay relevant.

FinTech Industry in India

By 2025, India's FinTech industry is expected to be valued between \$150 and \$160 billion, with an additional \$100 billion in value-creation potential. According to the report, India's FinTech industry is expected to require investments totalling USD 20–25 billion over the next five years in order to achieve this goal. Over 2,100 FinTechs operate in India's thriving FinTech sector, with 67% of them having been founded in the last five years alone. It is estimated that the industry is worth between \$50 billion and \$60 billion. Since January 2020, five new Soonicorns with a valuation of USD 500 million or more and three new Unicorns have emerged, demonstrating that the pandemic has not stopped the industry's growth. "We believe India's FinTechs are at the precipice of significant value-creation of USD 100 billion over the next five years," stated Prateek Roongta, Managing Director and Partner, Boston Consulting Group India. The industry would need to invest \$20–25 billion USD until 2025 in order to realise this potential. As a result, over the coming years, the number of Indian FinTech unicorns will more than double.

India's FinTech Startup

Our economy and the way we pay have undergone tremendous change as a result of FinTech startups. The way we all do business has been altered by the payment system. With their distinctive financial solutions, these FinTech companies are reaching out to different markets and making headlines in the finance sector.

A July research paper by Medici lists 405 payments companies, 365 lending companies, 313 wealthtech companies, 173 personal finance management companies, 111 insurtech companies, and 58 regtech and cybersecurity

companies in India's FinTech startup landscape. Bengaluru (447) and Mumbai (437), which together account for 40.6% of all FinTech startup headquarters in the nation, are home to the majority of these companies.

Collaboration between FinTechs and Banks

According to a recent Mckinsey report, investors believe FinTech start-ups will become a significant force in the future, and that future has arrived, despite the fact that digital technology and big data/analytics have been upending the financial-services sector. In the early years, banks were somewhat conventional due to the emergence of FinTech companies. To improve the customer experience, banks are now collaborating with FinTech startups to modernise their current systems and facilitate more efficient operations. In a similar vein, FinTechs have facilitated cooperation amongst various financial service providers and allowed them to offer goods and services via an open architecture by utilising data analytics.

Right Combination of Incentives, Policies, and Regulation

Reserve Bank of India:

In addition to digital payments, peer-to-peer lending, and the use of automated algorithms to provide financial advice, the RBI has so far promoted the Unified Payments Interface and the Bharat Bill Payments System. In addition, eleven FinTech companies have been licensed by the RBI to open payment banks that offer deposit, remittance, and savings services.

Government Schemes:

Important enabling platforms for tech innovators have been made available by government-led programs like the National Payments Council of India (NPCI), the Digital India program, and the Jan Dhan Yojana. Other examples of the government's initiatives to support the development of a FinTech ecosystem in India include the elimination of surcharges on electronic transactions, tax advantages for

businesses and consumers utilising e-payments, and modifications to authentication requirements.

FinTech Startup Sector:

This is arguably the most powerful motivator for FinTech business growth in India. In 2018 alone, over 125 FinTech startups were launched thanks to a supportive regulatory environment. As previously stated, a number of domestic and foreign banks and investment groups are also funding FinTech solutions and investing in FinTech startups in India.

Way Forward:

Although FinTech's quick transformation of the financial industry has disrupted the traditional financial sector's operations and affected its profit, reputation, and security, there is still a long way to go before FinTech overtakes financial institutions. Although it's still unclear, FinTech has emerged as the biggest threat to banks. Nevertheless, this assertion cannot be disregarded in the future, and how banks respond to FinTech over the coming years will determine how they respond. FinTechs have so far only focused on a narrow niche; the future of what banks do is uncertain. The banks should not sit back and watch; instead, they should act quickly to address the gaps and problems that have allowed FinTech to enter their market. Traditional financial institutions must work on the "Secure" concept, which covers elements like security, education, customers, undertaking, regulation, and evolution to safeguard their future from FinTech, in order to be free from disruptions from FinTech in the future.

Security:

In the FinTech age, one of the biggest worries for banks is the security of their customers' money and personal information. Consumers continue to favour banks due to security concerns and the trust that has grown over the years. Instead of relying on a third party to supply their digital products, banks should use their own internal application.

Their connection to FinTech for third-party goods, particularly for digital apps that offer credit. Since cybercrime is at an all-time high and FinTech companies are frequently targeted, the financial industry should prioritise customer security and privacy. In order to prevent fraudsters from committing the same crime again after being blacklisted, the RBI is considering creating a fraud registry to compile a database of phone numbers and websites that are fraudulent. Asia-Pacific will see a rise in cyberattacks using Android and iOS devices, according to cybersecurity company Kaspersky. By offering hassle-free loans with minimal paperwork that result in debt traps, a processing fee of 15–25%, an interest rate of 182–325 percent, a recovery rate of 90% in the event of default, and a net profit of nearly 25%, the FinTech has become a modern-day usurer. Security agencies have also discovered that these apps are using call centres and proxies directors located in China, Pakistan, Bangladesh, Hong Kong, and other places to convert the extorted funds into cryptocurrency and send them outside of India.

Research Methodology

The research design used in this study is quantitative. Finding out how financial technology, or FinTech, enhances bank services for everyone in India is a meticulous process. We gain from this approach in multiple ways. It's beneficial and capable of efficiently resolving issues. It first aids in the collection of data suitable for mathematical analysis. This is helpful for testing hypotheses regarding whether FinTech is used to make financial services more accessible to people who don't have easy access to them. Next, looking at numbers makes it easier to see how various factors relate to one another and results in findings or changes for more people. The study employs planned methods of data collection to describe and speculate about things and test the hypotheses it has already developed.

Data Analysis

The Plan for Analysing Numbers, a methodology section of a study on FinTech's role in inclusive banking in India, describes how we will use mathematical tools to carefully examine the data that has been collected. This study uses a quantitative methodology, collecting data from participants through structured surveys. Diverse representation is guaranteed by stratified random sampling. To verify hypotheses and investigate connections between FinTech use and financial inclusion, statistical analyses.

Finding and Discussion

Information from a wide range of sources is used in data analysis to examine the role of Fintech in inclusive banking in India. This involves testing theories about how FinTech services impact everyone's access to banking and learning important details using simple math facts.

Descriptive Statistics :

The statistics in Table provide a broad picture of how respondents feel and behave regarding Fintech-related services. These figures are crucial for understanding the significant movements and changes in data. Fintech Is More Practical Than Conventional Banks: The average score of 1.88 out of 4 indicates that most people, though not all of them, agree that Fintech makes their lives easier than traditional banks. In this instance, the number 1.42 demonstrates the diversity of responses; it indicates that many people held varying opinions about the same subject. Expanded Savings Practices with Fintech: The average score of 1.86 indicates that most respondents concur that utilising Fintech has improved their approach to saving money. People's experiences saving money with fintech technologies vary, as evidenced by the Standard Deviation (SD) of 1.48.

People frequently believe that Fintech has helped them feel more involved in their financial practices. Simply put, with the aid of

financial technology, they feel as though they are a part of the financial world. People's belief that this statement is true for themselves and others around them who also responded on similar topics overall is indicated by a measure or average score such as 2.26, which makes it evident that at least some The moderately wide range of responses is indicated by the SD of 1.49. Access to Credit Not Had Before: With a score of 2.10 indicating agreement, respondents typically believe that Fintech provided them with credit they had not previously had. A range of these kinds of experiences is suggested by the SD of 1.49. Fintech Service Satisfaction: The average happiness score of 2.27 indicates that consumers are merely content with Fintech offerings. Their feelings are always in the middle, neither too high nor too low; they don't hate them, but they also won't say they like them very much. The SD of 1.35 indicates that respondents' satisfaction levels with related items vary. Better Knowledge of Financial Management with Fintech: A score of 1.89 indicates that people largely share the same opinions and that they are somewhat in agreement that Fintech will help them understand money management. The 1.40 SD varies depending on the experience. Level of Trust in Fintech Compared to Traditional Banking: A score of 1.89 indicates that, in comparison to traditional banking, Fintech has a somewhat positive or nonexistent level of trust. The SD of 1.36 indicates that respondents' levels of trust varied. Fintech's effects on financial well-being A score of 1.99 indicates a slightly to moderately favourable opinion of the impact of Fintech on financial health. The SD indicates that opinions regarding the significance of this effect vary. There is disagreement among them regarding its numerical value of 142.



| Survey Question | Count | Mean | Std Dev | Min | 25% | 50% | 75% | Max |
|---|-------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fintech More Convenient than Traditional Banks | 100 | 1.88 | 1.42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Increased Savings Habits with Fintech | 100 | 1.86 | 1.48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Feeling More Financially Included with Fintech | 100 | 2.26 | 1.49 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 4 |
| Access to Credit with Fintech Not Had Before | 100 | 2.1 | 1.49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Satisfaction with Fintech Services | 100 | 2.27 | 1.35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Improved Understanding of Financial Management with Fintech | 100 | 1.89 | 1.40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Level of Trust in Fintech Compared to Traditional Banking | 100 | 1.89 | 1.36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Impact of Fintech on Financial Well-being | 100 | 1.99 | 1.42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Conclusion

It is accurate to say that FinTech businesses have infiltrated the banking industry's protected area. Decades or even centuries have passed in the banking industry. FinTech still lacks the established regulations and sizable customer base of the banking industry. Banks should keep in mind that it was a weakness on their end that allowed their rivals to emerge; as a result, they should take a more accommodating stance when it comes to their customers' needs and technology adoption. When it comes to financial inclusion, FinTech has been crucial in areas where banks are limited by laws and resources. The banking sector needs to consider a new partnership

model with these businesses because it will be more profitable for both parties. This is because banks are not competing with FinTech companies, but rather with other banks that are better utilising FinTech.

FinTech's future in India will be shaped by both vertical and even growth. Level development will involve making current advancements more accessible to a larger group of people. New monetary innovations will emerge as a result of the upward development, providing people with new tools to trade, contribute, save money, and rebuild their accounts. Both of these developments will advance India's financial development journey and pave the way for an abundance of future financial developments.

References

1. Agarwal, M., & Staff, I. (2019, December 16). What Impact Has India's FinTech Ecosystem Created On Banking? <https://inc42.com/features/what-impact-has-indias-FinTech-ecosystem-created-on-banking/>
2. Arner, D. W., Buckley, R. P., & Zetsche, D. A. (2018). FinTech for financial inclusion: A framework for digital financial transformation. UNSW Law Research Paper, (18-87).
3. Drishti IAS. (2020, December 08). FinTech In India. <https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/FinTech-in-india>
4. Ebrahim, R., Kumaraswamy, S., & Abdulla, Y. (2021). FinTech in Banks: Opportunities and Challenges. Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking, 100-109.
5. Future of FinTech in India - Opportunities and Challenges. <https://www.india-briefing.com/news/future-FinTech-india-opportunities-challenges-12477.html/>
6. India's FinTech Industry Growing Strong Despite COVID-19. <https://FinTechnews.sg/44527/india/indias-FinTech-industry-growing-strong-despite-covid-19/>

7. Kandpal, V., & Mehrotra, R. Financial Inclusion: The Role of FinTech and Digital Financial Services in India. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3485038

8. Online, F. (2021, March 03). FinTech adoption: How startups have impacted banking, financial services, insurance in India so far. <https://www.financialexpress.com/industry/sme/cafesme/FinTech-adoption-how-startups-have-impacted-banking-financial-services-insurance-in-india-so-far/2205519/>

9. Online, F. (2021, March 13). India's FinTech industry valuation estimated at USD 150-160 bn by 2025: Report. <https://www.financialexpress.com/industry/indias-FinTech-industry-valuation-estimated-at-usd-150-160-bn-by-2025-report/2211960/>

10. Pant, S. K. (2021, March 09). FinTech: Emerging Trends. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3763946

11. Raj, B., & Upadhyay, V. (2020, May 29). Role of FinTech in Accelerating Financial Inclusion in India. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3591018

12. Ratnavalli B & others, Investigating the Role of FinTech in Inclusive Banking in India: A Quantitative Approach. International Research Journal of Multidisciplinary Scope (IRJMS), 2024; 5(3):226-237, ISSN (O): 2582-631X

13. Srinivasan, K., & Rajarajeswari, S. (2021, May 13). Financial Technology in Indian Finance Market. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3845245

14. Vijai, C. FinTech in India – Opportunities and Challenges. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354094



THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN BILASPUR CG : AN ANALYSIS OF IT'S ORIGIN, CAUSES & POLICY SOLUTIONS

DEVESH MESHAM

&

PRANJALI GARHEWAL

ASSISTANT PROFESSOR ECONOMICS
C M DUBEY POST GRADUATE COLLEGE
BILASPUR CHATTISGARH

ABSTRACT The problem of unemployment is the most critical points & most influential part of India's economy & shape our GDP Along with. Improving national income with. Improving per capital income along with bilaspur district a part of Chhattisgarh where their is continue dropping employment due multiple reason

This paper explores the. Causes , impact and truth behind the problem of unemployment in bilaspur district of CHATTISGARH along with. Key policy suggestion that help to improving the unemployment issue of BILASPUR CHATTISGARH which help in improvising human development index that's is. Improving PCI section of regions.

This paper are conclude that with. Best Policy suggestion such as industries development & officials & Business Era & best startups & manufacturing industries & local regional government schemas for employment shining of regions & programme launching as skill. Development mission & strategies of boost employment 2.0 & much more

INTRODUCTION Unemployment is the most critical part of our economy whether it's from at a time of independence or. Census report's or from current status Alongside with Bilaspur a Ground of justics from. Chhattisgarh States

unemployment studied is much important due to rise of GDP & alongside with benchmark performance in among neighbours Area with improving families standards of living

From 1950 s. At a time of independence employment is majority foundation in agriculture sector but. Now a day's from manufacturing sector to servicing sectors employment sharing is highest percentage from 1950s to current 2025-26

As per new updates in employment.that is due to rising of educational. Services from. School to Ug to pg. Level with. Rise of competition Life many. Individual spoil their ENERGY young life for productive sector Life has give us multiple opportunities in multiples careers section but due to society pressure we mainly focus on education & competition Life in multiple years of her / his Life as like as Bilaspur Chhattisgarh

Bilaspur Chhattisgarh is calked as. PSC CAPITAL OF CHATTISGARH where individual can shifting for better' future' making but. Individuals cannot focus on own interest due to society pressure simple secret for unemployment that. Individual do that things in these who are liked by the society not his own preferences as liked in bilaspur Chhattisgarh where majority can unemployment due to parent's preference for government secures jobs.

REVIEW OF LITERATURE Unemployment is a most critical problem in India whether we talk about current status of unemployment or future expectation Along with early independence like 1950s 2.3 millions people's are unemployed & that number is goes upto 26 plus million in 2025 -26 are still unemployed & that figure is drastically downfall in India's GDP several scholars are examined about unemployment problems causes Impact along with policy solutions but nobody's telling the a a district called bilaspur a part of Chattisgarh a Ground of justice about their unemployment figured & much. Closer information about that. Along with women's participation & overall labour participation figure & informatics.

ACCORDING TO AMARTYA SEN (1999)has. Emphasized on that crucial part of unemployment is arising due to not only for lacks of jobs but Along with. Lack of capabilities & less skilled in India's population along with educational & health like development criteria are influenced through unemployment problem AmartyaSen has. Focus on human capabilities it's means if a human is capable for Management any institution he became MD of that institution & if a person is capable for doing only. Labour work. Or supervisor work he is a labour of that institution so the gap between rich & poor is dependent on capabilities in India's unemployment. Pointers He is also Focus on Rural development is fruitful for. Polishing local community of that' region which brings employment & bringing shining of happiness on local community

According to RaghuramRajan(2018)her support that unemployment is out. due to procrastinate & not shifting of labour's from Agriculture sector to manufacturing sector it's means if a labour can earn in agriculture sector He can survive a basics standard of living but if he shifting from. Tier -2 cities in manufacturing sector He can earning a highly saving standard of living or upgrade his life to next levels it's MEANS in agriculture sector found a disguised UNEMPLOYMENT it's mean if a people can. Extra employed. in a land it's greater than needed then. Extra labour if switched to manufacturing sector so it be best economic uses. & Better employment & shining happiness & prosperity index among these areas

According to Santoshmehrotra (2019)he Emphasized & Focus on linked between employment & requirement for labour market it's means that skills enhancement & vocational training are necessary for better employable Life & necessary to launches in India along with different states & cities it's helpful in career opportunities & advanced along with surviving a high standard of living today's education &


employment is dissimilar in now a days by improving seminars, Schemes programme launched by government of States & union government & cities government it can reduce unemployment rates Along with training & coaching paris events for shining employment section of regions.

According to Reetikakhera (2016)he was mainly Emphasized role & focuses on role playing of public EMPLOYMENT schemes on polishing employment in any region LIKE MANREGA SCHEMES which improving the regional employment & generate general development in society Along with Sustainability & sunshine the Earth with greater role of GDP influence of that Area alongside polishing of happiness index of that region

According to CLAUDIA GOLDIN (2023) her suggestion on UNEMPLOYMENT is arising due not participating of women's in Total workforce labour participation market it's along with issue of unemployment gender inequalities in employment & dissimilar among. Employment towards male & females also play a legendry role in. Issue of unemployment because unemployment is arising also due to low participation of women's workforce

Several intelligectusls& researchers are focus on problem of unemployment Along with IMPACT causes & measures in difference ideologies in India's level but. rare. Researcher focus on locals problem in terms of unemployment as like as. Chattisgarh part of bilaspur a tier 2 cities a Group

DATA METHODOLOGIES The Studies is theoretical in Nature & entirely based on secondary Data The data has been collected from government reports RESEARCH journals & book's & offical publication of the national sample survey & ministry of labour& employment this studies use & Emphasized on descriptive & analytical methods to examination the problem & issues regarding the unemployment situation in BILASPUR CG



ORIGIN OF UNEMPLOYMENT IN BILASPUR CHATTISGARH

The origin of unemployment in bilaspur Chhattisgarh that is 1951 is 3.5 percent to 2011 is 12.8 percent to 2025 to 2026 in Plus 25 percent expected it's means from independence to census to current unemployment is a dynamic problem of bilaspur where drastically downfall the performance the bilaspur GDP & Low standards of living due to which labour participation age gap between 15 to 59 years. & the employment of that. Age group is necessary for improvising the shining part of land of bilaspurChhattisgarh & the Origin of unemployment is basically started from. agriculture sector due to rising of Disguised unemployment founded in agriculture sector & origin means started point before independence under British rules majority british can give employment opportunities for Rule. In Indians. Alongside bilaspur a part of Chhattisgarh origin of unemployment is mainly & emphasizes on agriculture sector approximate 70 percent employment in primary activites along with agricultural agricultural sector like fisheries & mining are also included in bilaspur Chhattisgarh a Ground justices of Chhattisgarh State

CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN BILASPUR, CHATTISGARH

1 Lack of cleared vision is the biggest causes of UNEMPLOYMENT in bilaspur Chhattisgarh , many students can. Preparation of competition examination without cleared vision as like in CGPSC. inbilaspur Chhattisgarh

where majority of people can learn to see other doing psc preparation

2 Parent's& society thought of government sector in. Bilaspur Chhattisgarh. employment is the best position & secures life in Indians due to which many years of productivity life can waste less due to non & non interested preparation in any competition Life

3 Lack of fearless mindset & risk taken in bilaspur Chhattisgarh. for achievement their interest & self obsessed Alongside with most self loved professional life

4 Due to high screening time & high uses of Social media in bilaspur Chhattisgarh. due to. Which thought transformed from employment life to enjoyable Life Alongside with new food startups & park amenities & mall. Parks tourism places in BILASPUR. CHATTISGARH for which students can focus on enjoyment Life rather than. Hardworking employable Life

5 Lack of Awareness & Right approach to best professionals life according to self interested&self loving working in generation of rise of Agriculture, manufacturing & territory sector From 2011 to 2025.

BEST POLICY SOLUTIONS FOR. SHAPING EMPLOYMENT IN BILASPUR, CHHATTISGARH

1. For solve it issues learning of most important Book that helps in financial independence & awareness alongside with Audiobook for learning mindset for became employability

2. Learn from podcast in youtube As per latest update podcast INDUSTRY is the major influence industry for Youth skill & for thought transformed changes

3. learning for major legendary person from rest of the World like Elon Musk , M .Phelps & MS Dhoni, SRK, VidyutJammwal & priyankachopra which we can learn of consistency & hardworking &, sacrificed ability & stop performance in his field

4. Government can push through employment scheme to local community many Schemes has introduction by government of India but rare policies that schedule to local

problem upliftment like bilaspurChattisgarh

5. introduction of new course that. Focus on. Employment.& seminars&rojgarMela has enhanced the new version of employment growth & learning of new things from Ground side for reaching employment &, Make shining of. families with happiness index improvement & Make Standard of living to next level

CONCLUSION Unemployment in bilaspur Chhattisgarh is a Emphasized & most crucial social - economic issued caused by factors such as mismatch of labour requirement vs actual unemployment & along limited industries development & infrastructure for manufacturing industries its has. Led to poverty, migration, & reduce of. Economic proficiency Addressing. this issues. Required Focus policy suggest & SOLUTIONS. On skill development & ENTREPRENEURSHIP mission, seminar, government Schemes, promotion of local industries. & Better' employment opportunities with coordinated. Efforts, unemployment can be reduced & Sustainability growth. Can be achieved in most proficiency level

REFERENCES

- 1 Sen, A (1999). Devlopment as freedom.oxford university press
- 2 Goldin , C (2023) . Career, & family : Women's employment & Economic Growth , princeton University press
- 3 Khera,R (2016) . Employment Guarantee & social protection in India
- 4 Mehrotra, S (2019) , India's Employment crisis : Rising Education levels & falling job Growth
- 5 Rajan, R (2018) The THIRD pillars, penguin books
- 6 Indiastat. Unemployment situation in bilaspur district in Chattisgarh
- 7 Periodic labourforce Survey Report's. (PLFS)
- 8 Ministry of labour& employment; Annual report's on employment &unemployment ; government of India
- 9 NitiAayog : reports on employment & skill development, &labour market in India



04

Promotion, Preservation of Tagore Song through the context of Kabigan and New Applications of Tagore Songs in the Digital Age.

Essah Azahar,

Research Scholar, Sangit Bhavana,
Visva-Bharati University, Santiniketan.
SACT (State Aided College Teacher),
Department of Music, Syamsundar College,
The University of Bardhaman.

Keywords: Kabigan, Comparative analysis of some Tagore Songs through the lense of Kabigan, Preservations, Promotion, New application in Digital Age.

Abstract

Tagore Songs represents a unique blend of Indian classical music, folk traditions, and even Western influences that helps to create a genre that has profoundly shaped the Bengali cultural identity. The natural flow of lyrics and melody in many of Tagore Songshas a lot of ups and downs of emotions, and the combination of philosophy, love, and nature. This paper explores that these are indirectly inspired by the turn-and-discussion nature of Kabigan and the possible ways to promote, preserve and the new applications of Tagore Songs through the creative connection of Kabigan. The open, competitive, and innovative character of Kabigan can bring Tagore Songs back to life for the youth. Kabigan carries the audience along, Rabindra Sangeet also deeply touches the listener's mind—although one is competitive and the other is thoughtful and reflective in

nature. This paper explores the remarkable connection between Tagore Songs and Kabigan that will help to clear out the concept of the spontaneous creativity, free use of thought and folk melody that has left a deep impression on Tagore Songs. In the digital age, this spirit of Kabigan is reviving in Rabindra Sangeet remixes, but at the same time some questions raise their hand about the purity of the original melody. Kabigan is a living part of the folk tradition of Bengali music which Rabindranath assimilated and gave a new dimension indirectly in his compositions.

Introduction

Rabindranath Tagore's songs—which we know as Rabindra Sangeet—are the soulmates of Bengalis. From nature, love, patriotism, spirituality to the deep feeling of human relationships. These songs are not just art, but an integral part of Bengali life. (Tagore, Sangit Chinta P-3).

But how to promote this invaluable resource in the modern digital age, how to preserve it, and how to connect it with the new generation in a new way—this is the most important question today. In this context, the mention of Kabigan is very relevant. Kabigan is an ancient and competitive genre of Bengali folk music, which has developed since the 18th century. It involves a contest of instant verse composition and singing between two groups (or two Kabiwals) through “chapan-utor” or question-and-answer. Kabiwals (such as Bhola Moira, Haru Tagore, Nidhu Babu, Bijoy Sarkar, etc.) used to compose poems orally and sing them to the tune. (Singha, P-12). This genre had a unique liveliness, with immediate creativity, intellectual debates, discussions of religion, philosophy and society. Rabindranath himself was influenced by this genre of folk culture. Many of his songs have the touch of folk tunes (Tagore, Sangeet Chinta, P-3). In the digital age, the promotion of Rabindra Sangeet has now gained unprecedented opportunities. Millions of

listeners listen to Rabindra Sangeet every day on platforms like YouTube, Spotify, Gaana. Young artists are bringing the songs to the new generation through new arrangements, fusions (such as electronic, rock or hip-hop). Online marketing, social media campaigns, live streaming—these are the ways in which the song is being promoted worldwide. (Dasthakur, P-567). In short, the digital age is not only preserving Rabindra Sangeet, but also breathing new life into it by combining it with the vitality of folk songs like Kabigan. These songs are not just memories of the past—they are a living bridge to the present and the future. Through this threefold process of propagation, preservation, and renewal, Rabindra Sangeet will live forever and touch the hearts of the new generation. (Singha, P-14).

Methodology:

During the preparation of this paper, Analytical and Comparative Research Methodology has been applied.

Data collection was carried out exclusively through secondary sources, such as some hard copy of books, Akhanda Geetobitan, Swarabitan, Internet Archive.org, journals, Google Scholar etc.

To analyse some songs for this paper some YouTube clips have been also used as a tools or methodology.

Literature Review:

1. “Purbabonger Kabigan” by Dr. Dineshchandra Singha: This book contains the manuscripts of Kabighan, in their own hands by numerous *Kabwals* (poet-singers). These manuscripts serve as an invaluable resource for this research paper. By examining the specific contexts in which individual *Kabiwals* composed such works, it becomes easier—during the course of the research—to comprehend the mechanics of spontaneous poetic composition. Furthermore, ranging from the classification of *Kabigan* to its historical trajectory, the contents of this volume make it

evident that this book will play a great role in structuring the chapters of this paper.

2. “PracheenKabwalarGaan” by Shree Prfullo Chandra Pal, from this book this paper got the various structural components of Kabiwal’s songs—explaining how they segment the *Kabigan* performance into distinct sections—and features references to original compositions by numerous Kabiwals, thereby offering a lucid and comprehensive understanding of the Kabigan tradition.

3. “Bangla SahityerItikatha” by Sri Bhudev Chaudhuri, the fourth chapter of this book has that information regarding the genesis of Kabigan—specifically concerning its origins and the identity of its progenitors—that will significantly enrich several chapters of the present research.

4. “Akhand Geetobitan” & “Swarabitan” by Rabindranath Tagore, these two books help to build up the fabulous idea to analyse and to make a comparison part for this paper.

Kabigan:

The structure or sequence of the Kabigan was historically very specific and sequential. In the 18th and 19th centuries, a full-fledged Kabigan performance was usually divided into two groups, led by two main, Kabiwals. Each group consisted of a Kabiwal/Sarkar (leader) and Dohar (assistant singers who repeated the leader’s words).

The structure of the performance was roughly as follows -

Vandana

The performance began with a Vandana.

It consisted of a worship of gods and goddesses—mainly Saraswati (goddess of learning and music), Ganesha (removal of obstacles), sometimes the guru or the audience. It was sung to create a calm, devotional, and celebratory atmosphere.

Agamani

After the Vandana, songs of Radha-Krishna or Vaishnava theme were often sung.

Sometimes it was called “Agamani” (the feeling of the arrival of the Goddess).

This part had a mixture of devotion and love. Sakhi Sangbad ’! Conversation of Radha (or heroine) with her friend. Discussion of love, separation, reunion. Very sweet and emotional. **Biraha** ’! Description of the pain of separation, sadness in the absence of a loved one. Deep emotions would emerge in this section.

Lahar ’! Sometimes there was a section called lahar which showed the rise and fall of emotions like a wave.

Kheur ’! The sharpest, sarcastic and satirical part. Here, the opponent poet, society or any subject was poked. Kheur contained laughter, jokes, satire, sometimes even a touch of obscenity (although it was later refined).

Chapan-Utor is the main competitive part. This is the real fun and main part of the Kavigan. One group would sing Chapan (question) and the other group would immediately sing Utor (answer or reply). This Chapan-Utor would go on – sometimes for hours. The subject could be: religion, love, society, politics, personal attacks, characters from myths, etc. When the fight was over, the winner was declared. (Singha, P-13).

Comparative Analysis of Rabindra Sangeet and Kabigan:

Both Tagore songs (Rabindra Sangeet) and Kabigan—both are invaluable genres of Bengali music and literature. Kabigan is an ancient, living form of Bengali folk culture, which has developed since the 18th century, where poets would compose verses on the fly and sing competitive songs. On the other hand, Rabindra Sangeet is a creation of the 19th-20th centuries, which is a combination of Rabindranath’s poetry and melody. Rabindranath himself was influenced by folk culture, and many of his songs have a touch of folk melody, emotion, and vitality like Kabigan. Below is a comparative analysis of them—with similarities, differences, and some examples of Rabindranath Sangeet

compared to Kabigan.

1. Similarities

Theme and Predominance of Emotion: Both genres depict love, separation, nature, religious philosophy and society. Just as the Biroho part of Kabigan describes the pain of the absence of a loved one, Rabindra Sangeet is also deeply emotional. Both emphasize the simplicity and human feelings of folk life.

Influence of Folk Tunes: Kavigan is mainly based on folk tunes and is full of spontaneous creativity some time touches Mishra raga during the part Tappa. Rabindranath also mixed folk tunes and obvious presence of Raga in his songs. Although there has no ang of Kabigan but there has a great reflection of it.

Social and Cultural Role: Kabigan provided debate, satire and education in public meetings—which acted as a mirror of society. Rabindra Sangeet also spread patriotism, social awareness and spirituality, such as its role in the freedom movement.

Relationship of Influence: Rabindranath was influenced by Kabigan by its Wittiness and playfulness and songs have the same immediate vitality as Kabiwal.

2. Dissimilarities

Structure and presentation: Kabigan is competitive—a question-and-answer (question-and-answer) between two groups, which demands immediate creativity and intelligence. It is performed in a folk, lively setting. In contrast, Rabindra Sangeet is planned, written, and melodious—sung as a solo or group song, as in the Santiniketan program. There is no competition, but rather deep meditation.

Language and style: The language of Kabigan is simple, colloquial, sometimes more satirical. The language of Rabindra Sangeet is poetic, sophisticated, and philosophical—there is no sarcasm.

Melodies and creativity: In Kabigan, the melodies are immediate, folk-based, and change with competition. Rabindra Sangeet is a

melodious folk song mixed with classical raga-based (e.g. Bhairavi, Pilu) tunes, and Rabindranath himself composed the tunes.

Social level: Kabigan is popular among the common people, at rural and urban fairs. Rabindra Sangeet is more common among the elite, educated community, although it became popular later.

Durability: Kavigan is transmitted orally, many have been lost. Rabindra Sangeet is preserved in written notation. Rabindra Sangeet is the approximate 2,200+ songs composed by Rabindranath Tagore, which are an inseparable union of Kabigan and melody. It has a mixture of Hindustani-Carnatic ragas, Western melodies, Bengali folk songs, but everything is specific, written, non-open. Divided into song genres: worship, love, nature, homeland, etc. Main goals: introversion, humanism, spirituality, universality.

Historical and artistic relationship: Rabindranath's adoption and refinement

Kabigan was first patronized by the landlords, but later spread among the common people. Gurudev do not make any copyright of any style, he only took the basic elements from folk songs like Baul, Bhatiali, Tappa etc.—but refined them by removing crudeness, vulgarity, or excessive exuberance, making them suitable for middle-class Bengalis. This is the modernity of folk songs.

There has many Baulanga songs, Kirtananga songs, but there has no Kabigananga songs rather Kabigan influenced songs. Not every songs, but on the few songs have the mutual effect of Kabigan.

Promotion, Preservation of Tagore Songs by the influence of Kabigan :

Some examples are there :

This is very sweet Tagore song — “Bondhu, Miche Rag korona,” (Tagore, Geetobitan, P-) Here, the lover is explaining to his beloved in a very playful and witty way that her anger is unnecessary, and to understand her

mind and have some mercy. I am breaking it down line by line, where is the witty + playful feeling, and where is the folk-style teasing/ affectionate vibe like a kabigan.

Shtayee (First part)

Bondhumiche rag korona , korona

'! Simply put: with the word "miche" is saying in a very witty way that the anger is completely without reason, pointless. Playfulness is there. "Momo mono bujhedekhomonemone – monerekhokoro korona."

Here is a witty twist — she herself is angry, but the lover says like Very soft, pleading but playful — like "I am helpless, you are the king/queen, have some mercy!"

Antra (Second part):

Pacheaponarerakhitenapari

'! "Lest I can't hold myself anymore, that's why I turn closer to you. I smile on my face, I want to cry in my heart — it's not a trick/pretend."

Here is super witty + playful! He is saying "I can't avoid you, so I stay close. I smile on the outside, I cry inside — but it's not fake, genuine!" This is very common in the style of poetry — where the lover says "I stay close to you because I can't live without you, don't be angry!" Showing one's weakness in a very teasing way.

Sanchari (Third part):

"Dinekerdekhatilekersukh"

'! A day's meeting, a little happiness, a smile for a moment — Then in a blink, the chest is filled with the pain of a lifetime. Although not full of witty here, but little bit, it is very poetic + emotional punch. The playful tone goes deeper — The meeting is over, the smile is over, but then? The pain of a lifetime! It shows the fleeting nature of love, as if saying Why so much pain for such a short time?

Abhog (last part)

Taarimajhe keno atosadhasadhi

Abudhandhare keno morikaandi

Durhotephirejaaisese, bohiyabiphobasona—

Here, it goes from playful to downright

self-deprecating witty — "Why am I knowingly taking so much trouble? Why so much pain? where the lover mocks himself, "I'm a fool, yet I fall at your feet" type of sentiment. Very folk-music style regret + laughter mixed.

| Tagore song | Kabigan |
|---|---|
| Puja Parjay "OyceBhubonomonohini, Ma NeelsindhujoiDhoutochoronoto! AnilbikomptShyamaAnchal AmborchumbitoBhalHimachal Shubrotusharokiritini" (Tagore, Geetobitan, p-257). | Vandana (Kabiwal Lulu Nandalal) "Ma tumi Jagat Janani Tomar ayodhyate naam – Seeta Soti Koilasete Holimoboti Brojopurenam Shreemotee Kashiri Annapurnaee ache khyati" (pal p-39) |
| Prem Parjay He sokha, barotapeyechimonemone Tahonishwasoporoshone Esechoadakhahondhu Dokhinosomirone (tagore, geetobitan p-289) | Sakhisangbad (Kabiwal Lulu Nandalal) O go kunj o bone baji loabaanshishunoo goraal Chahosheeghrokorjaai Rondhrerondhrekholer baanshidakeradharman Cholo go pyaaritworakoridekhijeyeshyam Ki korokikororadhemondirebosiyaan Shyameredekhibecholoanoniditohoyaan, (pal, P-49) |

New Application of Tagore songs:

The preservation and new applications of Rabindra Sangeet are very beautiful in the context of Kabigan, because the folk elements of Kabigan — witty teasing, playful arrogance, the tone of lovers' laughter, the courtship and flirtatious folk vibe — have made Rabindra Sangeet relatable and timeless. Because of these elements, the songs are not just classical or high-class, but become a living part of the everyday emotions, folk love and desires of Bengalis. As a result, from the perspective of preservation, the sweet teasing and arrogant language of Kavigan-style helps the songs spread from mouth to mouth — they are still sung in worship-festivals, cultural programs, educational institutions, and home settings, surviving from generation to generation. Rabindranath himself composed songs inspired by urban folk forms, which sociological studies show that due to these folk-rooted elements, Rabindra Sangeet does not "decline" but rather survives as a cultural heritage and becomes a syncretic part of Bengali identity.

In terms of new applications, the playful + witty essence of tagore songs acts as a perfect bridge for modern fusion. Due to the folk appeal of the Kabigan, Tagore songs do not seem old-fashioned, but rather become fun + relatable and reach the new generation, also being applied in therapy/mindfulness.

Some others new application of Rabindra sangeet is now too close to new generation due to social media like youtube, such as-

Song - PhireAseKobigan

Bodhu Michhe Rag Korona
(Rabindranath Tagore)

Album - KobirSonge Vocals – Jayati Chakraborty
Music Composition, Arrangement and Sarode - Prattyush Banerjee

Lyrics- Srijato

Tabla and Khol - JoydebNandy

Guitar and Bass - Raja Chowdhury

Flute - Bubai Nandi

Recorded, Mixed and Mastered by Goutam Basu
at Studio Vibrations, Kolkata

Uploaded by Asha Audio, January 28, 2022.

<https://youtu.be/yS1wQwLhsw8?list=RDyS1wQwLhsw8>

Song Name : Tagore in Raag

Classical & Rabindrasangeet

Kaushiki & Jayati

Keyboard & Programming: Ananjan Chakraborty

Sitar: Rahul Chatterjee

Rhythm: Joy Nandi

All Guitars: Raja Chowdhury

Recorded at: Ananjan Studio (Shrutinandan)

Mixed and Mastered by: Ananjan Chakraborty

Keyboard: Ananjan Chakraborty & Chakraborty
Samrat

Sitar: Rahul Chatterjee

Rhythm: Joy Nandi

Guitar: Sayan Ganguly

Drums: Rabi

Uploaded by Asha Audio, Mrch 6, 2018

<https://youtu.be/NM6xHXS8IWk?list=RDNM6xHXS8IWk>

Song - RakhoRakho Re (Rabindranath Tagore)

Singer - Ustad Rashid Khan

Label - Major Music

Music Label - Major Music

Uploaded by Hindusthan Music, July 1, 2020.

https://youtu.be/2cOLyQK_Whl?list=RD2cOLyQK_Whl

In this way, Rabindra Sangeetis growing in new

forms as the soul of Bengal.

Conclusion:

The Kavigan-influenced element is very effective for the preservation of Rabindra Sangeet — because the songs are easily remembered due to the sweet language and relatable pride of folk teasing, are sung in educational institutions, cultural programs, puja-parvans and naturally reach the new generation. It also plays a big role in promotion — because the songs spread to the Bengali diaspora, online platforms, radio, television, youtube, shorts. In this way, Rabindranath's creation is not only preserved, but also grows in a new form, becoming eternal — as the song of the soul of Bengal.

References:

Bengali book

1. Tagore Rabindranath, Akhanda Geetobitan, Visva -Bharati Granthanbibhag, Kolkata 1338,1339,1348
2. Tagore Rabindranath, Sangit Chinta, Visva – Bharati Granthanbibhag, Kolkata,1373.
3. SinghaDineshchandra, Purbobonger Kabigan, Calcutta University, 1993.
4. Singha Dineshchandra, Purbobonger Kabiwal Kabisabngeet, Calcutta University, 1347.
5. Chowdhury Sribhudeb, Bangala SahityerItihas Volume 2, Bookland Private Limited, 1 Shankar Ghosh Lane, Calcutta 6, 1960.
6. Pal Sri Prafulla Chandra, Pracheen Kabiwal Gaan, Calcutta University, 1994.

English Article:

1. DasthakurSaurav, Rabindrasangeet Today: a Sociological Approach, Visva-Bharati, India <https://www.rupkatha.com/V2/n4/16Rabindrasangeet.pdf>

Digital link

1. https://youtu.be/2cOLyQK_Whl?list=RD2cOLyQK_Whl
2. <https://youtu.be/NM6xHXS8IWk?list=RDNM6xHXS8IWk>
3. <https://youtu.be/yS1wQwLhsw8?list=RDyS1wQwLhsw8>



Amitav Ghosh's *The Great Derangement* and Its Progeny: Unraveling the Crisis of Imagination in the Indian Ocean World

Prof. Dr. Bhujangrao Nana Hiramani
Department of English
(UG, PG & Research Centre)
Shri Pancham Khemraj Mahavidyalaya
(Autonomous)

Abstract

Amitav Ghosh's *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable* (2016) posits that contemporary literature, art, and politics suffer from a collective failure of imagination when confronting the scale and violence of climate change and ecological crisis. This paper argues that Ghosh's subsequent fictional work, particularly the novel *Gun Island* (2019), and his non-fiction narrative, *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis* (2021), constitute a deliberate and expanding literary "progeny" aimed at diagnosing and remedying this derangement, with the Indian Ocean World serving as his central theater of inquiry. Moving beyond the Eurocentric frameworks often critiqued in *The Great Derangement*, this paper traces how Ghosh recenters the crisis within the historical and ongoing patterns of extraction, colonialism, and cognitive displacement emanating from and impacting the Indian Ocean region. It examines how *Gun Island* operationalizes the "uncanny" and rewires the novel form to accommodate non-human agency, forced migration, and ancient

myth in a warming world. It then analyzes how *The Nutmeg's Curse* deepens this project by constructing a counter-history of the Anthropocene, arguing that the climate crisis originates not in industrialization per se, but in the colonial "war against the animate" that began with places like the Banda Islands. Ultimately, this paper contends that Ghosh's oeuvre offers a cohesive project: to unravel the crisis of imagination by reactivating subaltern histories, animist worldviews, and a narrative sensibility that sees the Indian Ocean not as a passive backdrop, but as a dynamic, agential force in planetary history—a necessary recalibration for perceiving and narrating our disrupted planet.

Keywords: Indian Ocean World, Climate Fiction (Cli-Fi), Anthropocene, Colonialism, Ecocriticism, Postcolonial Literature.

In 2016, Amitav Ghosh delivered a trenchant critique of modern culture with *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. He argued that the profound challenges of climate change had been met not with appropriate awe or narrative ambition, but with patterns of evasion and banalization across literature, history, and politics. The "great derangement," for Ghosh, was a collective failure of imagination, a cognitive dissonance preventing serious engagement with a crisis of such magnitude that it seemed to rupture the conventions of bourgeois realism and modern historical consciousness. However, Ghosh did not merely diagnose an ailment; he embarked on a curative literary project. His subsequent works—most notably the novel *Gun Island* (2019) and the narrative non-fiction *The Nutmeg's Curse* (2021)—form a deliberate "progeny" that seeks to unravel this crisis by radically reimagining narrative form, historical causation, and geographical focus. At the heart of this project lies the Indian Ocean World, reconfigured from a setting into a central epistemic framework. Through this lens, Ghosh

not only identifies the roots of the derangement in colonial and extractive histories but also proposes pathways for its remediation by reactivating marginalized worldviews and narrative modes inherent to the region.

The Great Derangement: Diagnosing the Modern Blind Spot

Ghosh's polemic establishes the foundational thesis. He identifies three primary arenas of derangement: the literary, the historical, and the political. In literature, especially the mainstream novel of psychological interiority and social manners, climate events appear as "freakish improbabilities," relegated to genres of fantasy or science fiction because their scale and collective nature defy the individual-centric, human-scale plots of literary realism (Ghosh, *The Great Derangement* 22). History, similarly, has been constructed as an exclusively human drama, willfully ignoring the powerful, shaping forces of geology, climate, and non-human life. This separation of human and natural history, Ghosh contends, is a modern Western construct that leaves us ill-equipped to understand an era where the two are inextricably fused. The political derangement manifests as a paralysis, an inability to act despite overwhelming evidence, stemming from the same imaginative failure.

Crucially, Ghosh links this failure to the legacy of empire and the rise of carbon-fueled modernity. The energy bonanza of fossil fuels, he suggests, created an "imaginative and cultural lag," fostering an illusion of human separation from and mastery over nature (Ghosh, *The Great Derangement* 63). While his critique engages with global patterns, the Indian Ocean is already present as a critical site. He points to the Bay of Bengal's cyclones and the sinking Sundarbans as places where the crisis is visceral and immediate, yet whose stories remain peripheral to the global centers of cultural production. *The Great Derangement*

thus sets the stage: to confront the climate crisis, we must confront the forms of storytelling and historical understanding that have rendered it unthinkable, and we must look beyond the West for both the deepest wounds and potential narrative salves.

Gun Island: Re-enchanting the Novel in the Indian Ocean Arena

Gun Island is the first full-fledged fictional endeavor to operationalize Ghosh's own prescription. It deliberately transgresses the boundaries of the serious literary novel that he had critiqued, injecting it with elements of the uncanny, adventure tale, myth, and ecological thriller. The plot follows Deen, a rare book dealer from Brooklyn, who is drawn into a quest connected to the Bengali myth of the "Gun Merchant" and the snake goddess Manasa Devi. This quest spirals outward from the Sundarbans to Venice, connecting human and animal migrations, ancient lore, and contemporary climate disasters across the Indian Ocean and Mediterranean worlds.

Here, the Indian Ocean is not a passive setting but an active, connective tissue. Its currents, weather patterns, and historical trade routes become agents of plot. The novel literalizes the "uncanny" that Ghosh saw as necessary for climate narratives. Animals behave in inexplicable, ominous ways: spiders and snakes swarm in unlikely places, dolphins guide refugees to safety. These events challenge the characters' (and by extension, the readers') rationalist, disenchanting worldview, forcing an acknowledgment of non-human agency. The climate-driven displacement of people from the Sundarbans and the Middle East forms a central narrative thread, directly linking ecological breakdown to the human crises of migration and xenophobia in Europe. Ghosh weaves the 17th-century story of the *Gun Merchant*—a tale of merchants, spirits, and ecological fortune—into the 21st-century narrative, suggesting that the modes of understanding embodied in such

myths, which never rigidly separated the natural and supernatural, might be more adequate to our present reality than the secular certainty of modernity.

In *Gun Island*, Ghosh attempts to repair the literary derangement by creating a form that is “deranged” in the best sense: it breaks from convention to accommodate polyphony, scale-jumping, and the intrusion of the planetary into the personal. The Indian Ocean, with its deep history of cultural hybridity, monsoon rhythms, and cyclonic violence, provides the perfect geography for such a narrative experiment. The novel suggests that to imagine the climate crisis, we must learn to read the world as the characters learn to read the myth of the *Gun Merchant*—not as a quaint allegory, but as a living, resonant map of forces connecting species, economies, and epochs.

The Nutmeg’s Curse: Re-rooting the Anthropocene in Colonial Conquest

If *Gun Island* tackles the literary derangement through form, *The Nutmeg’s Curse* confronts the historical derangement head-on by offering a radical counternarrative for the origins of the planetary crisis. Ghosh pushes back against the common, technology-centric dating of the Anthropocene to the Industrial Revolution. Instead, he locates its genesis in the early 17th century, in the colonial conquest of the Banda Islands—the world’s sole source of nutmeg at the time. The 1621 genocide of the Bandanese by the Dutch East India Company (VOC) was, for Ghosh, a foundational paradigm. It was not merely a fight for spices, but a “war against the animate,” a systematic campaign to disembodify a living world, its people, and its spirits, reducing them to inert, fungible resources (Ghosh, *The Nutmeg’s Curse* 5).

This act of “world-breaking” established a template: the subjugation of lands deemed “terra nullius” (nobody’s land), the eradication of animist worldviews that granted agency and sacredness to nature, and the imposition of a

mechanistic, extractive logic. Ghosh traces this “curse” from the Bandas to the conquest of the Americas, the development of racial capitalism, and the fossil fuel economy. The Indian Ocean, as the epicenter of the early modern spice trade and colonial competition, becomes the birthplace of the mindset that would eventually combust the planet. The nutmeg itself is a potent symbol: a seed that spurred a worldview where life is valued only for the profit it can generate, divorced from its ecological and cultural contexts.

The Nutmeg’s Curse thus provides the historical backbone for the imaginative crisis diagnosed in *The Great Derangement*. The derangement is not an accidental blindness but a deliberate legacy of colonialism. The separation of human and natural history was a political tool to enable extraction. By recovering the stories of the Bandanese and other subjugated peoples who saw the earth as animate and agential, Ghosh argues we can find the cognitive tools to heal this rift. He champions “Gaia” not as a New Age concept, but as a reactivation of an ancient, widespread understanding of the Earth as a living, responsive entity—a understanding violently suppressed by the colonial project. The book posits that the climate crisis is, at its core, a crisis born from a story: the story of Earth as dead matter. To survive, we need a different story, one that the Indian Ocean’s histories of resistance and alternative cosmologies can help tell.

The Indian Ocean World as Epistemic Framework

Across this triptych of works, the Indian Ocean evolves from an example in the diagnosis to the very framework of the cure. Ghosh recenters the global narrative of climate change away from the Atlantic and the Pacific, which dominate Western discourse, and towards what historian Michael Pearson called the “littoral society” of the Indian Ocean (Pearson 8). This

is a world defined by monsoonal rhythms, ancient inter-regional connections, profound cultural and religious syncretism, and a history of both peaceful circulation and violent extraction.

First, it is a **site of primal violence and extraction**. The *Nutmeg's Curse* anchors the origins of the extractive worldview here. The Bengal Delta and the Sundarbans, recurring settings in Ghosh's work, exemplify the "frontier" where this violence continues, as sea-level rise and intensifying cyclones render land and life precarious. Second, it is a **repository of alternative epistemes**. The myths of Manasa Devi, the lore of the Bon bibi in the Sundarbans (explored in Ghosh's earlier *The Hungry Tide*), and the animist perceptions of the Bandanese represent ways of knowing that never accepted the nature-culture divide. These are not nostalgic retreats but vital resources for conceptualizing a world where rivers, storms, and animals act with consequence. Third, it is a **space of connection and movement**. *Gun Island* showcases this, tracing pathways from the Sundarbans to Venice, linking climate refugees, scholars, migrants, and activists in a network that mirrors the Ocean's historical trade routes. This connectivity models a form of solidarity and storytelling that is transnational and translocal, essential for a planetary crisis.

By using the Indian Ocean World as his canvas, Ghosh effectively "provincializes" the Western novel and the Western narrative of the Anthropocene. He shows that the solutions—or at least the necessary shifts in perception—may lie not in the centers of financial and political power, but in the margins and crossroads of the Global South, in places that have long experienced the interconnectedness of human and earthly fates.

Unraveling the Derangement: Toward an Animate Historiography

Ghosh's combined project offers a multi-pronged strategy to unravel the crisis of

imagination. **Formally**, he advocates for and practices a move beyond the strictures of psychological realism. The novel must once again embrace the grand, the strange, the collective, and the porous—qualities it possessed before the 19th-century rise of bourgeois realism. **Historically**, he calls for an "animate historiography" that reunites human and natural history, recognizing climate, geology, and biota as historical agents (Ghosh, *The Nutmeg's Curse* 221). This means listening to the testimonies of those who never forgot this animacy, from indigenous communities to peasant farmers. **Politically**, he reframes climate change not as a technical problem of carbon management, but as a continuation of colonial resource wars, a struggle over worldviews. Justice, therefore, is inseparable from decolonization and the recognition of the Earth's sovereignty.

The progeny of *The Great Derangement* is thus a coherent and expanding corpus. *Gun Island* and *The Nutmeg's Curse* are not sequels but complementary limbs of the same argument: one heals through narrative experiment, the other through historical re-framing. Both are grounded in the material and cultural realities of the Indian Ocean. They suggest that to imagine our way out of the derangement, we must learn to see like the ocean: interconnected, dynamic, shaped by deep currents of history and powerful, agential forces that defy human control. We must replace the story of separation with a story of entanglement.

Amitav Ghosh's *The Great Derangement* launched a vital critique of contemporary culture's inability to grasp the climate crisis. His subsequent work constitutes a profound and systematic effort to build a narrative and historical apparatus adequate to that task. By centering the Indian Ocean World—its histories of colonial plunder, its syncretic cultures, its animist undercurrents, and its contemporary status as a climate frontline—Ghosh provides

an indispensable geographical and epistemological corrective to often parochial Western discussions. He demonstrates that the crisis of imagination is itself a product of a specific, historically rooted worldview that arose from colonial encounters in places like the Banda Islands. To overcome it, we must, as his fiction and non-fiction model, entertain the uncanny, reconnect human and natural history, and listen to the stories emanating from worlds that have long understood the agency of the animate Earth. In doing so, Ghosh's progeny offers not just a critique, but a fertile, urgent blueprint for storytelling in the Anthropocene, one that finds in the very region where the derangement began the seeds for its unraveling.

Works Cited

Ghosh, Amitav. *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. University of Chicago Press, 2016.

— . *Gun Island*. John Murray, 2019.

— . *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis*. John Murray, 2021. Pearson, Michael N. *The Indian Ocean*. Routledge, 2003.



06

Role of the Reserve Bank of India in NPA Management

Dr. Kumari Smita

+2 Teacher

SSJ High School, Nokha, Rohtas

Abstract :

The banking sector is the backbone of any economy, ensuring smooth financial operations and economic growth. However, the increasing level of Non-Performing Assets (NPAs) has emerged as a major challenge for banks in India. NPAs reduce profitability, weaken financial stability, and restrict credit flow. In this context, the Reserve Bank of India plays a crucial role in managing and controlling NPAs through regulations, supervision, and policy measures.

Introduction :

A Non-Performing Asset (NPA) is a loan or advance where interest or principal remains unpaid for more than 90 days. NPAs indicate poor asset quality and pose risks to the banking system.

Role of RBI in NPA Management :

1. **Regulatory Authority** – The Reserve Bank of India acts as the chief regulator of banks. It formulates policies and guidelines to ensure that banks maintain healthy financial practices and control NPAs effectively.
2. **Asset Classification and Provisioning Norms** – Classification of assets into standard, substandard, doubtful and loss assets. Provisioning requirements (setting aside funds for bad loans).

These norms ensure transparency and early identification of NPAs.

3. **Prudential Norms and Guidelines** – RBI issues prudential guidelines related to:

- ❖ Income recognition
- ❖ Risk management
- ❖ Capital adequacy

These measures help banks minimize the risk of NPAs.

4. Supervision and Inspection – RBI regularly monitors banks through:

- ❖ On-site inspections
- ❖ Off-site surveillance

This helps in identifying stressed assets early and taking corrective action.

5. Prompt Corrective Action (PCA) Framework – RBI introduced the PCA framework to:

- ❖ Monitor weak banks
- ❖ Restrict risky lending
- ❖ Improve financial health

Banks under PCA must follow strict norms to reduce NPAs.

6. Introduction of SARFAESI Act Support – RBI supports implementation of the SARFAESI Act, 2002, which allows banks to recover dues without court intervention by selling secured assets.

7. Role in Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) – RBI plays a key role in the implementation of IBC, 2016, which provides a time-bound process for resolving bad loans and recovering assets.

8. Encouraging Asset Reconstruction Companies (ARCS) – RBI regulates and promotes ARCs that :

- ❖ Purchase bad loans from banks
- ❖ Help in recovery and restructuring

9. Loan Restructuring Framework – RBI allows restructuring of stressed loans to:

- ❖ Prevent them from becoming NPAs.
- ❖ Support viable businesses.

Recent Initiatives by RBI :

- ❖ Strengthening risk management system
- ❖ Tightening lending norms
- ❖ Promoting better governance in banks
- ❖ Supporting the “Bad Bank” (NARCL) initiative

- ❖ Impact of RBI Measures
- ❖ Reduction in gross NPAs over time
- ❖ Improved transparency in banking
- ❖ Faster resolution of stressed assets
- ❖ Strengthened banking system

Impact of RBI Measures :

- ❖ Reduction in gross NPAs over time
- ❖ Improved transparency in banking
- ❖ Faster resolution of stressed assets
- ❖ Strengthened banking system

Conclusion :

The Reserve Bank of India plays a vital role in managing NPAs in India through regulatory measures, supervision, and reforms. Its policies have significantly improved the asset quality of banks over time. However, continuous efforts, stronger implementation, and coordination with financial institutions are essential to completely address the NPA problem and ensure long-term financial stability.

References :

1. Reserve Bank of India : Report on Trend and Progress of Banking in India (latest editions)
2. Reserve Bank of India : Financial Stability Report
3. Government of India : Economic Survey (various years)
4. Ministry of Finance : Annual Reports on Banking Sector
5. Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016
6. SARFAESI Act, 2002



Renewable Energy Consumption and Economic Growth in India: Evidence from Cointegration and Vector Error Correction Analysis

Maitreyi Shah

Assistant Professor, Department of Economics
M.P.G. College, Mussoorie, Uttarakhand,

Mansi Nath

Research Scholar
Doon University, Dehradun, Uttarakhand

Riya Sharma

Assistant Professor
M.P.G. College, Mussoorie, Uttarakhand

Sanjay Rathoure

MBA Student
Shri Vile Parle Kelavani Mandal (NMIMS)
University, Mumbai, Maharashtra, India

Abstract

The relationship between renewable energy consumption, gross fixed capital formation, and economic development in India for the years 1990-2020 was examined with annual time series data using an augmented Dickey-Fuller (ADF) test for stationarity. The Johansen cointegration test revealed a sustainable long term equilibrium relationship exists amongst the variables. A vector error correction model (VECM) was then used to estimate both the short- and long-term relationships in the system. Renewable energy consumption and capital formation were found to have positive significant impacts on long run

economic growth. Further more, granger causality analysis revealed a unilateral relationship where renewable energy consumption has a causal relationship to economic growth.

Keywords: Renewable energy, Economic growth, Gross fixed capital formation, Johansen cointegration, VECM model, India

1. Introduction

Economic growth and energy consumption are closely linked in the development process. As economies expand, energy demand rises due to industrialization, infrastructure, transportation, and improved living standards. Traditionally, this demand has been met through fossil fuels, which have significantly contributed to economic growth in both developed and developing countries (Stern, 2004; Apergis & Payne, 2010). However, fossil fuels are non-renewable and have led to environmental issues such as climate change, pollution, and resource depletion, encouraging a shift toward renewable energy.

Renewable energy sources, including solar, wind, hydro, and biomass, support sustainable development by reducing environmental damage and enhancing energy security (IEA, 2022). Despite growing research, the relationship between renewable energy and economic growth remains inconclusive, especially regarding short- and long-run effects. Theoretically, the Neoclassical Growth Model treats energy as a production input (Solow, 1956), while Endogenous Growth Theory emphasizes its role in innovation and productivity (Romer, 1990; Aghion & Howitt, 1998). Gross Fixed Capital Formation further supports growth by expanding productive capacity (Barro, 1991).

2. Research gaps and motivation

Although considerable research exists on renewable energy and economic development, several gaps remain. Many previous studies focus mainly on energy variables while ignoring the role of capital formation, which may influence the relationship

between renewable energy and economic growth. Empirical evidence for India is also limited, as only a few studies apply comprehensive cointegration and causality approaches. This study addresses these gaps by incorporating renewable energy consumption and gross fixed capital formation in a unified econometric framework using unit root tests, Johansen cointegration, VECM, and Granger causality analysis for India.

3. Data and Econometric Methodology

This section explains the sources used to collect the data, how the variables were constructed, and what the econometric techniques used to assess the dynamic relationship among renewable energy consumption, gross fixed capital formation and economic growth in India. Given the time-series nature of the data and the potential presence of non-stationarity, advanced econometric methods are applied to ensure valid statistical inference and to avoid spurious regression results.

3.1 Data description and sources

This study uses annual time series data for India from 1990 to 2020, selected due to consistent renewable energy data availability and significant policy shifts since the early 1990s. The model includes economic growth (GDP), measured at constant prices; renewable energy consumption (RE), covering solar, wind, hydro, and biomass sources; and gross fixed capital formation (GFCF), representing investment in fixed assets and capital accumulation in the economy.

Table 1

Description of variables and data sources

| Variable | Symbol | Measurement | Source | Period |
|-------------------|--------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Economic Growth | LNGDP | Real GDP (log) | World Bank (WDI) | 1990–2020 |
| Renewable Energy | LNRE | Renewable energy consumption (log) | World Bank (WDI) | 1990–2020 |
| Capital Formation | LNGFCF | Gross fixed capital formation (log) | World Bank (WDI) | 1990–2020 |

Note: All variables are transformed into natural logarithms.

Source: World Bank, World Development Indicators.

All variables are obtained from publicly available and internationally recognized sources, primarily the **World Development Indicators (WDI)** published by the World Bank. To mitigate potential heteroskedasticity and to enable elasticity-based interpretation of the estimated coefficients, all variables are transformed into their **natural logarithmic form**, denoted as $\ln GDP$, $\ln RE$, and $\ln GFCF$.

3.2 Model specification To investigate the relationship between renewable energy consumption, capital formation, and economic growth, the study specifies the following long-run equilibrium relationship:

$$\ln GDP_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln RE_t + \alpha_2 \ln GFCF_t + \varepsilon_t$$

where $\ln GDP_t$ represents the natural logarithm of real gross domestic product, $\ln RE_t$ represents renewable energy consumption, and $\ln GFCF_t$ denotes gross fixed capital formation. The parameter α_0 is the intercept, while α_1 and α_2 capture the **long-run elasticities** of economic growth with respect to renewable energy consumption and capital formation, respectively. The term ε_t represents the random error term of the model.

The log-linear model is widely used in energy economics as it enables elasticity-based analysis and aligns with neoclassical and endogenous growth frameworks. However, to avoid spurious results due to non-stationarity, stationarity and cointegration tests are conducted before OLS estimation.

3.3 Stationarity and unit root testing

Time-series data often exhibit trends that violate stationarity assumptions. A stationary series has constant mean and variance. Non-stationary variables may cause

spurious regression (Granger & Newbold, 1974). Therefore, the Augmented Dickey–Fuller test is applied to address serial correlation.

The ADF test equation is given as follows:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta Y_{t-i} + u_t$$

where Y_t represents the variable under consideration, t represents a deterministic time trend, Δ is the first difference operator, p is the optimal number of lags to include, based on which ensures that the residuals are white noise, and u_t is an independently and identically distributed error.

Time-series data may violate stationarity assumptions. Stationary series have constant mean and variance. Non-stationary variables cause spurious regression; thus, the Augmented Dickey–Fuller test is applied.

3.4 Cointegration analysis

If variables are non-stationary but integrated of the same order, their linear combination may be stationary, indicating cointegration and a long-run equilibrium relationship (Engle & Granger, 1987). To examine this, the study uses the Johansen cointegration approach for $\ln GDP$, $\ln RE$, and $\ln GFCF$. This method is suitable for multivariate time-series models with endogenous variables.

The Johansen methodology is based on a Vector Autoregressive (VAR) model of order k , specified as:

$$Y_t = \mu + \sum_{i=1}^k A_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

where,

Y_t is a vector of endogenous variables ($\ln GDP_t, \ln RE_t, \ln GFCF_t$), μ is a vector of intercept terms, A_i are coefficient matrices, and ε_t is a vector of white-noise error terms.

This VAR representation can be re-

parameterized into a **Vector Error Correction Model (VECM)** as follows:

$$\Delta Y_t = \mu + \Pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

where Δ denotes the first difference operator, captures short-run dynamics, and the matrix Π contains information about the **long-run relationships** among the variables.

The rank of the matrix determines the number of cointegrating vectors in the system. If the rank of Π is equal to r , then cointegrating relationships exist among the variables. Johansen (1991) proposes two likelihood ratio test statistics to determine the cointegration rank: the **Trace test** and the **Maximum Eigenvalue test**. These tests evaluate the null hypothesis of at most r cointegrating vectors against alternative hypotheses of a higher cointegration rank.

3.5 Vector Error Correction Model (VECM)

When cointegration is established, the appropriate modeling strategy is the **Vector Error Correction Model (VECM)**. The VECM integrates long-run equilibrium relationships with short-run dynamics, allowing for deviations from equilibrium and subsequent adjustment over time. The general Vector Error Correction Model (VECM) specification for the GDP equation is expressed as:

$$\Delta \ln GDP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \alpha_1 \Delta \ln RE_{t-i} + \sum_{i=1}^k \alpha_2 \Delta \ln GFCF_{t-i} + \lambda ECT_{t-1} + \varepsilon_t$$

where:

Δ denotes the **first difference operator**, capturing short-run dynamics;

$\ln GDP_t$ represents the natural logarithm of real gross domestic product at time t ;

$\ln RE_t$ denotes renewable energy consumption;

$\ln GFCF_t$ represents gross fixed capital formation;

k is the **optimal lag length** determined using information criteria;

- ECT_{t-1} is the **error correction term** obtained from the long-run cointegrating relationship;
- λ is the **speed of adjustment coefficient**, indicating how quickly deviations from long-run equilibrium are corrected;
- ε_t is a **white-noise error term**.

A negative and statistically significant (λ) confirms the presence of long-run causality and indicates that deviations from equilibrium are corrected over time (Johansen, 1991; Enders, 2014).

3.6 Granger causality analysis

Although cointegration indicates a long-run relationship among variables, it does not reveal causality direction. The Granger Causality Test determines causal links between renewable energy consumption, capital formation, and economic growth. It examines whether past values of one variable predict another. Short-run causality is tested using the Wald test, while long-run causality is identified through the error correction term.

3.7 Estimation strategy and diagnostic considerations

All of the econometric estimates were carried out with a computer software called eviews that is popularly used in applied macroeconomics. The number of lagged variables was determined based on established methods such as the Akaike Information Criterion (AIC) and the Schwarz Criterion. The primary focus of this paper has been the analysis of both the short- and long-term relationship between the variables but we also have done several statistical checks of the model to test its appropriateness for the data and its reliability.

4. Empirical Results and Discussion

This section presents and discusses the empirical findings obtained from the econometric analysis. The results are organized sequentially, beginning with unit root tests, followed by cointegration analysis, Vector Error

Correction Model (VECM) estimation, and Granger causality analysis.

4.1 Unit root test results

The first step in the empirical analysis involves examining the stationarity properties of the variables to ensure that subsequent estimations do not suffer from spurious regression. The Augmented Dickey–Fuller (ADF) unit root test results are reported in **Table 2**.

Table 2: Results of Augmented Dickey–Fuller (ADF) unit root test

| Variable | Level ADF statistic | 5% Critical value | First difference ADF statistic | 5% Critical value | Order |
|----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| LNGDP | -2.0028 | -3.5742 | -4.5724 | -2.9719 | I(1) |
| LNRE | -2.2252 | -3.2486 | -6.1212 | -2.9719 | I(1) |
| LNGFCF | 1.4133 | -3.5742 | -5.2473 | -2.9763 | I(1) |

Note: The ADF test includes intercept and trend at level and intercept at first difference.

The findings show that LNGDP, LNRE, and LNGFCF are non-stationary at levels, as the null hypothesis of a unit root cannot be rejected at conventional significance levels. However, after first differencing, all variables become stationary, confirming they are integrated of order one, I(1). This behavior is typical of macroeconomic time-series data with persistent trends. Similar results have been reported in earlier studies on energy consumption and economic growth (Sadorsky, 2009; Shahbaz et al., 2015), supporting the use of cointegration analysis.

4.2 Johansen cointegration results

Given that all variables are integrated of the same order, the next step is to the existence of a long – run equilibrium relationship among economics growth, renewable energy consumption, and capital formation. The Johansen cointegration test results are presented in **Table 3**, which reports both Trace and Maximum Eigen value statistics.

Table 3.

Johansen Cointegration Test Result Panel A: Trace Test

| Hypothesis | Trace Statistic | 5% Critical Value | Decision |
|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| $r = 0$ | 46.42 | 35.19 | Reject |
| $r \leq 1$ | 19.35 | 20.26 | Do not reject |

Panel B: Maximum Eigen value Test

| Hypothesis | Max-Eigen Statistic | Max-Eigen Statistic | Max-Eigen Statistic |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| $r = 0$ | 27.07 | 22.30 | Reject |
| $r \leq 1$ | 12.28 | 15.89 | Do not reject |

Note: Both tests indicate one cointegrating relationship at the 5% level.

The Trace test rejects the null hypothesis of no cointegration at the 5% significance level but fails to reject the hypothesis of at most one cointegrating vector. The Maximum Eigenvalue test also confirms one cointegrating relationship among the variables. This indicates that GDP, renewable energy consumption, and capital formation move together in the long run and converge toward a stable equilibrium, supporting endogenous growth theory and earlier empirical studies on the renewable energy-growth relationship.

4.3 Long-run relationship: Cointegrating equation

The long-run coefficients derived from the normalized cointegrating equation are reported in **Table 4**. The equation is normalized with respect to GDP, allowing the coefficients to be interpreted as long-run elasticities.

Table 4 Normalized long-run cointegrating coefficients (dependent variable: LNGDP)

| Variable | Coefficient | t-statistic |
|----------|-------------|-------------|
| LNRE | 6.02 | 7.23*** |
| LNGFCF | 3.77 | 3.88*** |
| Constant | 41.92 | — |

Note: *** denotes statistical significance at the 1% level.

The results indicate that renewable

energy consumption and gross fixed capital formation positively influence India's long-term economic growth. A 1% increase in capital formation raises GDP by 3.77%, while renewable energy increases GDP by 6.02%, showing a stronger impact. These findings support the growth hypothesis and align with previous studies that highlight the role of renewable energy in improving productivity and energy security (Sadorsky, 2009; Bhattacharya et al., 2016). Capital formation further enhances growth by expanding productive capacity. The estimated VECM results for the GDP equation are presented in **Table 5**.

Table 5 Vector Error Correction Model results (GDP equation)

| Variable | Coefficient | t-statistic |
|----------------------|-------------|-------------|
| ECT (-1) | -0.037 | -1.47 |
| Δ LNRE (-1) | -0.818 | -2.19** |
| Δ LNGFCF (-1) | 0.046 | 0.28 |

Note: ** denotes statistical significance at the 5% level.

The error correction term (ECT) in the GDP equation is negative, indicating a long-run equilibrium relationship. Its magnitude shows that about 3.7% of deviations are corrected annually. The significant coefficient confirms stability. However, the slow adjustment reflects structural rigidities and delayed responses in India, which are common in emerging economies (Apergis & Payne, 2014).

4.5 Short-run dynamics

The short-run VECM results examine the immediate impact of renewable energy consumption and capital formation on economic growth. Renewable energy consumption shows a negative and significant short-run effect on GDP, reflecting transitional costs such as high initial investments and adjustment inefficiencies (Destek & Aslan, 2017; Sadorsky, 2012). Gross fixed capital formation shows no immediate

impact. These findings highlight the difference between short-run adjustments and long-term economic growth effects.

4.6 Granger causality analysis

To further investigate the direction of influence among the variables, Granger causality tests are conducted within the VECM framework. The results are reported in **Table 6**.

Table 6
VECM-based Granger causality results

| Null Hypothesis | χ^2 statistic | df | p-value | Decision |
|-------------------------------------|--------------------|----|---------|--------------|
| LNRE does not Granger-cause LNGDP | 7.023 | 2 | 0.0298 | Rejected |
| LNGDP does not Granger-cause LNRE | 5.379 | 2 | 0.0679 | Not rejected |
| LNGDP does not Granger-cause LNGFCF | 11.039 | 2 | 0.0040 | Rejected |
| LNRE does not Granger-cause LNGFCF | 1.127 | 2 | 0.5693 | Not rejected |
| LNGFCF does not Granger cause LNGDP | 3.794 | 2 | 0.1501 | Not rejected |

Note: Causality is examined using Wald \div^2 tests at the 5% significance level.

5. Conclusion

This study examines the relationship between renewable energy consumption, gross fixed capital formation, and economic growth in India using advanced econometric techniques. The ADF test, Johansen cointegration, VECM, and Granger causality are applied to analyze long-run and short-run dynamics. Results show a stable long-run relationship among variables. Renewable energy and capital formation positively affect long-term growth, though short-run adjustment costs exist. Causality results indicate renewable energy drives growth, while growth stimulates capital formation.

Reference:

World Bank. (2024). World development indicators. World Bank Group. <https://databank.worldbank.org>

International Energy Agency (IEA). (2022). World energy outlook. International Energy Agency.

Sahoo, M., & Sethi, N. (2021). Renewable energy consumption, capital formation, and economic growth in India: Evidence from ARDL and VECM approaches. *Energy Economics*, 103, 105555.

<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105555>

Paramati, S. R., Apergis, N., & Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. *Energy Economics*, 61, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.022>

Destek, M. A., & Aslan, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. *Renewable Energy*, 111, 757–763. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.008>

Bhattacharya, M., Paramati, S. R., Ozturk, I., & Bhattacharya, S. (2016). The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. *Applied Energy*, 162, 733–741. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.104>

Shahbaz, M., Lean, H. H., & Shabbir, M. S. (2015). Environmental Kuznets curve hypothesis in Pakistan: Cointegration and Granger causality. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 50, 159–169. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.040>

Saidi, K., & Hammami, S. (2015). The impact of CO₂ emissions and economic growth on energy consumption in 58 countries. *Energy Reports*, 1, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2015.01.004>

Apergis, N., & Payne, J. E. (2014). Renewable energy, output, CO₂ emissions, and fossil fuel prices in Central America: Evidence from a nonlinear panel smooth transition vector error correction model. *Energy Economics*, 42, 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.01.003>

Omri, A., & Kahouli, B. (2014). Causal relationships between energy consumption,

- foreign direct investment and economic growth: Fresh evidence from dynamic simultaneous-equations models. *Energy Policy*, 67, 913–922. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.11.067>
- Enders, W. (2014).** *Applied econometric time series* (4th ed.). Wiley.
- Pao, H. T., & Fu, H. C. (2013).** Renewable energy, non-renewable energy and economic growth in Brazil. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 25, 381–392. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.004>
- Sadorsky, P. (2012).** Correlations and volatility spillovers between oil prices and the stock prices of clean energy and technology companies. *Energy Economics*, 34(1), 248–255. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.03.006>
- Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., & Hemous, D. (2012).** The environment and directed technical change. *American Economic Review*, 102(1), 131–166. <https://doi.org/10.1257/aer.102.1.131>
- Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010).** Energy consumption, pollutant emissions and economic growth in South Africa. *Energy Economics*, 32(6), 1374–1382. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.08.002>
- Apergis, N., & Payne, J. E. (2010).** Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries. *Energy Policy*, 38(1), 656–660. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.09.002>
- Sadorsky, P. (2009).** Renewable energy consumption and income in emerging economies. *Energy Policy*, 37(10), 4021–4028. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.05.003>
- Bosworth, B., & Collins, S. M. (2008).** Accounting for growth: Comparing China and India. *Journal of Economic Perspectives*, 22(1), 45–66. <https://doi.org/10.1257/jep.22.1.45>
- Stern, D. I. (2004).** The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World Development*, 32(8), 1419–1439. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004>
- Aghion, P., & Howitt, P. (1998).** *Endogenous growth theory*. MIT Press.
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995).** Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250. <https://doi.org/10.1016/0304-4076%2894%2901616-8>
- Johansen, S. (1991).** Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>
- Barro, R. J. (1991).** Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Romer, P. M. (1990).** Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Kapoor, A., & Oksnes, L. (2011).** India's energy challenge: A sustainable approach. *Energy Policy*, 39(4), 2117–2127. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.01.043>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987).** Cointegration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979).** Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974).** Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120. <https://doi.org/10.1016/0304-4076%2874%2990034-7>
- Granger, C. W. J. (1969).** Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. <https://doi.org/10.2307/1912791>
- Solow, R. M. (1956).** A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>



MEDIA TRIAL VS. FAIR TRIAL: RECONCILING FREE PRESS AND DUE PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Dr. Vaishali Padmakarrao Fale (Lande)

Assistant Professor,
Swatantrya Senani Jawaharlal Darda
College of Law, Yavatmal

Abstract

The rapid growth of mass media and digital communication has significantly reshaped the administration of criminal justice. While the media plays a crucial role in promoting transparency, accountability, and democratic oversight, the rise of “media trials” poses a serious challenge to the principle of a fair trial. This paper examines the constitutional conflict between freedom of speech under Article 19(1)(a) and the right to a fair trial under Article 21 of the Indian Constitution. Through an analysis of key Supreme Court judgments, it traces the evolving judicial approach to balancing these competing rights, while also engaging with broader concepts such as natural justice, due process, and democratic accountability.

Drawing on comparative perspectives from the United Kingdom, the United States, and Europe, the study highlights how different legal systems regulate prejudicial publicity and protect trial fairness. It argues that unchecked media trials can distort public opinion, harm reputations, and undermine judicial independence.

The paper concludes by advocating a balanced regulatory framework that aligns press freedom with due process. It calls for clearer

judicial guidelines, stronger contempt laws, ethical journalism, and better oversight of digital platforms to safeguard both fair trials and democratic values.

Keywords: Media Trial; Fair Trial; Freedom of Speech; Contempt of Court; Criminal Justice System

1. Introduction

The principle of a fair trial is central to criminal jurisprudence and the rule of law in a democratic society. It ensures that justice is delivered impartially, based solely on admissible evidence and free from external influence. In India, this right is embedded in Article 21, which guarantees life and personal liberty and has been interpreted to include a just, fair, and reasonable procedure.

At the same time, Article 19(1)(a) guarantees freedom of speech and expression, empowering the media to inform the public, ensure accountability, and act as a watchdog. As the “fourth pillar” of democracy, the press has played a key role in exposing corruption and systemic failures.

However, the rise of 24/7 news cycles and digital media has transformed information dissemination, giving rise to “media trials,” where outlets move beyond reporting to shaping narratives and even suggesting guilt or innocence before judicial determination. This trend undermines the presumption of innocence and risks influencing public opinion, investigators, witnesses, and judges. Sensational reporting and unverified information, especially on social media, further intensify these risks and may lead to miscarriages of justice.

This study examines the constitutional tension between free speech and fair trial rights, evaluates judicial responses, and assesses existing safeguards, aiming to propose a balanced framework that protects both judicial integrity and media freedom.

1.1 Meaning and Concept of Media Trial

A media trial can be defined as a

situation where media coverage prejudices the guilt or innocence of an accused before a court delivers its verdict.

It often involves sensational reporting, speculative narratives, and biased analysis. A fair trial is a fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. It ensures: Presumption of innocence, Impartial judiciary, Right to legal representation, Evidence-based adjudication

2. Literature Review

Legal scholarship on media trials reflects a clear divide over the media's role in criminal justice. Some scholars view the press as a democratic watchdog that promotes transparency, exposes injustice, and ensures accountability. Thinkers like M.P. Jain and H.M. Seervai stress that press freedom and free expression are vital for informed citizens and an open, democratic society. Others, however, criticize media trials for prejudicing legal processes. N.R. Madhava Menon argues that media involvement in ongoing cases often leads to "trial by media," undermining judicial integrity, while Upendra Baxi warns that the media can become unjust when it assumes an unaccountable adjudicatory role. K.I. Vibhute notes that prejudicial publicity often creates a perception of guilt before the court has had an opportunity to evaluate evidence. Scholars such as Ratanlal & Dhirajlal emphasize that media narratives may influence witnesses, investigators, and prosecutorial conduct, thereby affecting the fairness of the trial process. Soli J. Sorabjee points out that intense media scrutiny can generate public pressure on courts, which may indirectly affect judicial independence and decision-making.

Comparative perspectives show differing approaches. The United Kingdom imposes stricter limits through contempt laws to prevent prejudicial publicity, whereas the United States prioritizes free speech, relying on safeguards like venue changes and jury instructions, as

noted by Rodney A. Smolla and Geoffrey R. Stone.

Overall, the literature emphasizes the need to balance media freedom with fair trial rights, calling for a nuanced regulatory framework to protect due process while preserving the media's democratic role.

3. Research Methodology

The present study adopts a doctrinal and comparative research methodology. It primarily relies on the analysis of constitutional provisions, examining their text, structure, and underlying principles. In addition, the study engages with judicial precedents from India as well as select foreign jurisdictions to understand the evolution of legal interpretations and to draw meaningful comparisons. Academic commentaries, including scholarly articles and authoritative texts, are also consulted to provide critical insights and theoretical perspectives. The research is analytical and qualitative in nature, focusing on interpreting legal materials, identifying patterns in judicial reasoning, and evaluating the effectiveness of existing legal frameworks rather than relying on empirical or statistical methods.

4. Results and Analysis

4.1 Constitutional Framework: Balancing Free Speech and Fair Trial

The Indian constitutional framework seeks to balance freedom of speech with the right to a fair trial, both essential in a democracy. Article 19(1)(a) guarantees freedom of speech and expression, including press freedom, which is vital for transparency, accountability, and an informed public. However, this right is subject to reasonable restrictions under Article 19(2), particularly in matters such as contempt of court, defamation, and public order—limitations that are crucial during ongoing judicial proceedings.

At the same time, Article 21 ensures the right to life and personal liberty, which the judiciary has interpreted to include the right to a fair trial. This encompasses safeguards such

as the presumption of innocence, access to legal representation, and adjudication by an impartial tribunal. Maintaining the integrity of this process is fundamental to the rule of law.

Tension arises when media coverage, especially if sensational or prejudicial, interferes with judicial proceedings. Media trials can shape public perception, create presumptions of guilt, and exert indirect pressure on judges, witnesses, and investigators. In high-profile cases, the media may assume quasi-judicial roles, risking parallel adjudication outside the courtroom.

Courts have consistently emphasized the need for a careful balance, recognizing that while free expression is essential, it must not compromise justice. Measures such as postponement orders have been used to restrict sensitive reporting during trials. Ultimately, the Constitution promotes a harmonious approach, with the judiciary ensuring that press freedom and fair trial rights coexist without undermining each other.

4.2 Judicial Response in India

The expansion of fair trial rights began with *Maneka Gandhi v. Union of India*, where the Court established that procedure must be “just, fair, and reasonable.” In *Zahira Habibullah Sheikh v. State of Gujarat*, the Court stressed that a fair trial requires an atmosphere free from external influence.

4.2.1 Media Trial and Judicial Control

In *Sahara India Real Estate Corp. Ltd. v. SEBI*, the Court introduced postponement orders to prevent prejudicial publicity. This judgment represents a judicial attempt to balance competing rights without imposing blanket restrictions. However, its reliance on case-by-case intervention limits its effectiveness in the era of rapid digital dissemination. In *R.K. Anand v. Delhi High Court*, the Court acknowledged media’s watchdog role but warned against sensationalism. In this case, the Court’s recognition of media accountability is significant, yet the absence of enforceable

guidelines leaves room for continued misuse. In *State of Maharashtra v. Rajendra Jawanmal Gandhi*, the Court held that media trials are antithetical to rule of law. This case clearly establishes judicial disapproval of media trials, but its principles remain under-implemented in practice.

4.2.2 Recent Supreme Court Judgements (2020–2025)

Between 2020 and 2025, the Supreme Court of India delivered several important judgments that, although not always directly focused on media trials, highlight their implications for fair trial rights, personal liberty, and justice administration.

In *Arnab Manoranjan Goswami v. State of Maharashtra*, the Court emphasized the importance of personal liberty under Article 21. In *Siddharth v. State of Uttar Pradesh* and *Satender Kumar Antil v. CBI*, it cautioned against unnecessary arrests and reaffirmed that bail is the rule, principles particularly relevant where media publicity prejudices the accused.

The Court also addressed dignity and privacy concerns. In *Nipun Saxena v. Union of India*, it prohibited disclosure of rape victims’ identities, while *Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh* recognized limits on speech that harms individual dignity. In *P. Gopalakrishnan v. State of Kerala*, it upheld fair access to evidence, and in *Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement*, it stressed the right to a speedy trial.

Further, *Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India* raised concerns about perceptions of guilt in economic offences, and *Wikimedia Foundation v. ANI Media Pvt. Ltd.* highlighted challenges of digital media & online censorship.

Collectively, these rulings reflect the Court’s effort to balance free speech with fair trial rights amid growing media influence.

Top of Form

Bottom of Form

4.3 Comparative International Perspectives

A comparative analysis of international approaches reveals that several jurisdictions

have developed clearer legal frameworks to regulate the impact of media on fair trial rights. In the United Kingdom, strict sub judge rules under the Contempt of Court Act 1981 impose limitations on prejudicial reporting once legal proceedings are active, thereby safeguarding judicial impartiality. In the United States, the landmark decision in Sheppard v. Maxwell established that excessive and uncontrolled media publicity can violate an accused's right to a fair trial, placing a duty on courts to mitigate such influence. Similarly, in Europe, the Sunday Times v. United Kingdom reflects a nuanced balancing approach, where the European Court of Human Rights recognized the importance of freedom of expression while also emphasizing the need to protect the authority and impartiality of the judiciary. Together, these international perspectives demonstrate a more structured attempt to reconcile press freedom with the fundamental right to a fair trial.

4.4 Impact of Media Trials

Media trials have a profound impact on the criminal justice system, often undermining its foundational principles. They tend to violate the presumption of innocence by portraying the accused as guilty even before a court verdict is delivered, thereby shifting public perception against them. Such coverage can also influence witnesses, who may consciously or unconsciously alter their statements due to widespread media narratives. Additionally, media trials create significant public bias, generating societal pressure that can affect the fairness of proceedings. Ultimately, this environment risks undermining judicial independence, as judges may face indirect pressure from public opinion shaped by intense and often sensationalized media reporting.

5. Discussion

The study highlights a significant structural gap in India's legal system, namely, the absence of a comprehensive statutory framework specifically designed to regulate

media trials. While constitutional provisions and general laws such as contempt of court and defamation provide some safeguards, they are fragmented and reactive rather than preventive in nature.

In contrast, jurisdictions like the United Kingdom operate under a more structured regime, particularly through laws such as the Contempt of Court Act 1981, which clearly defines "sub judge" rules and restricts prejudicial reporting during ongoing proceedings. This ensures that media coverage does not interfere with the administration of justice. India, however, lacks an equivalent codified mechanism, leading to inconsistency and uncertainty in regulating media conduct.

As a result, Indian courts, especially the Supreme Court of India, have had to rely heavily on judicial discretion. Through case-by-case adjudication, the judiciary has attempted to strike a balance between free speech and fair trial rights. Mechanisms such as postponement orders, guidelines on reporting, and contempt proceedings have been developed through judicial pronouncements. However, this approach has its limitations:

- It is not uniform, leading to varied interpretations across cases.
- It is often reactive, addressing harm after it has already occurred.
- It places a significant burden on the judiciary to constantly monitor media behavior. The challenge has been further intensified by the rise of social media platforms. Unlike traditional media, social media is:
 - Decentralized and largely unregulated
 - Capable of instantaneous and viral dissemination
 - Often driven by user-generated content without editorial oversight

This creates a parallel ecosystem where opinions, speculation, and even misinformation can spread rapidly, potentially influencing public perception and, indirectly, judicial processes.

Hashtags, online campaigns, and digital outrage can create a “virtual trial”, amplifying the risks associated with traditional media trials.

Moreover, enforcing restrictions on social media raises additional concerns regarding freedom of expression, technological feasibility, and jurisdictional limits, making regulation even more complex. Thus, the current Indian framework appears inadequate to address the evolving media landscape, necessitating a more structured and forward-looking approach.

6. Conclusion

Media trials represent a serious and growing challenge to the fundamental right to a fair trial and the overall integrity of the criminal justice system in India. While the media plays an indispensable role in a Democratic society, by promoting transparency, accountability, and public awareness, its unchecked exercise can lead to prejudicial reporting, character assassination, and the erosion of due process.

The core issue lies not in media freedom itself, but in its irresponsible or excessive use. When media outlets assume the role of investigators, prosecutors, and judges, they risk undermining the presumption of innocence—a cornerstone of criminal jurisprudence. Such practices can:

- Influence witnesses and investigators
- Create public pressure on courts
- Damage the reputation of accused persons irreversibly, even before conviction

At the same time, imposing excessive restrictions on the media could stifle democratic discourse and press freedom, which are equally vital under Article 19(1)(a). Therefore, the solution lies in achieving a careful constitutional balance, not in privileging one right over the other.

Going forward, there is a pressing need for:

- A comprehensive statutory framework that clearly defines permissible limits of media reporting during ongoing trials

- Guidelines for both traditional and digital media, including social media platforms
- Strengthening self-regulatory mechanisms within the media industry
- Enhancing legal awareness among journalists regarding the impact of their reporting on judicial processes

Ultimately, the goal should be to ensure that media freedom coexists harmoniously with the right to a fair trial. A responsible media, combined with a robust legal framework, can uphold both democratic values and the rule of law. Without such balance, the risk remains that justice may not only be delayed or denied, but also distorted in the court of public opinion.

7. Recommendations

Addressing the challenges of media trials requires a set of coordinated reforms. First, clear statutory guidelines should be introduced to regulate media reporting during ongoing criminal proceedings. These must define limits on coverage, particularly regarding disclosure of sensitive information, portrayal of accused persons, and reporting on sub judice matters, while still preserving freedom of expression.

Second, existing contempt laws, especially under the Contempt of Courts Act, 1971, need stronger and more consistent enforcement to deter reporting that may prejudice trials or influence judges, witnesses, and public opinion.

Third, promoting ethical journalism is crucial. Media institutions, along with bodies like the Press Council of India, should actively enforce professional standards, ensuring responsible reporting, accuracy, and respect for individual dignity in criminal cases.

Finally, the growing influence of digital and social media calls for a balanced regulatory framework. This should include platform accountability, content moderation norms, and measures to curb misinformation without excessive censorship.

Together, these steps can help maintain

a balance between press freedom and the right to a fair trial.

References:

A. Indian cases

- Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 (India).
- Zahira Habibullah Sheikh v. State of Gujarat, (2004) 4 SCC 158 (India).
- Sahara India Real Estate Corp. Ltd. v. SEBI, (2012) 10 SCC 603 (India).
- R.K. Anand v. Delhi High Court, (2009) 8 SCC 106 (India).
- State of Maharashtra v. Rajendra Jawanmal Gandhi, (1997) 8 SCC 386 (India).
- Arnab Manoranjan Goswami v. State of Maharashtra, (2021) 2 SCC 427 (India).
- Siddharth v. State of Uttar Pradesh, (2022) 1 SCC 676 (India).
- Nipun Saxena v. Union of India, (2019) 2 SCC 703 (India).
- Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh, (2023) 4 SCC 1 (India).
- Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement, (2024) SCC OnLine SC (India).
- P. Gopalakrishnan v. State of Kerala, (2019) 9 SCC 161 (India).
- Satender Kumar Antil v. CBI, (2022) 10 SCC 51 (India).
- Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India, (2022) 10 SCC 386 (India).
- Wikimedia Foundation Inc. v. ANI Media Pvt. Ltd., SCC OnLine (2024–25) (India).

B. Foreign Cases

- Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966).
- Sunday Times v. United Kingdom, 2 Eur. Ct. H.R. 245 (1979).

C. Statutes

- The Constitution of India, 1950
- Contempt of Courts Act, 1971, No. 70, Acts of Parliament, 1971 (India).
- Contempt of Court Act 1981, c. 49 (UK).
- Prevention of Money Laundering Act, 2002, No. 15, Acts of Parliament, 2003 (India).

D. Books

- M.P. Jain, Indian Constitutional Law (8th ed. 2018).
- H.M. Seervai, Constitutional Law of India (4th ed. 2013).
- N.R. Madhava Menon, Criminal Justice System in India (2004).
- Upendra Baxi, The Future of Human Rights (3rd ed. 2008).
- K.I. Vibhute, PSA Pillai's Criminal Law (13th ed. 2018).
- Ratanlal & Dhirajlal, The Code of Criminal Procedure (21st ed. 2020).
- Soli J. Sorabjee, Law and Justice: An Anthology (2004).
- Eric Barendt, Freedom of Speech (2nd ed. 2005).
- Rodney A. Smolla, Free Speech in an Open Society (1992).
- Geoffrey R. Stone et al., Constitutional Law (7th ed. 2013).

E. Journal Articles

- N.R. Madhava Menon, Trial by Media: A Threat to Fair Trial, 45 JILI (2003).
- Upendra Baxi, The Avatars of Indian Judicial Activism, 6 S.C.C. J. (2000).
- Soli J. Sorabjee, Freedom of Speech and Fair Trial, 3 NUJS L. Rev. (2010).
- K.I. Vibhute, Media Trials and Fair Trial Rights in India, 2 Indian Bar Rev. (2015).

Webliography

- Supreme Court of India, <https://main.sci.gov.in>
- Indian Kanoon, <https://indiankanoon.org>
- SCC Online, <https://www.sconline.com>
- Manupatra, <https://www.manupatra.com>
- Press Council of India, <https://presscouncil.nic.in>
- BBC News, <https://www.bbc.com>
- The Hindu, <https://www.thehindu.com>
- The Indian Express, <https://indianexpress.com>
- European Court of Human Rights, <https://www.echr.coe.int>



Ecofeminist and Womanist Ecologies in Octavia Butler's *Kindred* and *Parable of the Sower*

Prof. Dr. Mrs. Pragati Gunaji Naik
Head Department of English
(UG, PG & Research Centre)
Shri Pancham Khemraj Mahavidyalaya,
Sawantwadi (Autonomous)

Abstract

This paper examines Octavia Butler's *Kindred* (1979) and *Parable of the Sower* (1993) through the intersecting lenses of ecofeminism and womanist ecological thought. While traditional ecofeminism establishes theoretical connections between the patriarchal domination of women and the exploitation of nature, Butler's work advances this discourse by centering the specific experiences of African American women whose bodies and labor have been historically positioned as natural resources within systems of slavery and capitalist extraction. Drawing on Alice Walker's womanist framework and contemporary ecowomanist scholarship, this analysis argues that Butler's novels perform two crucial interventions: first, they demonstrate how antebellum plantations and post-apocalyptic urban wastelands operate as interconnected sites where racialized and gendered bodies are rendered ecologically vulnerable; second, they propose alternative models of community based on "shaped change" and embodied empathy. Through close reading of *Kindred*'s time-traveling protagonist Dana, who experiences slavery's environmental violence as both historical memory and bodily

trauma, and *Parable of the Sower*'s Lauren Olamina, whose hyperempathy transforms ecological crisis into the foundation for a new spirituality, this paper establishes Butler as a foundational theorist of what might be termed "Black feminist ecological consciousness"—a framework that refuses the nature/culture divide by recognizing that survival requires neither escape from nature nor mastery over it, but rather a radical acceptance of interdependence.

Keywords: ecofeminism; womanism; ecowomanism; African American literature; speculative fiction; climate fiction; environmental justice.

Introduction

In the opening pages of *Parable of the Sower*, fifteen-year-old Lauren Olamina records in her journal: "The world is full of painful stories. Sometimes it seems as though there isn't any other kind" (Butler, *Parable* 9). This observation, rendered in the matter-of-fact prose that characterizes Butler's oeuvre, captures the dual orientation that defines her contribution to ecological thought: an unflinching acknowledgment of systemic violence and a stubborn insistence on the possibility of transformation. Writing at the intersection of African American literature, feminist science fiction, and emergent climate discourse, Butler produced works that seem increasingly prescient in their depiction of environmental collapse, corporate feudalism, and the racialized distribution of ecological vulnerability.

This paper argues that Butler's fiction operates as a sophisticated intervention in ecofeminist theory, one that anticipates and responds to critiques that mainstream ecofeminism has privileged white, Western perspectives while insufficiently attending to the specific historical relationship between Black women and the natural world. By juxtaposing *Kindred*—a neo-slave narrative in which a Black woman from 1970s California is repeatedly pulled back in time to antebellum

Maryland—with *Parable of the Sower*—a climate fiction novel set in a 2020s California devastated by drought, corporate greed, and state collapse—this analysis traces Butler’s evolving ecological imagination across fourteen years of publication history.

The theoretical framework deployed here draws on three interconnected traditions. First, ecofeminism’s foundational insight—that the patriarchal logic enabling the domination of women is structurally homologous to that enabling the exploitation of nature (Merchant; Warren; Plumwood)—provides a starting point. Second, Alice Walker’s womanism, which broadens feminist inquiry to encompass the lived experiences of women of color and explicitly links racial oppression to environmental alienation, offers a corrective to ecofeminism’s limitations. Third, contemporary ecowomanist scholarship, which integrates these perspectives with environmental justice frameworks, illuminates how Butler’s work envisions survival not as individual escape but as collective transformation rooted in place-based knowledge and mutual care.

The analysis proceeds in three movements. First, it establishes *Kindred* as an ecogothic text in which the plantation functions as a site of what might be termed “ecological terror”—where enslaved bodies are rendered indistinguishable from the natural resources extracted from the land. Second, it reads *Parable of the Sower* through the concept of “shaped change,” arguing that Lauren Olamina’s hyperempathy functions as both wound and wisdom, disabling her within a violent social order while enabling an ethics of interdependence that refuses the nature/culture binary. Third, it synthesizes these readings to articulate Butler’s distinctive contribution to ecofeminist thought: a vision of ecological survival grounded not in return to a pristine nature or escape to a technological utopia, but in the painful, ongoing work of shaping change

from within conditions not of one’s choosing.

Ecofeminism, Womanism, and the Problem of the Nature/Culture Divide

Before turning to Butler’s novels, it is necessary to sketch the theoretical terrain they inhabit and transform. Ecofeminism emerged in the 1970s and 1980s as a diverse body of scholarship linking feminist critique to environmental philosophy. While ecofeminist thought encompasses multiple strands—from spiritual feminism’s celebration of women’s “natural” affinity with the earth to materialist analyses of how capitalist patriarchy devalues both women’s labor and ecosystems—a core insight unites these approaches: the conceptual dualisms that structure Western thought (nature/culture, body/mind, emotion/reason, female/male) are hierarchically ordered such that whatever is associated with femininity and nature is devalued and targeted for domination (Plumwood 41-47). As Val Plumwood argues in *Feminism and the Mastery of Nature*, the logic of domination that enables the exploitation of non-human nature is the same logic that enables the subordination of women, racialized others, and colonized peoples.

Yet ecofeminism has faced significant critiques from women of color and postcolonial feminists. As early as 1981, Audre Lorde warned against the temptation to universalize “woman” as a category, noting that “the master’s tools will never dismantle the master’s house” (112). More specifically, critics have charged that mainstream ecofeminism often replicates the very essentialism it purports to critique, positing an ahistorical connection between women and nature that erases the vastly different relationships that women of different races, classes, and geographies have had to the natural world (Sandilands; Sturgeon). For enslaved Black women in the American South, the association with nature carried not spiritual resonance but the terror of being classified as chattel—property no different from the land they worked or the

cotton they picked.

Alice Walker's concept of womanism offers a crucial corrective. Coined in *In Search of Our Mothers' Gardens* (1983), womanism emerges from "the black feminist movement" and is explicitly rooted in the folk expression "you acting womanish"—meaning "outrageous, audacious, courageous, or willful behavior" (Walker xi). Unlike some strands of mainstream feminism, womanism is "committed to survival and wholeness of entire people, male and female" (xii). Importantly for an ecological reading, Walker's womanist vision is deeply grounded in the natural world. Her essay "In Search of Our Mothers' Gardens" recovers the creative labor of enslaved women who "handed on the creative spark" through gardening—"the planting and care of flowers and plants of all kinds"—when other forms of artistic expression were denied them (241). In this account, tending the earth becomes a form of resistance, a way of preserving humanity under conditions designed to destroy it.

Contemporary ecowomanist scholarship has developed this insight into a robust theoretical framework. As articulated by theologians and literary critics including Melanie Harris, Shamara Shantu Riley, and the contributors to the Political Theology Network's ecowomanist forum, ecowomanism "advances a womanist tradition of minority-centered women's activism, which recognizes gender, race, and class as equal, intersecting axes from which scholars may critique inequality and develop radical imagination". Ecowomanism rejects the hierarchical dualisms that have "historically aided institutional oppression" while also "repudiating social-cultural hierarchical categorization systems, such as racist-sexist frameworks that reduced Black women's bodies to the status of chattel then justifying dominance and exploitation of human and non-human animals".

Butler's fiction, this paper argues,

performs ecowomanist work before the term existed. Her novels refuse the nature/culture binary not by celebrating nature as a site of liberation—the landscapes of *Kindred* and *Parable* are far too dangerous for that—but by demonstrating that such a binary was never available to Black women in the first place. For Dana in *Kindred* and Lauren in *Parable*, the question is not whether to identify with or against nature, but how to survive within ecologies that have been weaponized against them.

Kindred: The Plantation as Ecological Archive

Octavia Butler's *Kindred* (1979) is not, on its surface, an environmental novel. It contains no melting ice caps, no poisoned rivers, no discussion of deforestation or species extinction. Yet reading *Kindred* through an ecofeminist lens reveals that the novel is deeply concerned with the relationship between human bodies and the land they inhabit, work, and are buried in. The plantation functions as what scholar Chelsea Mikael Frazier terms an "ecological archive"—a site where the intertwined history of racial capitalism and environmental exploitation is inscribed on both bodies and landscapes.

The Time-Traveling Body as Ecological Sensor

Kindred's protagonist, Dana, is a Black woman writer from 1970s Los Angeles who is inexplicably pulled back in time to the antebellum Maryland plantation where her white ancestor, Rufus Weylin, lives. Each time Rufus's life is endangered, Dana is summoned to save him; each time she fears for her own life, she returns to the present. This time-travel mechanism has been read as a metaphor for the persistence of slavery's trauma across generations. But it can also be understood ecologically: Dana's body becomes a sensor that registers environmental conditions across temporal scales.

Consider the novel's opening scene. Dana arrives in 1815 to find a drowning boy—

Rufus—struggling in the river. She saves him and immediately confronts the landscape: “The woods were quiet now. The birds had stopped singing. The only sounds were the gurgle of the water and the rustle of the wind in the trees” (Butler, *Kindred* 14). This is not a pastoral scene. The quiet signals danger; the natural world, for Dana, is never innocent. She knows that these woods contain runaway slaves and the dogs that hunt them, that this river is both a resource and a grave, that these trees have witnessed lynchings.

Throughout the novel, Dana’s body registers the plantation’s ecology in ways that blur the boundary between human and environment. When a white overseer whips a young enslaved boy named Nigel, Dana intervenes and is herself beaten. Later, she reflects: “I could feel the blood running down my back. It felt warm and wet against my skin, then cool as the air hit it” (101). The description emphasizes bodily sensation—warmth, wetness, coolness—that is continuous with environmental conditions. Dana’s pain is not separate from the weather, the air, the temperature; it is experienced as environment.

This collapsing of bodily and environmental boundaries finds theoretical resonance in ecofeminist and new materialist frameworks that reject the Cartesian separation of mind from body and body from world. As Stacy Alaimo argues in *Bodily Natures*, “the body is not an inert, passive, or discrete entity but is instead intermeshed with the more-than-human world” (2). Dana’s body in *Kindred* exemplifies this intermeshing: her twenty-first-century body becomes the site where the ecological violence of slavery—the forced labor, the inadequate food and shelter, the threat of sexual violence—is made materially present.

The Enslaved Body as Natural Resource

More fundamentally, *Kindred* reveals how slavery depends on and produces the conceptual identification of Black bodies with

the natural world. Under the logic of chattel slavery, enslaved people were legally classified as property—a category that included land, animals, and crops. This legal fiction was underwritten by a broader cultural logic that positioned Black people as closer to nature than to culture, as more body than mind, as more animal than human.

Butler makes this logic explicit through the character of Tom Weylin, Rufus’s father and the plantation’s master. When Dana requests paper and books—the tools of culture and literacy—Weylin refuses, telling her that enslaved people “don’t need to read” and that reading makes them “dissatisfied” (93). He is willing to let Dana work in the house rather than the fields, but only because her education makes her useful for domestic labor. Her mind is only valuable insofar as it serves the plantation’s economic functioning. Meanwhile, the field hands are worked literally to death, their bodies exhausted and discarded like depleted soil.

The plantation economy depends on treating both land and enslaved people as resources to be extracted. Sarah, an older enslaved woman who works as a cook, has born children who were sold away from her; her body’s reproductive capacity has been exploited as surely as the cotton fields’ fertility. When Dana reflects that Sarah “had learned to hide her pain” (138), the phrase suggests something more than psychological coping. Sarah has learned to make her body illegible, to refuse the master’s demand that enslaved people display the emotions that would justify his violence.

Contemporary scholarship on *Kindred* has explored these dynamics from multiple angles. The collection *Human Contradictions in Octavia Butler’s Work* includes analyses of how *Kindred* functions as a neo-slave narrative that “examines the history of African Americans” while also “speculating on their necessary roles of shaping the future of society”. More specifically, Allison E. Francis’s contribution to

that volume examines “escape in the neo-slave narratives” of Butler and Sherley Anne Williams, arguing that *Kindred* reimagines freedom not as flight from the South but as a reckoning with its ongoing presence .

For an ecofeminist reading, what matters is that *Kindred* refuses the option of escape-as-transcendence. Dana cannot stay in the past, but neither can she fully leave it behind. She returns to 1976 missing an arm—the ultimate marker that history has claimed part of her body. The novel’s famous ending, in which Dana discovers that her arm was left behind in the past, has been read as a metaphor for the impossibility of leaving slavery behind. But it is also an ecological statement: the body that returns to the present is permanently marked by the environment it inhabited. Dana cannot extract herself from the plantation any more than the plantation can be extracted from her.

Parable of the Sower: Shaping Change in the Dystopian Present

If *Kindred* excavates the ecological violence of the past, *Parable of the Sower* projects that violence into a near future that now reads as terrifyingly present. Set in a 2020s California ravaged by climate change, economic collapse, and social disintegration, the novel follows Lauren Olamina, a young Black woman with “hyperempathy”—a neurological condition that causes her to physically feel the pain and pleasure she witnesses in others. As her walled community of Robledo is destroyed and she is forced to flee north, Lauren develops a new belief system called Earthseed, whose central tenet is that “God is Change.”

Hyperempathy as Ecofeminist Epistemology

Lauren’s hyperempathy is the novel’s most significant contribution to ecofeminist thought. The condition, which she inherited from her mother’s drug use during pregnancy, means that Lauren cannot witness violence without experiencing it in her own body. When she sees someone cut, she feels the cut; when she sees

someone shot, she feels the bullet’s impact. In the violent world of *Parable*, this is a profound disability—“a built-in suffer-meter” (Butler, *Parable* 114) that makes her vulnerable to manipulation and incapable of the brutality survival often requires.

Yet hyperempathy is also, the novel suggests, an epistemology—a way of knowing that bypasses the abstract, distanced stance that enables violence against both humans and the natural world. As one ecowomanist reading puts it, Lauren’s “sharing necessitates a direct confrontation with the consequences of individual and systemic violence on human and non-human beings” . When Lauren’s group is attacked by dogs and she is forced to shoot one, she feels the dog’s pain as acutely as if she had been shot herself. This experience teaches her that “interdependency is not limited to humans” .

In ecofeminist terms, hyperempathy dismantles the dualism between self and other, human and animal, knower and known. It materializes the insight that, as ecofeminist philosopher Karen Warren argues, “there are no ‘value-free’ or ‘neutral’ ways of knowing” because “all knowledge is situated, embodied, and partial” (xii). Lauren’s knowledge of violence is not abstract; it is felt in her bones, her muscles, her nerves. This embodied knowledge makes her incapable of the instrumental rationality that treats other beings as resources to be used.

Crucially, however, Butler does not romanticize hyperempathy. Lauren repeatedly wishes she did not have it; she trains herself to dissociate, to build walls between her perception and her sensation. The condition is not presented as a gift from nature or a sign of women’s special connection to the earth. It is, rather, a wound inflicted by the same system—capitalist, patriarchal, pharmaceutical—that produces the novel’s ecological crisis. Hyperempathy is not a solution to violence but

a symptom of it. What makes Lauren a leader is not her empathy alone but her ability to organize that empathy—to translate bodily sensation into collective action.

Earthseed: An Ecowomanist Theology

The religion Lauren develops, Earthseed, has often been read as a form of secular humanism or utopian politics. But it is also, this paper argues, an ecowomanist theology that rejects the hierarchical dualisms of Western Christianity. The Earthseed verses scattered throughout Parable articulate this alternative worldview:

“God is Change—
Seed to tree,
Tree to forest;
Rain to river,
River to sea;
Grubs to bees,
Bees to swarm.”

(Butler, Parable 25)

Unlike the God of Christianity, who is typically imagined as transcendent, masculine, and separate from creation, Earthseed’s God is immanent, genderless, and identical with the process of transformation itself. This is, as one scholar notes, “an ecowomanist revelation of a non-humanoid deity” that “goes beyond simply decentering a white-male God”. By locating divinity in change—the flow of water, the growth of seeds, the transformation of insects—Earthseed refuses the dualism between spirit and matter, sacred and mundane, human and non-human.

This theological move has political implications. If God is Change, then resistance to change is not just futile but blasphemous. The novel’s villains—the drug addicts who burn Robledo, the corporate oligarchs who hoard resources, the religious fundamentalists who appear in the sequel Parable of the Talents—are all, in Earthseed terms, people who try to freeze the world in place, to prevent transformation. They are attached to hierarchies,

to property, to the illusion of permanence.

But Earthseed is not a theology of passive acceptance. The most important Earthseed verse may be this one:

“All that you touch

You Change.

All that you Change

Changes you.

The only lasting truth

Is Change.”

(Butler, Parable 3)

Here, change is not something that happens to us but something we participate in shaping. This is what the novel calls “shaped change”—the idea that while transformation is inevitable, its direction is not. Human agency matters, but it matters within ecological limits. Lauren cannot stop climate change; she can only adapt to it. She cannot eliminate violence; she can only build communities resilient enough to survive it. She cannot return to a pristine nature; she can only learn to live in the nature that remains.

This orientation distinguishes Butler’s ecowomanism from some strands of ecofeminism that posit an original harmony between women and nature that has been lost and must be recovered. For Butler, there is no prelapsarian nature to return to. The world of Parable is already damaged, poisoned, burning. The question is not how to restore balance but how to shape change toward less catastrophic futures.

Interdependent Survival

Parable of the Sower is also a novel about community. After Robledo is destroyed, Lauren leads a small group north along highways filled with desperate refugees. They must forage for food, defend themselves against attackers, and make decisions about who to trust and who to leave behind. This journey has been read as an allegory of the Underground Railroad, and indeed, the novel can be understood as a neo-slave narrative relocated

to a climate-changed future.

What is striking from an ecofeminist perspective is how Lauren's leadership models an alternative to both patriarchal hierarchy and liberal individualism. She does not command; she persuades. She does not hoard resources; she distributes them democratically. She does not prioritize her own survival over others; she recognizes that, in a world of systemic collapse, no one survives alone. As one ecowomanist reading puts it, "the Earthseed priority of caring for people's earthy bodies, rather than their souls" distinguishes it from religions that promise transcendence.

This care ethic extends to the natural world. When Lauren's group encounters a woman named Jill who has been living alone in the wilderness, they learn that she survives by hunting and foraging—skills that Lauren recognizes as essential. "We need to learn what you know," she tells Jill (Butler, *Parable* 276). The novel consistently values local, embodied, place-based knowledge: how to identify edible plants, how to purify water, how to treat injuries without hospitals. This is not a primitivist celebration of pre-industrial lifeways; it is a practical acknowledgment that, in the absence of functioning institutions, survival depends on the kinds of knowledge that have been devalued by industrial capitalism.

Synthesis: Butler's Ecofeminist Legacy

Reading *Kindred* and *Parable of the Sower* together reveals the arc of Butler's ecological imagination. In *Kindred*, the plantation is a closed system: Dana can enter it and leave it, but she cannot change it. Her survival depends on escaping, even though escape is never complete. In *Parable*, by contrast, there is no outside to escape to. Lauren cannot return to a prelapsarian past or flee to an untouched wilderness. She must build a livable future within the ruins of the present.

This shift corresponds to a development in ecofeminist thought. Early ecofeminism often

posited a "nature" that existed prior to or outside of human culture—a pristine other that needed protection from human depredation. But as feminist environmental scholars have increasingly recognized, this vision of nature is itself a product of the nature/culture binary. It imagines the human as a contaminant, an external threat to an otherwise self-regulating system. This is not only conceptually problematic but politically dangerous, as it can justify the removal of Indigenous peoples from "wilderness" areas and the neglect of environmental justice in favor of preservationism.

Butler's work refuses this framework. In *Kindred*, the landscape is never pristine; it is always already a plantation, an extractive zone, a site of violence. In *Parable*, the landscape is even more explicitly constructed: the suburbs burning, the highways clogged with refugees, the remaining trees growing in poisoned soil. There is no nature to return to. There is only what we have made and what we might yet make.

This is not despair, but it is also not optimism. Butler's vision is perhaps best described as "tragic hope"—the hope that emerges from acknowledging the full extent of damage and choosing to continue anyway. As Lauren writes in her Earthseed notebook: "Belief in God—in Change—does not mean passivity" (Butler, *Parable* 264). It means recognizing that transformation is constant and that human agency, while constrained, is not meaningless. For contemporary ecofeminist theory, Butler's work offers a crucial provocation: that the nature/culture binary was never available to those whose bodies were classified as nature. For enslaved women, for poor Black women in climate-ravaged neighborhoods, the question has never been whether to identify with nature or culture, but how to survive when both have been weaponized against them. Butler's fiction gives voice to this experience and, in doing so,

transforms ecofeminism from within.

Conclusion

Octavia Butler died in 2006, before the term “climate fiction” entered common usage, before the youth climate strikes, before the term “Anthropocene” migrated from geology to the humanities. Yet her work has proven remarkably prescient. *Parable of the Sower* is set in a 2024 that looks disturbingly like the 2024 we have lived through; *Kindred*’s depiction of the persistence of anti-Black violence across time seems more urgent than ever.

This paper has argued that Butler’s work constitutes a distinctive contribution to ecofeminist and ecowomanist thought—one that refuses the nature/culture binary not by denying its existence but by demonstrating its impossibility for those whose bodies have been positioned as natural resources. For Dana and Lauren, the question is not whether to embrace or reject nature, but how to survive within ecologies shaped by violence, how to build communities of care within systems designed to extract and discard, how to shape change when change is the only constant.

Butler’s legacy for ecofeminism, then, is not a set of propositions but a method: a way of thinking that begins from the most vulnerable bodies and asks what survival would require. That method is desperately needed in the present moment, as climate crisis intensifies and its burdens fall, as always, on those least responsible. Reading Butler in the Anthropocene is not an escape from our predicament but a way of confronting it more clearly.

Works Cited

- Alaimo, Stacy. *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self*. Indiana University Press, 2010.
- Butler, Octavia E. *Kindred*. 1979. Beacon Press, 2003.
- —. *Parable of the Sower*. 1993. Grand Central Publishing, 2019.

- Frazier, Chelsea Mikael. “Black Feminist Ecological Thought: A Manifesto.” *The South Atlantic Quarterly*, vol. 120, no. 2, 2021, pp. 251-69.

- Harris, Melanie L. *Ecowomanism: African American Women and Earth-Honoring Faiths*. Orbis Books, 2017.

- Lorde, Audre. “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House.” 1981. *Sister Outsider: Essays and Speeches*, Crossing Press, 2007, pp. 110-14.

- Merchant, Carolyn. *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. Harper & Row, 1980.

- Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. Routledge, 1993.

- Riley, Shamara Shantu. “Ecology Is a Sistah’s Issue Too: The Politics of Emergent Afrocentric Ecowomanism.” *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*, edited by Karen J. Warren, Indiana University Press, 1997, pp. 251-63.

- Sandilands, Catriona. *The Good-Natured Feminist: Ecofeminism and the Quest for Democracy*. University of Minnesota Press, 1999.

- Stanley, Tarshia L., editor. *Approaches to Teaching the Works of Octavia E. Butler*. Modern Language Association of America, 2019.

- Sturgeon, Noël. *Ecofeminist Natures: Race, Gender, Feminist Theory, and Political Action*. Routledge, 1997.

- Vakoch, Douglas A., editor. *Dystopias and Utopias on Earth and Beyond: Feminist Ecocriticism of Science Fiction*. Routledge, 2021.

- Walker, Alice. *In Search of Our Mothers’ Gardens: Womanist Prose*. 1983. Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

- Warren, Karen J. *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Rowman & Littlefield, 2000.



10

मानवी हक्क आणि कौटुंबिक हिसांचार

डॉ. कैलाश वि. बिसाद्रे
अनिकेत कॉलेज ऑफ सोशल वर्क
वर्धा, महाराष्ट्र

सारांश :

मानवी हक्क या संज्ञेतील अधिकार व हक्क या संज्ञेचा अर्थ समजून घेतला की, मानवाधिकार किंवा मानवी हक्क संज्ञेचा अर्थबोध होतो.

‘ज्यांच्या शिवाय व्यक्तीचे परिपूर्ण अस्तित्व शक्य होणार नाही. अशा गोष्टी म्हणजे हक्क होय’ माणसाला अर्थपूर्ण जीवनजगण्यासाठी जी परिस्थिती हवी असते ती हक्कांमध्ये निर्माण होते. अमुक एक हक्क माणसाच्या परिपूर्ण जगण्यासाठी आवश्यक आहे. तो नसणे हे अन्यायकारक आहे. अशी भावना जेव्हा समाजात सर्वांगिक होतो तेव्हा त्या मागणीला व्यापक स्तरावर लोक समुदायाचा पाठींबा प्राप्त होतो. परिणामी ती मागणी मान्य करणे राजसत्तेला भाग पडते. मनुष्य हा बुद्धीमान व विचार प्रकट करणारा प्राणी आहे. तो आपल्या बुद्धीचा वापर करून नवनविन शोध लावतो आणि जीवनमानात सतत बदल करून ते अधिक समृद्ध करण्यात गुंतलेला असतो. अशा या मानव प्राण्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे या दृष्टीने त्याला काही मूलभूत हक्क मिळणे आवश्यक आहे. त्यांनाच मानवी हक्क असे म्हणतात.

राजरोश किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाचा अवलंब करून सत्ता, संपत्ती बळ या सारख्या सामार्थ्यांच्या आधारे आपणास हवी ती गोष्ट दुसऱ्याची इच्छा नसताना तिच्याजवळून बळजबरीने हिसकावून घेण्यासाठी केलेले कष्ट्य म्हणजे (हिसांचार) अत्याचार होय.

या बळजबरीमुळे दुसऱ्या व्यक्तीला शारीरिक इजा व मानसिक आघात दोन्हीही सहन करावे लागतात. या व्याख्येमुळे अपहरण, बलात्कार, हत्या, लैंगिक शोषण मारहाण छेडखानी ही सर्व अत्याचाराची कृत्ये ठरतात.

प्रास्ताविक:—

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत लक्ष घालण्यासाठी स्वतंत्र व परिपूर्ण यंत्रणा निर्माण करण्याच्या हेतूने केंद्रीय शासनाने १९९३ मध्ये एक अध्यादेश लागू केला. नंतर या अध्यादेशाला संसदेच्या मान्यतेने अधिनियमाचे स्वरूप प्राप्त झाले. यालाच ‘मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम’ १९९३ असे संबोधले जाते.

मानवी हक्कांबाबत संरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने हा अधिनियम उपयुक्त मानला जातो. या अधिनियमानुसार मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोग, राज्य मानवी अधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यांक आयोग इ. चा समावेश होतो.

जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. भाषा, संस्कृती, नैसर्गिक रचना, हवामान, लोकप्रवृत्ती यात अत्यांतिक विविधा असूनही जगातील एक संस्कृती संपन्न व सहिष्णू राष्ट्र म्हणून त्याचा गौरव केला जातो. अगदी प्राचीन काळापासून आजपर्यंतचा भारताचा इतिहास पाहिला तर त्यात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे भारतीय जनमाणसात स्वतःबरोबर इतरांच्या हक्कांची असलेली जाणीव. यामुळे अनेक परिवर्तने होऊनही हक्क कर्तव्यांच्या सहसंबंधात भारताचा विकास व प्रगती होत आली आहे. या प्रवृत्तीलाच ‘उदारमतवाद’ असा एक शास्त्रीय शब्द आहे. प्रातिनिधिक लोकशाही, मूलभूत हक्क, कायद्याचे राज्य, न्यायालयांचे सार्वभौमत्व या बाबी उदारमतवादाच्या चौकटीतून भारतीय राजकीय विचारात पध्दतशीरपणे रुजल्या आहेत. यात नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि त्यांची घटनात्मक मार्गाने करावयाची अंमलबजावणी याचे विवरण हा

भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात परिपूर्ण असा भाग आहे. त्यात असलेला तपशील अन्य कोणत्याही देशाच्या राज्य घटनेत सापडत नाही. इंग्रजी राजवटीचे भारतीय जनजीवनावरील संस्कार त्याचबरोबर अन्य देशांचा राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास यातून भारतीय राज्य घटनेत हक्कांचा झालेला समावेश एक अभ्यासाचा भाग आहे.

मानवी हक्कांची व्याख्या:

मानवी हक्क या संज्ञेतील अधिकार व हक्क या संज्ञेचा अर्थ समजून घेतला की, मानवाधिकार किंवा मानवी हक्क संज्ञेचा अर्थबोध होतो.

‘ज्यांच्या शिवाय व्यक्तीचे परिपूर्ण अस्तित्व शक्य होणार नाही. अशा गोष्टी म्हणजे हक्क होय’ माणसाला अर्थपूर्ण जीवनजगण्यासाठी जी परिस्थिती हवी असते ती हक्कांमध्ये निर्माण होते. अमुक एक हक्क माणसाच्या परिपूर्ण जगण्यासाठी आवश्यक आहे. तो नसणे हे अन्यायकारक आहे. अशी भावना जेव्हा समाजात सर्वांगिक होतो तेव्हा त्या मागणीला व्यापक स्तरावर लोक समुदायाचा पाठींबा प्राप्त होतो. परिणामी ती मागणी मान्य करणे राजसत्तेला भाग पडते. मनुष्य हा बुद्धीमान व विचार प्रकट करणारा प्राणी आहे. तो आपल्या बुद्धीचा वापर करून नवनविन शोध लावतो आणि जीवनमानात सतत बदल करून ते अधिक समृद्ध करण्यात गुंतलेला असतो. अशा या मानव प्राण्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे या दृष्टीने त्याला काही मूलभूत हक्क मिळणे आवश्यक आहे. त्यांनाच मानवी हक्क असे म्हणतात.

१. “सर्व मानवांना म्हणजे स्त्री आणि पुरुषांना वंश, रंग, लिंग, भाषा, प्रांत, धर्म, राजकीय मत, देश, जन्म, संपत्ती अशा कोणत्याही भेदभावाशिवाय असलेली आणि समानतेवर आधारलेले मूलभूत व जीवनावश्यक असे अधिकार आणि स्वातंत्र्य म्हणजे मानवी हक्क होय.”

२. “जगातल्या प्रत्येक मानवाला तो केवळ मानवी कुटुंबाचा सदस्य आहे एवढ्या एकाच कारणाने जे हक्क मिळायलाच पाहिजेत अशा हक्कांना मानवी हक्क असे म्हणतात.”

३. हेरॉल लास्की : समाजाने अथवा राज्याने मान्यता दिलेल्या मागण्या म्हणजे हक्क होते. कोणत्याही राज्याचे स्वरूप त्या राज्याने मान्यता दिलेल्या मूलभूत हक्कांवरून ठरत असते.

४. मानवी संरक्षण अधिनियम १९९३ मधील व्याख्या पुढीलप्रमाणे. ‘मानवी हक्क याचा अर्थ व्यक्तीचे जीवन स्वातंत्र्य, समता व प्रतिष्ठा या संबंधीचे व संविधानाचे हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आणि भारतातील न्यायालयांना अंमलबजावणी करता येईल असे हक्क होय.’

समाजातील स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना पाहून मन व्यथित होते, एक चांगली सहचारीनी मिळणे ही खुप भाग्याची गोष्ट आहे. योगायोगाने तसे मिळाले तर संसार फुलतो, खुलतो, पैसा काय आज आहे, तर उदया नाही नसेल तर कमविता येतो. पण एकदा मोहापायी व्यक्ती गामावली तर ती परत मिळवता येत नाही. शिक्षण घेवून जर तुमचे मन प्रगल्भ होत नसेल तर अशिक्षित राहिलेले बरे प्रत्येक तरुणाने मनापासून याचा विचार करावा. विस वर्ष जपलेले माहेर सोडून सर्वस्व दयायला जी लक्ष्मी तुमच्या दारी येते तीचे स्वागत करा प्रेमाने तिला जिंका, मग बघा सुख कास दोरी लोळान घेते ते!

भारतीय स्त्रियांच्या महानतेबद्दल सर्वच भाषात अनेक वचने सर्वश्रुत आहेत. यत्र नायस्तु पुज्यते, रमन्ते तंत्र देवता ‘स्त्री गृहलक्ष्मी आहे. प्रत्येक कर्तबगार माणसामागे एक स्त्री असते. ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उध्दारी’ अशी अनेक वचने स्त्री ची महानता व्यक्त करतात. पण याच स्त्री स्वातंत्र्य महती ढोल गव्वार शुद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी अशी वचने हे प्रसिध्द आहे. इथल्या प्रत्येक स्त्रिला वाटत असते, नको हा स्त्रिचा जन्म, याला कारण इथे स्त्रिला मिळणारी दुःखम दर्जाची वागणुक, स्त्रीकडे पाहण्याची पुरुष वर्गाची तुच्छतेची दृष्टी, स्त्रीवर होणाऱ्या या अन्यायाची जाणिव अनेक महापुरुषांना झाली. त्यांनी स्त्रियांच्या अन्यायाला वाचा फोडली.

महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकहितवादी महर्षी

कर्वे, गोपाळ गणेश आगरकर, त्यांनी स्त्री शिक्षणासाठी अथक परिश्रम घेतले. म्हणूनच आजची सुशिक्षित स्त्री आपल्याला दिसते. स्त्रियांच्या विवाहाचे वय कायदयाने वाढविण्यात आले. विधवा विवाह होवू लागले. नोकरी व्यवसायासाठी स्त्री घराबाहेर पडू लागली. या शतकाच्या शेवटच्या दशकात संगणक युग आले.

हिंसाचाराचा अर्थ :

हिंसाचार ही शारीरिक व मानसिक अशी दोन्ही प्रकारची असू शकते. शारीरिक हिंसेप्रमाणेच मानसिक हिंसा देखील निंदनीयच आहे. हिंसाचाराची निश्चित शब्दात आणि सोपी व सुटसुटीत व्याख्या करणे अवघड आहे.

व्याख्या :

राजरोश किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाचा अवलंब करून सत्ता, संपत्ती बळ यसारख्या सामर्थ्यांच्या आधारे आपणास हवी ती गोष्ट दुसऱ्याची इच्छा नसताना तिच्याजवळून बळजबरीने हिसकावून घेण्यासाठी केलेले कष्ट्य म्हणजे (हिंसाचार) अत्याचार होय.

या बळजबरीमुळे दुसऱ्या व्यक्तीला शारीरिक इजा व मानसिक आघात दोन्हीही सहन करावे लागतात. या व्याख्येमुळे अपहरण, बलात्कार, हत्या, लैंगिक शोषण मारहाण छेडखानी ही सर्व अत्याचाराची कृत्ये ठरतात.

स्त्रियांवरील हिंसाचाराची विविध रूपे:

१) कुटुंबांतर्गत हिंसाचार :

मारहाण, आत्महत्याला प्रवृत्त करणे, हुंडाबळी, बलात्कार, लहान मुलांवरील लैंगिक हल्ले, शोषण, स्त्री गर्भहत्या व स्त्री अर्भकहत्या इ.

२) कुटुंबाबाहेर घडणारी हिंसा :

लैंगिक सतावणूक, छेडखानी, चेटकीन म्हणून ग्रामीण व आदिवासी भागात होणारे खून, वेश्यावृत्ती, सती, पुरुषाच्या लैंगिक मागण्यांना प्रतिसाद न दिल्यामुळे स्त्रियांच होणारे खून इ.

हिंसाचाराचे ठळक प्रकार :

१) स्त्री गर्भहत्या व अर्भकहत्या :

गर्भजल परीक्षेसाठी केरियाँनिक व व्हिलाय व्यायाप्सी (c.v.b.Test) या दोन तंत्राचा उपयोग

गर्भातील जन्मज्ञान विकशतीचा छडा लावण्यासाठी गर्भजल परीक्षा केली जाते. परंतु भारता त्यांचा उपयोग प्रामुख्याने गर्भलिंग परीक्षेसाठी केला. गर्भ मुलीचा असल्यास ताबडतोब गर्भपात केला जातो. दरवर्षी लाखो बालीकांना जन्मण्यापुर्वीच मारले जाते. मुलीला जन्मल्यानंतर लगेच मारून टाकण्याची अघोरी प्रथा १९ व्या शतकात राजस्थान व गुजरातमधील काही विशिष्ट जाती व जमातीमध्ये प्रचलित होती. ब्रिटीशांनी १८७० मध्ये स्त्री अर्भक हत्येच्या प्रथेला पायबंद बसावा म्हणून कायदा केला. नवजात बालीकेला दुधाच्या भांड्यांत बुडविणे, खाटेच्या पायाखाली चिरडणे, विषारी फळाचा रस पाजणे अशा क्रूर पध्दतीचा अवलंब केला जात असेल. आज ही प्रथा बऱ्याच प्रमाणात नष्ट झाली आहे. परंतु बदलत्या काळाच्या प्रवाहातही ही कुप्रथा तुरळक प्रमाणात टिकून राहिली.

२) सासरी व माहेरी होणारी मारहाण :

भारतीय समाजाच्या सर्व स्तरात पत्नीला मारहाण करणे ही एक प्रचलित बाब आहे. स्वपत्नीला मारहाण करणे हा आपला विशेष अधिकार आहे असे पुरुषवर्ग मानतो. उध्दटपणा पुरुषांशी बोलणे, घरी उशिरा येणे, थोडक्यात वळण निट नसल्याच्या कारणासाठी माहेरी सुध्दा स्त्रिला मारहाणीला तोंड द्यावे लागते. माहेरी होणाऱ्या मारहाणीपेक्षा सासरी होणारी मारहाण ही अधिक व्यापक व तीव्र, स्वरूपाची असते. स्वयंपाक बिघडणे, अन्य पुरुषांशी संबंध असल्याचा संशय, लैंगिक संबंधांना नकार, घराबाहेर झालेल्या अपमानाचा राग काढणे यासारखी कारणे देवून पत्नीला मारहाण करण्याचा विशेष अधिकार पती वर्ग गाजवीत असतो. दारुच्या नशेत बहाना करून मारणे ही बाब तर सर्वत्र आढळते. अनेकदा पत्नीला होणारी मारहाण ही विनाकारण किंवा अर्थहीन असते. आपले पुरुषत्व सिध्द करण्यासाठी किंवा आपल्या वैफल्याचा राग काढण्यासाठी मारहाण केली जाते.

३) आत्महत्या :

अत्याचाराची शिकार झालेल्या स्त्रिला आपल्यासाठी सर्व मार्ग बंद झालेले आहे असे वाटते. यामुळे काही विवाहित स्त्रिया सारचा त्रास

असहय झाला या कारणासाठी पलायणवाद स्वीकारून आत्महत्येचा मार्ग चोखाळतात.

काही कुटूंबांमध्ये त्रासाची तीव्रता वाढवून आत्महत्येचा मार्ग स्विकारण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. विवाहासाठी दयावा लागणाऱ्या हुंड्याचा भार आपल्या गरीबीच्या स्थितीत जीवन जगणाऱ्या आई वडिलांवर पडू नये या कारणासाठी अनेक तरुण मुलींनी आत्महत्या केल्याची काही उदाहरणे घडली आहेत. थोडक्यात स्त्रियांच्या आत्महत्या या केलेल्या व घडविलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या असू शकतात.

४) हत्या :

स्त्रियांच्या अस्तित्वावर घाला घालणाऱ्या विविध तंत्रापैकी हुंडाबळी सर्वाधिक प्रचलित आहे. मुळात तो हुंड्याच्या नावावर केलेला खून असतो. अनकेदा त्या हत्येच्या मुळाशी हुंडा हे कारण नसते. परंतु कुटूंबात घडणाऱ्या नवविवाहीत तरुण स्त्रियांच्या हत्येला हुंडाबळी हे नांव चिकटविले जाते.

५) बलात्कार व लैंगिक छळ :

लैंगिक सतावणुकीच्या अनुभव प्रत्येक बाईच्या वाटयाला कधी ना कधीतरी येतोच. बलात्कार हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे स्त्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा तिला भिती दाखवून गप्प करण्यासाठी किंवा तिची बंडखोरी चिरडून टाकण्यासाठी सतत प्रभावी असे हत्यार आहे.

हिंसाचाराची कारणे :

१) स्त्रियांवरील हिंसाचाराची कारणे अनेक प्रकारची आहेत. घरातील न्याय व अत्याचाराला भारतीय स्त्रिया अनेक वर्षांपासून तोंड देत आहे. म्हणून या समस्येच्या कारणांचा विचार काही वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात करावा लागतो. जाती व्यवस्थेत ब्राम्हण ही जात उच्च मानली जाते. भारतीय समाजामध्ये ब्राम्हण जातीत स्त्रियांवरील अन्याय पराकोटीला पोहचला होता. स्त्रियांचे पिळवणुकीला धर्माचे व चालीरितीचे अधिष्ठान असल्याचा पगडा जनमानसावर होता. म्हणून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची जाणीव स्त्री व पुरुष कोणालाही नव्हती स्त्रिया आपल्या आयुष्याला निमुटपणे शरण जात होत्या कारण चार भिंतीबाहेरच्या

जगता त्यांना स्थान नव्हते. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार नाकारून एका परीने शुद्ध ठरविण्यात आले. अशी सामाजिक परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी भारतीय समाजात होती.

२) 'मुलगा हा वंशाचा दिवा' ही लिंग संकल्पनेमागील विचारधारा व मुलींचे अयोग्य सामाजिककरण हे ही समस्या निर्माण होण्याचे कारण आहे.

३) अन्याय व शोषणावर आधारीत कोणतीही व्यवस्था टिकवून भरण्यामागे मिथ्याकांचा वाटा महत्वपूर्ण असतो. पिढ्यानपिढ्यांच्या संस्कारातून ही मिथ्याके जनमानसात रुजविली जातात. त्यामुळे लोक त्यांना नकळत स्वीकारतात.

स्त्रियांच्या आरोग्याशी निगडित व स्त्रियांच्या दुःखमत्वाला खतपाणी घालणाऱ्या मिथ्याकांचा विचार केला तरी मिथ्याकांचे महत्व लक्षात येते. उदा:— शारीरिक शक्ती, बुद्धीमत्ता व घराबाहेरील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता ह्या बाबतीत स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. स्त्रीची किंमत केवळ पुत्रवती होण्यावर अवलंबून आहे.

मुलगा व मुलगी होणे आईवर अवलंबून नसते एवढी साधी व शास्त्रीय माहिती लोकांपर्यंत पोहचली तरी स्त्रियांचे जीवन सुखी होवू शकते हा वर्तमानकाळातील अनुभव लक्षात घेतला तरी स्त्री जीवन संबंधाची सर्व मिथ्याके हे या समस्येचे तीसरे महत्वपूर्ण कारण ठरते.

४) अर्थव्यवस्थेतील स्त्री पुरुषपरत्वे श्रविभागणी हे या समस्येचे महत्व पूर्ण कारण आहे. आर्थिक बाबतीत स्त्रियांचे परावलंबीत्व हे त्यांना कुटूंबांतर्गत हिंसाचार मुकाट्याने सहन करावयास भाग पाडते.

५) पुरुषप्रधान संस्कृती हेही याचे कारण आहे. वारसा हक्क, वंश, परंपरा व संपत्तीचा अधिकार या बाबतीत पुरुषांच्या हिताची जपवणुक व स्त्रियांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रभा, परंपरा, चालीरिती निर्माण झाल्या. स्त्रीची अब्रु म्हणजे काचेचे भांडे हा समज वा विश्वास भारतीय समाजात शेकडो वर्षांपासून दृढ आहे त्यामुळे बलात्कार करणारा मुकाट सुटतो. त्यांच्या गुन्हांची शिक्षा स्त्रियांना मात्र आयुष्यभर भोगावी लागते.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कायदा—२००५

भारतीय समाजाचे स्त्रीचे स्थान वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या स्वरूपाचे राहिले आहे. परंतु पितृसत्ताक पध्दतीच्या प्राबल्यामुळे बहुतांश काळात स्त्रियांची अवस्था अबलेसारखीच होती. तिच्यावर अनेक प्रकारांनी अन्याय होत होते. खरे तर आजच्या काळातही या स्थितीत खूप फरक पडला आहे असे नाही. आजही स्त्रिया हिंसाचार, अत्याचाराला तोंड द्यावे लागते.

आधुनिक काळात जगण्यातील नीतिमूल्यांच्या घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासांमुळे स्त्रीच्या अवहेलनेत वाढच झाली. याशिवाय या कुटुंबात अथवा घरात ती स्वतःला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात ती कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी अनेक उपाय योजनले गेले. भारतातही स्त्रीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून सुटका मिळण्यासाठी 'कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा २००५' करण्यात आला आहे.

जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरु असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने २००५ मध्ये अधिनियम मंजूर केला व ऑक्टोबर २००६ पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू—काश्मीर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यामुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले.

स्त्रियांवर होणाऱ्या निरनिराळ्या अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षा व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत खाली दिले गेलेले कायदे अस्तित्वात आहेत.

- अ) भारतीय दंड विधान कायदा, १८६०
- आ) हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१
- इ) सती प्रथा विरोधक कायदा, १९८७
- ई) स्त्रियांचे अशिल्ल प्रदर्शन विरोधी कायदा, १९८६
- ए) घटस्फोट कायदा, १८६९
- ऐ) कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४
- ओ) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा, १९८६
- औ) गर्भलिंग परीक्षण व गर्भपात विषयक कायदा

अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या कायद्यांतर्गत स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण आणखीन प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी हा नवीन 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५' निर्माण झाला. कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते ज्याला आपण आपल्या सर्वांचे सर्वात सुरक्षित स्थळ समजतो. आजपर्यंत बरेच स्त्री अत्याचारविषयक कायदे निर्माण झालेय परंतु घराच्या चार भिंतीआड होणारा हिंसाचार आजवर उपेक्षिलाच होता. ज्या महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठी व त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यासत आला आहे. आपल्या भारतीय प्रजासत्ताकाला ५६ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अशा प्रकारचा महिलांना दिलासा देणारा कायदा अस्तित्वात आला. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षण अहवाल सादर करणाऱ्या एका प्रसिध्द लेखकाचे असे म्हणणे आहे. 'स्त्री ही काळोख्या रात्री सामसूम रस्त्यावर अनोळखी इसमासोबत एकदा सुरक्षि राहिल परंतु घराच्या चार भिंतीमध्ये आपल्याच घराच्या मंडळीमध्ये ती सुरक्षित असेलच असे नाही' वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य हे सर्वदूर पसरलेले होते, पण लोकांच्या नजरेत भरून येण्याइतके व्याप्त नव्हते. बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा हा कायदा आहे. या कायद्याचे नाव आहे— 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५'.

हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन हा स्त्रीचा मानवी

हक्क आहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा निःसंशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहेय तसेच तिच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळा निर्माण करणारा गंभीर दखलपात्र विषय आहे. या टिप्पणीस व्हिएतनाम समझोता, १९९४ आणि बीजिंग अधिघोषणाकृती समितीचे व्यासपीठ (१९९५) यांनी मान्यता दिली आहे. महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटविण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या १९८१ च्या समान शिफारशीनुसार संबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचारविरुद्ध संरक्षण पुरविण्यासाठी पावले उचलावीत आणि तसा कायदा निर्माण करावाय विशेष करून महिलांना कुटुंबात होणाऱ्या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून या संदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्वबाजूंनी स्त्री शोषण थांबविण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला.

ठळक तरतुदी अशा

१. या कायद्याच्या प्रकरण २ कलम ३ नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. जसे कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररित्या हुंड्याची मागणी करून बायकोचा व तिच्या नातेवाइकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा या व्याख्येत समावेश होतो.

२. या कायद्याअंतर्गत जी पीडित स्त्री आहे, त्या स्त्रीची व्याख्या खूप विस्तारित स्वरूपात मांडली आहे. उदा ४९८अ भारतीय दंड विधान या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाच हातो. येथे ही लग्न झालेली स्त्री तर येतेचय शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. याशिवाय पिडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई—वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.

३. कोणतीही पीडित स्त्री किंवा बायको, जी

प्रतिवादीसोबत विवाहासारख्या संबंधातून बांधली गेली आहे, ती आपल्या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलिस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांची मदत होईल. तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षणक अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी, अशीसुद्धा तरतूद आहे.

४. सेवाभावी संस्था (एनजीओ) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारित स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना कायदेशीर हस्तक्षेपाला शिक्कामोर्तब झाला आहे. जी भूमिका ते आजवर पडद्या आडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करणार. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यावयाची असेल तर तो ती माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.

५. अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम १२ (५) नुसार करण्यात आली आहे.

६. या कायद्याच्या प्रकरण चार मध्ये पीडित स्त्रीला साह्याचे आदेश मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे. कलम १२ नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकारी याने न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे विविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुनयात अर्ज करावा.

७. फक्त पीडित व्यक्तीच्या जबानीच्या आधारावरच गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो व न्यायालय गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढून शिक्षा ठोठावू शकते.

कायद्याचा फायदा : सन २००५ मध्ये महिलांचे संरक्षण अधिनियम या कायद्याला मंजुरी मिळाली. सन २००६ पासून या कायद्याची सर्वत्र

अंमलबजावणी सुरु झाली. यात पाच प्रकारचे संरक्षण तत्काळ देण्यात येते. त्यात शारीरिक, मानसिक, मुलांचा ताबा, आर्थिक नुकसान व रोजचा होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे.

संशोधनाचे उद्देश :

- स्त्रि हिंसाचाराची विविध प्रकार व कारणे या विषयी जाणुन घेणे.
- महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचार कोणाकडून होतो या विषयी जाणुन घेणे.

गशहीतके :

- स्त्रि हिंसाचारामुळे महिलामधील उदासिनतेचे प्रमाण वाढत आहे.
- स्त्रि हिंसाचारामागे पुरूषी मानसिकता जबाबदार आहे.

निष्कर्ष आणि गृहीतकृत्याची पडताळणी :

- स्त्रि हिंसाचारामुळे महिलामधील उदासिनतेचे प्रमाण वाढत आहे.

प्रस्तुत संशोधनामध्ये 'मानवी हक्क आणि कौटुंबिक हिंसाचार' या विषयी जेव्हा उत्तरदात्याकडून तथ्यांचे संकलन करण्यात आले. त्याचप्रकारे द्वितीय तथ्य संकलन करण्यात आले. त्यावरून असा निष्कर्ष निघतो कि, आज स्त्रि हिंसाचारामुळे महिलामधील उदासिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. यावरून प्रस्तुत विषयाचे गशहीतके बरोबर सिध्द होते.

- स्त्रि हिंसाचारामागे पुरूषी मानसिकता जबाबदार आहे.

प्रस्तुत संशोधनामध्ये 'मानवी हक्क आणि कौटुंबिक हिंसाचार' या विषयी जेव्हा उत्तरदात्याकडून तथ्यांचे संकलन करण्यात आले. त्याचप्रकारे द्वितीय तथ्य संकलन करण्यात आले. त्यावरून असा निष्कर्ष निघतो कि, आज स्त्रि हिंसाचारामागे पुरूषी मानसिकता जबाबदार आहे. यावरून प्रस्तुत विषयाचे गशहीतके बरोबर सिध्द होते.

समालोचन :

उपरोक्त शोध निबंधामध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत लक्ष घालण्यासाठी स्वतंत्र व परिपूर्ण यंत्रणा निर्माण करण्याच्या हेतूने केंद्रीय शासनाने १९९३ मध्ये एक अध्यादेश लागू केला.

नंतर या अध्यादेशाला संसदेच्या मान्यतेने अधिनियमाचे स्वरूप प्राप्त झाले. यालाच 'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम' १९९३ असे संबोधले जाते.

राजरोश किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाचा अवलंब करुन सत्ता, संपत्ती बळ यसारख्या सामार्थ्यांच्या आधारे आपणास हवी ती गोष्ट दुसऱ्याची इच्छा नसताना तिच्याजवळून बळजबरीने हिंसाकावून घेण्यासाठी केलेले कृत्य म्हणजे (हिंसाचार) अत्याचार होय.

या बळजबरीमुळे दुसऱ्या व्यक्तीला शारीरिक इजा व मानसिक आघात दोन्हीही सहन करावे लागतात. या व्याख्येमुळे अपहरण, बलात्कार, हत्या, लैंगिक शोषण मारहाण छेडखानी ही सर्व अत्याचाराची कृत्ये ठरतात. यावरून असे म्हणता येईल कि, कायदयाच्या माध्यमातून मिळणारे मानवी हक्काची महिलांना आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरता न आल्यामुळे किवा हक्क न मिळाल्यामुळे महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचार होतांना दिसुन येतात.

संदर्भ ग्रथ सुची :

- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (२०१८). कौटुंबिक हिंसाचारापासुन महिला संरक्षण कायदा २००५, प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग मुंबई.
- पाटील, व्ही. बी. (२०१२). मानवी हक्क, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
- पांगुळ-बाराहाते, नंदा (२००९). समाजसुधारक आणि ग्रामिण विकास, आर. बी. प्रकाशन नागपूर.
- पांगुळ-बाराहाते, नंदा (२०१०). समाजकार्य विचारधारा सिध्दांत आणि व्यवहार, आर. बी. प्रकाशन नागपूर.
- कन्हाडे, बी. एम. (२०१०). समाजशास्त्रीय विचार, पिंपळापुणे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर.



भारतीय लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार

डॉ. प्रकाश अभिमान डाके

सहायक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग,
राजर्षी शाहू कला व विज्ञान महाविद्यालय,
वाळुज, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर

सारांश :

या संशोधनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही विषयक विचारांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. लोकशाही ही केवळ राजकीय व्यवस्था नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांशी निगडित जीवनपद्धती आहे, हे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समता नसेल तर राजकीय लोकशाही अपुरी ठरते. त्यांनी वंचित आणि दलित घटकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. या अभ्यासात लोकशाहीची संकल्पना, तिचे प्रकार, तसेच भारतीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. आंबेडकरांनी पाश्चिमात्य लोकशाहीच्या मर्यादा दाखवून भारतीय संदर्भात सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांवर आधारित लोकशाहीची गरज मांडली. शिक्षण, संविधानिक हक्क आणि प्रशासनिक धोरणे यांच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, या संशोधनात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसमोरील आव्हाने जसे की जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता आणि सामाजिक विषमता यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. आंबेडकरांच्या विचारांनुसार, संविधानिक चौकटीत राहून समाजवाद आणि लोकशाही यांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे. समाजातील शोषण आणि अन्याय दूर करण्यासाठी प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी गरजेची आहे.

निष्कर्षतः, भारतीय लोकशाहीची बळकटी ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या अंमलबजावणीवर आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही सामाजिक समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात.

मुख्य शब्द : धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, वंचित व दलित हक्क, संविधानिक मूल्ये, समाजवाद प्रस्तावना :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित व वंचित घटकांना त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही हक्कांच्या प्राप्तीसाठी विशेष महत्त्व दिले. लोकशाहीची मूलभूत पायाभरणी ही लोकांच्या जीवनमानाशी आणि त्यांच्या जीवनदृष्टीशी संबंधित असते. लोकशाहीत लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा असतो, तसेच लोकशाहीची मुळे कितपत रुजली आहेत हेही यावर अवलंबून असते. भारतातील लोकशाहीची उत्पत्ती प्राचीन सांस्कृतिक पार्श्वभूमीतून झाली असली तरी यावर युरोपियन आणि पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव दिसून येतो, कारण ऐतिहासिक नोंदीनुसार भारतावर दीर्घकाळ परकीय सत्ताधीशांचे राज्य होते.

डॉ. आंबेडकर यांनी युरोपियन आणि पाश्चिमात्य सत्ताधीशांवर टीका करताना असे नमूद केले की, त्यांच्या राज्यकाळात सार्वत्रिक धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी समाजात योग्य प्रकारे झाली नाही. त्यांचा लोकशाहीवर दृढ विश्वास होता. त्यांच्या मते, राजेशाहीत राजा लोककल्याणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करू शकत नाही, परंतु लोकशाही व्यवस्थेत वंचित आणि इतर घटकांना धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही हक्क मिळवून देण्याची क्षमता असते, ज्यामुळे शासनाची कार्यक्षमता आणि प्रशासन अधिक प्रभावी होते. त्यांनी युरोपियन आणि पाश्चिमात्य सत्ताधीशांच्या कारभारातील लोकशाही प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला. प्रत्येक देशात सामाजिक शांतता आणि समन्वय राखण्यासाठी एक प्रशासकीय वर्ग असतो. जर या सत्ताधारी वर्गाने आपल्या नियमांचे पालन करण्यात अपयश आले, तर लोकशाही

प्रणाली योग्य न्याय देऊन संतुलन राखू शकते. लोकांचे कल्याण आणि त्यांचे लोकशाही हक्क हे प्रभावी शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असतात.

लोकांच्या हक्कांमुळे लोकशाही देशात शासकीय नियम आणि कायदे प्रभावीपणे लागू होतात, तसेच देशाच्या विकासात स्वशासन आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या गतिशीलतेचा महत्त्वाचा वाटा असतो. डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या उद्दिष्टांमध्ये वंचित आणि दलित वर्गाला न्याय व स्वातंत्र्य देणार्या शासन धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. लोककल्याणासाठी लोकशाही व्यवस्थेत सामाजिक आणि तात्त्विक मूल्यांचा समावेश असतो. सामाजिक नियमांचे पालन आणि त्यांची अंमलबजावणी ही शासन यंत्रणेच्या माध्यमातून धर्मनिरपेक्ष नागरिकांच्या हक्कांनुसार केली जाते. कोणत्याही देशाची आदर्श लोकशाही व्यवस्था प्रामुख्याने संसदीय प्रणालीवर आधारित असते आणि तिची अंमलबजावणी पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. विकसित देशांमध्ये लोकशाहीची प्रगती ही शासनाच्या नियमित अधिकारांच्या वापरावर आणि प्रशासकीय कौशल्यांवर अवलंबून असते.

धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञानाची पार्श्वभूमी आणि त्याची तत्त्वे वंचित आणि दलित वर्गांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असतात. जर ही तत्त्वे लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत राहिली नाहीत, तर संसदीय व्यवस्थेचे अधःपतन होऊन शासनाच्या धोरणांची समाजात अपयशाची चिन्हे दिसून येतात. लोकशाही तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी संसदीय प्रणालीद्वारे साध्य होऊ शकते.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची संकल्पना व व्याख्या:

लोकशाही (Democracy) हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून तयार झाला आहे.. 'Demos' म्हणजे लोक आणि 'Kratos' म्हणजे सत्ता किंवा शासन. लोकांच्या इच्छेनुसार आणि संमतीनुसार चालणारी शासनप्रणाली म्हणजे लोकशाही होय. एखाद्या देशाचे भविष्य हे शासनसंस्थेद्वारे लोकशाही तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होते यावर अवलंबून असते. विविध देशांमध्ये लोकशाहीची संकल्पना त्यांच्या राजकीय परिस्थितीनुसार वेगवेगळी आढळते. लोकशाही ही केवळ

शासनपद्धती नसून ती नागरिकांच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही हक्कांचे जीवन व श्वास मानली जाते. Merriam—Webster या शब्दकोशानुसार, लोकशाही म्हणजे लोकांच्या द्वारे चालवली जाणारी शासनप्रक्रिया होय, ज्यामध्ये बहुसंख्य लोकांच्या निर्णयानुसार शासन चालते. सरकारची सर्वोच्च सत्ता लोकांच्या कल्याणासाठी असते आणि ती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांद्वारे लोकप्रतिनिधींमार्फत राबवली जाते. ग्रीक भाषेत 'लोकशाही' म्हणजे लोकांचे राज्य असा अर्थ होतो, ज्यामध्ये शासनाची सूत्रे बहुसंख्य लोकांच्या हाती असतात. शासनप्रणालीच्या स्वरूपानुसार लोकशाहीचे विविध प्रकार दिसून येतात, जसे की राजेशाही, सरंजामशाही, आणि अल्पसंख्याकशाही इत्यादी. या सर्व प्रकारांमध्ये 'एक', 'काही' किंवा 'श्रेष्ठ' लोकांच्या हातात सत्ता असते, तर लोकशाहीत सत्ता सर्वसामान्य लोकांच्या हातात असते. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी शासन चालवतात आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या क्षमतेनुसार अधिकारांचा वापर करण्याची संधी मिळते. अशा प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ठराविक उद्दिष्टे आणि ध्येय निश्चित केलेले असतात.

लोकशाही प्रणाली आणि संसदीय शासनरचना या प्रामुख्याने लोकांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या जीवनात यश आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी कार्यरत असतात. विकसित देशांमध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि वैचारिक वातावरण शासनाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीस अधिक बळकटी देते. राजकीय परिस्थितीनुसार लोकशाहीचा लोकांच्या जीवनावर प्रभाव पडतो आणि समाजातील प्रगती व समृद्धी यावर त्याचा परिणाम दिसून येतो.

लोकशाही ही एक जीवनपद्धती आहे, ज्यामध ये समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. सहिष्णुता आणि अधिकारांची स्वातंत्र्य ही लोककल्याणासाठी अत्यावश्यक मानली जातात. संसदीय व्यवस्थेत लोकांच्या हितासाठी या मूल्यांची अंमलबजावणी केली जाते. लोकांच्या धर्मनिरपेक्ष पार्श्वभूमीवर समान राजकीय हक्क आणि स्वातंत्र्य

प्राप्त होऊ शकते. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत राष्ट्रप्रमुख हा निवडून आलेला असतो, तर ब्रिटनमध्ये राजेशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. यावरून प्रत्येक देशाची शासनरचना वेगवेगळी असते, परंतु सर्व देश लोकशाही हक्कांची अंमलबजावणी त्यांच्या नियमांनुसार करतात. समाजातील सांस्कृतिक मूल्यांनुसार लोकशाहीची रचना विकसित होते आणि या व्यवस्थेद्वारे नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष जीवन जगण्याची संधी मिळते.

भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चिंतन:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे मांडले की, समाजात आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात नसेल तर केवळ राजकीय लोकशाहीला काहीही अर्थ उरत नाही. इंग्लंड आणि अमेरिका यांसारख्या विकसित देशांमध्ये मजबूत राजकीय लोकशाही आढळते, परंतु रशिया आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये ती सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या तत्त्वांवर आधारित नसल्यामुळे तितकी प्रभावी दिसत नाही. भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष लोकशाही प्रकारातील आहे, जी इंग्लंड व अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या लोकशाहीशी तुलना करता वेगळी आहे. समाजातील जीवनमान, पर्यावरण, जीवनशैली आणि कुटुंबाची पार्श्वभूमी यांचा सामाजिक व आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम होतो. सांस्कृतिक व राजकीय परिस्थितीही काळानुसार बदलत राहते आणि समाजातील सत्तासंबंध व विभाजनावर त्याचा प्रभाव पडतो.

धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी संबंधित अनेक घटकांची प्रभावी अंमलबजावणी समाजातील आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेच्या संतुलनासाठी आवश्यक आहे. पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानातील उदारमतवादी दृष्टिकोनाचा अभ्यास करूनही भारतीय लोकशाहीत काही ठळक सामाजिक समस्या दिसून येतात. विशेषतः भारतातील अस्पृश्यता ही सामाजिक विकासाच्या मार्गातील एक मोठी अडचण ठरली आहे. भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

भेदभाव ही अस्पृश्यांच्या प्रगतीतील प्रमुख

अडचण आहे. भारतीय समाजात लोकशाही मूल्यांची अंमलबजावणी करताना सन्मान, स्वच्छता आणि मूलभूत सेवा यांची आवश्यकता अधोरेखित होते. हिंदू-मुस्लिम भेदभाव आणि विविध राजकीय विचारसरणींमुळे समाजात असमानता निर्माण होते आणि काही समुदायांना दुय्यम स्थान मिळते.

डॉ. आंबेडकरांनी दलित व वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाला सर्वात प्रभावी साधन मानले. शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढा देणे, समस्यांचे निराकरण करणे आणि स्वाभिमान प्राप्त करणे शक्य होते. तथापि, शिक्षण व्यवस्थेतही काही वेळा भेदभाव दिसून येतो, ज्यामुळे वंचित वर्गावर परिणाम होतो. डॉ. आंबेडकरांना बडोदा संस्थानाकडून उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली आणि त्यांनी अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतले. त्यांच्या बुद्धिमत्तेने आणि कार्याने त्यांनी जगभरात आपली छाप पाडली. त्यांनी अस्पृश्य व दलित समाजाला शिक्षण घेऊन जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी प्रेरित केले. त्यांच्या मते, शिक्षणाच्या माध्यमातून वंचित घटकांना न्याय, राजकीय अधिकार आणि सामाजिक प्रगती साधू करता येते. भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या बळकटीसाठी डॉ. आंबेडकरांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यांनी दिलेली प्रेरणा आजही समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मार्गदर्शक ठरते.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवरील डॉ. आंबेडकर यांचे समीक्षात्मक विश्लेषण :

धर्मनिरपेक्ष लोकशाही समाजवाद ही संकल्पना समाजवादाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. त्यांच्या विचारांची तुलनामहात्मा गांधी किंवा कार्ल मार्क्स यांच्या विचारांशी केली असता, भारतीय परिस्थितीतील सामाजिक गुंतागुंती लक्षात घेता त्यांची भूमिका वेगळी आणि स्वतंत्र दिसून येते. लोकशाही व्यवस्थेत समाजवादाची अंमलबजावणी सामाजिक शक्तींच्या समन्वयातून आणि विकासाच्या प्रक्रियेतून साध्य होऊ शकते. आधुनिक राजकीय तत्त्वज्ञानात

लोकशाही तत्त्वे आणि सामाजिक संरचना यांचा समन्वय आवश्यक मानला जातो. सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक रचना आणि औद्योगिक विकास यांचा योग्य संगम घडवून आणल्यास समाजवाद अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित होऊ शकतो. क्रांतिकारी समाजवाद हा राजकीय परिस्थितीनुसार उदयास येतो आणि तो विद्यमान शासनव्यवस्थेत बदल घडवून आणतो. भारतीय संदर्भात, संविधानिक चौकटीत राहून समाजवादाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शासनसत्तेच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणताना धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

भारतातील राजकीय व्यवस्थेत भांडवलशाही आणि समाजवादी विचारसरणी यांचा परस्पर प्रभाव दिसून येतो. समाजातील वंचित घटकांची प्रगती ही राजकीय सत्तेशी निगडित असते. समाजातील शोषणाच्या समस्यांवर उपाय शोधताना कार्ल मार्क्स आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांमध्ये काही प्रमाणात साम्य आढळते, विशेषतः शोषणविरोधी दृष्टिकोनात. एखाद्या देशाची प्रगती ही त्याच्या राजकीय धोरणांवर, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि लोकांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. लोकशाही मूल्ये समाजातील बदलत्या सामाजिक शक्तीनुसार विकसित होत असतात. समाजातील समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक असते. समाजातील शोषण आणि विषमता दूर करण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक रचनेत बदल आवश्यक असतात. मार्क्सवादी विचारसरणीनुसार, समाजाची रचना ही आर्थिक घटकांवर आधारित असते, तर आंबेडकरांच्या मते सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांनाही तितकेच महत्त्व आहे.

भारतीय समाजात जात आणि लिंग या आधारांवर होणारे शोषण दूर करण्यासाठी शासनाच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. परकीय सांस्कृतिक प्रभाव आणि प्रशासनिक नियम यांचाही समाजरचनेवर परिणाम होतो. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही समाजवादाची संकल्पना भारतीय संदर्भात सामाजिक न्याय आणि समताधिष्ठित विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणि सांप्रदायिकता:
डॉ. आंबेडकर यांचे विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही अशी शासनप्रणाली आहे जी संविधानिक हक्कांच्या आधारे समाजातील समस्या सोडवते आणि लोकांच्या लोकशाही वृत्तीच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. विशेषतः वंचित आणि दलित घटकांच्या सामाजिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

शासनसत्तेचा वापर करताना सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा विचार करूनच धोरणांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञानाच्या आधारे शासनाने समाजातील विविध घटकांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे. तथापि, सांप्रदायिकतेच्या प्रभावामुळे काही वेळा समाजातील राजकीय आणि सामाजिक अजेंडा बिघडतो. विशेषतः हिंदू सांप्रदायिक वर्चस्वामुळे काही समुदायांवर अन्याय होण्याची शक्यता त्यांनी दर्शवली. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्था ही लोकशाही मूल्यांच्या अंमलबजावणीत एक मोठा अडथळा आहे. जातिव्यवस्थेमुळे संसाधनांचे असमान वाटप आणि सामाजिक भेदभाव निर्माण होतो. शासनाच्या धोरणांमध्ये या समस्यांचा विचार करून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. संविधानिक तरतुदी आणि धोरणे ही जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत जातीय आधारावर होणारा भेदभाव हा एक गंभीर प्रश्न आहे. यामुळे समाजातील काही घटकांना समान संधी मिळत नाहीत. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी आणि सामाजिक समतेसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. भारतीय समाजात लोकशाही असूनही सांप्रदायिक वातावरणामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. जात आणि धर्म यांच्या आधारावर होणारे विभाजन हे सामाजिक एकात्मतेस बाधक ठरते. अशा परिस्थितीत धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे तत्त्व अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. संविधानिक निर्णय आणि धोरणे ही धर्मनिरपेक्षता आणि सांप्रदायिकतेच्या समस्यांमध्ये संतुलन

राखण्यासाठी महत्त्वाची असतात. शासनाने सर्व नागरिकांना समान न्याय आणि संधी देण्यासाठी निष्पक्ष धोरणे राबवली पाहिजेत. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत वंचित आणि अस्पृश्य घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. जातीय राजकारण आणि भेदभावामुळे समाजात असमानता वाढते. त्यामुळे प्रशासनिक धोरणांमध्ये पारदर्शकता, समानता आणि न्याय या तत्वांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. लोकशाही ही लोकांनी निर्माण केलेली व्यवस्था आहे आणि ती त्यांच्या इच्छेनुसार चालते. लोकांच्या सहभागाने आणि जागरूकतेतूनच धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मजबूत होऊ शकते आणि सांप्रदायिक शक्तींवर नियंत्रण ठेवता येते.

निष्कर्ष :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीविषयक विचारांचा अभ्यास केल्यास असे स्पष्ट होते की, लोकशाही ही केवळ राजकीय व्यवस्था नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक न्यायावर आधारलेली एक व्यापक जीवनपद्धती आहे. त्यांनी लोकशाहीची खरी ताकद ही समाजातील सर्व घटकांना कृ विशेषतः दलित, वंचित आणि दुर्बल वर्गांना कृ समान हक्क, स्वातंत्र्य आणि संधी प्रदान करण्यात असल्याचे ठामपणे अधोरेखित केले. भारतीय लोकशाहीची यशस्विता ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेवर अवलंबून नसून सामाजिक समता, बंधुता आणि न्याय यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि सांप्रदायिकता यांसारख्या समस्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना बाधा आणतात, त्यामुळे या समस्यांचे निर्मूलन करणे अत्यावश्यक आहे. आंबेडकरांनी शिक्षण, संविधानिक मूल्ये आणि जागरूक नागरिकत्व यांना सामाजिक परिवर्तनाची प्रमुख साधने मानले.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही समाजातील विविधतेत एकता निर्माण करणारी प्रणाली आहे. ती सर्व धर्मांना समान स्थान देऊन समाजात संतुलन आणि सहिष्णुता निर्माण करते. मात्र, सांप्रदायिक प्रवृत्ती आणि राजकीय स्वार्थ यामुळे या तत्वांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने पारदर्शक, न्याय्य आणि समताधिष्ठित धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. भारतीय

समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. यासाठी संविधानिक मूल्यांचे पालन, सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

संदर्भ :

१. H. B. Mayo (१९६७), An Introduction to Democratic Theory, New Delhi : Sterling Publication Limited
२. John T. Reid १९७६ 'Democracy Administration and Politics in Modern Democracies' Edited by Sardar Patel Institute of Administration Madras.
३. नवजोत (२००७), डॉ. आंबेडकर यांची लोकशाहीविषयक दृष्टी, पंजाब विद्यापीठ, पृष्ठ क्रमांक २-४.
४. धनंजय कीर (१९९०), डॉ. आंबेडकर : जीवन आणि ध्येय, मुंबई: पॉप्युलर प्रकाशन, पृष्ठ क्रमांक ८.
५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१९७९), लेखन आणि भाषणे, खंड १, मुंबई: महाराष्ट्र शासन, पृष्ठ क्रमांक ३६.
६. एस. एस. नरवाडे (१९९७), डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि भारतीय स्वतंत्र कामगार पक्ष, पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन, पृष्ठ क्रमांक १५६.



२१ व्या शतकातील सर्वसमावेशक वृद्धी आणि शाश्वत विकास

प्रा. डॉ. संजय मारूती पाटील

दादासाहेब जोतीराम गोडसे आर्ट्स, कॉमर्स,
सायन्स कॉलेज, वडूज,
ता.खटाव जि. सातारा (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना:—

एकविसावे शतक प्रगतीचे शतक म्हणून ओळखिले जाते. या शतकात कृषी, उद्योग, व्यापार, वाहतूक दळणवळण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडून आला आहे. त्यामुळे विभागीय समतोलाला तून आर्थिक विकास साध्य होतो. आर्थिक समता व सामाजिक न्यायास उपयुक्त आहे. भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या धोरणाचा लाभ मोठ्या प्रमाणात लोकांना झाला नाही. तो सर्व समावेशक पद्धतीने नसल्याने शाश्वत विकास झाला नाही. व्यापक समाजाहितासाठी सर्वसमावेशक वृद्धी आवश्यक असते. सर्वसमावेशक वृद्धी व शाश्वत विकास कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी असतो.

भारतात आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, दारिद्र्य, बेरोजगारी ही प्रधान आव्हाने आहेत. भारतात सर्वसामान्य आर्थिक स्थिती असणा—या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात विविध योजनात समावेशक वृद्धीच्या दिशेने वाटचाल दिसून येते. देशात गरिबांच्या साठी ज्या विविध योजना आखल्या जातात त्या समावेशक वृद्धीचाच एक भाग असतो सर्वसमावेशक वृद्धी संकल्पनेत यामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ, दरडोई उत्पन्नातील वाढ, शैक्षणिक विकास आरोग्याच्या सोयी, पर्यावरणातील समतोल, लोकांना मुलभूत सोयीसुविधा

समतोल विकास, दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारात वाढ या महत्वाच्या घटकांचा समावेश असतो.

संशोधन अभ्यासाची उद्दिष्टे

१. सर्वसमावेशक वृद्धीचा संकल्पनेचा अभ्यास करणे
 २. शाश्वत विकास संकल्पनेचा अभ्यास करणे
- ### अभ्यासपद्धती

प्रस्तुत संशोधनासाठी लेखासाठी दुय्यम साधनांचा वापर केला आहे. संदर्भ पुस्तके, मासिके, नियतकालिके यांचा आधार घेण्यात आला आहे.

साहीत्याची समीक्षा

१. डॉ. अमर्त्य सेन — नोबेल पारितोषिक विजेते भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ डॉ.अमर्त्य सेनच्या मते, "दारिद्र्याचा प्रत्यक्ष निकटचा संबंध मानवातील मूलभूत क्षमतापासून दूर गेलेल्या गरिबांशी अधिक जवळचा असतो." गरीबांच्या सुप्त शक्तीत व त्यांच्या कौशल्यात जशी वाढ होत जाईल तशी त्या गरीबांना दारिद्र्यापासून मुक्त होण्याची प्रेरणा मिळते. सेन यांच्या मते, दारिद्र्यात घट होण्यासाठी समावेशक वृद्धीची गरज असते आर्थिक वृद्धीच्या प्रक्रियेत मनुष्याला साध्य मानण्यास समावेशक वृद्धीचे विश्लेषण केले आहे. डॉ. सेन यांच्या मते, कृषीक्षेत्र व बिगर कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या उत्पन्नातील विषमता कमी करणे हे समावेशक वृद्धीचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

२. डॉ. अहलुवालिया — डॉ. अहलुवालिया यांच्या मते विकास साधताना विकासाचा लाभ वेगवेगळ्या परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे. आर्थिक विकासाचा लाभ गरीबांच्या झाला पाहिजे. त्यामुळे गरीबांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. समावेशक वृद्धीची संकल्पना दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.

३. ऑर्थर लेविस — दारिद्र्यात घट होण्यासाठी सर्वसमावेशक वृद्धी आवश्यक आहे. आर्थिक विकासात मनुष्याचा सर्वांगीण विकास हा अर्थ अभिप्रेत असतो. विकास म्हणजे निवडीचा विस्तार होय. आर्थिक विकासाचे मनुष्य साधण आहे. आर्थिक विकासातून मानवी विकासाचे उद्दिष्ट मान्य झाले आहे.

४. जागतिक बँक (२००६) — मनुष्य हा घटक विचारात घेऊन आर्थिक वृद्धीची प्रादेशिक व्याप्ती वाढविणे. भविष्यकालीन पिढीसाठी साधनसंपती, बाजारपेठा, संधीतील समानता यांचा विस्तार करणे सर्वसमावेशक विकासासाठी गरजेचे असते.

५. यू.एन.डी.पी अहवाल (२००८)— समावेशक वृद्धी संकल्पना उत्पादन व उत्पन्न यावर जोर देते. समाजातील सर्वप्रकारच्या उत्पन्न घटकातील लोकांचा उत्पादनातील सहभाग, आवश्यक आहे. त्यासाठी आर्थिक वृद्धी व वितरणातील समानता आवश्यक आहे. आर्थिक विकासाचा लाभ सर्वांना व्हावा त्यासाठी सर्व गटातील लोकांचे संघटन गरजेचे आहे.

६. अभिजीत सेन — विविध क्षेत्रातील उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक वृद्धी आवश्यक असते. शेती व शेतीतर क्षेत्रातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक वृद्धी आवश्यक असते. दारिद्र्य निर्मुलन, रोजगार, विषमतेत घट, मूलभूत गरजा, मानवी विकास या बाबी सर्वसमावेशक विकास दर्शवितात.

सर्वसमावेशक वृद्धीची संकल्पना —

एकविसाव्या शतकात जगातील अनेक देशांनी सर्वसमावेशक वृद्धीचे तत्व स्विकारले आहे. देशाचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत आहे. श्रमशक्तिचा विकास कार्यातील सहभाग अपेक्षित मानला जातो. मनुष्याचा सर्वांगीण विकास आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने आर्थिक विकासासाठी नियोजनाचा स्विकार केला. भारताच्या दुसऱ्या—या पंचवार्षिक योजनेत समाजवादी समाजरचनेचे तत्व स्वीकारल्याने सर्वसमावेशक वृद्धी तत्वाचा अवलंब झाला समावेशक वृद्धीची कल्पना लोकांचा वृद्धीच्या प्रक्रियेत समावेश व्हावा असे प्रतिपादन करते.

विकासाचे साध्य मनुष्य असल्याचे मान्य करण्यात आले. देशातील दारिद्र्य निर्मुलनासाठी समावेशक वृद्धी आवश्यक असते. विकसनशील देशात रोजगार वृद्धीतून सर्वसमावेशक विकास साध्य करता येतो. भारतात अनेक योजनांद्वारे रोजगार

निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. देशाच्या विकासात आर्थिक विषमतेचे निर्मूलन आवश्यक असते.

अकराव्या योजनेत ग्रामीण—शहरी आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी हे तत्व मूलभूत मानण्यात आले होते लोकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे, स्त्रीयांचे सबलीकरण, सशक्तीकरण, स्त्री—पुरुष समानता हा समावेशक वृद्धीचा महत्वाचा निकष आहे, मानवी विकासासाठी सर्वांना आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध, पुरेशी, अल्प खर्चात झाल्या पाहिजेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वसमावेशक वृद्धीचे निकष—

भारतासारख्या विकसनशील देशात गरीबी निर्मुलनासाठी समावेशक वृद्धी आवश्यक असते अनेक विकसनशील देशात सार्वत्रिक दारिद्र्य ही मुलभूत समस्या असते. देशातील लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता करता आलीच पाहिजे. अर्थव्यवस्थेतील दारिद्र्य निर्मुलनासाठी शेती, उद्योग, व्यापार, कुठीर उद्योग, लघु उद्योग, विविध व्यवसायातील रोजगारात वाढ आणता येते. शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी न्यूनतम राहणीमानाचा दर्जा प्राप्त करून देणे उचित असते. पुरेशा व माफक मुल्यात जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता करून देणे हे सरकारचे मुलभूत कर्तव्य आहे. सरकारचे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर निमंत्रण असणे आवश्यक आहे. भारताची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता आवश्यक आहे.

भारतासारख्या शिघ्र लोकसंख्येच्या देशात बेरोजगारीची समस्या गंभीर बनत आहे. विविध स्तरातील व्यक्तीच्या उत्पन्न पातळीत समतोल प्रमाणात वाढ घडवून आणण्याच्या दृष्टीने समावेशक वृद्धी महत्वाची असते. रोजगार निर्मिती हा समावेशक वृद्धीचा महत्वाचा निकष असतो. श्रमशक्तीचा विकासात सहभाग वाढविणे हा समावेशक वृद्धीचा उचित मार्ग समजला जातो. भारतात विविध प्रकारे रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. निती आयोग रोजगार वृद्धीच्या विविध योजना राबवित आहे. आर्थिक

व सामाजिक विषमता कमी करण्याचे प्रयत्न केले पाहीजेत.

गरीबांची गरीबी कमी करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत तरच समावेशक वृद्धी शक्य होते. भारतात गरीबांची खरेदीशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करून मागणीची कमतरता दूर होईल. जागतिक बँकेच्या सर्वसमावेशक वृद्धीच्या संकल्पनेत श्रीमंत व गरीब व्यक्तीच्या उत्पन्न पातळीतील विषमता कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे भारतात ग्रामीण व शहरी भागातील विषमता कमी करण्याच्या धोरणास प्राधान्य देण्यात येत आहे. ग्रामीण लोकांना रोजगार व सामाजिक न्याय मिळवून देऊन आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. भारतात ग्रामीण व शहरी भागातील विषमता कमी करण्याच्या धोरणास प्राधान्य देण्यात येत आहे. ग्रामीण लोकांना सामाजिक न्याय मिळवून देऊन आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. स्त्री-पुरुष यांच्यातील आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करण्यावर भर देण्यात येतो. देशातील स्वीया व मुली, यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारणे गरजेचे असते.

मानवी विकासासाठी सर्वांना आरोग्य व शिक्षणाची सुविधा पुरेशी व अल्प खर्चात उपलब्ध झाली पाहीजे. भारतात शैक्षणिक सुविधेचा विस्तार व विकास झपाट्याने होत आहे. यावरील सार्वजनिक खर्च वाढत आहे. सरकार आरोग्याच्या विविध योजनाद्वारे सर्वसामान्य लोकांना मोफत आरोग्याची सोय उपलब्ध करून देत आहे. महात्मा जोतीराव फुले जन अरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आदी आरोग्यविषयक योजना सुरु आहेत. सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे एक सार्वत्रिकरण केले आहे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीची व मोफत केले आहे. मानवी विकासासाठी शिक्षण व आरोग्यावरील मानवी भांडवल गुंतवणूक वाढत आहे. समाजातील सर्व वर्गातील लोकांना विकासाचे फायदे मिळाले पाहीजेत जनधन, योजना, कौशल्य विकास, ग्रामीण रोजगार योजना मार्फत समाजातील

सर्व सामान्य लोकांना लाभ होत आहे.

शाश्वत विकास:—

भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणारा विकास याला शाश्वत विकास असे म्हणतात. भांडवल नैसर्गिक साधन सामग्री दुर्मिळ असते आर्थिक विकास भांडवल व नैसर्गिक साधनसामाग्रीवर अवलंबून असतो. वर्तमानकालीन विकास भविष्यातही टिकून राहणारा असेल तर तो शाश्वत विकास होय. सन १९८७ मध्ये, पर्यावरण आणि विकास यावरील जागतिक ब्रुटलॅंड समितीने प्रथम शाश्वत विकास ही संकल्पना वापरली. चिरकाळ, आधिक काळ टिकणा—या विकासाला शाश्वत विकास असे म्हणतात, आर्थिक विकास करताना पर्यावरणाचा न्हास, व प्रदूषण नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा न्हास होत आहे. शाश्वत विकास हा दीर्घकाळ फलदायी असून चालू व भावी पिढ्यासाठी उपयुक्त आहे. यामध्ये नैसर्गिक साधनसामग्री, भांडवल, पर्यावरणाचे रक्षण व विकास आवश्यक असतो. विकसनशिल देशात अनिरिक्त लोकसंख्येने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा न्हास व प्रदूषण समस्या वाढत आहेत. मोठी धरणे, तलाव, कालवे, नैसर्गिक खतांचा वापर, मजबूत उड्डाणपूल, आरोग्य सोय, जल वाहतूक शाश्वत विकासाचे दर्शक आहेत, वृक्षारोपण झाल्यास वातावरणावर अनुकूल परिणाम होतो. शाश्वत विकासाची संकल्पना ही विकास व पर्यावरण यामधील संबंधाचे स्पष्टीकरण करत असते नैसर्गिक साधनसामग्री शाश्वत वापर आवश्यक आहे. दीर्घकाळ टिकून राहणारी अवस्था म्हणजे शाश्वत विकास होय.

संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची शाश्वत विकासाची संकल्पना—

संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मते, शाश्वत विकासासाठी वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणारा आर्थिक विकास केला जावा. नैसर्गिक साधनसंपत्ती व पर्यावरणाचे संरक्षण आवश्यक आहे. गरिबी निर्मुलन, आरोग्य, शिक्षणाची समान संधी, स्वच्छ उर्जा, अन्नसुरक्षा स्वच्छ पाणी, संसाधनाचा

शाश्वत वापर करणे. वर्तमान कालीन विकास साधून शाश्वत भविष्य निर्माण करता येईल. याप्रमाणे... संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ मध्ये ते स्वीकारलेली १७ उद्दिष्टे स्विकारली आहेत.

१. सर्व प्रकारची गरीबी संपविणे
२. अन्नसुरक्षा आणि कुपाषण दूर करणे
३. निरोगी आयुष्य सुनिच्छित करणे
४. सर्वांसाठी समावेशक व समान शिक्षणाची संधी देणे
५. महिला मुलींना समान शिक्षणाची संधी देणे
६. सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता.
७. परवडणारी आणि अपारंपरिक उर्जा
८. सर्वांसाठी शाश्वत रोजगार आणि आर्थिक प्रगती
९. उद्योग, नावीन्य आणि पायाभूत सुविधा
१०. विषमता कमी करणे
११. शहरे व मानवी वस्त्या सुरक्षित व टिकाऊ बनविणे
१२. संसाधनांचा शाश्वत वापर
१३. हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना....
१४. महासागर व सागरी संसाधनांचे संरक्षक करणे
१५. जमिनीवरील परिसंस्थांचे संरक्षण करणे, पुन संचयन, आणि शाश्वत वापर करणे
१६. शांतता न्याय मजबूत संस्था,
१७. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जागतिक भागीदारी बळकट करणे. ती खालीलप्रमाणे आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मते शाश्वत विकासासाठी भविष्यातील भावी पिढींच्या विकासाबरोबरच भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणारा विकास अभिप्रेत आहे. दारिद्र्य निर्मुलन आवश्यक आहे. लोकांचे आरोग्य सुधारणे गरजेचे आहे. सर्वांना शिक्षणाची समान संधी देणे, शिक्षण सक्तीचे व मोफत करणे व शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. लोकांना मुलभूत पायाभूत सोयी—सुविधा उपलब्ध करून देणे. हवामानातील बदालाचा सामना करण्यासाठी

उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास—

अर्थव्यवस्थेत एकूण उत्पादन वृद्धीदर हा शाश्वततेचा एक महत्वाचा दर्शक आहे. वस्तू व सेवांच्या उत्पादनवाढीवर स्थूल देशांतर्गत उत्पादन अवलंबून असते. एकूण उत्पादन वृद्धीचा दर हा नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भांडवलाची सीमांत कार्यक्षमता, साधनसामग्री वापराचे नियोजन यावर अवलंबून असतो. वर्तमानकालीन व भावी पिढींच्या आर्थिक व सामाजिक, कल्याणासाठी विकास आवश्यक आहे. शाश्वत विकास ही संकल्पना दीर्घकालीन, भविष्याभिमुख, फलदायी विकास असून ज्यांचा संबंध चालू व भावी पिढ्यांशी जोडला जातो.

भारतीय लोकांना सुरक्षित, ताजे व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नाही: सजीवांच्या आस्तित्वासाठी पाणी अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी हे घरगुती, शेती, उद्योग व इतर अनेक वापरासाठी आवश्यक असते. गावातील दूषित पाणी नद्यांना सोडले जाते. नद्यांतील जलप्रदूषण वाढत आहे. स्वच्छ व शुद्ध हवा सध्याच्या तसेच भावी पिढीसाठी उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. शुद्ध हवा ही दैवी देणगी आहे परंतु शुद्ध व ताज्या हवेची दुर्मिळता आहे. शहरात वाढत्या औद्योगिकीकरणाने अशुद्ध पाणी व प्रदूषित हवा आढळते, मानवी आरोग्यासाठी हाणीकारक असते मानवी भांडवल हे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया रूपांतरित करण्यास आवश्यक असते

भारतात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपूल आहे. शुद्ध हवा, पाऊस, सौर उर्जा वायू उर्जा, पाणी, जमिन, जलसंपत्ती, खनिजसंपत्ती विपुल आहे. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर जपून काटकसरीने करावा. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सामग्रीचा अतिरिक्त वापर वेगाने केला जातो. शाश्वत विकासाची संकल्पना ही विकास आणि पर्यावरण यामधील संबंधांचे स्पष्टीकरण करते. नैसर्गिक साधन सामग्रीचा शाश्वत व फलदायी वापर होयकू नैसर्गिक साधनसामग्रीचा शाश्वत वापर आवश्यक ठरतो. सार्वजनिक खर्च व सार्वजनिक लाभ याबाबत

टाल्टनचे विचार उपयुक्त ठरतात. सार्वजनिक उत्पन्नातून लोकांचा त्याग दिसून येतो. सार्वजनिक खर्चातून महत्तम सामाजिक लाभ अपेक्षित आहे.

सर्वसमावेशक वृद्धी व शाश्वत विकास दिर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक ठरतो. देशाचा समतोल विकास अपेक्षित आहे त्यामुळे विभागीय असमतोलाची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. विविध शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांना झाला पाहिजे त्यासाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना नसते. भारतीय शेतकऱ्यांना शासकीय आर्थिक मदतीची गरज आहे.

भारताला दारिद्र्य, अन्न, आरोग्य, शिक्षण आणि असमानता कमी करून आर्थिक विकास साधावयाचा आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे १७ जागतिक उद्दिष्टे ठरविलेली आहेत. दारिद्र्य निर्मूलण पर्यावरणाचे रक्षण, लोकांचे आरोग्य हे प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सर्वाना पुरेसे अन्न व पोषण मिळवून देणे लोकांच्या आरोग्याची जपवणूक करणे सर्वाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे देशाचा समतोल सर्वांगीण विकास करणे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणे.

स्त्री पुरुष समानता निर्माण करणे, आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करणे. भारताचे शाश्वत विकासाचे ध्येय केवळ पर्यावरणीय उद्दिष्टे नसून ती आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहेत, भविष्यातील पिढ्यांसाठी संसाधने जपून ठेवता येतील.

शाश्वत विकास जो नैसर्गिक, संसाधनांचा वापर भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित ठेवून आजच्या गरजा पूर्ण करतो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आणि पर्यावरणीय संरक्षण या तीन घटकांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणी, हवा, खनिज संपत्ती जबाबदारीने वापरणे. शाश्वत विकास म्हणजे आजची व उद्याची काळजी घेणारा, पर्यावरणाचे रक्षण करणारा आणि सर्वांसाठी समान संधी देणारा विकास आहे.

अर्थव्यवस्थेचा संख्यात्मक विकासापेक्षा

गुणात्मक विकास आवश्यक आहे. त्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे खनिजसंपत्ती मर्यादित आहे. त्यासाठी नैसर्गिक खनिज संपत्तीचे जतन करणे सरकारने नैसर्गिक शेतीकडे लक्ष केंद्रित केले. नैसर्गिक शेती काळाची गरज बनली आहे, हवामानातील बदलाने व संकरीत भाजीपालामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

संदर्भ ग्रंथ:-

१. प्रा.के. एम भोसले, डॉ. एस. एम भोसले, डॉ. पी. एच कदम — भारतीय अर्थव्यवस्था (२०१८) फडके प्रकाशन. कोल्हापूर.
२. डॉ मेधा कानेटकर — भारतीय अर्थव्यवस्था — (जुलै—२०१२) श्री साईनाथ प्रकाशन. १, भगवाधर कॉम्प्लेक्स, धरमपेठ, नागपूर.
३. प्रा.डॉ, संजय पाटील— भारतीय अर्थव्यवस्था — विद्या, प्रकाशन, नागपूर.
४. V.R. Puri and S.K Misra. -Indian Economy
५. Ruddar Datt, K.P.M Sundharam - Indian Economy— (1995) S. Chand & Company Ltd. New Delhi – 110055
६. डॉ. लालासाहेब नारायणराव घाटगे— भारतीय अर्थव्यवस्था जून—२०१० डॉ. अनिलकुमार कृष्णराव वावरे, निराली प्रकाशन पुणे.



13

सेवाग्राम :- एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप

प्रा. डॉ. सुधाकर ना. पवार
इतिहास विभाग प्रमुख
पंढरीनाथ महाविद्यालय, नरखेड, जि. नागपूर

सारांश :-

आधुनिक भारताच्या इतिहासात महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा जिल्ह्यातील पूर्वीचे सेगाव व आधुनिक नाव सेवाग्राम असलेल्या गावाला ऐतिहासिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान व महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य आंदोलनाचा फार मोठा काळ सेवाग्राम येथे वास्तव्य करून घालविला आहे. इ.स.१९३५ च्या भारत सरकार अधिनियमावर बहिष्कार घालण्याचा काँग्रेसचा निर्णय सेवाग्रामलाच झाला. प्रांतिक स्वायत्तता तत्त्वानुसार घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीतील काँग्रेसचा महत्त्वाचा निवडणूक जाहीरनामाही सेवाग्राम येथूनच घोषित करण्यात आला. काँग्रेस बहुमतात असलेल्या प्रांतामध्ये सरकारने गांधीजींना दिलेल्या हमीनंतर काँग्रेसने अधिकार ग्रहण करण्याचा निर्णय सेवाग्रामलाच घेतला. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात भारतीयांचा आणि काँग्रेसचा कौल न घेता भारताला महायुद्धाच्या खाईत ब्रिटिशांनी लोटले. त्याचा निषेध सेवाग्राममधूनच करण्यात आला. केवळ शाब्दिक निषेधावरच न थांबता काँग्रेस प्रांतामधील लोकनियुक्त सरकारांना सत्तात्याग करण्याचा आदेशही सेवाग्राममधूनच देण्यात आला. गांधीजींनी १९४० च्या वैयक्तिक सत्याग्रहाची सिद्धता सेवाग्राममधूनच केली. सेवाग्रामच्या बाजूलाच असलेले पवनार आश्रमातील विनोबा भावे हे वैयक्तिक सत्याग्रहातील देशाचे पहिले सत्याग्रही होते. भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्याला प्रभावी हादरा देणाऱ्या

छोडो भारत अथवा चलेजाव आंदोलनाचा निर्णय सेवाग्राम मधूनच घेण्यात आला. छोडो भारत सत्याग्रहाची युद्धनीती सेवाग्राम मध्येच ठरविण्यात आली. वर्धा ठराव येथेच पारित करण्यात आला. त्याच आधारावर ७ व ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टॅक मैदानावर भरलेले अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन व तेथून छोडो भारत चळवळीचे फुंकण्यात आलेले रणसिंग व देशभर झालेल्या हालचाली फार महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

प्रस्तावना :-

भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले सेवाग्राम म्हणजे तत्कालीन भारताची अशासकीय राजधानी बनली. महात्मा गांधींनी इ.स. १९३४ मध्ये वर्ध्यात स्थलांतर केल्यापासून भारताचे भवितव्य घडविणारे अनेक अतिशय महत्त्वाचे निर्णय सेवाग्राम मधून घेण्यात आले. तेव्हापासूनच काँग्रेस आंदोलनाचे सूत्रसंचालनही सेवाग्रामहून होऊ लागले. महान दानशूर, दाता, गांधीवादी साधक, विशाल क्रियाशीलता व वैराग्यमूर्ती असलेले जमनालालजी बजाज यांचे राष्ट्रवादी कार्यातील स्थान फार मोठे आहे. महात्मा गांधी व जमनालालजी बजाज यांच्या प्रेरणामुळे अखिल भारतीय पातळीवर विधायक कार्य करणाऱ्या अनेक गांधीवादी संस्था सेवाग्रामला उदयास आल्या. स्वाभाविकपणे वर्धा, सेवाग्राम, पवनार हा परिसर देशप्रेमी भारतीयांचे तीर्थक्षेत्र बनला. राष्ट्रवादी चळवळीचे केंद्रस्थान असलेल्या सेवाग्रामला तत्कालीन जवळजवळ प्रत्येकच पुढार्यांचे वेळोवेळी येणे जाणे चालत असे. एवढेच नव्हे तर जागतिक दर्जाच्या असंख्य राजकीय पुढार्यांचे व विचारवंतांचेही आगमन सेवाग्रामला झाले. वर्धा— सेवाग्रामचा इ.स. १९३४ पासूनचा इतिहास स्फूर्तीदायक तसाच बोधप्रत आहे. महात्मा गांधींनी स्वराज्य, शांतीचा संदेश संपूर्ण जगाला सेवाग्राममधूनच दिला.

विषय विवेचन :-

वर्धा येथील दानशूर शेट जमनालालजी बजाज हे गांधीजींचे शिष्य होते. त्यांनी इ. स. १९२१ पासून काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष म्हणून अति

महत्त्वाची कामगिरी चोखपणे पार पाडली. गांधीजी त्यांना आपला “पाचवा पुत्र” मानीत होते. खेडा सत्याग्रह, चंपारण्य सत्याग्रह व रोलेक्ट सत्याग्रहानंतर गांधीजींनी उभारलेल्या असहकार आंदोलनात जमनालालजींची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. साबरमती आश्रमाचे कार्य पाहून प्रभावित झालेल्या जमनालालजींनी आश्रमाचे स्थलांतर वर्ध्यास करण्यासाठी गांधीजींना विनंती केली. परंतु साबरमती आश्रमाचे स्थलांतरण न करता त्याची एक शाखा वर्ध्यात काढण्यास गांधीजींनी अनुमती दिली. इ.स. १९३० च्या सविनय कायदेभंग आंदोलनासाठी साबरमती आश्रमातून प्रयाण करण्यापूर्वी गांधीजींनी दृढ निश्चय केला होता की, संपूर्ण स्वराज्य मिळाल्याखेरीज साबरमतीला परत येणार नाही. साबरमतीचा निरोप घेऊन गांधीजी १२ मार्च १९३० रोजी दांडी यात्रेला निघाले. तथापि सविनय कायदेभंग आंदोलनातून संपूर्ण स्वराज्य प्राप्ती झाली नाही. गांधीजींना आपली प्रतिज्ञा कायम ठेवायची होती म्हणून ज्यावर विलक्षण प्रेम केले होते त्या साबरमती आश्रमात ते परतले नाही. दरम्यान सप्टेंबर १९३३ मध्ये गांधीजी वर्ध्याच्या कन्याश्रमात राहावयास गेले. अशा परिस्थितीत जमनालालजी बजाज यांनी गांधीजींना वर्ध्यास कायम वास्तव्य करण्याबाबत विनंती केली. त्यानुसार काँग्रेसच्या २९ ऑक्टोबर १९३४ च्या मुंबई अधिवेशनातून गांधीजी थेट वर्ध्याला गेले व कन्याश्रमामध्ये वास्तव्य करू लागले. तेव्हापासून त्यांनी स्वतःला रचनात्मक कार्यास वाहून घेतले. पुढे २० फेब्रुवारी १९३५ रोजी गांधीजींनी जमनालालजींच्या बागेतील आश्रमात स्थलांतरण केले. त्या स्थानाला पुढे ‘मगनवाडी’ हे नाव प्राप्त झाले. वर्ध्यासारख्या नगरात राहण्यापेक्षा खेडेगावात आपल्या कार्याची उभारणी करण्याचा गांधीजींनी निश्चय केला. एप्रिल १९३६ मध्ये लखनऊ येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनातून परत येताना गांधीजींचा मुक्काम नागपूरला होता. खेड्यामध्ये राहण्याचा आपला निश्चय त्यांनी तेथेच प्रकट केला. त्यानुसार दिनांक १७ एप्रिल १९३६ रोजी वर्ध्याच्या आग्नेय दिशेला आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सेगावला

जाऊन गांधीजींनी तेथे स्थायिक होण्याचा आपला मनोदय तेथील गावकर्यांकडे व्यक्त केला. सेगाव प्रामुख्याने हरिजन वस्तीचे गाव असून ते जमनालालजी बजाज यांच्या मालगुजरीत येत होते. रस्ते, डाक व तार घराचा अभाव असलेल्या सहाशे लोकवस्तीच्या या गावात राहण्याचा गांधीजींचा निर्धार त्यांच्या बहुसंख्य सहकार्यांना पसंत नव्हता. तरीसुद्धा त्यांनी आपला निर्धार प्रत्यक्षात आणला. दिनांक ३० एप्रिल १९३६ रोजी गांधीजी वर्धा येथून सेगावला चालत गेले. तेथे त्यांच्यासाठी तेव्हा निवाराही नव्हता. बांबूच्या ताट्यांची एक झोपडी उभारण्यात आली. तेथेच त्यांनी आपल्या कामाचा प्रारंभ केला. जून महिन्यामध्ये एक कुटी तयार झाली. ही कुटी म्हणजे सेवाग्रामला असलेले सध्याचे “आदिनिवास” होय. जुलैमध्ये कस्तुरबा, मनू गांधी, डॉ. खान साहेब व तुकडोजी महाराज आदी निवासामध्ये येऊन दाखल झाले व तेथेच राहू लागले. सेगावची निवड जमनालालजीमुळे झाली असा सर्वसाधारण समाज आहे. तशीही सेगावची जमीन जमनालालजींनी दान केली असली तरी सेगावची निवड पूर्णपणे मीराबेनची होती. मीराबेनचे मूळ नाव मेंडेलीन स्लेड असून एका ब्रिटिश अॅडमिरलची ती मुलगी होती. गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाकडे आणि सत्याग्रही आंदोलनाकडे आकृष्ट होऊन कुमारी मेंडेलीन इ.स. १९२५ मध्ये गांधीजींची शिष्या बनली एवढेच नव्हे तर ती मानस कन्यासुद्धा बनली. खरे तर गांधीजी पूर्वीच मीराबेन सेवाग्रामला स्थायिक झाल्या होत्या. त्यांच्याच इच्छेनुसार गांधीजींनी सेवाग्रामची निवड केलेली होती. गावाचे नाव सार्थ करण्यासाठी गांधीजींनी ५ मार्च १९४० पासून सेगावचे ‘सेवाग्राम’ असे नाव ठेवले. तेव्हापासून सेवाग्रामचे अमलाग्र परिवर्तन होऊन तेथे भारताची राष्ट्रीय राजधानी उदयास आली. यथावकाश तेथे नजीकच्या मुंबई – नागपूर लोहमार्गावर रेल्वे स्थानक उभारण्यात आले.

प्रारंभी गांधीजी सेवाग्रामला आल्यावर आपल्या परिवारासह अदिनिवासात राहत असत. आदि निवासापासून २२.८६ मीटर अंतरावर मीराबेननी स्वतःसाठी कुटी बांधून घेतली. पुढे आदिनिवासात

खूप गर्दी झाल्यावर गांधीजी मीराबेनच्या कुटीत राहण्यास गेले व मीराबेननी आपल्यासाठी दुसरी कुटी बांधली. या दोन्ही कुटींना अनुक्रमे बापू कुटी व बापू दप्तर अशी नावे देण्यात आली. बापू कुटी ही सिंदीच्या झाडाची पाने मातीने लिपून बांधलेली आहे. कुटीवर गावठी कवले असून आतील बापूंची बैठक खादीच्या शुभ्र कपड्याने आच्छादली आहे. इथूनच गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीची सूत्रे हलविली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे बापू कुटीतील गांधीजींच्या तीन “तत्त्वज्ञ माकडांच्या” लाकडी प्रतिमा होय. बापू कुटीतील स्वयंपाक कक्ष, स्नानगृह व शौचालय सुद्धा विशेषतापूर्ण आहे. बापू कुटीचे जसेच्या तसे जतन करण्यात आलेले आहे. गांधीजींच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी यांची कुटी बा कुटी म्हणून ओळखली जाते. प्रथम त्यांचे वास्तव्य गांधीजीं समवेत आदी निवासामध्ये होते पुढे ते गैरसोयीचे वाटल्याने जमनालाल बजाजांनी गांधीजींच्या संमतीने कस्तुरबांसाठी स्वतंत्र कुटी उभारली. छोडो भारत आंदोलना आधी २ ऑगस्ट १९४२ रोजी त्यांनी गांधीजी समवेत सेवाग्राम सोडले. आगाखान पॅलेस नामक तुरुंगातच त्यांचे निधन झाल्यामुळे त्या आपल्या कुटीत परत आल्याच नाहीत. बापू कुटी व बा कुटी बांधल्यानंतर आदीनिवासाचा उपयोग अतिथी गृहासारखा होऊ लागला.

जमनालाल बजाज यांनी बापू कुटी व बा कुटीच्या मध्ये स्वतःसाठी बांधलेल्या जमना कुटीचा अनेक वेळा गांधीजी उपयोग करीत असे. इ. स. १९४६ मध्ये गांधीजी खोकल्याने आजारी असता वैद्यकीय सल्ल्यानुसार या कुटीत राहू लागले. २५ ऑगस्ट १९४६ रोजी गांधीजी याचकुटीतून दिल्ली व पुढे नवखालीस हिंदू मुसलमान दंगे शमण्यासाठी गेल्यावर पुन्हा ते सेवाग्रामला परत आले नाहीत. म्हणून या कुटीला आखरी निवास म्हणतात. या कुटीचे जोते इतर कुट्यांपेक्षा उंच आहे. बापू कुटी समोरच महादेवभाई देसाई यांच्यासाठी महादेव कुटी बांधण्यात आलेली आहे. तर किशोरलाल मशरूवाला यांच्यासाठी किशोर कुटी तयार करण्यात आली होती. याशिवाय शेठ रुस्तमजी जीवनजी यांचे पुत्र

जाल भाई यांनी आश्रमात येणाऱ्या पाहुण्यांची व्यवस्था व्हावी म्हणून रुस्तम भवन बांधले होते.

इ. स. १९३६ ते १९४६ या दहा वर्षांच्या काळात महात्मा गांधींच्या सेवाग्राम येथील वास्तव्यात अनेक क्रांतिकारी घटना घडल्या. त्याचा खोल ठसा देशाच्या राजकीय व सामाजिक जीवनावर पडला. भारताच्या इतिहासातील नवे पर्व सुरू झाले. गांधीजींच्या खेड्याकडे चला या संदेशानुसार ते स्वतः सेगावला येऊन राहिले. ग्रामीण जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी १८ कलमी रचनात्मक कार्यक्रम दिला. त्यात खादी उत्पादन, स्वदेशी, ग्रामोद्योग, नई तालीम, राष्ट्रभाषा, कृष्ट सेवा इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबी होत्या. सेवाग्राम येथे राहून गांधीजींनी अनेकविध संस्था उभारल्या. त्यामध्ये गांधी सेवा संघ, चरखा संघ, गोसेवा संघ, हरिजन सेवक संघ, कुष्ठरोग सेवा समिती, मगन संग्रहालय, नीई तालीम संघ, कस्तुरबा ट्रस्ट, निसर्गोपचार आश्रम इत्यादी प्रमुख संस्था होत्या. परचुरे शास्त्री या संस्कृत पंडिताच्या कुष्ठरोगावर गांधीजींनी स्वतः उपचार केले. त्यांच्यासाठी त्यांनी बापू कुटीच्या पूर्वेस थोड्या अंतरावर एक कुटी बांधून घेतली होती.

निष्कर्ष :-

इंग्लंडचा उमराव लॉर्ड लोथियन जून १९४० मध्ये गांधीजींच्या विनंतीनुसार तीन दिवस सेवाग्रामला मुक्कामी होता. त्यावेळी त्याचे मनोगत असे होते की “माझ्या संबंध जीवनात हे तीन दिवस जसे शांतीत गेले तसे कधीही, कुठेही गेले नाहीत. असा एकांतवास मला कधीच मिळाला नाही.” इ. स. १९३६ मध्ये खान अब्दुल गफार खान गांधीजीसोबत सेवाग्रामला राहिले. खादी कार्यक्रम विकासाची जबाबदारी गांधीजींनी आपला नातू कृष्णदास गांधी यांच्यावर सोपविली व कस्तुरबा रुग्णालयाजवळ खादी कार्यकर्ता निवास आणि खादी विद्यार्थी क्षात्रालय बांधण्यात आले. विख्यात अमेरिकन पत्रकार लुई फिशरने जून १९४२ च्या पहिल्या आठवड्यात सेवाग्राम ला भेट दिली होती. महात्मा गांधींनी इथूनच चर्मोद्योग, सुतारकाम, कुंभारकाम, तेलगाळना, मधुमक्षिका पालन इत्यादी ग्रामोद्योग सुधारित पद्धतीने करण्याचे

प्रोत्साहन दिले. सेवाग्रामला त्यांनी वन महोत्सव सुरू केला. बापू कुटीसमोरील पिंपळ वृक्ष गांधीजींनीच लावला. आश्रमातील सर्व वास्तू स्मारक म्हणून सुरक्षित राहाव्यात म्हणून सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान नावाची संस्था १९६८ पासून कार्यरत आहे. ही संस्था नई तालीमचेही संचालन करते. गांधीजींच्या वेळेपासून सुरू असलेली सामूहिक प्रार्थना आजही चालू आहे. पहाटेची प्रार्थना बापू कुटीत व सायंकाळची प्रार्थना प्रार्थनाभूमीत होते. आश्रमात किशोरकुटी समीप छोट्या भूखंडात सामूहिक शेतीद्वारा श्रमसाधना केली जाते. भारत सरकारच्या पर्यटन विभागातर्फे आश्रमासमोर अलीकडेच एक यात्री निवास सुरू करण्यात आले आहे. त्याची व्यवस्था आश्रमाकडेच आहे. येथील कस्तुरबा हॉस्पिटल कस्तुरबा गांधींच्या स्मृतिप्रित्यर्थ १९४४ मध्ये स्थापन झाले असून त्याला लागूनच १२ ऑगस्ट १९६९ रोजी डॉ. सुशीला नायर यांनी महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे.

संदर्भ ग्रंथ सुची :-

- १) कानेटकर, मा.ज.—नागपूर प्रांताचा इतिहास, ना.ग. खरे नागपूर, १९३५
- २) केळकर, श्रीपाद—छोडो भारत १९४२, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे, १९८३
- ३) कंटक, प्रेमा—पुण्यधाम सेवाग्राम, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, १९६९
- ४) कृष्णन, व्ही. एस. (संपा)—हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश शासन नागपुर, १९५६
- ५) चौघरी, डॉ. की. का. (संपा) — महाराष्ट्र राज्य गॅजेट वर्धा जिल्हा, दार्शनीका विभाग महाराष्ट्र शासन, १९९२.



14

आशा बगे यांच्या साहित्यातील नायिका

मोहिनी दिनकर किन्हीकर

प्रा. डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे
प्राध्यापक, मराठी विभाग,
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

डॉ. शैलेंद्र धर्मदास लेंडे
मराठी विभागप्रमुख व मराठी विभाग
संशोधन केंद्रप्रमुख
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ,
नागपूर

प्रस्तावना:

आशा बगे या विदर्भातील ज्येष्ठ साहित्यिक. त्यांच्या 'भूमी' या कादंबरीसाठी २००४ मध्ये साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे. तसेच कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा 'जनस्थान' पुरस्कार मिळाला आहे. अनेक पुरस्कारप्राप्त आशा बगे यांच्या 'सेतू', 'भूमी', 'त्रिदल' या गाजलेल्या कादंबऱ्या आहेत. तर 'मांडव', 'निसटलेले', 'चंदन', 'ऑर्गन', 'मारवा', 'दर्पण' इत्यादी कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

त्यांनी दीडशेच्यावर कथा लिहिलेल्या आहेत. त्यांच्या कथात्मक साहित्याचा विचार केला असता असे दिसून येते, की त्यांच्या नायिका या वेगळ्या आहेत, आपले वेगळेपण जपणाऱ्या आहेत.

शोध निबंधाची उद्दिष्टे :

१) आशा बगे यांच्या कथा साहित्यातील नायिकांच्या गुणवैशिष्ट्यांचा शोध घेणे.

२) आशा बगे यांच्या कादंबरी साहित्य प्रकारातील नायिकांच्या गुणवैशिष्ट्यांचा शोध घेणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधाचे लेखन करताना विषयाच्या संदर्भातील उपलब्ध कथा—कादंबऱ्या, विविध वृत्तपत्रातील समीक्षात्मक लेखन, मुलाखती, डिजिटल माध्यमातील त्यांचे साहित्य इत्यादी विविध माध्यमांचा उपयोग केलेला आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी आशा बगे यांच्या कथा कादंबऱ्यांचे वाचन केले, त्यांचा अभ्यास केला. त्यांच्या 'मारवा', 'ऑर्गन', 'निसटलेले' या कथासंग्रहातील कथा वाचल्यावर लक्षात येते, की त्यांच्या नायिका या बुद्धिमान, चिंतनशील आहेत. त्यांना कशाचा तरी ध्यास आहे.

त्यांच्या अंतर्मनात कसला तरी शोध सुरू आहे आणि त्या 'शोधाचा प्रवास' म्हणजे त्यांच्या कथा होत.त्यांच्या कथांना कथानक म्हणजे गोष्ट अशी नसते. ..त्यांच्या कथांमध्ये त्यांच्या नायिकेचा हा प्रवासच दर्शवलेला आहे. हा प्रवास त्यांच्या मनातून, त्यांच्या मनातील द्वंद्वतातून दिसून येतो.

मानसशास्त्रात मॉस्लोचा प्रेरणांचा प्राधान्यक्रम 'आहे. यात त्यांनी 'प्रेरणांचे' संशोधन करून त्यांची प्राधान्यतत्त्वानुसार मांडणी केली आहे. त्यानुसार तहान, भूक, लैंगिक गरजा यासारख्या एकदम प्राथमिक स्तराच्या प्रेरणा होत. त्यानंतर सुरक्षितता, प्रेम या प्रेरणा...त्यानंतर पैसा, आत्मप्रतिष्ठा यासारख्या प्रेरणा तर सर्वात शेवटची प्रेरणा म्हणजे आत्मविष्कार होय. ही प्रेरणा सर्वांच्या आयुष्यात पूर्ण होत नाही किंवा तिचा ध्यासही सर्वांनाच नसतो. मानवातील फक्त एक टक्के लोकच त्यासाठी प्रयत्न करतात व त्यातील काहीच त्या 'आत्मविष्कार' या संज्ञेपर्यंत जाऊन पोहोचतात .

आशा बगे यांच्या कथेतील नायिका या बुद्धिमान, चिंतनशील तसेच उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांच्या प्राधान्यतत्त्वावरील प्राथमिक गरजा या पूर्ण झालेल्या आहेत आणि म्हणून मग त्यांचा अंतर्मनात आत्मविष्काराचा शोध सुरू आहे.

अब्राहम मॉसलो (Abraham Maslow) याने मांडलेले आत्मविष्कार, आत्मशोध करणाऱ्या माणसांचे गुण बघितले असता असे लक्षात येते, की आशा बगे यांच्या कथा कादंबऱ्यातील पात्रे त्या उतरंडीतील सर्वात वरच्या पातळीवर आहेत. त्यांचा स्वतःचा शोध सुरू

आहे. ती सर्जनशील तर आहेतच,पण त्याचबरोबर त्यांना सामाजिक कार्याचा ध्यास आहे.

१) 'उत्सव' या कादंबरीतील नायिकेचा विचार केला असता, ती आपल्या घरगुती जबाबदारी या योग्य प्रमाणे निभावते. नवऱ्यालाही साथ देते. तिला त्याचा अहंभावी स्वभाव आवडत नसला तरीही त्याच्या गरजा पूर्ण करते,पुर्वते पण अल्पपणे! त्याचा मृत्यू झाल्यावर ती कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्रात सामाजिक काम करायला म्हणून जाते. तिला घरादाराचा मोह रोखू शकत नाही.ती आपल्या निर्णयावर ठाम राहते.

२) 'मांडव' या कथासंग्रहातील 'मांडव' या कथेतील नायिकेला शिक्षण घ्यायचं असते, लग्न करायचे नसते आणि म्हणून लग्नाच्या वेळेस ती घरात राहत नाही. मॉसलोच्या नियमाप्रमाणे हे लोक दृढ निश्चयी असतात. आपल्या मतांवर ठाम असतात प्रामाणिक असतात. याचा प्रत्यय आशा बगे यांच्या कथेत आपल्याला वारंवार दिसून येतो.

३) 'देखणा देहांत होतो' या कथेतील नायिका मृत्यूशय्येवर पडलेल्या रुग्णाला ती 'त्याची बायको असल्याचा' दिलासा देते. तिथे दोन क्षण का होईना ती त्याच्या बायकोच्या भूमिकेत जाते, केवळ त्याला मरण चांगले यावे म्हणून! ही जी दुसऱ्यांकरता काही करण्याची वृत्ती आहे, ती आशा बगे यांच्या नायिकांमध्ये आपल्याला ठायी ठायी दिसून येते .

मॉसलो म्हणतो त्याप्रमाणे ती इतरांचा विचार करतात, इतरांच्या भावनांची कदर करतात. इतरांचाही सन्मान करतात, पण त्याचवेळी स्वतःचा सन्मानही जपून ठेवतात.

४) 'आजीचे आत्मचरित्र' या कथेतील आजी विदर्भातील एका कोरडवाहू दुष्काळी भागात स्त्रियांचे बचत गट स्थापन करून त्यांना साड्या विणण्याचे प्रशिक्षण देते, त्यांचे विपणनही शिकवते आणि गावाला आत्मनिर्भर बनवते. मॉसलोने 'सेल्फ अॅक्च्युलीयझेशन' असलेल्या व्यक्तींची लक्षणे सांगितलेली आहेत, की त्यांना समाजकार्याची आवड असते, तीही आशा बगे यांच्या कथेत आपल्याला दिसून येतात.

५) 'प्रतिद्वंद्वी' या आशा बगे यांच्या

कथासंग्रहातील 'सखी' ही कथा भावनिक बुद्ध्यांक असलेल्या नायिकेची कथा आहे. नावाप्रमाणेच ती नवर्याची, मुलाची, तिच्या भाच्याची, मैत्रिणीची सखी आहे. सखी म्हणजे जिच्याजवळ सुखदुःख आपण सांगू शकू आणि जी आपल्याला चांगला सल्ला देईल. त्यामधली पहिली अट म्हणजे तिने स्वतःची स्वतः सखी असणे गरजेचे आहे. या कथेतील नायिकाही खऱ्या अर्थाने सखी आहे. तिचा भावनिक बुद्ध्यांक चांगला आहे. ती तिच्या नवर्याशी जुळवून घेते, मुलाला समजून घेते तर आपल्याच कंपनीत असणाऱ्या भाच्याला 'बाहेरच्या क्षेत्रात जाऊन तुझं करिअर कर,' असं मोकळेपणाने सांगण्याचे धारिष्ट्य तिच्यात आहे. ती नेहमी लोकांच्या करिअरचा, सुखाचा विचार करते परंतु आपण आपण सल्ला दिल्यामुळे भाचा अमेरिकेत गेल्यामुळे, आपला नवरा फॅक्टरीत एकटा पडला, याबद्दलही तिला वाईट वाटते आणि हा आपला निर्णय बरोबर होता का? याबद्दल विचार करायला ती प्रवृत्त होते. ती आपल्या निर्णयाचे पुनरावलोकनदेखील करते मुलगा घरातून निघून गेल्यावरही त्याच्याशी सुसंवाद ठेवणारी, त्याच्याशी संबंध ठेवणारी ही सखी त्याने मागितलेले पैसे, भाडे द्यायला निर्धाराने ती 'नाही' म्हणते आणि या निर्णयाचे तिला थोडे-फार वाईट वाटते, पण ती ठामपणे नकार देते. कोणाला कुठपर्यंत मदत करायची, कुठपर्यंत सांभाळून घ्यायचे आणि कुठे थांबायचे हे त्या नायिकेला बरोबर कळते.

६) 'आकाश' या कादंबरीतील नायिका ही सतत भीतीत असते, सतत ती घाबरलेली असते, परंतु ती भीतीवर हळूहळू अड्डहासाने मात करते. 'आकाश' कादंबरी ही तिला भीतीवर मात करून तिला आकाश खुणावत आहे, अशी ही कथा आहे. नंतर ती इतकी कणखर बनते की स्वतःचे निर्णय स्वतः घेते, एका शाळेत नोकरी करते आणि मैत्रिणीच्या मुलाला स्वतः सांभाळण्याचा निर्णय घेते.

७) त्यांच्या कादंबऱ्यातील नायिका या सुशिक्षित, सुसंस्कृत आहेत. 'सेतू' कादंबरीतील नायिका ही पीएच. डी. करित आहे तर 'मुद्रा' या कथेतील नायिका शिक्षिका आहे, संगीताची ती अभ्यासक आहे. 'मुद्रा' कथेतील नायिकेची आईसुद्धा शिकलेली आहे. तिने

लोकगीतांवर पुस्तक प्रसिद्ध केलेले आहे. 'शुंबर' या कादंबरीतील नायिका डॉक्टर आहे. 'भूमी' या कादंबरीतील मैथिली ही पीएच.डी. झालेली असून ती महाविद्यालयात प्रोफेसर आहे. तिची पुस्तकेदेखील प्रसिद्ध झालेली आहेत.

८) लेखिकेच्या साहित्यातील स्त्री पात्रांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या संसारात राहून अलिप्त राहतात. त्यांच्यात निर्लेपता आहे. नायिका विचार करते, 'बबी मावशीमुळे तर दादा निश्चित आहेत. एक बाजू बघावीच लागत नाही. आईच्या बरोबर असताना दादा असे नव्हते. त्यांच्या जेवणा-खाण्याच्या वेळा वगैरे ती सांभाळत बसत नव्हती. तिची शाळा तिने वाढवली. स्वयंपाक करून ती निघून जाई. दादा वाढून घेत. दोघांचे दोन संसारही झाले. तरी काही बिघडलं नाही. आईने स्वतःला असं दादांना जखडून घेतलं नव्हतं, बबी मावशीसारखं.

यातील नायिकेची आई सांसारिक जबाबदाऱ्या पार पाडते. परंतु ते तेवढ्यापुरतेच करते. स्वतःचा प्राधान्यक्रम तिने ठरवलेला आहे.

९) त्यांच्या लेखणीतून 'स्त्री पुरुष समानता' ही दिसते आणि या ठिकाणी लेखिका चूक की बरोबर हा निर्णय देत नाही. फक्त तपशील सांगते. त्यातून स्त्रीची अस्मिता, स्वातंत्र्य, नोकरी, नोकरीतील महत्त्वक्रम, तिचा अवकाश या संकल्पना लेखिकेने खूप सुंदर पद्धतीने रुजवल्या आहेत. (पृष्ठ क्रमांक १९, 'सेतू') १०) 'न आवडणाऱ्या नवऱ्याकडून मूल न होऊ देण्याचा निर्धार' नायकाची बहीण 'सेतू' या कादंबरीमध्ये करते. लेखिकेच्या पात्रातील स्त्रीपात्रे या स्वाभिमानी, निर्धारी, स्वतंत्र बाणाच्या आहेत. नको असलेल्या गोष्टींना 'नाही' म्हणण्याचा त्यांचा स्वतःचा अधिकार त्यांना मान्य आहे व त्या तो बजावतात.

११) "खरंच मला शिकायचं नाही. बीनाला सांगून मला एखादी नोकरी बघून दे." मैथिली.

"कोणती? भांडी घासायची?" आत्याचा स्वर बदलला होता. डोळे बदलले होते. "तुला चपराश्याची सुद्धा नोकरी कोणी देणार नाही, माहिती आहे? आणि नोकरी स्वतः मिळवावी लागते लायकीनं- तिची भीक नसते मिळत!" (पृष्ठ क्रमांक ३४, 'भूमी')

या छोट्याशा संवादातून लेखिकेने नायिकेची

जडणघडण कशी झाली, हे दाखवलेले आहे. निव्वळ दहावीच्या भरवशावर नोकरी शोधणाऱ्या मैथिलीची आत्या कान उघडणी करते आणि शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देते आणि नोकरीही आपल्या लायकीने मिळवायची असते, त्यासाठी स्वतःला सिद्ध करावे लागते हेही पटवते. यातूनच स्त्रीने समर्थ बनावे, हेही अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करते.

आशा बगे यांच्या नायिका या कडक शिस्तीच्या, रोखठोक तसेच शिक्षणावर भर देणाऱ्या आहेत.

शिरीष पै लिहितात, 'आपले समग्र जीवन ही एक येत आत्मसंशोधनाची दीर्घ साधना आहे आणि साहित्य हे त्या साधनेत आपल्याला सहाय्यभूत होणारे एक साक्षात प्रकाशरूप साधन आहे.' (पृष्ठ क्रमांक ६१, 'मराठी लेखिका चिंता आणि चिंतन', लेखक—भालचंद्र फडके)

तसे पाहिले तर प्रत्येक लेखक आपल्या लेखणीतून स्वतःचा, भोवतालचा त्याच्या अस्तित्वाचा हा शोध घेत असतो आणि हा शोध अशा बगे यांच्या कथेत कादंबऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळतो. त्यांच्या कथा—कादंबऱ्यांचा पायाच मुळात 'आत्मशोध' हा आहे आणि हा आत्मशोध घेता घेता स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध घेऊन आध्यात्मिक उन्नतीकडे जाणे, असा हा प्रवास आहे.

निष्कर्ष:—

- १) आशा बगे यांनी चित्रित केलेल्या नायिका या कणखर, सुशिक्षित, सुसंस्कृत आहेत.
- २) आशा बगे यांच्या नायिका स्वतःचे सत्व जपणाऱ्या, स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या व इतरांचे स्वातंत्र्य जपणाऱ्या, आपले मूलभूत हक्क जपणाऱ्या आहेत.
- ३) आशा बगे यांच्या नायिका या संवेदनशील आणि स्वतःचा अवकाश शोधणाऱ्या आहेत.
- ४) आशा बगे यांच्या नायिका या कलासक्त आहेत. त्या सामाजिक दायित्वाची जाणीव ठेवणाऱ्या आहेत.
- ५) या नायिका प्रेरणांच्या महत्त्वक्रमातील सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच आत्मविष्काराच्या पातळीवर पोहोचलेल्या आहेत.



15

कवितेत प्रतिबिंबित: आदिवासी स्वातंत्र चळवळीचा नायक बिरसा मुंडा

डॉ. विशाखा संजय कांबळे

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख मराठी विभाग

महेश्वरी रमेश लांडे

पीएच.डी संशोधक विध्यार्थिनी
वसंतराव नाईक शासकीय कला व
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर

सारांश :—

आदिवासींना नैसर्गिक धरोवर आपल्या प्राणापेक्षा ही प्रिय आहे . त्यांच्या कणाकणात निसर्ग जणू वास करतो. अशातच ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी आणि ख्रिस्ती मिशनर्यांनी आदिवासींवर अनेक अन्याय व अत्याचार केले. अनेक अशी धोरणे लावली की, ती आदिवासी समाजाला पेलनं अशक्य होत. अशातच एकोणविसाव्या शतकाच्या शेवटी एका क्रांतिकारी युवकाने ब्रिटीशांच्या या धोरणांचा कडवा विरोध केला तो क्रांतिकारी युवक म्हणजे "बिरसा मुंडा" हा होय. बिरसा मुंडाने 'उलगुलान' चा नारा देऊन एकाच वेळी सगळीकडे उठाव करण्यास सांगितले किंवा घडवून आणला. हे या कवितांच्या अनुषंगाने येथे प्रतिबिंबित होईल.

बीज शब्द :— बिरसा मुंडा, आदिवासी, स्वातंत्र, चळवळ, कविता, सामाजिकता, अत्याचार.

प्रस्तावना :—

आदिवासी भारतभूमीचे मूळ निवासी असूनही ब्रिटिशांनी त्यांचे अधिकार व हक्क नाकारले ते ज्या दर्या — खोऱ्यात, वनात राहात होते. त्या वनावरचा, त्या जंगलावरचा हक्क नाकारून ब्रिटिशांनी आदिवासींना उठाव करण्यास मजबूर केले. २४ डिसेंबर १८९९ रोजी बिरसा मुंडाने आपल्या सहकार्यांसोबत सर्व पोलीस ठाण्यांवर,

चर्चवर, मिशनरी स्कूलवर, अधिकार्याच्या पार्टी कार्यक्रमावर, मिशनरी प्रचारकांच्या घरांवर अग्निबाणाने धुमाकूळ घालून रांची शहर हादरवून सोडले ह्यह डिसेंबर ला “नाताळ” सन असल्यामुळे भरपूर कर्मचारी सुट्टीवर जातात याचा फायदा घेऊन बिरसा मुंडाने आपल्या क्रांतीची ठिणगी पेटवली. आज आदिवासी साहित्याचे व आदिवासी चळवळीचे प्रेरणास्त्रोत बिरसा मुंडा आहेत. त्यांनी आदिवासीसाठी जो उठाव केला तसा उठाव आता होणे शक्य नाही. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या आदिवासी समाजासाठी व या भारत मायभूमिसाठी निष्ठेने आत्मियतेने प्राणाची आहुती देणे सगळ्यांनाच जमणारे नाही. बिरसा मुंडावर अनेक कथा, कादंबऱ्या प्रकाशित आहेत. चरीत्रात्मक ग्रंथ प्रकाशित आहेत. अनेक कविता प्रकाशित व प्रसिद्ध आहेत.

उद्देशः—

- १) बिरसा मुंडावरील कवितांचा अभ्यास करणे
- २) समाजाला परिवर्तनाचा विचार देणे
- ३) कवितांतील नव्या विचारांचा अभ्यास करणे
- ४) क्रांतिकारी बिरसा मुंडावरील कवितांचे महत्व व स्थान विषद करणे
- ५) अन्यायाविरुद्ध पेटून उठण्याचा संदेश देणे

चर्चाः—

बिरसाचा विचार घेऊन आलेली कविताः—

इंग्रजांना १८९९ ला पाणी पाजणारे बिरसा मुंडा १५ नोव्हेंबर १८७५ ला अलीहातू गावाजवळील बम्बा पोळ, तालुका अरकी, जिल्हा— खुंटी, झारखंड राज्यात जन्माला आले. “इंग्रजांनी ही भूमी सोडून स्वदेशी चालते व्हावे आणि आमचे राज्य आमच्या स्वाधीन करावे” असा विचार बिरसांनी मांडला होता. आणि हाच विचार आदिवासी कवितेतून कवी कवयित्री सुद्धा मांडताना दिसतात. आता भारतात इंग्रज नसले तरी आदिवासींची पिळवणूक थांबलेली नाही. म्हणूनच तर अत्याचाराच्या विरोधात लढणार्या बिरसा मुंडाला कवयित्री उषाकिरण आत्राम आपल्या कवितेतून म्हणतात—

बिरसा! तू पुन्हा एकदा ये रे बाबा
आम्हा आदिम मायांच्या कुशीत जन्माला
पुन्हा एकदा होऊ दे उलगुलान२
(म्होरकी, बिरसा मुंडा पृ. क्र.७५)

कवयित्री बिरसाला पुन्हा एकदा जन्म घेण्याचे आव्हान करते. बिरसा सारखा दुसरा कोणी होणे नाही. हे कवयित्री जाणून आहे. निष्ठावान, उदार, दयाळू, मायाळू, आत्मियता जपणारा दुसरा बिरसा जन्मास यावा आणि आदिम मायांची कूस तेजस्वी, क्रांतिकारी बिरसाने जन्म घेऊन उजवावी ही इच्छा कवयित्री व्यक्त करतात.

पुढे जाऊन कवी भुजंग मेश्राम आपल्या ‘बिरसा मुंडा’ या कवितेत म्हणतात की—

लोक तुझी वाट पाहत आहेत

ज्या खडतर वाटेने तू निघून गेलास ती पायवाट
आजचा राजमार्ग झालाय तुझ्या आठवणी सारखाच
नागड्य रात्री दहशतीचे साम्राज्य असतानाही

असख्यं तारकासह चंद्र असावा तसा३

(उलगुलान, बिरसा मुंडा पृ.क्र.४७)

आजही लोक बिरसाची वाट पाहत आहेत आदिवासींसाठी, आदिवासींच्या स्वाभिमानासाठी लढणार्या बिरसा मुंडाने प्रत्येक आदिवासी मनात एक आठवण ठेवली आहे. बिरसाने स्वतःच्या आयुष्याची पर्वा न करता आपल्या भारत भूमीसाठी नायकत्व पत्करून इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला म्हणूनच तर आदिवासींसाठी तो “सुप्त जनचेतनेचा रुद्र भीषण हुंकार. लोकांच्या अंतरंगात धुमसणारा ज्वालामुखी म्हणजे बिरसा. अनार्थावर मुक्त प्रहार म्हणजे बिरसा. म्हणून विचारांनी बिरसा कधीही संपणारा नाही.”४ तो नेहमीच आदिमांच्या आठवणीत राहणार आहे.

बिरसा तू जगतोस आमच्यात

तू पेटवतोस आम्हाला

खरेच पेटत आहेत

झारखंड, बोडोल्यांड, नागाल्यांड

(तीरकमठा, बिहारचा स्वातंत्र्यसूर्य भगवान बिरसा मुंडा

पृ. क्र. ६५)

कवी सुनील कुमरे आपल्या ‘बिहारचा स्वातंत्र्य सूर्य भगवान बिरसा मुंडा’ या कवितेत सांगतात कि बिरसा तू जगतोस आमच्यात. तू पेटवतोस आम्हाला ‘उलगुलान’ ची आग अजूनही क्षमलेली नाही. आता काही दिवसा आधी मणिपूर राज्यात दोन आदिवासी स्त्रियांना नागड करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली तेव्हा आम्ही खरच पेटून उठलो. तेव्हा खरचं तू असायला हवा होतास रे बिरसा कारण, तू “एक सत्पुरुष सेवक, सुधारक,

विचारवंत, वीर योद्धा, लोकनेता, लोकसंग्राहक, कुशल संघटक व सेनापती, कलावंत, कुटुंब वत्सल व्यक्ती, प्रखर देशभक्त आणि तत्त्वचिंतक अशा विविध गुणांनी बिरसाचे व्यक्तिमत्त्व मंडित झाले आहे.”६ आमच्या आदिम आया बहिणींचा असा छळ होतांना बघून आमच्या तळपायाची आग मस्तकात जाते तेव्हा आम्ही पेटून उठतो आमच्या आया बहिणींना न्याय मिळवून द्यायला आमच्या सोबत तू आहेस आमची प्रेरणा बनून म्हणून ‘बिरसा’ या कवितेत कवी बाबाराव मडावी बिरसा मुंडाला उद्देशून म्हणतात.

बिरसा तुझा विद्रोह

लंगोटी नेसलेल्या

आदिमांच्या स्वातंत्र्यासाठी ...!७

(पाखरं, बिरसा पृ.क्र.१२)

आदिवासींचा जो उलगुलानचा विद्रोह संपूर्ण देशभर पसरला यासाठी बिरसाला खूप मेहनत घ्यावी लागली आदिवासींच्या पाड्य—पाड्यामध्ये जाऊन, वस्त्यांमध्ये जाऊन उलगुलानचा विचार पेटवा लागला त्यातून आता मोठा विशालकाय वृक्ष तयार होऊन स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी सज्ज झाला. इंग्रजांनी जल, जंगल, जमिन, नद्या, नाले, डोंगर, पर्वत या सार्या सार्या नैसर्गिक धरोवरावर आपला हक्क सांगून मूळनिवासींना कायदे व न्यायालीन धोरण लावून निसर्गापासून दूर ठेवण्यात आले. तरीही धरतीची सहनशीलता बिरसामध्ये होती हे सांगताना कवी डॉ. विनयक तुमराम आपल्या ‘बिहारचा क्रांतिसूर्य बिरसा भगवान’ या कवितेत म्हणतात.

धरतीची सहनशीलता

आणि आकाशाचे गांभिर्य घेऊन

तुझे स्वत्व साकारले

परकीयांसोबत स्वकियांनीही तुझ्याशी

शत्रुत्व करावे

(गोंडवन पेटले आहे, बिहारचा क्रांतिसूर्य बिरसा भगवान पृ.क्र.३४)

आदिवासी लोक निसर्गाला आपला देव मानतात ते निसर्गपूजक आहेत. धरती व आकाशाची पूजा करून ते स्वतःसाठी रोज नवचौतन्य मागून घेतात. “सभी आदिवासी समुदाय पृथ्वी को धरती माता कहते है उनकी पूजा करते है उनके अनुसार धरती या पृथ्वी ही जीवन का स्रोत है!”९ निसर्ग हा त्यांना रोजच्या जीवनसंघर्षाला तोंड

देण्यासाठी शक्ती प्रधान करतो. तरीही काही फितूर लोक स्वातंत्र्यापेक्षा गुलाम गिरीत राहणे पसंत करतात म्हणून ते क्रांतिकारी बिरसा मुंडाला फितुरीने पकडून इंग्रजांच्या स्वाधीन करतात या फितुरीचा द्वेष आणि राग ‘बिरसा’ या कवितेत कवी पितांबर कोडापे व्यक्त करताना म्हणतात.
धरतीअबा!

तू गेलास स्वकीयांच्या फितुरीने

त्यांना स्वकीय तरी कसे म्हणावे?

लाचार होऊन परकीयांसोबत मिळाले

दगाबाजी करून वाचायला लागले.

नागवे होऊन थुंकी चाटलीस

तू मात्र अब्रू गमावलीस नाहीस

लांगोटीवरच जगलास अन मेलासही

घरभेदित्व आमच्या रक्तातच आहे

व्यवस्थेसह यांच्याही तुंगनाखाली

सुरुंग पेरला पाहिजे१०

उरस्कल, बिरसा पृ.क्र.३४)

प्राचीन काळापासून आपल्या भारत देशात हेच चालत आलेले आहे. कोणीतरी जीवाचा आटापिटा करून स्वातंत्र्यासाठी लढतो. लढाई जिंकण्याची वेळ जवळ येताच कोणीतरी फितुरीने क्रांतिकारकाला पकडून देतो आणि स्वातंत्र्याचा डाव उलटवून टाकतो. “बिरसाचे आंदोलन स्वकीय आणि परकीय अशा दोहोंकडूनही बेमुर्वतपणे दडपले गेले ही निंदनीय वस्तुस्थिती आहे. हे विपरीत जर स्वकियांनी टाळून बिरसाला समजून उमजून त्याला उत्साही साथ दिली असती तर भारताला निदान पन्नास वर्ष आधी स्वतंत्र मिळाले असते. परंतु दुर्दैवानं तसे घडले नाही.”११ अगदी घरातील आपलेच लोक सुरुंग लाऊन तो फुटेल कधी याची वाट बघत बसतात. अगदी थोड्याशा लालसेपोटी आयुष्यभराचे स्वातंत्र्य धुडीस मिळवतात व पारतंत्र्यात राहणे पसंत करतात. पण बिरसाने लावलेल्या ‘उलगुलानची’ आग अजूनही आदिवासी मनामनात तेवत आहे.

आदिवासींना माणूस म्हणून जगता यावे, यासाठी भगवान बिरसा मुंडाने ‘बिरसा’ धर्माची स्थापना केली आणि ज्या लोकांनी ‘बिरसा’ धर्म स्वीकारला त्यांनी स्वतःला ‘बीरसाईत’ म्हणून घेतले. या बीरसाईतात स्त्री, पुरुष, लहान मूलं, म्हातारे अशा सगळ्यांचा समावेश

होता. आणि या सर्व बीरसाईतानी स्वातंत्र्याचा लढा अगदी कसोशीने लढला हे मात्र नाकारता येणार नाही.

16

निष्कर्ष:—

- १) गुलामगिरीत जगणे कठीण आहे हे समजून येते
- २) समाजातील समस्या सोडविण्यासाठी बिरसाने क्रांती घडवून आणली आहे
- ३) लोकांच्या मनात बिरसा आठवणींच्या रूपाने जिवंत आहे
- ४) ब्रिटिशांच्या विक्षिप्त, दुष्ट वागण्याला प्रतिबंध लावलेला दिसून येतो
- ५) आदिवासी समाजाने मिळून आपल्या हक्कासाठी खूप संघर्ष केला आहे

संदर्भ टीपा :-

१. सुनील कुमारे—जंगलजिह्वार, हरिवंश प्रकाशन चंद्रपूर, प्र आ २००९ पृ.क्र.४५
२. उषाकिरण अत्राम—म्होरकी, गोंडी साहित्य परिषद प्रकाशन नागपूर, १९१७ पृ.क्र.७५
३. भुजंग मेश्राम—उलगुलान, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, ति आ २०२३ पृ. क्र.४७
४. सुनील कुमारे—जंगलजिह्वार, हरिवंश प्रकाशन, चंद्रपूर, २००९, पृ. क्र.४६
५. सुनील कुमारे—तीरकमठा, हरिवंश प्रकाशन चंद्रपूर, पृ. क्र.६५
६. सुनील कुमारे—जंगलजिह्वार, उ.नि. पृ. क्र.४४.
७. बाबाराव मडावी—पाखरं, प्रियंका प्रकाशन, यवतमाळ, प्र आ २००९ पृ. क्र.१२
८. डॉ. विनायक तुमराम—गोंडवन पेटले आहे, एकलव्य प्रकाशन, चंद्रपूर, प्र आ १९८७ पृ. क्र.३४.
९. डॉ. विनायक तुमराम, आदिवासी और उनका क निसर्ग धर्म, सुधीर प्रकाशन नागपूर, प्र. आ २०१६ पृ. क्र.२०.
१०. पितांबर कोडापे—उरस्कल वत्स—विनायक प्रकाशन, पुणे—नागपूर, प्र आ २०१२
११. सुनील कुमारे—जंगलजिह्वार, उ.नि. पृ. क्र.४३



तन्त्रशास्त्रोक्तः करमालानिर्णयः

रिधमः पण्ड्या

बरोडा संस्कृत महाविद्यालयः,
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयः, वटपद्रक

शोधसारः

संस्कृतवाङ्मये कर्ममार्गः विशेषं महत्त्वं भजते। जन्मरभ्य मरणपर्यन्तं प्रायः सर्वाः क्रियाः संस्काराश्च कर्ममार्गाश्रिताः। वेदानामशीतिः प्रतिशतः भागः कर्मकाण्डभागः। बाल्यावस्थारभ्य वयं सर्वैव यथामत्यनुसारं भगवद्भक्तिः आचरामः। भक्तिषु नामसङ्कीर्तनं स्मरणं वा भक्तिप्रकारविशेषः। तद्वदेव गुरुप्रदत्तमन्त्रस्य जपः मुक्तिभुक्तिप्रदायकः। मन्त्राणां जपः मालया भवति। मालानामपि प्रकारभेदाः तन्त्रेषु निर्दिष्टाः सन्ति। तद्वदेव प्रकारविशेषः वर्तते करमाला। आवश्यकतानुसारं मालानामभावेन करमालायाः प्रयोगो भवति। करमालायाः अपि नियमाः सन्ति। तर्हि करमालानिर्णयः इति प्राप्तमातृका तथा तन्निरूपितः विषयः अस्मिन् शोधपत्रे सम्पादयिष्यामि।

कुञ्चशब्दाः तन्त्रम्, करमाला, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, जपः।

प्रास्ताविकम्

दुःखपङ्कनिमग्नसंसारात् समेषां प्राणिनां उन्नत्यर्थं सुकर्माणि आवश्यकी भवति। समेषामुपायानां विधीनां वा मूलं वर्तते वेदाः। विद्वज्जनमतानुसारं चतुर्षु वेदेषु ८०% प्रतिशतम् मन्त्राः कर्मकाण्डस्य, १६% मन्त्राः उपासनामार्गस्य, ४% मन्त्राः ज्ञानमार्गप्रतिपादकाः सन्ति। मानवाः स्वमत्यानुसारं भक्तिः समाचरन्ति। भक्तेरेव प्रकारविशेषः वर्तते स्मरणभक्तिः। तद्वदेव गुरुप्रदत्तमन्त्रस्य जपः कल्याणप्रदः। जप्यते इति जपः वा विधानेन मन्त्रोच्चारणमिति। अयं जपः मालया भवति। मालानां भेदाः, संस्कारः, नियमाः विविधतन्त्रशास्त्रेषु निरूपिताः।

तेष्वेव अन्यतमः प्रकारः वर्तते करमाला।

विषयः

शब्दकल्पद्रुमानुसारं कराङ्गुलीभिर्मालयेव जपनात् कररूपा माला करमाला। मुण्डमालातन्त्रे करमालायाः लक्षणं भगवता शिवेन कथितं यद्—

अनामिकाद्वयं पर्व कनिष्ठादिक्रमेण तु।

तर्जनीमूलपर्यन्तं करमाला प्रकीर्तितताः॥

अनामिकायाः द्वौ पर्वौ, कनिष्ठाकादारभ्य तर्जनीयाः मूलपर्यन्तं सर्वे पर्वाः करमाला उच्यते। करमाला कया रीत्या कर्तव्या, के नियमाः इति विषयः सविस्तरं तन्त्रग्रन्थेषु निर्दिष्टमस्ति। प्रायः आस्तिकाः आवश्यकतानुसारं करमाला कुर्वन्ति किन्तु तन्नियमाः न जानन्ति। जिज्ञासुभिः तन्त्रशास्त्रस्याभ्यासः कर्तव्यः।

पाण्डुलिपिविवरणम्

एकदा आन्तर्जाले रघुनाथमन्दिरस्य पुस्तकालये सङ्ग्रहितपाण्डुलिपिनां विवरणं दृष्टम्। रघुनाथमन्दिरेण स्वस्य समग्रः पाण्डुलिपिभाण्डागारः मानवकल्याणाय सार्वजनिकं कृतमिति मोदस्य विषयः। तस्मिन् धर्मशास्त्रस्य ग्रन्थसूच्याः अवलोकनं कृतं तर्हि ज्ञातं यद् तस्यां सूच्यामस्य पाण्डुलिपिविषये विवरणं नास्ति किन्तु अस्याः पाण्डुलिप्याः प्रतिलिपिः तत्र वर्तते। तदनन्तरं New catalogues catalogorum मध्ये अन्वेषितं तदा ज्ञातं यदस्य ग्रन्थस्य एकापि मातृका तत्र नास्ति। NCC मध्ये एतदतिरिच्यं करमालाप्रकरणम्, करमालाप्रतिष्ठा इति ग्रन्थौ निर्दिष्टमस्ति। सद्यः रघुनाथमन्दिरस्य अन्तर्जालपुटात् अस्याः प्रतिलिपिः सारल्येन प्राप्ता। तर्हि विचारितं यदयं लघुग्रन्थः प्रकाशितः भवेच्चेत् जिज्ञासुनां कृते लाभकारी भविष्यति। अतः अस्याभ्यासः कृतः। पाण्डुलिपेः कृतावलोकनेन प्राप्तं विवरणमधोलिखितकोष्ठके दर्शयामि।

| | |
|--------------------------|--|
| ग्रन्थाङ्कः - ६२१२ (७२ख) | ग्रन्थसङ्ख्या - १४ |
| विषयः - धर्मशास्त्रम् | आधारपत्रम् - कर्गजपत्रम् |
| नाम - करमालानिर्णयः | भाषा - संस्कृतम् |
| लिपिः - देवनागरी | पूर्णः/अपूर्णः - पूर्णः |
| पत्रसङ्ख्या - १ | स्थितिः - मध्यमा |
| कालः - संवत् १९३१ | विशेषः - तन्त्रग्रन्थस्य भागः प्रतिभाति। |

उपरोक्तविवरणानुसारमस्य ग्रन्थस्य कर्तुः विषये,

लिपिकारविषये वा अन्या माहिती नोपलभ्यते। ग्रन्थकारस्य नाम, लिपिकारस्य परिचयः इत्यपि नास्ति। मातृकायाः स्थितिः मध्यमा भाति। ग्रन्थस्य मध्यभागः जलग्रस्तः तथा पृष्ठः बहिर्भागेषु खण्डितः वर्तते। पाण्डुलिप्यां लिखिताक्षराणि प्रायः स्पष्टानि लघ्वाकारयुक्तानि सन्ति। कुत्रचिद् लिपिकारस्य त्रुटयः दृश्यन्ते किन्तु दोषाः। एतदतिरिच्य ग्रन्थः समीचीनः वर्तते। मातृकायां प्रतिपादितः विषयः तथा लेखनशैली स्वतन्त्रग्रन्थस्य न दृश्यते। ग्रन्थादौ “अथ करमालानिर्णय” इत्युक्त्वा प्रकरणान्ते “मालानां मणिनिर्णयः” इत्यपि विषयः दत्तः। एतद् तथ्याधारेणानुमीयते मातृकायां निरूपितः विषयः कस्यचिद् ग्रन्थस्य भागः इति प्रतिभाति। मातृकायां सर्वत्र तन्त्रशास्त्रस्यधारेण वर्णनं विद्यते। अनेन ज्ञायते इदं मातृका कश्चन तन्त्रशास्त्रस्य भागः इति।

ग्रन्थप्रतिपादितविषयः

पाण्डुलिपिभाण्डागारानुसारमयं ग्रन्थः धर्मशास्त्रस्यास्ति। किन्तु अस्मिन् ग्रन्थे तन्त्रशास्त्रस्यानुसारं वर्णनं विद्यते। अस्मिन् ग्रन्थे मुण्डमालातन्त्रस्य, सनत्कुमारसंहितायाः उल्लेखः वर्तते। करमाला कया रीत्या कर्तव्या? के नियमाः? जपः कीदृशः कर्तव्यः? इति ग्रन्थस्य मुख्यः विषयः।

ग्रन्थे सर्वादौ सनत्कुमारसंहितानुसारं कथितं यद् — तर्जनी समारभ्य कनिष्ठापर्यन्तं क्रमशः जपः कुर्याद्। मध्यमाङ्गुल्याः एकः पर्वः तथा अन्याङ्गुलीनां पर्वत्रयेभ्यः जपः कर्तव्यः। मध्यमायाः पर्वद्वयं मेरुरूपमस्ति। तस्य उल्लङ्घनं न भवेदिति ध्यातव्यम्। अनामिकायाः मध्यपर्वादारभ्य कनिष्ठाद् तर्जनीयाः मूलपर्यन्तं दशपर्वसु सञ्जपेत्।

हंसपारमेश्वरतन्त्रानुसारं अष्टोत्तरशतजपकार्ये अनामिकायाः मध्यमूलौ द्वौ पर्वौ, कनिष्ठिकायाः पर्वत्रयम्, अनामिकायाः प्रथमं पर्व, मध्यमायाः पर्वत्रयम्, तथा तर्जनीयाः मूलपर्व समाहरेत्। तदनन्तरं अनामिकायाः मूलमारभ्य कनिष्ठिकायाः पर्वत्रयम्, अनामिकायाः पर्वाग्रभागपूर्वकं मध्यमायाः मूलपर्यन्तं अष्टपर्वसु जपः कुर्याद्।

मुण्डमालातन्त्रोक्तं करमालायाः लक्षणमत्र ग्रन्थकारेण निदर्शितम्। तदनन्तरं सनत्कुमारसंहितानुसारं

वर्णमाला अत्र प्रदर्शिता। तत्पश्चात् मालानां मणिनिर्णयः इति विषयं निरूप्य ग्रन्थकारेण ग्रन्थसमाप्तिः कृतम्।

पाण्डुलिपिसम्पादनम्

ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ अथ करमालानिर्णयः॥

सनत्कुमारसंहितायाम् —

तर्जनी मध्यमानामा कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्।
तिस्रोऽङ्गुल्यस्त्रिपर्वणो मध्यमा चौकपर्विका।
पर्वद्वयं मध्यमायां मेरुत्वेनोपकल्पयेत्॥
अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादित एव च।
तर्जनीमूलपर्यन्तं दशपर्वसु सञ्जपेत् ॥
अनामातलमारभ्य कनिष्ठादित एव च
तर्जनीमूलपर्यन्तं अष्टपर्वसु सञ्जपेत्॥
एतद्वचनं त्वष्टोत्तरशतविषयम्। इति क्रमवचनात्।

हंसपारमेश्वरेख,पि—

पर्वद्वयमनामायां परिवर्तेन कारयेत्।
पर्वत्रयं मध्यमायास्तर्जन्येकं समाहरेत्।
शक्तिमाला समाख्याता सर्वमन्त्रप्रदीपिका ॥
अनामामूलमारभ्य प्रदक्षिणक्रमेण तु।
मध्यमामूलपर्यन्तं जपेदष्टसु पर्वसु ॥
इदमपि तथैव।

मुण्डमालातन्त्रे —

अनामिकापर्वद्वयं कनिष्ठादिक्रमेण तु।
तर्जनीमूलपर्यन्तं करमाला प्रकीर्तिता॥
अङ्गुलीर्न वियुञ्जीत किञ्चिदाकुञ्चितं तले।
अङ्गुलीनां वियोगाश्च छिद्रे च स्रवते जपः॥
अन्यत्रापि —
अङ्गुल्यग्रे च यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलङ्घनात्।
पर्वसन्धिषु यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥
गणनाविधिमुल्लङ्घ्य यो जपेत्तज्जपं यतः।
गृह्णन्ति राक्षसास्तेन गणयेत् सर्वथा बुधैः ॥

सनत्कुमारे —

क्रमोत्क्रमगतैर्माला मातृकार्णैः, क्षमेरुकैः।
सबिन्दुकैः साष्टवर्गेरन्तर्यजनकर्मणि।
आदितः क च ट त प य शवोख,ष्टौ प्रकीर्तिताः॥
तद्यथा। अकारादीनां वर्णानां कवर्गादीनां
चान्तिमवर्णं सानुस्वारं कृत्वा पूर्वमुच्चार्य पश्चात्
मन्त्रजपः कार्यः। अनेन प्रकारेणाष्टोत्तरशतसङ्ख्यो

जपो भवत्यन्तर्यजन इत्युपलक्षणम्।

सबिन्दुं वर्णमुच्चार्य पश्चान्मन्त्रं जपेद्बुधः।
अकारादिक्षकारान्तं बिन्दुयुक्तं विभाव्य च।
वर्णमाला समाख्याता ह्यनुलोमविलोमिका॥
इति नारदवचनात्।

अथ मालानां मणिनिर्णयः।

पद्मबीजादिभिर्माला बहियोगे शृणुष्व ताः।
रुद्राक्षशङ्खपद्माक्षपुत्रजीवकमौक्तिकैः॥
स्फाटिकैर्मणिरत्नैश्च सौवर्णैर्विद्रुमैस्तथा।
राजतैः कुशमूलैश्च गृहस्थास्याक्षमालिका ॥
इति अलम्॥ शुभम्॥ सं. १९३१ ज्ये. प्र. २६॥

उपसंहारः

मानवजीवने स्वकल्याणाय भगवद्भक्तिः
आवश्यकी भवति। भक्त्याः प्रकारविशेषः वर्तते जपः।
जपेन आत्मोद्धारः भवति। विविधतन्त्राणामाधारेण अत्र
करमालायाः स्वरूपं तथा नियमाः प्रदर्शिताः। बहवः
भगवद्भक्ताः एतद्विषये शास्त्रोक्तं स्वरूपं न जानन्ति।
तर्हि समेषां ज्ञानाय अस्मिन् शोधपत्रे यथामतिः विषयः
निरूपितः। अत्र केवलं प्राप्तमातृकाधारेण एव विषयस्य
विवेचनं कृतम्। एतदतिरिच्य विविधग्रन्थेषु सविस्तरं
मालाविचारः विद्यते। तस्य विस्तारः अत्र न प्रदर्शितः।
अनेन शोधपत्रेण जिज्ञासुनां बुद्धौ ग्रन्थोक्तः विषयः
स्पष्टः भवेदित्याशया शम्।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

- मुण्डमालातन्त्रम्, द्वितीयः पटलः, श्लो. सं.१९।
- मातृकायामत्र अशुद्धः पाठः।
- मुण्डमालातन्त्रम्, सम्पा.—प्रदीपकुमारः राय,
प्राच्यप्रकाशन, वाराणसी, २०१०।
- करमालानिर्णयः (पाण्डुलिपिः), ग्रन्थाङ्कः
६२१२ (७२ख), श्री रणवीर—संस्कृतानुसन्धानपुस्तकालयः,
श्री रघुनाथमन्दिरम्, जम्मू।



भारतीय कृषि में मनरेगा योजना के प्रभाव से आये अर्थव्यवस्था में प्रभाव का अध्ययन

डॉ. अरुणा पाठक

सहायक प्राध्यापक एवं

विभागाध्यक्ष वाणिज्य

माता गुजरी महिला महाविद्यालय (स्वायत्त)

जबलपुर (म.प्र.)

शब्दकुंजी — ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पलायन, ग्रामीण विकास, वैश्वीकरण।

किसी भी देश में आर्थिक उदारीकरण और ढांचागत समायोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप गरीबों, खासकर ग्रामीण निर्धनों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ग्रामीण निर्धनता कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु संसाधनों के आवंटन में निरंतर वृद्धि करते हुए ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर को काम उनके गांव में ही मिल सके इसके लिए पहले सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०) २५ सितम्बर, २००१ को प्रारंभ की गई यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। यद्यपि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को वरीयता दी जाती है लेकिन गरीबी की रेखा से

ऊपर के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। इस योजना का स्वीकृत वार्षिक परिव्यय १०,००० करोड़ रुपये है, जिसमें ५० लाख टन अनाज शामिल है। योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ७२:२५ के अनुपात में वहन की जाती है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनाज निशुल्क प्रदान कराया जाता है। रियायती दरों से अनाज के दाम का भुगतान केन्द्र द्वारा सीधे भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है लेकिन एफसीआई गोदामों से कार्यस्थल/सार्वजनिक वितरण केन्द्र तक अनाज ढुलाई का खर्च और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस योजना के अधीन काम में लागू मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम ५ किलोग्राम अनाज और कम से कम २५ प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाती है। योजना के बाद में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लागू किया गया। नवम्बर, २००४ में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा चुने हुए देश के १५० सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ १५० जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. जी.आर.वाई) के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है जिससे इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक-सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और गहन बनाया जा सके। यह कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित है परंतु अनाज की ढुलाई की लागत राज्यों को वहन करनी होती है।

इस कार्यक्रम को स्व-लक्षित माना गया और इसक अंतर्गत अकुशल श्रम करने का कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम के तहत जारी किसी भी परियोजना में काम कर सकता है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिहाड़ी का भुगतान आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से अनाज के रूप में किया जाता है। प्रत्येक कार्यदिवस के लिए ५ कि०ग्रा० अनाज प्रतिदिन दिया जाता है। दिहाड़ी का शेष हिस्सा नगद दिया जाता है। न्यूनतम दिहाड़ी सक्षम अधिकारी द्वारा तय की जाती है विशेष मामलों में ५ कि०ग्रा० से अधिक अनाज भी दिया जा

सकता है परंतु शर्त यह है कि न्यूनतम २५ प्रतिशत दिहाड़ी का भुगतान अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के उपाय और भूमि विकास को पहली वरीयता दी जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वाढ नियंत्रण के उपाय, बारहमासी सड़कों के संदर्भ में ग्रामीण संचार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाले अन्य उत्पादक कार्य भी किए जा सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के चुने हुए १५० जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक निर्धन परिवार के एक सदस्य की वर्ष के दौरान १०० दिन के लिए पूरक दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से नवीन ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सृजन, गांवों के सड़क संपर्क, जल संवर्द्धन आदि में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी वर्ष २००५ में पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) का संचालन हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे २५ अगस्त २००५ को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन २२० रूपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्धकौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे हों या न हों। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था लेकिन ०२ अक्टूबर २००९ को इसका पुनः महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाने लगा।

ग्रामीणों बेरोजगार को रोजगार की उपलब्धता

एवं उनका पलायन रोकने और उनको अपने ही गांव में रोजगार देने के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत की गई थी। बदलते समय के साथ यह योजना देश में ग्रामीण विकास विभाग की सबसे बड़ी बन गई जिसमें इस विभाग का सर्वाधिक बजट होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ को २३ अगस्त, २००५ को लोकसभा में पारित किया गया, जिसे दिनांक ७ सितंबर, २००५ को अनुसूचित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को केन्द्र सरकार द्वारा पहले चरण में आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से २०० जिलों में २ फरवरी, २००६ से लागू किया गया तथा २ मई, २००७ से १३० अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया तथा १ अप्रैल, २००८ से यह पूरे देश में लागू किया गया। २ अक्टूबर, २००९ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की १४०वीं वर्षगांठ पर नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। “यह उसी दिन प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथा स्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।”

मनरेगा में कृषि एवं अर्थव्यवस्था

भारत का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल ३२.४४ करोड़ हेक्टेयर है। इसमें १४ करोड़ २६ लाख हेक्टेयर में कृषि होती है अर्थात् सम्पूर्ण क्षेत्र के ४७ प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है तथा इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और इसलिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में अभयुन्नति के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कृषि की उन्नति होने से जनसमुदाय की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे वह औद्योगिक उत्पादन एवं

विभिन्न सेवाओं की आयवृद्धि के फलस्वरूप क्रय कर सकेगी। दूसरी ओर उद्योगों में लगे लाखों लोगों को व्यवसाय करने का भी अवसर मिलेगा। रहन-सहन का स्तर भी तभी ऊंचा होगा जब श्रमिक खेती से हटकर कृषिकर धन्धों में लगेगा। यह तभी सम्भव है जब खेती का उत्पादन इतना अधिक बढ़े कि वह उत्पादकों की आवश्यकता से अधिक हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय भारतीय कृषि के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आंकड़ों से यह बात एकदम स्पष्ट है कि १९५० से पहले भारत में कृषि की विकास दर ०.५ प्रतिशत वार्षिक की अभूतपूर्व दर से बढ़ी थी यद्यपि जनसंख्या में भारी वृद्धि और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कृषि की विकास दर जरूरत से काफी कम है, फिर भी इससे पहले के युग के मुकाबले यह काफी महत्वपूर्ण है। १९५१-६१ के दौरान संस्थागत बदलाव, भूमि सुधार और सिंचाई की सुविधा के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान कृषि उत्पादन ३.१ प्रतिशत वार्षिक की औसत से बढ़ा तथा कृषि भूमि में ५८ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा कृषि पदार्थों की पैदावार में ४२ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जबकि १९६६-६७ से १९८४-८५ की अवधि में कृषि उत्पादन २.६ की दर से बढ़ा तथा उत्पादन में ७५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई।

ग्रामों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है और यही मनरेगा योजना का भी उद्देश्य है और यदि गांव का विकास किया जाना है तो कृषि उत्पादकता को और अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास विभाग की सबसे बड़ी योजना है जिससे कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। कृषि उत्पादकता एवं स्थायी अजीविकाओं से इस योजना के तालमेल को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब इस प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी भी जिले में शुरू किये जाने वाले कम से कम ६० प्रतिशत कार्य भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित हों। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संबंधी कार्यों का

प्रतिशत निरंतर ५० से अधिक रहा है और वर्ष २०२३-२४ में यह प्रतिशत लगभग ६९ हो गया है।

मनरेगा योजना अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता स्तर पर किया गया है जिससे कृषि को लाभ हो। मध्यप्रदेश में ही वर्ष २०२३-२४ में १२३७ कार्य जल संचय एवं जल संरक्षण, २१७ कार्य पारंपरिक जल निकायों की नवीनीकरण, ११८० सिंचाई नहर तथा ११७७ कार्य भूमि विकास के कराये गये जिसका सीधा लाभ कृषि को मिला।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं वहां की समस्याओं के कारगर समाधान के लिए भारत में प्रशिक्षित और समर्पित नौकरशाही का अभाव है। राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी दिखाई पड़ती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निर्धारण, निर्माण और क्रियान्वयन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में भारतीय परिदृश्य की उन चुनौतियों की विवेचना करना समीचीन हो जाता है साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमियों को चिन्हित करना भी आवश्यक को जाता है जिससे उनके समाधान कारक उपाय खोजे जा सकें।

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के इस समय में जहां उत्पादन उपभोग, विनिमय एवं वितरण से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों को बाजार शक्तियों के द्वारा संचालित किये या करवाये जाने का प्रयत्न किया जाता है; रोजगार गारण्टी कानून या योजना जैसी अवधारणा कुछ अटपटी सी लगती है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में रोजगार तो व्यक्ति की योग्यता, काम के प्रति समर्पण, निर्धारित परिणाम दे सकने की क्षमता, कार्य-स्थल पर निरंतर बनी रहने वाली उसकी आवश्यकता, समयानुसार परिवर्तन के प्रति उसकी तत्परता जैसे गुणों पर ही निर्भर करता है या करनी चाहिए। तब ही कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में विकास व विस्तार की संभावनाएँ भी रह सकती है। दूसरी ओर गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन हेतु सरकार के दायित्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रोजगार गारंटी कानून सम्बन्धी सरकार

की सोच को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है हों इसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर बहस अवश्य की जा सकती है।

18

संदर्भ

- अग्रवाल शिवकुमार, पंचायत का अर्थ समाज सेवा पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, भोपाल (म.प्र.), १९७१.
- कटारिया, डॉ.सुरेन्द्र—ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आर बी एस ए, पब्लिशर्स, जयपुर, २००३.
- तिवारी, शिवकुमार एवं श्री कमल शर्मा — 'म०प्र० की जनजातीय समाज व्यवस्था', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल १९८१.
- तिवारी, डॉ.संजय एवं डॉ.श्रीमती शैलप्रभा कोष्टा—ग्रामीण विकास (सरकार की विविध योजनाएँ), ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, २००९.
- रंगराजन, सी.—भारत की अर्थनीति 'नए आयाम', राजपाल एण्ड सन्स, नईदिल्ली, २०००.
- रोशन, डॉ.राकेश—नियोजित जनजातीय विकास, अमन प्रकाशन सागर, २००६.
- लवानिया, डॉ.एम.एम.,एव के.शशी जैन,— भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर. २००३.
- वर्मा, डॉ.सवलिया बिहारी—ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता, विश्वभारती पब्लिकेशन, नईदिल्ली, २००९.

□□□

भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका और उसका राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. CHHTRESH SHANDILYA

At Anditola, Post Karhu,

Th. Birsa Dist. Balaghat (M. P.)

सार (Abstract)

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सूचना के आदान—प्रदान का विशेष महत्व है। २१वीं सदी में सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नई दिशा प्रदान की है। यह न केवल सूचना प्रसार का माध्यम बना है, बल्कि राजनीतिक संवाद, चुनावी प्रचार, जनमत निर्माण और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख उपकरण बन गया है। यह शोध पत्र भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका तथा उसके राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं का आलोचनात्मक विवेचन किया गया है।

प्रस्तावना (Introduction)

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, जो शासन और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करता है। पारंपरिक मीडिया के साथ—साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेषकर सोशल मीडिया ने इस भूमिका को और अधिक व्यापक बना दिया है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सोशल मीडिया ने राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता और संवाद को बढ़ाया है। आज फेसबुक, ट्विटर (X),

यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं।

सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया है, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज, ध्रुवीकरण और सूचना के दुरुपयोग जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

- भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करना
- सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना
- चुनावी राजनीति पर सोशल मीडिया के प्रभाव का मूल्यांकन करना
- सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करना

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों (Secondary Data) पर आधारित है। इसमें विभिन्न शोध पत्रों, जर्नल लेखों, रिपोर्ट्स और ऑनलाइन स्रोतों का विश्लेषण किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका

१. सूचना प्रसार का सशक्त माध्यम

सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को तेज, सुलभ और व्यापक बना दिया है। नागरिक अब सीधे सरकार की नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ाता है और नागरिकों को अधिक जागरूक बनाता है।

२. राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि

सोशल मीडिया ने नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है। लोग ऑनलाइन अभियानों, जन आंदोलनों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

उदाहरण के रूप में, विभिन्न राजनीतिक दल सोशल मीडिया का उपयोग कर युवाओं को जोड़ते हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

३. चुनावी राजनीति में भूमिका

सोशल मीडिया चुनावी प्रचार का प्रमुख माध्यम बन गया है। राजनीतिक दल डिजिटल कैंपेन, विज्ञापन और लाइव इंटरैक्शन के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचते हैं।

यह मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

४. हाशिए के वर्गों की आवाज

सोशल मीडिया ने उन वर्गों को आवाज दी है जो पहले मुख्यधारा के मीडिया से दूर थे।

यह मंच सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के मुद्दों को उठाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

राजनीतिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव

१. जनमत निर्माण (Public Opinion Formation)

सोशल मीडिया जनमत निर्माण का प्रमुख माध्यम बन चुका है। लोग समाचार, विचार और विश्लेषण के आधार पर अपनी राजनीतिक राय बनाते हैं।

हालांकि, यह प्रक्रिया कई बार पक्षपाती या अधूरी जानकारी पर आधारित होती है।

२. राजनीतिक ध्रुवीकरण

सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार सामग्री दिखाते हैं, जिससे विचारों का ध्रुवीकरण बढ़ता है।

इससे समाज में वैचारिक विभाजन गहरा होता है।

३. युवाओं का राजनीतिकरण

युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति से अधिक जुड़ रहा है।

यह सकारात्मक है, लेकिन कई बार अधूरी जानकारी के कारण भ्रम भी पैदा होता है।

Reddit उपयोगकर्ता का मत:

“Opinions are loud, but understanding is shallow.”

४. फेक न्यूज और दुष्प्रचार

सोशल मीडिया पर गलत जानकारी तेजी

से फैलती है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। फेक न्यूज चुनावों, सामाजिक सद्भाव और नीति निर्माण को प्रभावित करती है।

५. भावनात्मक राजनीति का उदय

सोशल मीडिया भावनात्मक अपील (Emotion-driven Politics) को बढ़ावा देता है, जिससे तार्किक निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

सकारात्मक प्रभाव (Positive Impacts)

१. सूचना की लोकतांत्रिक पहुंच
२. पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि
३. नागरिक सहभागिता में विस्तार
४. राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि
५. डिजिटल लोकतंत्र का विकास

नकारात्मक प्रभाव (Negative Impacts)

१. फेक न्यूज और अफवाहें
२. राजनीतिक ध्रुवीकरण
३. ट्रोलिंग और हेट स्पीच
४. डेटा का दुरुपयोग
५. लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास

समकालीन चुनौतियाँ (Contemporary Challenges)

१. डिजिटल डिवाइड — ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता
२. नियमन की कमी — सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की चुनौती
३. एल्गोरिदमिक पक्षपात — सामग्री का चयन निष्पक्ष नहीं होता
४. सूचना की विश्वसनीयता — सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन

समाधान एवं सुझाव (Suggestions)

१. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए
२. फेक न्यूज के विरुद्ध सख्त कानून बनाए जाएं
३. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय की जाए
४. नागरिकों में आलोचनात्मक सोच विकसित की जाए
५. चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल आचार संहिता

को मजबूत किया जाए

निष्कर्ष (Conclusion)

सोशल मीडिया भारतीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग बन चुका है। यह लोकतंत्र को अधिक सहभागी और पारदर्शी बनाता है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं।

यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया न तो पूरी तरह लाभकारी है और न ही पूरी तरह हानिकारक। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है।

यदि इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग किया जाए, तो यह लोकतंत्र को सशक्त बनाने का प्रभावी साधन बन सकता है।

संदर्भ सूची (References)

1. Roy, D. (2023). Social Media – The New Weapon in Indian Democracy. JIMRES.
2. Tyagi, M. (2022). Social Media and its Impact on Indian Society. Sage Journals.
3. Journalism University (2025). Social Media's Impact on Democracy and Citizen Participation in India.
4. Kumar, R., & Singh, S. (2025). Role of Social Media in Democratic Elections. Granthaalayah.
5. Kumari, N. et al. (2020). Role of Social Media Use in Democracy. ResearchGate.
6. Pande, P. C., & Asthana, K. B. (2025). Impact of Fake News on Indian Democracy. IJFMR.
7. Ashwini, D. Y. et al. (2025). Social Media as a Platform for Resistance. Frontiers in Communication.
8. Sarmah, R. (2023). Impact of Social Media in Indian Political System. IJNRD.
9. Reddit Discussions on Indian Political Awareness (2025–2026).



राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तरी बिहार की महिलाओं का योगदान

डॉ० धीरेन्द्र कुमार महतो

राजनीति शास्त्र

ल०ना०मि०वि०दरभंगा

अशाढ़ी, ताजपुर, जिला—समस्तीपुर

यह सर्वविदित है कि प्रागैतिहासिक काल से ही स्त्रियों पुरुषों के साथ सहयोग करती आ रही हैं। विशेषकर भारत में जब सामाजिक पुनर्जागरण से प्रगतिशील विचारधारा जोड़ पकड़ने लगी तब स्त्रियों ने अपनी महत्ता को पहचानना शुरू किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने “खुब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी” लिखकर स्त्री जाति को एक एहसास दिलाता कि वह साहस और शौर्य में पुरुषों से कम नहीं है। खासकर स्त्रियों में १८८५ ई० के राष्ट्रीय काँग्रेस के जन्म के बाद का भी जागृति आयी और उन्होंने भी धीरे-धीरे राजनीतिक रंगमंच पर जाना शुरू कर दिया।

सम्पूर्ण महान कार्य के प्रारंभ में किसी ने किसी स्त्री का हाथ रखा है। लार्मिंटन का यह कथन स्वाधीनता के संग्राम में उत्तरी बिहार की महिलाओं के संदर्भ में बड़ा ही सटीक लगता है। सदियों की गुलामी से मुक्ति के लिए जो आन्दोलन चला उसमें न केवल पुरुषों का ही योगदान बल्कि महिलाओं ने भी खुलकर साथ दिया। सारा देश इन कोमलांगिनी ललताओं का कायल है, जिनके अमर बलिदानों को यह इतिहास, जो कभी मरता नहीं, अपने अमर पन्नों में समेटे हुए हैं। उन महान स्त्रियों की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने इस भव्य भारत मंदिर के निर्माण में नींव के पत्थर का कार्य किया।

महात्मा गाँधी के ‘करो या मरो’ के नारे के साथ १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन का श्री गणेश हुआ। सरकार ने रातों—रात देश के तमाम शीर्ष नेताओं को जेल की सलाखों में डाल दिया। पूरे देश में क्रान्ति की लहर दौड़ चली, जिसमें स्त्रियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों हुकूमत का क्रूर चक्र शुरू हुआ फिर भी स्त्रियाँ तनिक भी विचलित नहीं हुईं। बिहार ने अपने गौरव के अनुकूल आजादी की लड़ाई में भाग लिया और यहाँ की स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे देश के अन्य किसी राज्य की स्त्रियों से कम नहीं हैं।

यह बात दूसरी है कि अभी हमें उत्तरी बिहार की प्रमुख महिलाओं के योगदान की जानकारी नहीं है। परन्तु यह तो अक्षरशः सत्य है कि उत्तरी बिहार की ललनाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी है।

राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने की महिलाओं से गाँधीजी की अपील

सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करते समय गाँधीजी ने भारत की महिलाओं के नाम एक खुली चिट्ठी में उनसे विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार सम्बन्धी कार्यों में भाग लेकर राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देने की अपील की थी। उन्होंने महिलाओं से अपनी अपील में कहा था कि विदेशी दल का बहिष्कार हस्त—निर्मित वस्त्र के उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि करके प्रभावी बनाया जा सकता था। इस काम में स्त्रियाँ (सूत कातने में) अपना बचा हुआ समय लगाकर बहुत सहायता कर सकती थी। इन दोनों बहिष्कार कार्यों के लिए प्रचार के सन्दर्भ में गाँधी जी ने उनसे कहा था कि ‘विदेशी वस्त्र विक्रेताओं तथा क्रेताओं एवं शराब पीनेवालों एवं बेचनेवालों से उनकी अपील उनका पिघलाए बिना नहीं रह सकती थीं। अपनी अपील के अन्त में गाँधीजी ने कहा कि ‘यह असम्भव नहीं कि इस सिलसिले में उन्हें अपमानित किया जाय। किन्तु ऐसा अपमान सहना भी उनके लिए गौरव की बात होगी। यदि ऐसा हुआ तो इससे देश की अग्नि—परीक्षा जल्दी खत्म होगी।’

बिहार में अने महिलाएँ पर्दा से बाहर आई और गाँध जी की अपील का उत्तर दिया। विशेष करके पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार को जो सफलता मिली उसका श्रेय अधिकतर महिलाओं का था। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में कुछ स्त्रियाँ पटना के सड़कों पर घूमि एवं दुकानदारों से विदेशी वस्त्र का व्यापार नहीं करने की अपील की। श्रीमति विन्ध्यवासिनी देवी ने भी इसमें प्रमुख भाग लिया। इस शंका से कि स्त्रियों नशीले द्रव्यों की दुकान पर धरना देने में भाग लेगी, पटना सिटी के मजिस्ट्रेट ने महिला पुलिस नियुक्त करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी एवं आयुक्त को यह सुझाव व्यावहारिक नहीं प्रतीत हुआ। सहसराम में श्री रामबहादुर बार—ऐंट—लॉ की पत्नी ने कुछ समय महिलाओं के साथ स्थानीय थाना के सामने एक छटाँक नमक बनाया।

कुछ दिनों से बिहार की शिक्षित महिलाओं में जागरण का असर दिख पड़ रहा था। जनवरी १९२९ में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ इसमें बिहार की महिलाओं को देश के अलग भागों की महिलाओं से मिलने का अवसर मिला और देश की स्वतंत्रता एवं महिला समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थीं, उन्हें दूर करने के तरीकों का विचार—विमर्श किया गया। इसका अधिवेशन ७ दिसम्बर १९२९ को हुआ। उससे शारदा ऐक्ट के समर्थन तथा पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रान्त में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया। बिहार से कुछ महिला प्रतिनिधियों ने २० जनवरी १९३० को बम्बई में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लिया। बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया के थियोसोफिकल हॉल में ४ दिसम्बर १९९० को श्री नंदकिशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में हुआ। बिहार के लिए स्थाई समिति की सदस्य श्रीमती कमलकामिनी देवी ने पिछले वर्ष के कार्यों की एक रिपोर्ट पढ़ी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के

आगामी—अधिवेशन के लिए कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया। बिहार की अग्रणी महिलाओं में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की बहन भगवती देवी उनकी पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी, लाल बहादुर शास्त्री की बहन एवं शम्भू शरण वर्मा की पत्नी श्रीमती सुन्दरी देवी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, अनुसूईवा जायसवाल, श्रीमती शान्ति ओझा, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी, श्रीमती शारदा कुमारी, श्रीमती प्रियंवदा देवी, श्रीमती हसन इमात, श्रीमती भवानी, श्रीमती प्रियंवदा देवी, श्रीमती हसन इमात, श्रीमती भवानी मल्होत्रा, आदि के नाम उल्लेखनिय हैं। इन स्त्रियों के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने बिहार के महिला वर्ग में जागृति लाने को निरन्तर प्रयास किया। उनकी प्रेरणा से ही उनके स्त्रियों ने जंगे आजादी में भाग लिया जेल गयी और अपने प्राणों तक की न्यौछावर कर डाला।

१९ वीं सदी के अनेक लेखों एवं कागजातों से पता चलता है कि भोजपुर के जगदीशपुर, पीरों, बीबीगंज और आरा की अनेक महिलाओं ने गुप्त रूप से १८५७ के प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान कुँवर सिंह की सेना की काफी मदद की थी। आरा के करमन बाई और घरमन बाई तथा तर्ककी गुलाबी ने बाबू कुँवर सिंह की हर तरह से मदद की थी। यह आन्दोलन दवा दिया गया पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। शाहावाद की नर्तकी गुलाबी झनक—झनक पायल बाजे का सरगम ही नहीं सुनाती थी, बल्कि तलवार की खनक भी सुनाती थी। यह बिहार के सुप्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी कुँवर सिंह के प्रेयसी थी। एक बार बाबू कुँवर सिंह को बचानेमें इसे गोली लग गयी और वह शहीद हो गयी। अपनी शहीद गुलाबी की स्मृति में बाबू कुँवर सिंह ने आरा में एक मस्जिद बनवायी थीं।

१८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चम्पारण सत्याग्रह के सिलसिले में गाँधी जी का पदार्पण बिहार में सन् १९१७ में हुआ।

इसमें महात्मा गाँधी के आह्वान पर बिहार के छात्रों के साथ-साथ कुछ छात्राओं ने भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। दिघवारा प्रखंड के मलखाचक गाँव के अनेक लड़के और लड़कियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया। गाँधी जी की मान्यता थी कि स्वराज्य को विजय में भारत की स्त्रियों का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना पुरुशोका। शुद्ध भावना से स्त्रियों कार्य कर पहाड़ों को भी हिला दे सकती हैं, ऐसे वे मानते थे। बापू कहते थे कि जब पुरुश जेलों में होंगे तो स्त्रियाँ ही उनके द्वारा छोड़े गए कामों को बड़ी खुबसूरती के साथ पूरा करेंगे। गाँधी जी कहना था कि लोगों को समझाने बुझाने का कार्य स्त्री पुरुष से बेहतर कर सकती है, क्योंकि उसमें अहिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसलिए उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए महिलाओं को आगे आने को कहा था।

राजनीति में महिलाओं को आह्वान करते हुए गाँधीजी ने कहा था 'आजकल बहनें राजनीति में कम हिस्सा लेती है और जो लेती है उनमें से अधिकांश स्वतंत्र विचार नहीं रखती, जैसा माता—पिता या पति कहते हैं, वैसा करती हैं और अपनी पराधीनता महसूस करके स्त्रियों के अधिकार को नजरअंदाज कर देती हैं। इनके बदले स्त्री कार्यकर्ताओं, तमाम बहनों के नाम मतदाताओं को सूची में दर्ज करा दें उनकी व्यावहारिक शिक्षा दें उन्हें स्वतंत्र नीति से विचार करना सिखायें उन्हें जात—पात की जंजीरों के छुड़ाएँ और ऐसी हालत पैदा कर दें जिससे पुरुष ही उनकी शक्ति और उनके त्याग को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाएँ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसके प्रारम्भ काल से ही महिलाओं का थोड़ा—बहुत योगदान रहा है, किन्तु वे अनुपात में कम थीं। १८८९ बिहार कमे स्वराज्य कुमारी देवी तथा कादम्बिनी गांगुली के साथ १० महिलाओं ने बम्बई कांग्रेस में भाग लिया था। १८९० में कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला थीं जिसने कांग्रेस के मंच से भाषण किया था। उन दिनों प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पत्नियाँ अपने पति के साथ जाती थी, लेकिन उनका

कोई सक्रिय योगदान राजनीति में नहीं आता था और न ही उनके कोई विचार ही लिए जाते थे।

१९१९ में अखिल भारतीय कांग्रेस के ३४ वें सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि मण्डल में श्रीमती सैयाद हसन इमाम तथा बेगम रहमान गयी थी। उन दिनों बिहार में कांग्रेस संगठन के कार्यों में श्रीमती इमाम जैसी एक—दो ही महिलाएँ थीं। किन्तु बिहारी महिलाएँ भी गाँधी जी के व्यक्तित्व की और आकर्षित हो रही थीं और उनके आह्वान पर अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी थीं।

१९२१ में सरला देवी चौधरी ने कांग्रेस संगठन के लिए अथक प्रयास किया। १९२१ ई० के नवम्बर माह में जब ब्रिटिश राजकुमार भारत आने वाले थे तो कांग्रेस ने हड़तालों से उनके स्वागत करने का निश्चय किया। फलतः १७ नवम्बर को जब राजकुमार बम्बई उत्तरे तब समस्त बम्बई में हड़ताल हो गई। सरला देवी ने घुम—घुम कर राजकुमार के स्वागत के किये गये समारहों के बहिष्कार करने की बातें की। ६ अक्टूबर को हजारीबाग में बिहार विधार्थी परिषद का १६ वीं अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की। इस सभा में भी राजकुमार के स्वागत में किये गये समारहों के बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। ९ अक्टूबर को गिरिडीह और पंचमा में उन्होंने महिलाओं को कांग्रेस के कार्य में हाथ बटाने का आह्वान किया। इसी क्रम में छोटानागपुर का भ्रमण कर उन्होंने खादी का खुब प्रचार किया। पटना में सावित्री देवी, सी.सी. दास को पत्नी तथा उर्मिला देवी ने महिलाओं में जागरण का मंत्र फूँका। इस क्रम में वे प्रचार के लिए मुंगेर गईं। वहीं कई सभाओं को सम्बोधित की। २२ दिसम्बर को जब राजकुमार पटना आये तब शहर में हड़ताल रही। कितने वकील भी कचहरी नहीं गये। कांग्रेस में सावित्री देवी को इस प्रोपगण्डा कार्य के लिए तीन महिने की कैद की सजा हुई।

भागलपुर की लीला सिंह भी कांग्रेस के संगठन के कार्य में सक्रिय रहीं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में महिलाओं को आगे

आने का आह्वान किया। वे कौमी सेवा दल की भी अध्यक्ष थी। तत्पश्चात बिहार प्रान्तीय काँग्रेस का कोशाध्यक्ष भी बनी।

१९२१ के अखिल भारतीय काँग्रेस के छत्तसीसवें अहमदाबाद सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधिमंडल में पाँच महिलाओं ने भाग लिया था वे थी श्रीमती लाला दौलत राम, जानकी देवी, गुलाबन देवी, हरमति देवी महादेवी तथा लीला सिंह।

मुजफ्फरपुर में श्रीमती शफी तथा शारदा कुमारी देवी तथा कुष्ठ हिन्दू एवं मुस्लिम परिवार की समस्त महिलाओं ने भी आजादी की लड़ाई के कार्यक्रमों में भाग लिया। श्रीमती शफी ने तो इस क्रम में सघन दौरा किया था। उन्होंने हायाघाट के काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान ला दी थी। छपरा की श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी ने भी घुम-घुमकर कई स्थानों पर काँग्रेस संगठन का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने बाढ़ और बेगुसराय आदि सीनों पर भ्रमण किया था। सिवान की श्रीमती सदयुग प्रसाद प्रभावित होकर स्वयंसेविका बनी थी।

संदर्भ सूची

१. अमरेन्द्र कुमार, स्वाधीनता संग्राम में बिहार की महिलाएँ हिन्दुस्तान दिनांक १५-०८-९७ पृ० १७
२. तथैव पृ० २३
३. तथैव पृ० २८
४. दत्त के.के. बिहार में स्वतंत्र आन्दोलन का इतिहास, खण्ड-३, पृ० ३३
५. तथैव पृ० ४८
६. बिहार की महिलाएँ, सं.शिवपूजन सहाय, पृ० ३३२
७. तथैव पृ० २०४
८. झा दिगम्बर प्र.सं.१९७१, बिहार का खादी आन्दोलन और उसका विकास पृ० ३२



बस्तर की छिंदक नागवंशी राकुमारी चमेली देवी :

एक ऐतिहासिक परिचय

डॉ. जितेन्द्र कुमार मानकर

अतिथि प्राध्यापक

इतिहास विभाग

बी.सी.एस.शा.स्नाकोत्तर महाविद्यालय

धमतरी (छ.ग)

भूमिका —

बस्तर क्षेत्र दण्डकारण्य अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति प्राचीन, राजवंशो और वीर गाथाओ के लिए प्रसिद्ध रहा है, इन्ही ऐतिहासिक परंपराओ में छिंदक नागवंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी वंश की राजकुमारी चमेली देवी नाम जिनका नाम बस्तर के इतिहास और लोक गाथाओ में बड़े सम्मान से लिया जाता है।

छिंदक नागवंश का परिचय — प्राचीन काल में पुरे उत्तरी भारत में नागो के छोटे छोटे राज्य में स्थापित थे कालान्तर में सातवाहन एवं गुप्त शासको के समय नागो की शाखाओ का पलापन दक्षिण भारत के तरफ हुआ दक्षिण भारत में चोल चालुक्य जैसे राजवंशो के आधीन नाग शासको ने सांमतो की तरह शासन किया। पुरे भारत में नागो की अलग अलग शाखाएँ विभिन्न क्षेत्रो में निवासरत थी। बस्तर में नागो की छिंदक राजवंश की सत्ता थी। नागो की छिंदक कुल की छै: शाखाये भारत में अलग अलग क्षेत्रो में शासनरत थी। इसमे छिंदक कुल की दो शाखाए आज के बस्तर के चक्रकोट एवं भ्रमर कोट में शासन कर रही थी, वही छिंदक कुल की चार शाखाएँ कर्नाटक के बागकोट येलबुर्गी बेलगुट्टी और बीजापुर में शासन कर रही थी।

चक्रकोट एवं भ्रमर कोट की छिंदक नागों की शाखायें पहले चोल एवं चालुक्यो के सामंतो के रूप में शासन किया। १०वीं—११वीं सदी में चक्रकोट के छिंदक नागो ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया ७६० ई. में चक्रकोट में शासनरत वल्लभराज से लेकर १३२४ ई. में अंतिम राजा हरिशचंद्र दत्त तक नाग शासको की सूची बेहद ही लंबी है। ७०० साल से अधिक समय तक चक्रकोट में शासन करने वाले नाग राजाओ ने अपने शासन एवं संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है, जो आज भी बस्तर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। उनकी प्राचीन राजधानी बारसूर थी जो आज भी अपने प्राचीन मंदिरो और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है।

अध्ययन पद्धति:—

इस शोध पत्र में प्राचीन बस्तर के क्षेत्रिय इतिहास में नागवंश की ऐतिहासिक भूमिका का आधुनिक इतिहास विश्लेषण की पद्धति में उपाश्रयी इतिहास या जनवादी चिंतन को जोड़कर नूतन विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें पुरा लेखिय प्रकाशित विवरण ग्रंथों का तथा क्षेत्रीय इतिहास के बस्तर विषयक मानक ग्रंथों के अध्ययनों का आधार लेकर नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

विशिष्ट शब्द:—

चोल चालुक्य सातवाहन, दण्डाकारण्य छिन्दक नाम वंशीय काकतीय, चक्रकोट, भ्रमकोट, चित्रकोट, बारसूर

राजकुमारी चमेली देवी का परिचय —

राजकुमारी चमेली देवी छिंदक नामवंश की एक साहसी और प्रभावशाली महिला थी। यद्यपि उनके जीवन के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक साक्ष्य (दस्तावेज) कम उपलब्ध है, लेकिन बस्तर की लोक कथाओ, लोक गीतो और क्षेत्रीय इतिहास में उनका उल्लेख मिलता है।

प्रमुख विशेषताएँ —

● साहस और नेतृत्व :— कहा जाता है, की राज कुमारी चमेली देवी ने कठिन समय में अपने राज्य और जनता की रक्षा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

● धार्मिक आस्था :—

राजकुमारी देवी—देवताओ को उपासना में गहरी आस्था रखती थी, और मंदिर निर्माण तथा धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती थी।

● जन कल्याण :

स्थानीय मान्यताओ के अनुसार, उन्होने अपने शासनकाल या प्रभाव के दौरान प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य की किए।

● ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व —

बस्तर अंचल में आज भी कई स्थानो पर हल्बी, गोड़ी भतरी, आदि लोग गीतो और कहानियो में चमेली देवी से जुड़ी कथायें सुनने को मिलती है। विशेष रूप से दंतेवाड़ा। और उसके आस—पास के क्षेत्रों में चमेली देवी की वीरता त्याग बलिदान की कथाएँ लोक गीता और परंपराओं में सुरक्षित है। राज कुमारी चमेली देवी बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही उनके बारे में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हो, लेकिन लोकमानस में उनकी छवि एक वीर। धार्मिक और जनसेवी राजकुमारी की रही है उनका जीवन हमे यह सिखाता है, कि इतिहास केवल लिखित दस्तावेजों में ही नहीं, बल्कि जनमानस की स्मृतियों में भी जीवित रहती है।

व्याख्या :—

बस्तर में नागवंशी शासको ने १०२३ से १३१३ ई. तक शासन किया राजकुमारी चमेली नाग चित्रकोट्य छिंदक नागवंशी नरेश हरीश चंद्रदेव की पुत्री थी। काकतीय नरेश अन्नमदेव जब बारसूर पर काबिज हुआ। तभी उसे राजकुमारी चमेली की सुंदरता की जानकारी मिली। वह राजकुमारी से विवाह करने को आतुर था। इस संबंध में अन्नमदेव के द्वारा धमकी भरा पत्र राजकुमारी चमेली नाग नाम के पिता हारचंद्र को भिजवाया। राजकुमारी अन्नमदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्रोधित होकर काकतीय वंशीय अन्नमदेव ने नागवंशीय राजधानी चक्रकोट पर आक्रमण किया गया। अत्यंत विरतापूर्वक नागवंशीय राजा हरिशचंद्र और राजगुरु धोधिया लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पिता व

गुरु की मृत्यु सूचना पा कर राजकुमारी चमेली नाग ने स्वाभीमान रक्षा के लिए अन्नमदेव व उसकी सेना का अत्यंत विरता पूर्वक सामना किया परंतु बहुत ज्यादा समय तक वह अन्नमदेव के समक्ष टिक पाने में असमर्थ हुई, अन्नमदेव की सेना ने चारों ओर से उन्हे घेर लिया था. अंत में राजकुमार इंद्रवती नदी के किनारे पूर्व से जलाकर रखे गये अग्नि कुण्ड में गुरु पत्नि झालरमति के साथ आत्म दाह कर लिया राजकुमारी चमेलीनाग में अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए, आज से लगभग ७०० वर्ष पहले चित्तोड की रानी पद्ममावती की तरह जौहर कर लिया था। आज भी चित्रकोट के खाल्हेपारा में इंद्रावती नदी के तट पर चमेली नाम की जीर्णशीर्ण समाधी स्थित है। प्रत्येक वर्ष बस्तर दशहरा में मावली माता मंदिर में राजकुमारी चमेलीनाग के नाम से ज्योति प्रज्ज्वलित की जाती है। शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहणडी गुड़ा जिला बस्तर का नामकरण वीरांगना चमेली नाग शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहणडीगुड़ा के नाम से किया गया है।

निष्कर्ष:— भारत के क्षेत्रिय इतिहास में राज कन्याओं का वीरता पूर्ण कार्य और वीरगति को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण दृष्टांत रहा है। नागवंश की चक्रकोट बस्तर राज्य कन्याओं ने बस्तर के इतिहास को भी अपने वीरता पूर्ण कारनामों से बस्तर को गौरान्वित किया है भारत के इतिहास में बस्तर क्षेत्र के नागवंश शासकों का युग इस दृष्टिकोण से अत्यंत महात्वपूर्ण हो जाता है चमेली देवी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण महिलाएँ लिखित इतिहास से अधिक लोक कथाओं में संरक्षित हैं उनकी कहानी इतिहास और लोक स्मृति के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं।

संदर्भ.ग्रंथ सूची

- बस्तर जिला गजेटियर (मूल प्रकाशन १९०८) संथो संशोधित संस्करण १९९६ ग्रंथ १९७०—१९९०।
- लाला जगदलपुरी, बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति ग्रंथ अकादमी भोपाल १९९६

- ठाकुर, पंडित केंदार नाथ, बस्तर भूषण, रतनपुर रिप्रिंट १९८४
- झा.के.के. बस्तर के लोक नायक, विश्व भारती प्रेस नागपुर, २००६
- बेहार, डॉ० राम कुमार, बस्तर एक अध्ययन भोपाल १९९५
- शुक्ल हीरा लाल, प्राचीन बस्तर नागपुर १९९८
- गुप्त प्यारे लाल, प्राचीन छत्तीसगढ़, रायपुर १९७३
- अग्रवाल, डॉ. के. के. बीसवी शताब्दी का छत्तीसगढ़, रायपुर २००६
- सक्सेना, डा. आभा, सोर्स मटेरियलस ऑन द छत्तीसगढ़ प्रिंसली स्टेट्स, रायपुर, १९८६
- झा, विवेक दत्त, बस्तर—इतिहास एवं पुरातत्व, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी २८—२९ जनवरी २०१४
- अग्रवाल, पी.सी. ह्यूमेन ज्याग्राफी ऑफ दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट (गर्ग ब्रदर्स, इलाहाबाद १९७४)
- शुक्ल, हीरालाल, प्राचीन बस्तर दण्डकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास, विश्व भारती, नागपुर १९८६
- वाल्यानी, जेज्जार, एवं साहसी, बस्तर—कांकेर का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, १९८८
- नागवंशी, विक्रम सिंह, वीरांगना चमेली बावी एक अतिस्मरणीय समर गाथा, ८ जुलाई, २०१३



बदलते परिदृश्य और लोक व्यवहार में विमर्श

डॉ. वर्षा रानी

शिक्षिका

सेजस शहीद स्मारक,

फाफाडीह रायपुर (छ०ग०)

सारांश:—

समाज निरंतर परिवर्तनशील है और समय के साथ उसके स्वरूप, संरचना तथा व्यवहार में भी बदलाव आता रहता है। वर्तमान युग में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव ने हमारे सामाजिक परिदृश्य को तेजी से बदला है। इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव लोक व्यवहार पर पड़ा है, जो किसी भी समाज की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार होता है। इसलिए बदलते परिदृश्य और लोक व्यवहार के बीच संबंधों का विमर्श अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का समाज पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। पहले जहां लोक व्यवहार में परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव था, वहीं अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व बढ़ गया है। यह परिवर्तन विशेष रूप से युवा पीढ़ी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो अपने विचारों और जीवनशैली में अधिक स्वतंत्र और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाती है। इसके परिणामस्वरूप कई पुरानी मान्यताएं और कुरीतियां समाप्त हो रही हैं, जो समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तकनीकी विकास ने लोक व्यवहार को नई दिशा दी है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संचार के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां लोग आपसी बातचीत

और सामाजिक मेलजोल के माध्यम से संबंधों को मजबूत बनाते थे, वहीं अब डिजिटल माध्यमों ने इन संबंधों को एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया है। इससे एक ओर जहां दूरियां कम हुई हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी संबंधों में औपचारिकता और संवेदनहीनता भी बढ़ी है। इस प्रकार तकनीकी प्रगति ने लोक व्यवहार में मिश्रित प्रभाव उत्पन्न किया है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आपसी आदान-प्रदान बढ़ा है, जिससे लोक व्यवहार में विविधता और व्यापकता आई है। लोग अब अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आकर नई परंपराओं और जीवनशैली को अपनाने लगे हैं। हालांकि, इसके कारण स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के कमजोर पड़ने का खतरा भी उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाएं।

साहित्य समाज का वह दर्पण है जिसमें वर्तमान परिदृश्य उभरते हैं। नित नया परिवर्तन समाज में जहाँ प्रगति का बिगुल बजाता प्रतीत होता है वहीं बिगुल के पीछे होता चीत्कार दब जाता है। समाज में सामाजिकता का सम्बन्ध कहीं-न-कहीं क्षीण अवस्था की ओर अग्रसर होता नजर आता है। मनुष्य में मनुष्यता का अभाव और पशुवत प्रवृत्ति की ओर झुकाव स्वस्थ समाज की सतह को जर्जर अवस्था तक पहुँचाने वाला है।

जब मनुष्य का परिवेशीय विकास अपने शाश्वत वैचारिक द्वन्द्व में परिस्थितियों और घटनाओं के बीच असंतुलित नजर आता है। तब समाज निरन्तर हास की ओर उन्मुख होने लगता है। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उदासीनता आमजन की समस्याओं को और भी बढ़ाने वाला है। जहाँ समाज अपनी सभ्यताओं, परम्पराओं के बीच औदार्य, वसुधैव कुटुम्बकम् की विचार-धारा से ओत-प्रोत था वहाँ आज की स्थितियाँ गम्भीरतम होती जा रही हैं। जिनमें नैतिक मूल्यों की अवनति प्रमुख रूप से समाज की सोंच को विकृत करने वाली है। इसे राजाराम त्रिपाठी 'ककसाड़' पत्रिका के माध्यम से अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं— "पारम्परिक मानव मूल्यों का अभूतपूर्व न्हास, सांस्कृतिक, साहित्यिक

का वर्तमान दिशा के साथ खतरे की लक्ष्मण रेखा को पार कर चुकी अपूर्णनीय पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक वर्गों के बीच उत्पन्न असंतुलन एवं असमानता की पाटी न जा सकने वाली खाई आदि इस सदी की गम्भीरतम चिंताओं में से हैं। अतीत में समाजवाद एवं वर्तमान में उपभोक्तावाद, बाजारवाद तथा भूमण्डलीकरण आदि इसके उत्प्रेरक तत्व हैं।¹

भूमण्डलीकरण के इस दौर में हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है जिसके लिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित—सा लगता है। तकनीकी युग में सहजता से अपने लीक से हटकर मानव मनुष्यता को भूलता जा रहा है। इसे बदलते परिदृश्य में सबसे आकर्षण संस्कृति के रूप में पश्चिमी संस्कृति ही देखी जाती है जिसमें ढलती हुई भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु अन्य संस्कृतियाँ भी लीन होती जा रही हैं। अनन्त लालसाओं और चकाचौंध भरी रंगीन दुनिया में अपना रंग मिलाता भारतीय समाज और उसका व्यवहार समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ पर प्रकाश डालते हुए ब्रजेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं— “हमारे पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों का ताना—बाना बदल रहा है। अपनी परम्पराओं से हम कटते जा रहे हैं। हम अपने घर—परिवार, रिश्तों—नातों, मेले—ठेलों अपने उत्सवों, त्योहारों सबसे विमुख होते जा रहे हैं ये सारी चीजें अब हमारे भीतर कोई स्पंदन पैदा नहीं करती।”²

समाज में नित बदलते परिदृश्य (राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक) जिस प्रकार से विघटनकारी व विनाशक स्थिति की ओर उन्मुख हो रहे हैं उससे कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। आज जिस प्रकार की भ्रष्ट नीतियों में संलग्न पक्ष—विपक्ष आम—जन की आँख में मोतियाबिन्द—सा छाया हुआ है। वह आम—जन को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने वाला है। राजनीति के दोनों पलड़े कभी समान नहीं होते यह आम समस्या होती है कि वर्तमान शासन अतीत के शासन (या बीते शासन) से बुरा ही होता है। आगामी शासन वर्तमान शासन की पोल खोलता है पक्ष—विपक्ष राजनीति के तराजू के दो पलड़े हैं कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में। आम जनता वैश्विक स्तर की

राजनीति से पूर्णतया अनभिज्ञ होती है उसे अपनी सामान्य जरूरतों की ज्यादा परवाह होती है। उन्हें तो बस आटा, दाल, सब्जी और सबसे ज्यादा प्रभावी पेट्रोल के दाम ही अच्छी—बुरी राजनीति होती है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी लोक को ही जागरूक होकर देशहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, किन्तु असामाजिक तत्वों के नित नए भ्रमजालों में उलझ जनता अपना हित और अपने अधिकारों को देख नहीं पाती। राजनीति के क्षेत्र का विमर्श सभाओं, रैलियों की भीड़, जोरदार भाषण, चुनावी माहौल की गहमा—गहमी इन्हीं के बीच उलझकर रह जाती है।

प्रायः हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है इसी देश में एक जिले के प्रशासन को देखने वाले डी. एम. को विश्व स्तर की जानकारी रखनी होती है, त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली को पार कर वह प्रशासन के योग्य हो पाता है और पूरे देश का प्रशासन चलाने वाले के लिए कोई परीक्षा का विधान संविधान में नहीं उल्लिखित है। परिणामतः देश को सुचारु ढंग से चलाने के लिए राजनीति के दाँव—पेंचों से ही अनुभव एकत्र किया जाता है जहाँ विमर्श नहीं विधान की आवश्यकता है। समाज में जिस प्रकार का शोषण व्याप्त है राजनीति को लेकर, इस व्यस्ततम समाज में एक आम व्यक्ति किस प्रकार से स्वार्थी तत्वों के मुख का निवाला बन जाता है उसे कवि दुष्यन्त ने अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है—

“तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए,
छोटी—छोटी मछलियाँ चारा बनाकर फेंक दी।”³

वहीं बदलता परिवेश राजनीति से हटकर समाज में सामाजिक सम्बन्धों की नींव खोखली कर रहा है, सामाजिकता का बन्धन ढीला पड़ता जा रहा है। धर्मान्धता से ग्रस्त समाज में वास्तविक धर्म ‘मानवता’ के लिए कोई स्थान नहीं दिखता मानवता प्रेमी व्यक्ति की अभिव्यक्ति भी गुम होती नजर आ रही है।

समाज में सभ्यता, संस्कृति और आचरण जैसे तत्व अतिआधुनिकता के भ्रमजाल में उलझ कर अपने अस्तित्व को संकट में पड़ा देखने को विवश है, समाज का मूल्य सामाजिकों की उपभोक्तावादी अंधी

दौड़ में तिरोहित हो रहा है। ब्रजेन्द्र त्रिपाठी ठीक ही कहते हैं— “आज के बाजार में ईमानदारी, सच्चाई, सच्चरित्रता, मूल्यबोध खोटे सिक्के हो गए हैं। आजादी मिलने के बाद इन पैसठ वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। भूमण्डलीय संस्कृति को एक उद्योग में परिणत कर रहा है और उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक गढ़ रहा है। इसके लिए विजय या सफलता ही महत्वपूर्ण है, भले ही वह किसी भी साधन से प्राप्त की गई है।”^४

बढ़ती उपभोक्तावादी नीतियों की बलि चढ़ता सभ्य समाज हास की ओर उन्मुख है जिसमें अमानवीय कृत्य महिला वर्ग का शोषण, हिंसा भी सम्मिलित है। तकनीकी माध्यमों ने जहाँ विश्व को एक कड़ी में जोड़ रखा है, विकास के नाम पर जहाँ अधिकतर भारतीय हाथों में स्मार्टफोन सुशोभित है, जहाँ उन्हें गूगल देव सारी सूचनाएँ अँगुलियों के इशारे से उपलब्ध कराते हैं, हजारों किलोमीटर बैठा मानव अपने सगे सम्बन्धियों के बीच स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाता है। कितनी छोटी दुनिया का ज्ञान करता यह जाल समाज के बीच से अपनेपन की गंध को सोखता जा रहा है। संभ्रान्त घरों, जिसमें मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है, परिवार में हर सदस्य के हाथ में हजारों के मूल्य वाला स्मार्टफोन चमकता मिलता है।

भारतीय समाज में हो रही इस प्रकार की क्रान्ति ने पारिवारिक रिश्तों में दरार डालने का ही कार्य किया है। पति—पत्नी के बीच फोन एक समस्या, बच्चों के हाथों में फोन का खिलौना एक समस्या, बस, ट्रेन, चौराहे, नुककड़, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज जहाँ चार लोग खड़े मिले वहाँ दो के हाथों को आप मोबाइल में व्यस्त पायेंगे। इस प्रकार के विकास ने समाज की संवेदना को ढँक रखा है। विनीता रघुवंशी प्रश्न करती हैं— “इक्कीसवीं सदी सवाल्यों और संभावनाओं की सदी है। सदी के समक्ष सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूँढ़ना है— समाज का अनुकरण या भारतीय समाज की पुनर्पहचान, साम्प्रदायिकता या असांभ्रदायिकता, हिंदुत्व या बन्धुत्व आदि। संचार क्रान्ति ने विश्व को समीपता दी है पर क्या संचार माध्यमों ने मनुष्य को अकेला नहीं किया?”^५

समाज, में इस प्रकार से होता लोक व्यवहार विमर्श के दायरे में है और नित सामाजिक विमर्श की डुगडुगी पीटी जाती है बहसें होती हैं, विमर्श भी पर समाज में परिवर्तन के नाम पर ढाक के वही तीन पात। शब्द एक सामाजिक सम्पत्ति के रूप में अभिव्यक्त होकर जो ताना—बाना रचते हैं उनमें समाज को दर्पण दिखाने का साहस भी होता है। आज के बदलते परिवेश में साहित्य भरपूर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन साहित्य बाजार को देखकर व्यवसाय के तौर पर लिखा जा रहा है। संचार माध्यमों पर साहित्यिक उछाल आने से पहले की अपेक्षा सामग्री बैठे—बैठे हाथों—हाथ हो जाती है किन्तु लेखन शैली कुण्ठित होती जा रही है। साहित्य समाज का दस्तावेज सदियों से प्रस्तुत करता आया है साहित्य और सिनेमा समाज को जिस प्रकार प्रभावित करते हैं, वह समाज में घटनाओं के माध्यम से देखने—सुनने में आता है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में सुरेश चन्द्र शुक्ल कहते हैं— “भूमण्डलीकरण में संचार माध्यमों में आयी तेजी से हमारी संस्कृति, नाटक, सीरियल, गीत—संगीत, भाषा और भारतीय भोजन व्यंजनों का तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रसार और विस्तार हुआ है।”^६ अन्तर् राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य की पकड़ मजबूत हो रही है इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु सामाजिक तादात्म्य के स्तर पर हम नित बौने सिद्ध होते हैं जब आचरण की शुद्धता पर हम खरे नहीं उतरते।

विमर्शों की भीड़ में मुख्य दलित विमर्श, स्त्री विमर्श के कई रूप—ट्रांसजेंडर विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श, साहित्य विमर्श, समाज विमर्श, बाल विमर्श आदि। विमर्शों की आवा—जाही के बीच लोक का आचरण, उनका व्यवहार जिस प्रकार नकारात्मक तत्वों की ओर अग्रसर हो रहा है वह समाज की श्वास को प्रदूषित कर रहा है। आम आदमी की घुटती साँसें, किसानों की आत्महत्याएँ, बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी समाज, स्त्रियों के साथ नित हो रहे घिनौने अपराधों की लिस्ट, घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ते स्त्री—पुरुष, भावी पीढ़ी के परवरिश में पिसते माँ—बाप, पर्यावरण का प्रदूषित स्तर, भूस्तरीय समस्याएँ आदि इन सबके बीच मानव से मानव का आत्मीय सम्बन्ध, समकालीन

यथार्थोन्मुखी चेतनता, सार्वजनिक समस्याओं के समाधान की व्याकुलता, साहित्य का यथार्थ धरातल सब कुछ जो मानव जाति के लिए उचित है वह बना रहना चाहिए जिसके लिए प्रयास हर एक स्तर पर करना आवश्यक है। इक्कीसवीं सदी में जिस उदारीकरण, बाजारीकरण, भू-मण्डलीकरण ने संघर्षों की स्थितियों को तीव्र किया है उससे उबरने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में लोक-व्यवहार को आचरणयुक्त करने में ही श्रेष्ठ मानव धर्म परिलक्षित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- डॉ. त्रिपाठी. राजाराम, ककसाड़ (पत्रिका), (केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, MHRD (उ.शि.वि) भारत सरकार की ओर से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण हेतु खरीद के लिए स्वीकृति), पृ.—४
- सं. चतुर्वेदी. त्रिलोकी नाथ, साहित्य अमृत (पत्रिका), अंक १०, वर्ष १८, मई २०१३, पृ.—६४
- चौहान. उमेश, सृजन, समाज और संस्कृति, इलाहाबाद : साहित्य भंडार प्रकाशन, चाहचन्द, पृ.—८७
- सं. चतुर्वेदी. त्रिलोकी नाथ, साहित्य अमृत (पत्रिका), अंक १०, वर्ष १८, मई २०१३, पृ.—६४
- डॉ. शुक्ल. धीरेन्द्र, हिंदी नाट्य परिदृश्य, नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान, सं. २०१६, पृ. १४८
- शुक्ल. सुरेश चन्द्र, SPEIL दर्पण (पत्रिका), E-mail-speil-nett@gmail-com, Post Box 31, Veitvt OS18, OSLO, NORWAY, पृ.—१७



डॉ. अंबेडकर और कार्लमार्क्सः सामाजिक न्याय की अवधारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. कमलेश कुमार

सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग,
सी. पी. वर्मा महाविद्यालय, सिमरी, बिहटा, पटना

सारांश

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर और कार्लमार्क्स आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक चिंतन के दो ऐसे महान विचारक हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने-अपने संदर्भों में गहराई से स्पष्ट किया। अंबेडकर का चिंतन मुख्यतः भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत असमानता, सामाजिक बहिष्कार और मानव गरिमा के प्रश्नों पर केंद्रित था, जबकि कार्लमार्क्स का दर्शन वर्ग-संघर्ष, पूँजीवादी शोषण और आर्थिक असमानता के विश्लेषण पर आधारित था। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के समन्वित स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। उन्होंने जाति-व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का मूल कारण मानते हुए इसके उन्मूलन के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक और नैतिक उपायों पर बल दिया (अंबेडकर, १९४७; शर्मा, २०२०)। इसके विपरीत, कार्लमार्क्स ने सामाजिक न्याय को आर्थिक संरचना से जोड़ते हुए यह प्रतिपादित किया कि वर्ग-विहीन समाज की स्थापना ही वास्तविक न्याय की प्राप्ति का मार्ग है (मार्क्स, १८६७; सिंह, २०२१)। दोनों विचारकों के चिंतन में समानता की अवधारणा केंद्रीय स्थान रखती है, परंतु उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। अंबेडकर ने

यह शोध सामाजिक न्याय की अवधारणा को अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके (कुमार, २०२२)।

१. डॉ. अंबेडकर और कार्लमार्क्स के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करना।

२. दोनों विचारकों के दार्शनिक आधार और दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।

३. जाति—व्यवस्था और वर्ग—संघर्ष के संदर्भ में उनके विचारों की तुलना करना।

४. समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणाओं में समानताओं और भिन्नताओं को स्पष्ट करना।

५. दोनों विचारकों द्वारा सुझाए गए सामाजिक परिवर्तन के उपायों का मूल्यांकन करना।

६. आधुनिक समाज में उनके विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।

७. सामाजिक न्याय के लिए एक समन्वित और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

इस अध्ययन की प्रमुख परिकल्पना यह है कि डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर और कार्लमार्क्स दोनों ही सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक हैं, किंतु उनके दृष्टिकोण, साधन और प्राथमिकताएँ भिन्न हैं। अंबेडकर का चिंतन मुख्यतः सामाजिक असमानता, विशेषकर जाति—व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित है, जबकि मार्क्स का दर्शन आर्थिक असमानता और वर्ग—संघर्ष के विश्लेषण पर केंद्रित है। दूसरी परिकल्पना यह है कि अंबेडकर का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक, संवैधानिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का समन्वय आवश्यक माना गया है। इसके विपरीत, मार्क्स का दृष्टिकोण क्रांतिकारी परिवर्तन और आर्थिक संरचना के पुनर्गठन पर आधारित है, जिसमें वर्ग—विहीन समाज की स्थापना को सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तीसरी परिकल्पना यह है कि यद्यपि दोनों विचारकों के दृष्टिकोण में भिन्नताएँ हैं, फिर भी उनके विचारों का समन्वय

आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय की व्यापक और प्रभावी अवधारणा प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार, यह अध्ययन यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताओं को समाप्त किए बिना वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है।

शोध पद्धति

इस अध्ययन में डॉ. अंबेडकर और कार्लमार्क्स के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए गुणात्मक अनुसंधान पद्धतिका उपयोग किया गया है। यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें दोनों विचारकों के मूल ग्रंथों और द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में अंबेडकर की प्रमुख कृतियाँ.. जैसे जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धम्म तथा संविधान सभा के भाषण. . और मार्क्स की कृति दास कैपिटल को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से उनके मूल विचारों को समझने का प्रयास किया गया है (अंबेडकर, १९४७; मार्क्स, १८६७)। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों, शोध पत्रों और आलोचनात्मक लेखों का अध्ययन किया गया है, जिनसे दोनों विचारकों के दर्शन की व्याख्या और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है (शर्मा, २०२०; सिंह, २०२१; कुमार, २०२२)। अध्ययन में तुलनात्मक पद्धतिका प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, वर्ग—संघर्ष और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं की तुलना की गई है। साथ ही, पाठ—विश्लेषण और वैचारिक व्याख्या के माध्यम से दोनों विचारकों के सिद्धांतों की गहराई और समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया गया है।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर और कार्लमार्क्स आधुनिक युग के दो ऐसे महत्वपूर्ण चिंतक हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने—अपने संदर्भों में गहराई से व्याख्यायित किया। यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना था, तथापि उनके

चिंतन की आधारभूमि, विश्लेषण की दिशा तथा परिवर्तन की विधियाँ भिन्न थीं। अंबेडकर का चिंतन भारतीय समाज की जाति—व्यवस्था और सामाजिक असमानता के उन्मूलन पर केंद्रित था, जबकि मार्क्स का दर्शन आर्थिक असमानता, वर्ग—संघर्ष और पूँजीवादी शोषण के विश्लेषण पर आधारित था (अंबेडकर, १९४७य मार्क्स, १८६७)।

१. सामाजिक न्याय की अवधारणा में अंतर और समानता

अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ हैकृप्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करना। उन्होंने इसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के समन्वित रूप में प्रस्तुत किया। इसके विपरीत, मार्क्स ने सामाजिक न्याय को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा और यह प्रतिपादित किया कि वर्ग—विहीन समाज की स्थापना ही वास्तविक न्याय का आधार है (शर्मा, २०२०; सिंह, २०२१)। दोनों विचारकों में समानता यह है कि दोनों ही शोषण और असमानता के विरोधी थे, किंतु अंबेडकर का ध्यान सामाजिक संरचना पर था, जबकि मार्क्स का ध्यान आर्थिक संरचना पर केंद्रित था।

२. असमानता का आधार: जाति बनाम वर्ग

| पहलू | अंबेडकर का दृष्टिकोण | मार्क्स का दृष्टिकोण |
|------------------|----------------------|----------------------|
| असमानता का आधार | जाति-व्यवस्था | वर्ग-संघर्ष |
| विभाजन का स्वरूप | सामाजिक-धार्मिक | आर्थिक |
| शोषण का स्वरूप | सामाजिक बहिष्कार | आर्थिक शोषण |

अंबेडकर ने जाति को एक स्थायी और कठोर सामाजिक संरचना माना, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बाधित करती है। दूसरी ओर, मार्क्स ने वर्ग—संघर्ष को आर्थिक संबंधों का परिणाम माना, जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से उत्पन्न होता है।

३. परिवर्तन की प्रक्रिया

अंबेडकर का विश्वास लोकतांत्रिक और संवैधानिक उपायों में था। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कानून के माध्यम से परिवर्तन का

मार्ग सुझाया। उनका मानना था कि समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए नैतिक और वैचारिक सुधार आवश्यक हैं (अंबेडकर, १९५७)। इसके विपरीत, मार्क्स ने क्रांति को परिवर्तन का प्रमुख साधन माना। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग को संगठित होकर संघर्ष करना होगा (मार्क्स, १८६७)।

४. समानता की अवधारणा

अंबेडकर के लिए समानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी थी। उन्होंने अवसर की समानता और मानव गरिमा को विशेष महत्व दिया। मार्क्स ने समानता को मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार, जब तक उत्पादन के साधनों का समान वितरण नहीं होगा, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है (कुमार, २०२२)।

५. स्वतंत्रता की व्याख्या

अंबेडकर ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास से जोड़ा। उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति और जीवन शैली की स्वतंत्रता को आवश्यक माना। मार्क्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक बंधनों से मुक्ति था। उन्होंने यह माना कि पूँजीवादी शोषण से मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है (सिंह, २०२१)।

६. बंधुत्व बनाम वर्ग चेतना

अंबेडकर ने बंधुत्व को सामाजिक एकता और सह—अस्तित्व का आधार माना। उनके अनुसार, बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता दोनों अस्थिर हो जाते हैं। इसके विपरीत, मार्क्स ने वर्ग चेतना को महत्व दिया, जिसमें श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। यहाँ नैतिकता की अपेक्षा संघर्ष और संगठन को अधिक महत्व दिया गया है।

७. धर्म और नैतिकता का दृष्टिकोण

अंबेडकर ने धर्म को नैतिकता और मानवता का आधार माना और बौद्ध धर्म को अपनाकर करुणा और समता का संदेश दिया। मार्क्स ने धर्म को शोषण का उपकरण बताया और इसे “जनता की अफीम” कहा। उनके अनुसार धर्म लोगों को वास्तविक समस्याओं से दूर रखता है (मार्क्स, १८६७)।

८. राज्य और लोकतंत्र की भूमिका

अंबेडकर ने राज्य और संविधान को सामाजिक न्याय के साधन के रूप में देखा। उन्होंने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की पद्धति माना। मार्क्स ने राज्य को शोषण का उपकरण माना और वर्ग—विहीन समाज में राज्य के समाप्त होने की कल्पना की।

९. तुलनात्मक सारणी

| आयाम | अंबेडकर | मार्क्स |
|--------------|---------------------|----------------------|
| मुख्य समस्या | जातिगत असमानता | आर्थिक असमानता |
| समाधान | संविधान और सुधार | क्रांति |
| लक्ष्य | सामाजिक लोकतंत्र | वर्ग-विहीन समाज |
| दृष्टिकोण | नैतिक एवं सामाजिक | आर्थिक एवं भौतिक |
| विधि | शांतिपूर्ण परिवर्तन | क्रांतिकारी परिवर्तन |

१०. समकालीन प्रासंगिकता

वर्तमान समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताएँ मौजूद हैं। ऐसे में अंबेडकर और मार्क्स दोनों के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

□ अंबेडकर → सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान अधिकार

□ मार्क्स → आर्थिक समानता, श्रमिक अधिकार
आज के वैश्वीकरण और पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, जबकि सामाजिक असमानता भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए दोनों विचारकों के सिद्धांतों का समन्वय आवश्यक है (कुमार, २०२२)।

इस तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अंबेडकर और मार्क्स दोनों ने सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु उनके दृष्टिकोण अलग—अलग आयामों पर आधारित थे।

□ अंबेडकर → सामाजिक, नैतिक न्याय

□ मार्क्स → आर्थिक न्याय

यदि दोनों विचारधाराओं के सकारात्मक पक्षों को एकीकृत किया जाए, तो एक ऐसा समाज स्थापित किया जा सकता है, जहाँ सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताओं का प्रभावी

समाधान संभव हो।

समस्याएँ एवं समाधान

डॉ. अंबेडकर और कार्लमार्क्स के सामाजिक न्याय संबंधी सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों के विचार अत्यंत प्रभावशाली होने के बावजूद उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे प्रमुख समस्या यह है कि आधुनिक समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समानांतर रूप से विद्यमान हैं, जबकि दोनों विचारक इन असमानताओं के अलग—अलग आयामों पर केंद्रित थे। अंबेडकर ने जाति—व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का मूल कारण माना, परंतु आज भी जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है (अंबेडकर, १९४७; शर्मा, २०२०)। दूसरी ओर, मार्क्स का वर्ग—संघर्ष सिद्धांत आर्थिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास करता है, किंतु आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। श्रमिक वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच अंतर आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है (मार्क्स, १८६७; सिंह, २०२१)। एक अन्य समस्या यह है कि अंबेडकर का संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तथा मार्क्स का क्रांतिकारी दृष्टिकोण व्यावहारिक स्तर पर एक—दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, जिससे इनके समन्वय में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल सामाजिक सुधार या केवल आर्थिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोनों का समन्वय आवश्यक है। यह भी पाया गया कि अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक समावेश और नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है, जबकि मार्क्स का दृष्टिकोण आर्थिक समानता और शोषण के उन्मूलन पर बल देता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय की प्रभावी स्थापना के लिए अंबेडकर और मार्क्स दोनों के विचारों का संतुलित और समन्वित उपयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर और कार्लमार्क्स दोनों ही सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, किंतु उनके दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में मौलिक अंतर था। अंबेडकर ने सामाजिक असमानता, विशेषकर जाति—व्यवस्था के उन्मूलन पर बल देते हुए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सामाजिक लोकतंत्र की आधारशिला माना। वहीं, मार्क्स ने आर्थिक असमानता और वर्ग—संघर्ष को सामाजिक अन्याय का मूल कारण बताते हुए वर्ग—विहीन समाज की स्थापना को लक्ष्य बनाया (अंबेडकर, १९५७; मार्क्स, १८६७)। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताएँ विद्यमान हैं, इसलिए केवल एक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। अंबेडकर का संवैधानिक और नैतिक दृष्टिकोण तथा मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण दोनों मिलकर एक व्यापक और प्रभावी सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हैं (कुमार, २०२२; सिंह, २०२१)। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि इन दोनों विचारधाराओं के सकारात्मक तत्वों को समन्वित रूप से अपनाया जाए, तो एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना संभव है।

सुझाव

१. सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को एक साथ संबोधित करने वाली नीतियाँ बनाई जाएँ।
२. शिक्षा के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार किया जाए।
३. जाति और वर्ग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सशक्त कानूनी उपाय किए जाएँ।
४. श्रमिक वर्ग के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए।
५. अंबेडकर और मार्क्स के विचारों का समन्वित अध्ययन शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए।
६. सामाजिक सद्भाव और आर्थिक न्याय के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।

संदर्भ सूची

१. अंबेडकर, बी. आर. (१९४७). जाति का विनाश. नई दिल्ली: सरकारी प्रकाशन. pp. २५—६०.
२. अंबेडकर, बी. आर. (१९४९). संविधान सभा में भाषण. नई दिल्ली: भारत सरकार. pp. २००—२३०.
३. अंबेडकर, बी. आर. (१९५५). राज्य और अल्पसंख्यक. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग. pp. ७५—११०.
४. अंबेडकर, बी. आर. (१९५७). बुद्ध और उनका धम्म. नागपुर: बुद्ध प्रकाशन. pp- १००—१५०.
५. कुमार, ए. (२०२२). सामाजिक न्याय और तुलनात्मक दर्शन. भारतीय सामाजिक अध्ययन पत्रिका, ८(२), १०१—११५.
६. मार्क्स, क. (१८६७). दास कैपिटल (Das Kapital). लंदन: पेंगुइन प्रकाशन. pp. १२०—१८०.
७. प्रसाद, एम. (२०२१). मार्क्सवाद और भारतीय समाज. भारतीय दार्शनिक अध्ययन, ६(२), ७०—८५.
८. शर्मा, आर. (२०२०). अंबेडकर का सामाजिक और राजनीतिक चिंतन. नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन. pp. ५५—९०.
९. सिंह, पी. (२०२१). मार्क्स और अंबेडकर का तुलनात्मक अध्ययन. समाज विज्ञान समीक्षा, १०(३), ८८—१०२.



समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन

संतोष कुमार

शिक्षाशास्त्र (नेट उत्तीर्ण)

श्रीपुर बहादुरपुर

पो.—मल्हीपट्टी बहादुरपुर जिला—दरभंगा (बिहार)

सार—संक्षेप

समावेशी शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके तहत सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाता है, बल्कि यह बच्चों में सहिष्णुता, सहकारिता और समानता के भाव को भी विकसित करता है। जब बच्चे एक साथ विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, तो वे एक-दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और समझ विकसित करते हैं। यह समाज में समालोचना या सामाजिक विभाजन को कम करने का कार्य करता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना है। यह विचारधारा न केवल शैक्षिक संस्थानों में सुधार लाने का प्रयास करती है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देती है। प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों की अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चों को समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी और समझ होती है, तो वे इसे अपनाने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को विशेष जरूरतों वाले साथियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने

का अवसर मिलता है, वे अधिक सहिष्णु और सहयोगी होते हैं। ऐसे छात्रों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मदद करने का भाव विकसित होता है, जो कि उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना में छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की अभिवृत्ति और जागरूकता एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह आवश्यक है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी संबंधित व्यक्तियों को उद्दीप्त किया जाए ताकि वे एक समावेशी और सहिष्णु समाज का निर्माण कर सकें। इसके परिणामस्वरूप न केवल शिक्षा के क्षेत्र में संपन्नता आएगी, बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव होंगे। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह मानवता को सम्मान देने का एक तरीका है, जो सभी के लिए समान अवसरों का निर्माण करता है। इस दिशा में सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भविष्य के समाज को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके।


परिचय:

समावेशी शिक्षा, समकालीन शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित हो रही अवधारणा है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार पुनर्गठित करने पर बल देती है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, योग्यता, क्षमता या विकलांगता कुछ भी हो, सामान्य कक्षा में अपने साथियों के साथ सीख सके और विकसित हो सके। समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने से कहीं अधिक व्यापक है। यह एक व्यापक दर्शन है जो सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। यह सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समावेशी शिक्षा के कई लाभ हैं, जिनमें शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लाभ शामिल हैं।

समावेशी शिक्षा को लागू करने में कई चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है यदि सरकारें, शिक्षक, माता-पिता और समुदाय के सदस्य मिलकर काम करें। समावेशी शिक्षा एक न्यायसंगत, समतापूर्ण और समावेशी समाज बनाने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले।

समावेशी शिक्षा का महत्व




समावेशी शिक्षा का महत्व

समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाने की क्षमता रखती है। यह एक व्यापक दर्शन है जो विविधता का सम्मान करता है, समान अवसरों को बढ़ावा देता है और सभी बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है। हालांकि समावेशी शिक्षा को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत अधिक हैं। मजबूत नीति और कानून, पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, सक्रिय अभिभावकों और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम समावेशी शिक्षा को एक वास्तविकता बना सकते हैं और सभी बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं है; यह सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि यह एक ऐसे समाज का निर्माण करने में मदद करता है जो विविधता का सम्मान करता है और सभी को स्वीकार करता है। समावेशी शिक्षा एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और हमें लगातार सीखने और विकसित होने के लिए तैयार

रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

समावेशी शिक्षा के स्तंभ



प्रारंभिक विद्यालय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली की नींव है और इन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की सफलता छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की अभिवृत्ति और जागरूकता पर निर्भर करती है। इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वे इस अवधारणा के बारे में कितने जागरूक हैं और उनके दृष्टिकोण और जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। उनकी अभिवृत्ति और जागरूकता का स्तर यह निर्धारित करेगा कि वे समावेशी शिक्षा को कितनी अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं और उसे अपनी शिक्षण पद्धतियों में शामिल करते हैं।

समावेशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह प्रत्येक बालक को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं, योग्यताओं या अक्षमताओं के भेदभाव के बिना, शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करती है। प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और उनके बोध का विश्लेषण करना, इस व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य कदमों की पहचान में सहायक सिद्ध होगा। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षकों और अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु उचित नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। यह एक ऐसा निवेश है जो न केवल व्यक्तिगत

स्तर पर छात्रों के जीवन का उत्थान करेगा, बल्कि एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। भविष्य में ऐसे शोध कार्यों का विस्तार आवश्यक है ताकि समावेशी शिक्षा की संकल्पना को धरातल पर पूर्णतः उतारा जा सके।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, जिससे उन्हें सीखने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर मिल सके। समावेशी शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो न केवल वंचित और हाशिए पर रहने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है, बल्कि सभी छात्रों के लिए एक अधिक सहिष्णु, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण भी करती है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ व्यापक हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा प्रणाली की नींव होने के नाते, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की अभिवृत्ति और जागरूकता ही यह निर्धारित करती है कि वे भविष्य में समावेशी समाज के निर्माण में कितने सक्षम होंगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और जागरूकता का अध्ययन करें, ताकि हम इस दिशा में प्रभावी कदम उठा सकें।

समावेशी शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की अभिवृत्ति और जागरूकता को बढ़ाकर, हम सभी बच्चों को सीखने और विकसित होने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। यह अध्ययन समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति और जागरूकता को समझने में मदद करेगा, और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा। समावेशी शिक्षा के माध्यम से, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ सभी को समान अवसर मिलें, और सभी

अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें। यह न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है। एक समावेशी समाज, एक मजबूत और अधिक समृद्ध समाज होता है।

प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति और जागरूकता, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, यह अध्ययन समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधानों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगा। यह प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जागरूकता विकसित करने में सहायक होगा, जिससे प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्राप्त हो सके और एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके।

प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और जागरूकता, बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्ययन के परिणामों से शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों और अभिभावकों को समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने और सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह अध्ययन, भारत में समावेशी शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और एक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।


समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में छात्र, शिक्षक और प्रधानाध्यापक का योगदान

समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, तीनों ही इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति और पर्याप्त जागरूकता रखें। इसलिए, इस दिशा में एक अध्ययन आयोजित करना अनिवार्य हो जाता है, जिसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति उनकी धारणाओं, दृष्टिकोणों और ज्ञान के स्तर का आकलन करना है। भारत में, समावेशी शिक्षा अभी भी एक विकासशील प्रक्रिया है। जबकि सरकार

और शिक्षा विभाग इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं, जमीनी स्तर पर इसकी वास्तविकता को समझना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विद्यालयों में, जहाँ बच्चों की नींव रखी जाती है, समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना अत्यंत आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी लोगों के प्रयासों की आवश्यकता है। यह अध्ययन प्रारंभिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देंगे और प्रारंभिक विद्यालयों में समावेशी वातावरण बनाने में सहायक होंगे। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। इस प्रकार, यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में ले जाता है, जहां हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलता है।

समावेशी शिक्षा में योगदान का अनावरण



निष्कर्ष:

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की अभिवृत्ति और जागरूकता का अध्ययन करना एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है। समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण

करना, उपयुक्त अनुसंधान विधियों का चयन करना, सावधानीपूर्वक प्रतिभागियों का चयन करना, डेटा संग्रह के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करना, डेटा का विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सिफारिशें तैयार करना, अध्ययन के परिणामों का प्रसार करना और नैतिक विचारों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इन सुझावों का पालन करके, हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। यह अध्ययन न केवल नीति निर्माताओं और शिक्षा प्रशासकों को समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने में मदद करेगा, बल्कि शिक्षकों को समावेशी कक्षा वातावरण बनाने और छात्रों को समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने में भी मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार, यह अध्ययन समग्र रूप से समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देगा।

संदर्भ स्रोत:

1. एस. एम. शर्मा, (२०१४), समावेशी शिक्षा का महत्व, कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ.८९
2. दीक्षा राय, (२००९), समावेशी शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, पृ.८९
3. एम. एस. शुक्ला, (२०१२), प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों पर समावेशी शिक्षा का प्रभाव, जयश्री पब्लिकेशन, आगरा, पृ.१२१.
4. मनोज वर्मा, (२०१४), समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों में जागरूकता, यश पब्लिकेशन, मथुरा पृ.८७.
5. मनोहर जैन, (२०१९) समावेशी शिक्षा के प्रति प्रधानाध्यापकों में जागरूकता, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.१३८.
6. बी. डी. तिवारी, (२०१६), समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों में अभिवृत्ति, साहित्य भवन पब्लिकेशन पटना, पृ.३१
7. अशोक प्रसाद सिन्हा, (२०१८), समावेशी शिक्षा के प्रति छात्रों में अभिवृत्ति, उपकार प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.२१४.



चषकविवृतितरङ्गिणीटीकालोकेन तर्कामृतगतसमवायपदार्थनिरूपणम्

श्रीमदन—पात्रः

Madan Patra

C/O - Surendranath Patra

Vill- Sarrang, P.O- Jahalda, Purba Medinipur

शोधसारः

तर्कामृतग्रन्थे उल्लिखितस्य समवायपदार्थस्य त्रिभिः चषकविवृतितरङ्गिणीटीकाकारैः समीक्षणम्। वैशेषिकमते समवायस्य सिद्धिः यथा अनुमानेन सम्भवति तथैवकार्यं यथावच्छेदकसम्बन्धेनापि समवायस्य अस्तित्वसिद्धिः सम्भवति। समवायस्य सामान्यतः एकत्वादपि नानात्वकल्पना कृता टीकाकारैः।

कूटशब्दाः — अयुतसिद्धिः, सम्बन्धः, समवायः, अनुयोगी, प्रतियोगी, अनुमानम्।

उपक्रमः

समवायनामकः पदार्थः न्यायवैशेषिकस्वीकृतेषु सप्तपदार्थेषु एकः अन्यतमः षष्ठ—पदार्थः। सम—पूर्वकात् अव—पूर्वकात् च गमनार्थकात् इ—धातोः अच्—प्रत्ययेन समवायपदमिदं सिद्धति। स च सम्बन्धरूपः एकः असाधारणपदार्थः न्यायवैशेषिकमते। सम—पूर्वकात् बन्ध—धातोः घञ्—प्रत्ययेन सम्बन्धशब्दोऽयं निष्पन्नः। सम्बन्धः नाम संसर्गः। सम्यग् बन्धः सम्बन्धः इति काव्यज्ञाः। बन्धः नाम बन्धनम्। सम्बन्धः सम्बन्धिद्वयोर्मध्ये प्रतीयते। सम्बन्धिद्वौ यथा— प्रतियोग्यनुयोगि च। यस्मिन् पदार्थे अन्यपदार्थस्य सम्बन्धो जायते अथवा यः अभावस्य अधिकरणं भवति स अनुयोगी। अनुयोगिनि अनुयोगिता नामकः एकः धर्मः तिष्ठति। अनुयोगिभूतपदार्थे यस्य अपरपदार्थस्य अन्वयो जायते सः प्रतियोगी अथवा यस्याभावः सः प्रतियोगी।

प्रतियोगिनि प्रतियोगिता नामक एको धर्मः तिष्ठति। अनयोः अनुयोगि—प्रतियोगिभूतपदार्थद्वयोः संसर्गः सम्बन्धः। यथा— तन्तुषु पटः जायते, अत्र तन्तुः एकं भिन्नवस्तु पटोऽपि एकं भिन्नवस्तु परन्तु अनयोः सम्बन्धिद्वयोर्मध्ये यः संसर्गः स एव सम्बन्धः। अयं सम्बन्धः समवायनाम्ना उच्यते। कः नाम समवायः? तत् शास्त्रीयपरिभाषया तर्कामृतकारेण श्रीजगदीशतर्कलङ्कारमहोदयेन उक्तम्— “स्वसम्बन्धिभिन्नो नित्यः सम्बन्धः समवायः।” समवायस्य सम्बन्धीअर्थात् अनुयोगी प्रतियोगी च कचित् द्वयनित्यम् पुनः कचित् एकं नित्यम् अपरमनित्यञ्चकचित्द्वयमेवानित्यम् भवति। समवायस्य सम्बन्धिद्वयं अनित्यत्वे सति समवायः संयोगवत् न अनित्यः। भावस्य अर्थात् सत्तासामान्यस्य कारणम् अविद्यत्वात् सत्ता यथा नित्या तद्वत् समवायस्य कारणम् अविद्यत्वात् समवायोऽपि नित्यो भवति। समवायलक्षणे ‘स्वसम्बन्धिभिन्नो’ इति पदप्रयोगं स्वरूपसम्बन्धे अतिव्याप्तिवारणाय। स्वरूपसम्बन्धः एकः नित्यसम्बन्धः, तस्य अनुयोगी प्रतियोगी च भिन्नौ न स्थः। स्वरूपसम्बन्धः कदापि अनुयोगिस्वरूपः कदापि प्रतियोगिस्वरूपश्च भवति। यथा— गगने रूपाभावः। अत्र गगनः अनुयोगी अपि च रूपाभावः प्रतियोगी। उभयं नित्यत्वात् रूपाभावस्य स्वरूपसम्बन्धोऽपि नित्यः। अतएव लक्षणस्थितं ‘स्वसम्बन्धिभिन्नो’ इति पदं स्वरूपसम्बन्धे अतिव्याप्तिवारणार्थम्। लक्षणे ‘नित्यः’ इति पदप्रयोगेन संयोगसम्बन्धः निरासो भवति। संयोगः एकः सम्बन्धः, सः अनुयोगिप्रतियोगिभ्यां भिन्नः स्यात् अपि च स एकः अनित्यसम्बन्धः। सम्बन्धरूपः समवायपदार्थः यद्यपि द्वयोः वस्तुनोर्मध्ये अर्थात् अनुयोगिप्रतियोगिनोर्मध्ये दृश्यते तथापि अनेन एका विशिष्टा बुद्धिः जायते। तरङ्गिणीटीकायामुच्यते—

“विशिष्टबुद्धेर्वैशिष्टविषयत्वनियमादिति भावः”। विवृतिकारेणापि उक्तम्— “सम्बन्धित्वमत्र सम्बन्धि प्रतियोग्यनुयोगिरूपम्। सम्बन्धित्वञ्च विशिष्टधीविषयत्वरूपं ग्राह्यम्। तथा च सम्बन्धप्रतियोग्यनुयोगिभिन्नत्वे सति नित्यत्वे च सति सम्बन्धत्वं समवायत्वमितपर्यवसितम्”। तर्कामृतकारेण समवायस्य उदाहरणे उक्तम्— ‘इह घटे घटत्वम्’ इति। अत्र अनुयोगी घटः प्रतियोगी च

घटत्वमिति। एतौ द्वौ पदार्थौ अयुतसिद्धौ। द्वयोः अयुतसिद्धयोः पदार्थयोः मध्ये यः सम्बन्धः स समवायः। अधुना प्रश्नो भवति कौ अयुतसिद्धौ? तदुत्तरे चषककारेण उक्तम्— “ययोर्द्वयोर्मध्ये ऽविनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धाविति”। अर्थात् ययोः द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये एकम् अविनश्यदवस्थायाम् अपराश्रियते तौ द्वौ पदार्थौ अयुतसिद्धौ। लक्षणस्थितं ‘एकम्’ ‘अविनश्यत्’ ‘अपराश्रितम्’ ‘एव’ इति पदचतुष्टयं विशेषतात्पर्यपूर्णम्। परिभाषायां यदि ‘एकम्’ पदमिदं न विद्यते तर्हि पदार्थद्वयं परस्पराश्रितं तिष्ठति। अर्थात् ‘अपराश्रित’—शब्देन परस्पराश्रितत्वरूपार्थो प्राप्यते। एतेन अयुतसिद्धावयवावयविनोर्मध्ये अवयवी यथा अवयवे आश्रितो भवति अवयवोऽपि अवयविनि आश्रियते किन्तु एतत् वक्तुं न शक्यते यतः परस्पराश्रितत्वेन न कस्यचित् अयुतसिद्धपदार्थस्य ज्ञानं भवति। एतेन असम्भवदोषस्य आपत्तिर्जायते। दोषस्य निवारणार्थं ‘एकम्’—पदमिदं लक्षणे आवश्यकम्। अतएव द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये एकम् अविनश्यदवस्थायाम् अपराश्रितत्वे अयुतसिद्धं स्यात् न परस्परस्य परस्पराश्रितत्वम् आवश्यकम्।

यान् पञ्च युग्मपदार्थान् अयुतसिद्धान् कथ्यन्ते, ते यथा— अवयवावयविनौ, गुण—गुणिनौ, क्रिया—क्रियावन्तौ, जाति—व्यक्ती, विशेष—नित्यद्रव्ये चेति। अयुतसिद्धस्य लक्षणे ‘अविनश्यत्’—पदम् अपरिहार्यम्। यत्र आश्रयाश्रितौ उभयौ पदार्थौ नित्यौ अपि च यत्र उभयपदार्थौ युगपद्विनाशौ तत्र एतेषां युग्मपदार्थानाम् अयुतसिद्धसम्पादनार्थं ‘अविनश्यत्’ इति पदस्य प्रयोजनं नास्ति। यत्र आश्रयस्य सत्ताकाले आश्रितो विनिष्टो भवति तत्रापि ‘अविनश्यत्’ इति पदस्य प्रयोजनं नास्ति। यथा पाकेन पृथिव्याः विद्यमानकाले तस्याः गुणः विनिष्टो भवति। नित्याकाशे आत्मनि च यथाक्रमं शब्दगुणः सुखादि गुणश्च विनिष्टौ भवतः। किन्तु यदि पदार्थद्वयोर्मध्ये आश्रयस्य नाशे आश्रितस्य नाशो अर्थात् कपालस्य नाशे तदाश्रितस्य घटस्य नाशः स्यात्, तदनन्तरं तदाश्रितस्य गुणस्य नाशो भवति तर्हि एतान् युग्मपदार्थान् अयुतसिद्धानाम् अभिहितं कर्तुं न शक्यते लक्षणे ‘अविनश्यत्’ इति

पदस्य अग्रहणार्थम्।

लक्षणे ‘अपराश्रित’—पदमिदं यदि न तिष्ठति तर्हि घटः घटध्वंशश्च अयुतसिद्धौ भवतः। अनयोः द्वयोर्मध्ये ध्वंशस्य विनाशः नास्ति अतः घटध्वंशः सर्वदा अविनश्यदवस्थायां तिष्ठति। ‘अपराश्रित’—इति पदस्य सन्निवेशे आपत्तिरियं परिहारो भवति। ‘अपर’—शब्दस्य प्रयोगः वृक्षपक्षिणोः अयुतसिद्धत्वं वारणाय। वृक्षपक्षिणौ इमौ द्वौ अविनश्यदवस्थायां स्वाश्रये यथाक्रमं भूतले आकाशे च आश्रित्वा यद्यपि तिष्ठतः तथापि एकम् अपराश्रितं भूत्वा न तिष्ठति, यतः आकाशे विचरणकाले सः पक्षी वृक्षे स्थातुं न शक्नोति। एवम् ‘एव’—इति प्रयोगे वृक्षे पक्षिणः अवद्यमानत्वे वृक्षपक्षिणौ अयुतसिद्धौ न भवतः। अतएव ‘ययोर्द्वयोर्मध्ये ऽविनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धाविति’ लक्षणानुसारं द्वयोः अयुतसिद्धपदार्थयोर्मध्ये यः सम्बन्धः सः समवायः। समवायपदार्थविषयका या प्रमा, तस्याः करणं किम्? अथवा समवायस्य अस्तित्वे किं तावत् प्रमाणम्? तदुत्तरे वक्तुं शक्यते प्रथमतः नैयायिकाः मन्यन्ते समवायः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धः एकः पदार्थः। यथा घटः तद्गता जातिश्च एतौ द्वौ अयुतसिद्धपदार्थौ प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धौ घटः तद्गता जातिश्च संयुक्तसमवायनामकेन लौकिकसन्निकर्षेण प्रत्यक्षसिद्धौ भवतः अतएव अनयोः द्वयोः अयुतसिद्धपदार्थयोर्मध्ये यः समवायः सम्बन्धः सोऽपि प्रत्यक्षसिद्धो भवति। तर्कामृतकारेण उक्तम्— “नैयायिकमते समवायः प्रत्यक्षः, स च एकं नित्यश्च”। विवृतिटीकायामपि समवायस्य प्रत्यक्षविषये टीकाकारेण उक्तम्— “प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वसम्भवेऽनुमानाश्रयणमयुक्तमितिवदतां नैयायिकानां मतमुदाहरति नैयायिकमत इति। प्रत्यक्ष इति। समवायप्रत्यक्षे लाघवत इन्द्रियसम्बन्धविशेषणताया एव हेतुत्वकल्पनाद्विशेषणतासम्बन्धेन समवायः प्रत्यक्ष इति तेषामाशयः”। भाषापरिच्छेदनामके ग्रन्थे उच्यते— “प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्”। समवायः प्रत्यक्षः इति नैयायिकाः वदन्ति। रूपरसगन्धस्पर्शशब्दादि गुणानां प्रत्यक्षे इन्द्रियप्रत्यासत्तिम् अपेक्षते अतः एतेन समवास्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। प्रत्यासत्त्या समवायस्य अस्तित्वस्वीकारे सम्बन्धद्वयोः प्रत्यक्षेण समवायस्य

प्रत्यक्षं सिद्धति। न्यायमते समवायः सर्वेन्द्रियग्राह्यपदार्थः। रूपरसगन्धस्पर्शशब्दादिः विषयाः क्रमानुसारेण चक्षुरसनाघ्राणत्वक—श्रोत्रेन्द्रियैः गृह्यन्ते। सुखदुःखज्ञानेच्छादिः मनसा गृह्यन्ते। एते गुणाः समवायसम्बन्धेन स्वस्वाधिकरणे विद्यन्ते। गुणानामधिकरणमपि चक्षु—त्वक—मनसेन्द्रियैः गृह्यते अतः द्रव्यगुणयोर्मध्ये सम्बन्धरूपः समवायः तत्तदिन्द्रियग्राह्यो भवति। घ्राण—रसना—श्रोत्रेन्द्रियानि स्वस्य ग्राह्यगुणाधिकरणं ग्रहीतुं न शक्नोति तत्र समवायः तत्तदिन्द्रियग्राह्यो न स्यात्। किन्तु घ्राणरसनाश्रोत्रेन्द्रियानि स्वग्राह्यगुणवृत्तिजातिं ग्रहीतुं शक्नोति। अतः अत्र समवायः घ्राणादि इन्द्रियग्राह्यः। एवं समवायस्य सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वं सिद्धति। एतेन ज्ञायते यत् समवायः नैयायिकमते प्रत्यक्षसिद्धः। इति। वैशेषिकाः समवायस्य प्रमाणत्वे भिन्नमतवादं प्रदर्शयन्ति। ते वदन्ति समवायपदार्थः कदापि प्रत्यक्षेण न गृह्यते। समवायस्य प्रत्यक्षेण तस्य अनुयोगिप्रतियोगिनोः प्रत्यक्षम् अपेक्ष्यते। किन्तु समवायसम्बन्धस्य ये वहवः अनुयोगिप्रतियोगिनः सन्ति ते अतीन्द्रियपदार्थाः, येषां प्रत्यक्षं कदापि न सम्भवति। अनुयोगिप्रतियोगिनोः अप्रत्यक्षत्वे कथं समवायस्य प्रत्यक्षं जायते? अतः वैशेषिकदार्शनिकाः अनुमानप्रमाणेन समवायस्य अस्तित्वं प्रतिपादयन्ति। तरङ्गिणीटीकायां उच्यते— “अनुमानविषयेति शेषः। विशिष्टबुद्धेर्वैशिष्ट्यविषयत्वनियमादिति भावः”। चणकटीकायामपि उच्यते— “गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिर्विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वाद्दण्डीपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवदित्यनुमानेन तत्साधनाद्द्वैशेषिकमते समवायो न प्रत्यक्षः सम्बन्धप्रत्यक्षं यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वादित्यत आह”। अस्मिन् वाक्ये पक्षः गुणक्रियादिविषयकविशिष्टबुद्धिः। अनुमानवक्यस्यसाध्यः यथा—विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयत्वम् अर्थात् विशेषणविशेष्योः यः सम्बन्धः, तं सम्बन्धं विषयं करोति एताः विशिष्टबुद्धयः। अनुमानस्य हेतुः ‘विशिष्टबुद्धित्वात्’ इति। दृष्टान्तश्च दण्डी पुरुषः। ‘दण्डी पुरुषः’ अथवा ‘दण्डवान् पुरुषः’ एका विशिष्टबुद्धिः। अत्र दण्डः विशेषणरूपेण पुरुषः विशेष्यरूपेण च यथा विशिष्टबुद्धेः विषयौ भवतः तथा दण्डपुरुषयोर्मध्ये यो सम्बन्धोऽस्ति स सम्बन्धोऽपि विशिष्टबुद्धेः विषयो भवति। एमतावस्थायाम्

अनुमानप्रमाणस्य या व्याप्तिः सा यथा— यत्र यत्र विशिष्टबुद्धित्वं तत्र तत्र विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयत्वम्। ‘दण्डी पुरुषः’ इत्यत्र विशिष्टज्ञानवत् ‘गुणवान् घटः’, ‘क्रियावान् घटः’ इत्यादीनां विशिष्टज्ञानां क्षेत्रे विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धोऽपि तत्प्रकारस्य ज्ञानस्य विषयो स्यात्। ‘दण्डी पुरुषः’ अत्र द्वयोः युतसिद्धपदार्थयोर्मध्ये तथा दण्डपुरुषयोर्मध्ये यो सम्बन्धः स संयोगसम्बन्धः। अतएव ‘दण्डी पुरुषः’ इति ज्ञाने यो सम्बन्धः विषयो भवति सः संयोगसम्बन्धः। परन्तु ‘गुणवान् घटः’ ‘क्रियावान् घटः’ इत्याद्योः प्रतीतौ विषयरूपेण ज्ञायमानः सम्बन्धः कदापि संयोगः भवितुं नार्हति यतः द्रव्यगुणौ द्वौ अयुतसिद्धपदार्थौ। संयोगः एकः गुणविशेषः तदर्थं सः कदापि द्रव्यभिन्ने गुणक्रियादौ स्थातुं न शक्यते। अतः ‘गुणवान् घटः’, ‘क्रियावान् घटः’, ‘जातिमान् घटः’ इत्यादौ विशिष्टबुद्धौ संयोगसम्बन्धः विषयो भवितुं नार्हति। पुनः गुण—द्रव्यादिः पदार्थाः परस्परं भिन्नत्वे सति एतयोर्मध्ये तादात्म्यसम्बन्धोऽपि स्थातुं न शक्यते। एवं पारिशेष्यन्यायानुसारेण वैशेषिकाः अनुमानप्रमाणेन समवायपदार्थस्यास्तित्वं स्वीक्रियन्ते। विवृतिटीकायामुच्यते— “सम्बन्धप्रत्यक्षं प्रति सम्बन्धाश्रयावद्वयक्ति प्रत्यक्षस्य कारणत्वात् समवायस्य चौकत्वाद् युगपद् भाविभूतसकलाश्रयप्रत्यक्षासम्भवात् समवायस्याप्रत्यक्षत्वमभ्युपगच्छतां वैशेषिकाणां मतसाधरण्येन समवायसिद्धौ प्रमाणमाहेति”। पुनः आशङ्का जायते यत् अवयवावयविनोः गुणगुणिनोः इत्यादीनां मध्ये अनुमानप्रमाणेन समवायसम्बन्धं विना स्वरूपसम्बन्धस्य स्वीकार्ये का क्षतिः? तदुत्तरेचषककारेण उक्तम्— “स चौक इति। तस्या अनन्तरस्वरूपविषयायकत्वे गौरवादतिरिक्तैकविषयकत्वौचित्यादित्याशयः”।

समवायः एकः परन्तु समवायस्य एकत्वे आपत्तिर्जायते यथा द्रव्यत्वगुणत्वादीनां समवायः यदि एको भवति तर्हि द्रव्यत्वगुणत्वादयः एकत्र समवतो भवितुमर्हति। तदा स्पर्शसमवायरूपसमवाययोर्मध्ये अभेदत्वे सति वायौ रूपवत्ता बुद्धिर्जायते। वायौ यथा स्पर्शसमवायः तिष्ठति तथा रूपसमवायोऽपि तिष्ठतु, रूपसमवायस्य सत्त्वात् तत्र रूपमवश्यमेव

विद्यते। परन्तु वायौ केवलं स्पर्शसमवायः तिष्ठति रूपसमवायः न तिष्ठति अतः एवम् आपत्तिः न जायते। अवयविनः तथा द्रव्यं गुणः क्रिया जातिः विशेषश्च स्व स्व आधारे समवायसम्बन्धेन विद्यन्ते। एतदर्थं अवयविप्रभृतीनां सामान्यसम्बन्धः समवायो भवति। यत्र

‘विशिष्टबुद्धित्वात्’—इति हेतुना गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धेः विषयरूपेण यदि अनुगतः एकः समवायसम्बन्धो सिद्धति तर्हि ‘घटाभावविशिष्टं भूतलम्’ एवं प्रत्यक्षेऽपि ‘विशिष्टबुद्धित्वात्’ इति हेतुना संयोगसमवायभिन्नं अनुगतवैशिष्ट्यनामकम् एकं सम्बन्धं स्वीकरणीयम्। तत्खण्डनाय चषककारेण उक्तम्— “अतएव नित्यस्याभावस्य वैशिष्ट्यख्यं सम्बन्धान्तरं नित्यमुक्तयुक्त्यास्त्विति शङ्का परास्ता”। अर्थात् पूर्वपक्षिणः मतानुसारम्येन अनुमानप्रमाणेन समवायः सिद्धति पुनः तेन अनुमानेन अभावस्य वैशिष्ट्यनामकः एकः भिन्नः सम्बन्धोऽपि सिद्धयितुं शक्यते। परन्तु उत्तरपक्षिणः वदन्ति एतत् वक्तुं न शक्यते यतः वैशिष्ट्यसम्बन्धः नित्यत्वात् घटविशिष्टे भूतले ‘घटाभाववत् भूतलम्’ एवं बुद्धेः आपत्तिर्जायते। यदि घटविशिष्टे भूतले घटाभावः तिष्ठति तर्हि सः घटाभावः नित्यः स्यात्। अन्यथा घटाभावः अनित्ये सति देशान्तरे तस्य घटाभावस्य ज्ञानं न सम्भवति। वैशिष्ट्यसम्बन्धः अपि च तस्य सम्बन्धी घटाभावः नित्यत्वात् घटानयनानन्तरमपि भूतले घटाभावस्य आपत्तिर्जायते। परन्तु एवं ज्ञानं न स्यात्। घटानयनानन्तरं यद्यपि भूतले घटाभावः तिष्ठति किन्तु तत्र तस्य सम्बन्धः न तिष्ठति अतः तत्र ‘घटाभावविशिष्टं भूतलम्’ एवं ज्ञानं न जायते। चषकटीकायामुच्यते— “तथा सति भूतले घटानयनानन्तरमपि युक्तम्”।

पूर्वपक्षी आशङ्क्यते ‘रूपवान् वायुः’ इत्यत्र वायौ रूपवत्तायाः प्रतीतिः जायते। वायौस्पर्शगुणः तिष्ठति। अतः वायौ स्पर्शगुणस्य समवायसम्बन्धो अस्ति परन्तु समवायस्य एकत्वे स्पर्शसमवायः रूपसमवायश्च एक एव भवति। तदा वायौ स्पर्शसमवायः यथा अस्ति रूपसमवायोऽपि अस्ति। सम्बन्धस्य सत्ता सम्बन्धीसत्तायाः नियामका भवति। अतएव वायौ यथा रूपस्य समवायसम्बन्धः अस्ति

तथा सम्बन्धी रूपमपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। उत्तरे सिद्धान्तिनः वदन्ति वायौ रूपस्य समवायसम्बन्धः अस्ति परन्तु रूपं नास्ति। रूपस्य अविद्यत्वे वायौ रूपनिरूपितत्वविशिष्टो समवायो नास्ति। वायौ रूपव्यञ्जकस्य अविद्यत्वे तत्र रूपस्य अनुत्पत्तिः जायते। अतः वायौ यः समवायः अस्ति सः रूपसमवायनाम्ना न उच्यते। रूपसमवायः रूपबुद्धेः हेतुः। अतएव ‘वायुः रूपवान्’ इति भ्रान्तप्रतीतिः न भवितुमर्हति। संयोगसम्बन्धवत् समवायस्य नानात्वकल्पना नव्यमते परास्ता। अस्मिन् प्रसङ्गे चषककारेण उक्तम्— “नव्यास्तु पृथिव्यां गन्धसमवायो न जले इति प्रतीत्या समवायस्य नानात्वमेवानुमन्यन्ते। इदमुपलक्षणम्”। विवृतिकारेणापि उक्तम् — “संयोगवत् समवायस्य नानात्वकल्पने गौरवादाह एक इति”। चषकादिटीकानुसारं समवायस्य सामान्यः विचारोऽयम्।

पादटीका

१. त.मृ.— पृ.१३२
२. त.मृ.—पृ.१३२
३. वि.टी.—पृ.६१
४. च.ष.टी.— पृ.१३३
५. त.मृ.—पृ.१३२
६. वि.वृ.टी.— पृ.६२
७. भा.प.का,—६२
८. त.ङ्ग.टी.— पृ.१३२
९. च.ष.टी.— पृ.१३२
१०. वि.वृ.टी.— पृ.६२
११. च.ष.टी.— पृ.१३३
१२. च.ष.टी.— पृ.१३३
१३. च.ष.टी.— पृ.१३३
१४. च.ष.टी.— पृ.१३३
१५. वि.टी.— पृ—६२

शब्दसंकेताः

- त.मृ. — तर्कामृतम्
च.टी. — चषकटीका
वि.टी. — विवृतिटीका
त.ङ्ग.टी. — तरङ्गिणीटीका
भा.प. — भाषापरिच्छेदः

सहायकग्रन्थपञ्जी

१. श्रीजगदीशतर्कालङ्कारः, तर्कामृतम्, सम्पा. प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः, नाग पब्लिशर्स, २००३।
२. न्यायदर्शनम्, वात्स्यायन—भाष्यसहितः, प्रथमखण्डः, सम्पा. महामहोपाध्यायः पण्डितः फणिभूषणतर्कवागीशः, संस्कृत बुक डिपो, कलकाता, २०१४।
३. महामहोपाध्यायश्रीजगदीशतर्कालङ्कारविरचितम्, तर्कामृतम्, विवृत्या सहितम्, दि ए शि या टि क सो सा ई टि, १९७४।
४. भीमाचार्यैः, न्यायकोषः, सम्पा. वासुदेव अभ्यंकरः, वाराणसी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, १९२८।
५. महर्षिकणादः, वैशेषिकदर्शनम्, उपशकारटीकासहितम्, सम्पा. अमितभट्टाचार्यः, संस्कृत बुक डिपो, कलकाता, २०१२ (प्रथमप्रकाशनम्)।
६. विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यतर्कतीर्थः, भाषापरिच्छेदः (सिद्धान्तमुक्तावलीसहितः), सम्पा. श्रीमदपञ्चानन—भट्टाचार्य—शास्त्री, महाबोधि बुक एजेन्सि, २०१६ (पुनर्मुद्रणम्)।
७. श्रीमदन्नभट्टः, तर्कसंग्रहः, सटीकः, अध्यापकः श्रीनारायण चन्द्र गोस्वामी, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता, आश्विन—१४१३ (पुनः संस्करणम्)।
८. शङ्करमिश्रः, वैशेषिकसूत्रोपस्कारः (अध्यायः १), सम्पा. सेख साविर आलि, संस्कृत बुक डिपो, कलकाता, २०१३ (प्रथमप्रकाशनम्)।



नागपुरी भासा कर परिचय

डॉ. रामजय नाईक

सहायक प्राध्यापक, नागपुरी भाषा विभाग
जगन्नाथ नगर महाविद्यालय,
धुर्वा, राँची (झारखण्ड)

सारांश :-

नागपुरी भासा झारखंड राइज कर एक ठो मुध भासा मानल जायला। जे दखिनी छोटानागपुर (राँची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदागा आउर खुँटी जिला) में सउब ले बगरा बोलेक जायक वाला सउब से पेयारा भासा हेके। इ भासा के छेतरीय भासा कर अन्तरगत राखल जाय हे, जेके पाँच नाव से जानल जायला। सदरी, गँवारी, सदानी, नागपुरिया आउर दिक्कु कजी एक ठो आउर नाव आहे सम्पर्क भासा। कहल जायला कि इ भासा अनइत पुरना परिया से अदमी मनकर बीच चलते आय हे। इकर पुरना काल कर तो पता नी चलेला, मुदा नागपुरी कर बिदवान मन कर मोताबीक अनुमान काल ८वीं से ११वीं सदी तक इकर बीज रोपाय जाय रहे। गते—गते बिकास कर डहर में चलते गेलक, पसरते गेलक आउर इ लखे १४वीं से १५वीं सदी तक इ भासा कर आकार—परकार, गुन—दोस, बनावट, लिखेक कर लिपी आउर बिसेसता मन लगभग आय जाय होवी यानि समरिध होवेक लागलक। अदमी, कबि, लेखक आउर बोलेक—सुनेक, गावेक वाला मनकर दिल में बइस गेलक आउर नावाँ—नावाँ बिधा कर रचना, गीत, कहनी आउर कबिता मनकर रचना होक लागलक। पढ़इया में जोस आवेक लागलक।

बीरिन्द्र कुमार महतो ने आपन किताप नागपुरी भासा : एक अध्ययन में लिखयँना कि— “बिहार कर बोली भोजपुरी, मैथली आउर मगही तइर नागपुरी कर बिकास मागधी अपभ्रंस से होय हे। नागपुरी कर

पुरना साहित महजुद नखे से ले इकर पुरना रूप का लखे रहे कहना मोसकिल हय। मुदा अनुमान हय कि मागधी से निकलल दोसर असथानीय भासा नियर इकरोहों बीज ८वीं से ११वीं सदी तलक रोपाय जाय होवी आउर १४-१५ सताबदी तलक इकर में उ सउब बिसेसता आय जाय होवी जे कि आइज कर आधुनिक नागपुरी में मिलेला। एहे ले आधुनिक नागपुरियों कर उद्भव कर काल ओहे हय जे दोसर भारतीय आर्य भासा मन कर मानल जायला।^{१९}

इ लखे आइज देखू कि झारखंड सरकार भी नागपुरी भासा के बहुत उँच सिखर तक पोहँचाय दे हे। कहीं भी छेतर में जाउ या नोकरी-चाकरी में या कोनवे आउर परतियोगिता में जाउ, नागपुरी भासा के मुध ठाँव देल आहे। डॉ. गिरिधारी राम गौड़ू गिरिराज कर अनुसार— “नागपुरी दखिन झारखंड आउर उकर सीमान छेतर उड़ीसा आउर छत्तीसगढ़ कर जिला में बोलल जायला। आसाम में इकर बोलइया अस्सी लाख आहयँ। पूरा भारत में लगभग चाइर करोड़ नागपुरी बोलइया आहयँ। नागपुरी कर तीन रूप आहे—

१ **आदर्श नागपुरी**— जे सभा, पढ़ल-लिखल, आउर किताब मन में पढ़ेक-लिखेक ले बोलल आउर लिखल जायला।

२ **गाँवारी नागपुरी**— जे गाँव मन में बोलल जायला।

३ **सादरी नागपुरी**— जे मुंडा, उराँव, खड़िया, आउर दूसर बोली बोलइया मन आपन भाखा कर प्रभाव से नागपुरी बोलेना इकर में आदर सूचक कर बोध कम आहे चाहे नी होवेक पारेला। नागपुरी नागवंशी (८३-१९४७) तक कर राइज भाखा रहे। सादान मनक मातृभासा हेके। मुंडा, उराँव आउर खड़िया मनक दूसर भासा आउर कुछ कर मातृभासा होय जाय हे आउर सउब कर सम्पर्क भासा हेके।^{२०}

मुख्य शब्द:— खड़िया, गाँवारी, सदानी, नागपुरिया, अनइत, लागलक, मोसकिल, दखिन आदि।

शोध प्रविधि :—

इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक

शोध सामाग्री के आधार पर अध्ययन किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में वाद्ययंत्र के कलाकारों, ग्रामीण संगतकार, प्रबुद्धजीवी आदि का सहयोग लिया गया है। द्वितीयक शोध सामाग्री के रूप में पुस्तकों के आधार पर अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :—

- नागपुरी गीत-संगीत कर वाद्य यंत्रों प्रचलन को प्रोत्साहित करने कर अध्ययन करना।
- नागपुरी गीत को समाज में प्रसारित करने का प्रयास करना।
- लोक साहित्य को जीवन रखना साहित्य जगत् की मानवीय परम्परा रही है।
- लोक साहित्य के इन परम्पराओं को सजीव रखना भी मानवता को सजीव रखने का साधन है।

समस्या :—

- नागपुरी भाषा की परम्परा को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- नागपुरी भाषा की परम्परा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है।
- संसाधन और आर्थिक कमजोरी यहाँ के लोगों के साहित्य और अधिक पुष्ट नहीं हो पा रहे है।
- नव युवकों में इस परम्परा के प्रति और बेरोजगारी ने उन्हें कुंठित कर दिया है।

समाधान :—

नागपुरी भासा कर उद्भव आउर बिकास

झारखंड में संसार कर तीन गो भासा परिवार कर भासा मन बोलल जायला—आग्नेय, आरज (आर्य), आउर दरविड़ (द्रविड़) परिवार कर भासा मन। आग्नेय भासा परिवार में मुंडारी, हो, संताली आउर खड़िया मन कर भासा मन आवेला। आरज भासा परिवार में नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया आउर कुरमाली भासा मन। दरविड़ भासा परिवार में कुडुख आउर मलतो भासा मन। नागपुरी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, छत्तीसगढ़ी लखे आर्य भासा परिवार कर जाइग छउवा हेके। बिहार कर बोली भोजपुरी, मैथली, आउर मगही तइर नागपुरी कर

बिकास मागधी अपभ्रंस से होय हे। नागपुरी कर पुरना साहित जोगाड़ नखे सेले इकर पुरना रूप का लखे रहे कहना मोसकिल हय। मुदा अनुमान हय कि मागधी से निकलल दोसर असथानीय भासा नियर इकरोहों बीज आठवीं से गारवीं सदी तलक रोपाय जाय होइ आउर चउदहवां—पंदरहवां सताबदी तलक इकर में उ सउब बिसेसता आय जाय होइ जे कि आइज कर आधुनिक नागपुरी में मिलेला। एहे ले आधुनिक नागपुरियो कर उद्भव कर काल (समय) ओहे हय जे दोसर भारतीय आर्य भासा मनकर मानल जायला।

नागपुरी कर दोसर नाँव नागपुरिया, सदानी, सदरी, गँवारी, गँवली, आउर दिक्कु काजी हय। नागबंसी महाराजा मन कर सासन काल में नागपुरी छोटानागपुर इया झारखंड कर राजभासा रहे। गोटे झारखंड में नागपुरी भासा कर बोलवइया कोनो नी कोनो रूप में सउब से बगरा आहयँ। झारखंड कर अलावे नागपुरी कर छेतर आउर राइज में सुनेक ले मिलेला। जइसन पछिम दिसा में छत्तीसगढ़ कर जसपुर नगर, अम्बिकापुर, सुरगुजा, कुनकुरी, कोरबा, कोरिया, फरसा बहार, दलदली, बोरवी, बगीचा, आमडीहा, चांद भाखंड, पथलगाँव से विसालपुर तक। दखिन दिसा में उड़ीसा कर राउरकेला, राजगांगपुर, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, बोनाईगढ़, बामड़ा, मयूरभंज, झारसुगड़ा, ढेंकानाल से तालचर तक। पुरूब दिसा में सिल्ली, झालदा, पुरूलिया, बाँकुड़ा, मिदनापुर, झाड़ग्राम तक। उत्तरदिसा में रामगढ़, गोला, हजारीबाग, लातेहार, चतरा से पलामू कर सीमांत तक नागपुरी कर छेतर बिसतार हय। असम कर चाय बगान आउर अंडमान निकोबार कर छेतर में नागपुरी भासा बोलल जायला। नागपुरी के सउब जाइत कर अदमी मन बोलयना। हिन्दू, मुसलिम, इसाई, सरना सउब आपन जिनगी में मायभासा कर रूप में इके बेवहार करयना। बलिक कटिक आदिबासी जइसे चीक—बड़ाईक, बेदिया, तूरी, बालमीकी, समुदाय मनक इ मायभासा (मातशभाशा) बइन जाय हे। इ लखे इमानदारी से आकलन करल जाय तो आइज नागपुरी—सदानी बोलवइया मनकर

जनसंख्या कम से कम चाइर करोड़ जरूर होवी।

इकर उपजोग समपरक भासा ले करल जायला। सदान जाइत मन आदिबासी जाइत मन से बात—बिचार करेक ले नागपुरी सदानी भाखा कर मदइत लेवयना। आदिबासियों जाइत मन एक दोसर कर भाखा नइ जानेक से आपुस में गोइठ—बात करेक ले नागपुरी इया सदानी भाखा कर मदइत लेवयना। झारखंड में बाहरे से आवल इसाइया बिदेसी बिदवान मन सहज आउर सुलभ नागपुरी भाखा के झठे सिख जायना आउर हिया कर मूलवासी सदान आउर आदिबासी जाइत मन से एहे भाखा में समपरक करयना। हिया कर ऑफिसर आउर बेपारी मन करहों समपरक भासा नागपुरी—सदानी हय।

नागपुरी भासा कर पराचीन साहित बेसे समरिध हय। लोकगीत कर मउखिक भंडार गोटा झारखंड राइज से लइके गोटा भारत देस में बिखरल हय। पंदरहवां—सोलहवां सताब्दी सेहे इकर शिष्ट—काव्य परंपरा कर बिकास होय चुइक रहे। सूफी काव्य परंपरा के छोइइ के इकर में प्रायः काव्य परबिरिति पुरखा परिया सेहे पावल जायला। निरगुन कबीरपंथियो कर एगो बिसेस धारा हिया आपन पहचान बनाय चुइक हे। सगुन भगति धारा नागपुरी भासा के गढ़ेक में जोगदान तो देबे करलक, मुदा शिष्ट साहित के बिकासों करेक में मूध भूमिका के निभालक। इसाई भगति—साहित कर गद—पद दुइयो कर बेसे बिकास करलक आउर भासा के सुगढ़ता परदान करेक में आपन जोगदान देलक।

आजादी कर बादे जब नागपुरी भासा कर बिकास ले काय गो साहितिक—सांसकिरितिक संगठन कर असथापना भेलक, राँची में आकाषवाणी खुलक, राँची बिसबिद्यालय में जनजातीय आउर छेतरिय भासा बिभाग सुरू होलक आउर ढइरे पतर—पतरिका निसकेक लागलक नागपुरी भासा कर परिसकार आउर बिसतार भेलक। एखन नागपुरी भासा आपन सुघढ़ रूप में परितिसठित होय जाय हे आउर नवां गद—पद साहित कर तेजी से बिकास होवत हे। सउभे बिधा में ढइरे लेखक आउर कबि मनकर सुन्दरइ बढ़ाइक में भिरल हय।³

नागपुरी भासा कर नामकरण

नागपुरी भासा झारखंड राइज कर सउब से मधुर आउर पेयारा भासा हेके। इके गँवारी, सादरी, नागपुरिया, सदानी, आउर दिक्कु काजी कर नाव से जानल जायला। इके आदिबासी आउर गैर आदिबासी (सदान) मन आपन रोज दिनक जिनगी में बेहवार में लानयँना। सेले इ भासा के सम्पर्क भासा भी कहीला। इ भासा कर नामकरण हामरे कर नागपुरी बिदवान मन देलयँ हे, जेके इ लखे देइख सकीला—

- १ गँवारी
- २ सदानी
- ३ सदरी
- ४ नागपुरिया
- ५ दिक्कु काजी
- ६ सम्पर्क भासा

१ **गँवारी**— “गँवारी नाव से इ पता चलेला कि इ बोली गाँव—घर कर अदमी मनकर बोली रहे। यानि गाँव घर में बोलेक जायक वाला भासा के गँवारी भासा कर नाव से जानल जायला।

२ **सदानी**— पुरे नागपुरी भासी छेतर में आदिबासी आउर गैर आदिबासी (सदान) मन रहयँना। आदिबासी, गैर आदिबासी मन के सदान कर नाँव से बोलायँना आउर एहे ले गैर आदिबासी मनक बट ले बोलेक जायक वाला बोली के सदानी बोली कहयँना। एखन सच में देखल जाय तो इ भासा आब केवल सदान मनकर भासा नी रही गेलक हे, बलकी इ छेतर में सउब कोइ इ भासा के मुख भासा माइन ले हयँ।

३ **सदरी**— नागपुरी भासा के सदरी कर नाँव से भी जानल जायला। सदरी कर बारे में नागपुरी कर बिदवान मन आपन—आपन अलग—अलग बिचार राइख हयँ। डॉ. भुनेश्वर अनुज कर बिचार से सदरी, जाइत सुचक हेके आउर सदान जाइत से ही नाता राखेला। सदानीये कर दोसर सबद सदरी हेके। हिंया कर गैर आदिबासी मन के सदान कहल जायला, आउर उनकर भासा के सदरी कहल जायला।”^४ दोसर सबद में कहल जाय तो सदरी भासा सदर कर उप बोली हेके आउर सदर माने खुला ठाँव

होवेला। खुला ठाँव में अकसर देखल जायला, सुनल जायला कि गोरखिया मन, काम करवइया मन आउर बोनहारा मन आपन भासा में खुइल के बात—चीत करयँना। जइसे—१. गोरखिया मनक भासा (जोर—जोर से गाय—गरू के हीयो—हीयो, छगरी के ली गे, या कोइ आउर दोसर बात के बोलयँना जेके सुनल नी जाय सकेला)। २. काम करवइया— काम करेक बेरा मांय आपन बेटा के भात खाय ले बोलात हे, खाय ले रे बाबू....या खोलनी के मांगेक लेगिन, खोलनी कहाँ राइख हीस रे बाबू....या काहाँ गेलीस रे बाबू....। ३. बोनहरिया—बोन में काठी खोजते बोलयँना, डहर में हींठते बोलयँना, आउर—आउर काम में।

४ **नागपुरिया**—“नागपुरीया, नागपुरी से बनल बुझायला। छोटानागपुर कर नाव भी इकर से पहीले नागपुर रहे। एहे कारन से नागपुरी कर नाव रखाय जाय होवी अइसन जानल जायला। फिर आगे अइसन बुझायला कि छोटानागपुर कर राजा महाराजा मनकर राइज में नागपुरी भासा कर बोल बाला रहे। राजा महाराजा से लइ के आम अदमी तक नागपुरी भासा बोलत रहयँ। इकर लिपी भी कैथी रहे। पहीले जमींदार कर घर मन में हिन्दी कर अलावे आउर—आउर भासा मनकर संगे नागपुरी भासा कर परजोग करत रहयँ।

५ **दिक्कु काजी**—पहीले कर मुंडा जाइत मन आर्य भासा नागपुरी के दिक्कु काजी कहत रहयँ। दिक्कु कर मतलब दिकत या परेसान करेक वाला होवेला। अइसन बुझायला कि दिक्कु सबद कर परजोग बहुत पुरना नखे। इ राजनेता (राजनीति पार्टी) मनकर देन हेके जे हीयाँ कर सांत बताबरन के खतम करेक चहत होबरयँ।

चाहे जे भी नाव से बोलल जाय, नागपुरी भासा बहुत ही बहुत पुरना आहे। मोर बिचार से नागपुरी भासा नागपुरी भासी छेतर में प्रथम षताब्दी में भी रही होवी। जब पहला नागवंशी राजा फन्नीमुकुट राय गद्दी में बइठलयँ। इ लखे इ भासा एकदम दुई हजार साल पुरना मानल जाय सकेला।”^५

६ **सम्पर्क भासा**—सम्पर्क भासा उ भासा के

कहल जायला जे भासा एक दोसर भासा—भासी बोलेक वाला अदमी मन के जोड़ेला। जब मुंडारी आउर कुडुख बोलेक वाला अदमी मिल जायँना तब दुइयो कर बात—चीत हिन्दी या नागपुरी भासा में होवेला। काले कि मुंडारी बोलेक वाला कुडुख भासा नी जानत हे आउर कुडुख बालेक वाला मुंडारी भासा नी जानत हे। इ लखे दुइयो आपस में बोलेक लगिन नागपुरी भासा कर परजोग करयँना। दुइ भासा—भासी के मिलावेक कारन नागपुरी भासा के सम्पर्क भासा कहल गेलक हे।

नागपुरी भासा कर छेतर/क्षेत्र

नागपुरी भासा झारखंड राइज कर दखिनि छेतर में सउब से मूध आउर सउब से बगरा बोलेक जायक वाला भासा हेके। इ भासा झारखंड राइज कर अलावे इकर सिमान छेतर में भी बोलेक—सुनेक आउर आपन संस्कृति में झालक देखेक ले मिलेला। झारखंड राइज कर जे भी बसिंदा मन दुसर राइज में जाय के बइस जाय हयँ, उ मने एखन भी आपन रोज दिनक जिनगी में आपन इ भासा आउर परंपारा से जे नेग—नियम आवत हे उके बचाय के राइख हयँ। आइज देखू कि नागपुरी भासा गते—गते पसरते जात हे आउर आवे वाला दिन में हमेसा पसरते जाइ। इ भासा कर बोलवइया, लिखवइया आउर पढ़वइया बढ़ते जात हयँ। इ भासा कर छेतर के इ लखे देइख सकीला—

राँची— बडकामुरू, केदली, उमेडंडा, इचापीढी, मक्का, ठाकुरगाँव, नगडु, सोसई, चलनिया, लावागाड़ा, एरूद, बुढूमू, रातु, मांडर, बेडो, नगडी कांके सुकुरहुटु, पिठोरिया, ओरमांझी बारीडीह, हटिया, चुटिया, गुतरू, सिरम, चकमे, मुरूपीरी, मुरगी चायाँ, ओझासाडम, नवाडी, कन्डेर, कोइजम, आरीद, हुटपय, करगे, हुटार, मालसिरिंग, तारूप, मनमाडु, उशामातु, मतवे, इटेहे, उलातु, अकतान आउर आउर गाँव मन में।

गुमला— “भरनो, नागफेनी, कोटाम, बघिमा, पालकोट, कामडारा, बसिया, डुमरी चैनपुर, बिशुनपुर, उमडा, घाघरा, केसीपारा, तीर्रा, कोयनारा, अमेराडीह, कोनबीर, जषपुर, लउवाकेरा, तेतरा, कुम्हरिया,

पोजेगा, गम्हरिया, सिसई, मुर्गू, जूरा, डोइसा, सोसो, नीमटोली, दुन्दरिया, ढेढौली, नाथपुर, बेन्दोरा, कोलेबिरा, महाबुआँग, कुम्हारी आउर पंथा आउर गाँव मन में।”^६

सिमडेगा— “कर्रा, झरिया, बोंगराम, टुटीकेला, कोयनार टोली, बरवाडीह, बीरू, भेडीकूदर, बंगरू, सामटोली, सुन्दरपुर, सोगडा, पकरीटोली, बेन्दोजोर, कोचेडेगा, सेवई, किनकेला, कुल्लूबेरा, लचड़ागढ़, जामटोली, खुंटीटोली, भेलवाडीह, तामडा, अंधेरी खमन, सिखसुरा, टाँइसेर, तुमडेगी, कोनबेगी, गरजा, पुरना पानी, रेंगारी, पाकर डाँड़, गलेसेरा, पइतपारा, कुरडेग, रामरेखा आउर आउर मन।”^७

लोहरदागा— “गुंदरू, उपर तुरियाडीह, हेसाग, हुन्दी, चुरवे, जापाल, सिंदुर, चापरोंग, हेन्हे, डुमयुपार, पिरतोल, जुढनी, गुनी, सनई, जवाल, गोलाडीह, मुंगो, गम्हरिया, बिढनी, हटवल, मतुली, पेसराल कानी टोली, चंदगली, उतराल, कौआडाँड़, इचवाडाँड़, उन्हेगाढा, रोद, रूरद, केसरी, पतरातु, बदला, महादेव टोली, जयन्नाथपुर, निंगनी, चाँदकुपा, नावाडीहपारा, तेतर डाँड़, गढ़ कसमार, नीचे तुरियाडीह, मन्हे, सरडु, नीरूह, तोराड़, चौकनी, हसवे, पखनटोली, कन्हेपाट, मेरले, नदीया, सिठियो, गुंजनिया, दतरी, कैम्बो पतराटोली, सेन्हा, कोयनार टोली, टांगरा टोली, चितरी डाँड़, डाँडु आउर आउर गाँव मन में।”^८

खुंटी— “अड़की, हस्सा गइजगाँव, बड़ाइक टोली, महादेव टोली, डाउगुटू, मरगदा, सरडुला, सोसर टोली, बगडू, बीरहू, पाँडु, मान्हू, रेवा, बेलवादाग, इदरी, टुटोली, नावाटोली, बेलहाथी, नामकोम, जमुआदाग, रेन्डा, डकिया, हुटुगदाग, पीढी टोली, मेलाटाँड़, बिचना, मुरहू, बरटोली, चारीद, महुआ टोली, तोरपा, सोसोटोली, सुन्दरी डोइमा, अंगराबारी, तीरला, कादमा, कमन्ता, इठे, माहील, मेराल, सिंघा टोली, भडरा, हेसल, कोंडरा, सिलादोइन, तारो आउर आउर गाँव मन में।”^९

उतर में— “रामगढ़, गोला, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, आउर पलामू कर सिमान तक।

दखिन में— उड़ीसा, राउरकेला, राजगांगपुर, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, बोनाईगढ़, बामडा, मयूरभंज,

झारसुगड़ा, ढेंकानाल आउर तालचर।

पूरब में— सिल्ली, झालदा, पुरूलिया, बाँकुड़ा, मिदनापुर, आउर झाड़ग्राम।

पछिम में— छतीसगढ़, जशपुर नगर, अम्बिकापुर, सुरगुजा, कुनकुरी, कोरबा, कोरिया, फारासा बहार, दलदली, बोरासी, बगीचा, आमडीहा, चान्द भाखंड, पत्थलगौंव आउर बिसालपुर।

इकर अलावे— असम कर चाय बगान आउर अंडमान निकोबार कर छेतर में नागपुरी भासा बोलल जायला।^{१०} डॉ. भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोक साहित्य में नागपुरी भासा डॉ. श्रवण कुमार गोस्वामी, बिहार राष्ट्रभासा परिषद्, पटना—४ १९६७ कर मोताबिक लिखयँना कि— “बिहार (अब झारखण्ड) के सम्पूर्ण राँची जिले में नागपुरी का प्रयोग होता है। पाँच—परगना में जिसमें सिल्ली, सोनाहातू, राहे, बुन्डू, और तमाड़ सम्मिलित हैं, बोली जानेवाली नागपुरी को लोग पंचपरगनिया कहते हैं। पाँच—परगना के वर्तमान थाने हैं—बुन्डू, तमाड़ सोनाहातू और सिल्ली।

सन् १९६१ ई. की जनगणना के अनुसार बिहार के चम्पारण, सहरसा तथा पूर्णिया में भी नागपुरी बोलनेवालों की संख्या पर्याप्त है। उन क्षेत्रों के अतिरिक्त राँची जिले से सटे हुए पलामू के चँदवा तथा लातेहार आदि, हजारीबाग जिले के रामगढ़ तथा चतरा आदि, सिंहभूम तथा राँची के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा बंगाल के पुरूलिया और मिदनापुर के उन हिस्सों में भी, जो बिहार की सीमा से सटे हैं—नागपुरी का प्रयोग करते हैं।

उडीसा:—

गांगपुर— गांगपुर का क्षेत्र राँची जिले के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ उड़िया के साथ—साथ नागपुरी का भी प्रयोग किया जाता है।

बोनाईगढ़— बोनाईगढ़ या बोनाई गाँगपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ उड़िया के साथ—साथ नागपुरी का भी प्रयोग होता है।

बामड़ा— बामड़ा बोनाईगढ़ से सटा हुआ है। यहाँ भी उड़िया के साथ—साथ नागपुरी का प्रयोग होता है, यहाँ सदरी कोल नामक बोली का भी प्रयोग

होता है, जो नागपुरी की एक विभाषा है।

क्योंझर— बामड़ा से संलग्न क्योंझर का क्षेत्र है। यहाँ भी उड़िया के साथ—साथ नागपुरी का प्रयोग किया जाता है।

सुन्दरगढ़— यहाँ भी उड़िया के साथ—साथ नागपुरी का प्रयोग किया जाता है।

मध्य प्रदेश:—

जशपुर— जशपुर राँची जिले की पश्चिमी सीमा को छूता है। डॉ. ग्रियर्सन ने इस क्षेत्र को त्रिभाषी क्षेत्र माना है। क्योंकि यहाँ नागपुरी के अलावा उड़िया तथा छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग होता है। यहाँ के बाजारों तथा सम्पर्क स्थलों में नागपुरी का प्रयोग सभी प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है जिसे डॉ. ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी की एक बोली माना, पर उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सुरगुजिया पर नागपुरी का काफी प्रभाव है।

सुरगुजा— सुरगुजा का क्षेत्र जषपुर के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ी की उपबोली सुरगुजिया का प्रयोग होता है, पर साथ ही नागपुरी का प्रयोग भी लोग समानान्तर रूप में करते हैं। कभी—कभी यहाँ काफी ध्यान दिये बगैर यह नहीं जाना जा सकता कि वक्ता नागपुरी का प्रयोग कर रहा है या सुरगुजिया का।

कोरिया— सुरगुजा की पूर्वी सीमा से सटा हुआ कोरिया है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ी प्रभावित—सुरगुजिया के साथ—साथ नागपुरी का प्रयोग होता है।

उदयपुर— यहाँ भी छत्तीसगढ़ी—प्रभावित सुरगुजिया के साथ—साथ नागपुरी का प्रयोग किया जाता है।

उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा नवम्बर तथा दिसंबर के महीने में राँची जिले के हजारों आदिवासी आसाम तथा बंगाल के चाय—बगानों में कुली के रूप में काम करने के लिए सपरिवार चले जाते हैं। आसाम के कच्छार समतल, सिलहट, गोलपाड़ा, कामरूप, दारांग, नावगाँग, शिवसागर, लखिमपुर, नागापर्वत, खासी, जयन्तिया पर्वत एवं लुसाई पर्वत के चाय बगानों में आदिवासी मजदूरों के द्वारा नागपुरी का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी—भाशी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही सन् १९३१ ई. में टी—डिस्ट्रिक्ट लेबर

एसोसिएशन कलकत्ता ने अन्तरंग प्रयोग के लिए रेवरेन्ड फ्लोर का 'लैंग्वेज हैडबुक सदानी' का प्रकाशन किया इसी प्रकार कलकत्ता में भी नागपुरी—भाषी कुलियों की काफी संख्या है।

नागपुरी भाषी क्षेत्र के मानचित्र से यह प्रकट है कि नागपुरी का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा छोटानागपुर के जिन स्थानों को नागपुरी भाषी दिखलाया गया है, वे सभी क्षेत्र एक दूसरे के इतने निकट हैं कि उन सबका सम्मिलित रूप से नागपुरी का प्रयोग करना बिलकुल स्वाभाविक है। ब्रिटिस—भारत में उड़ीसा के गांगपुर, बोनाईगढ़, बामड़ा, क्योझर तथा सुन्दरगढ़ और मध्य प्रदेश के जषपुर, सुरगुजा, कोरिया तथा उदयपुर 'ट्रिव्यूटरी छोटानागपुर स्टेट्स' के नाम से जाने जाते थे। इन दृष्टि से भी इन क्षेत्रों की भाशागत एकता असन्दिग्ध है और यह स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं कि नागपुरी का प्रयोग इन क्षेत्रों में युगों से होता चला आ रहा है।

दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल के समस्त राँची, लोहरदागा, गुमला जिले पलामू जिले के चन्दवा, लातेहार तथा पांकी में नागपुरी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त पलामू जिले में पड़ने वाले नेतरहाट की तराई, महुआटाँड में भी नागपुरी बोली जाती है। पश्चिमी पलामू में भोजपुरी तथा उत्तर में रंग चढ़ता है। पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिला और राँची जिले के सीमा क्षेत्र में नागपुरी पर बंगला का प्रभाव है। राहे, बुन्डू, तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली में, जो राँची जिले में आते हैं पंचपरगनिया के नाम से नागपुरी बोली जाती है। इस क्षेत्र के प्रख्यात कवियों के गीत नागपुरी में प्रयाप्त मात्रा में मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा, मिदनापुर तथा पुरूलिया तक नागपुरी पायी जाती है।

बिहार के चम्पारण, सहरसा तथा पूर्णिया में भी नागपुरी बोलने वालों की संख्या काफी है। ये नागपुरी बोलने वाले चम्पारण में नील उद्योग में मजदूरी करने गये थे और वही बस गये। इनमें उराँव आदिवासियों की संख्या अधिक है। अण्डमान में भी नागपुरी का काफी प्रचलन है। यहाँ भी छोटानागपुर

से भारी संख्या में आदिवासी वहाँ जाकर बस गये हैं।

बंगाल तथा असम के चाय बगानों में नागपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। सैकड़ों परिवार वहाँ लम्बी अवधि से रह रहे हैं। अधिकांश चाय बगानों में कुली—रेजा के काम के लिए प्रति—वर्ष हजारों की संख्या में जाते हैं और फिर लौट आते हैं।^{१११}

नागपुरी भासा कर बिसेसता

एखन इ दुनिया में जेतना भी भासा मन आहे, सबकर आपन—आपन गुन—दोस, आकार—परकार, बनावट, बिसेसता, लिखेक कर सयली, बोलेक, समझेक आउर लिपि, फरक—फरक आहे। इ भासा मन में हर भासा कर एक ठो मूध ठाँव आहे जे ठाँव बिसेस में बोलल जायला। भासा मनुख कर कंठ में बसल एक इष्वरीय देन हेके। जेकर मदइत से मनुख मन आपन मन कर भावना के, आपन बिचार आउर अनुभव के एक दोसर मनुख ठिन राखेला। इ भासा एक ठो अइसन साधन हेके जेकर जरिए मनुख कर बेहवार कर पता चलेला। भासा से एक दोसर कर बारे में जानल जाय सकेला। भारत, भासा वाला देस हेके।

- नागपुरी भासा पहिले कइथी, बांग्ला, उर्दू, रोमन, देवनागरी लिपि में लिखल जात रहे।
- नागपुरी भासा एखन देवनागरी लिपि में लिखल जायला।
- नागपुरी भासा में 'मै' लगिन 'मोंय' सबद कर परजोग करल जायला।
- नागपुरी में एकबचन से बहुबचन बनाएक ले मूल सबद कर
- नागपुरी में एकबचन से बहुबचन बनाएक ले मूल सबद कर आखरी में मन, मने, सउब, जोड़ल जायला।
- नागपुरी में दुइ लिंग कर बेहवार होवेला—स्त्रीलिंग आउर पुलिंग।
- नागपुरी में किरिया रूप में स्त्रीलिंग—पुलिंग कर एके रूप रहेला। जइसन—राम भात खात हे, सीता भात खात हे। हिन्दी में—राम भात खा रहा है, सीता भात खा रही है।

- नागपुरी में ऋ, ऐ, औ, अः, ण, ष, श, क्ष, त्र, ज्ञ जइसन स्वर ध्वनि मनक परजोग कखनो—कखनो या एकदम नय कर बराबर होवेला।
- नागपुरी में 'है' कर ठाँवे 'आहे' इया 'हेके' कर परजोग होवेला।
- नागपुरी में 'भी' आउर 'ही' कर परजोग नी होवेला। जइसन—मोंय भी—मोहों, तोंय भी—तोहों, रउरे भी—रउरोहो, उ भी—ओहो, घर भी—घरो, राजा भी—राजाव, रानी भी—रानियो, रामजय भी—रामजयो, गाड़ी भी—गाड़ियो, मास्टर भी—मास्टरो।
- नागपुरी भासा कर एक ठो अलगे पहचान आहे।
- नागपुरी भासा सुनेक आउर बोलेक में आपन मांय भासा लखे लागेला।
- नागपुरी भासा में सरल कोमल मधुर ध्वनि मनक परधानता आहे।
- नागपुरी में निर्जिव कर परजोग ले एकबचन में बेहवार होवेला—सउब धान रोपाय गेलक, सउब घर मन गिर गेलक।

निष्कर्ष :-

जहाँ अगम भासा लिखल आउर बोलल जायला। इ लखे भारत कर २८ वाँ राइज झारखंड में जनजातीय आउर छेत्रीय भासा कर भी ठाँव देखेक ले मिलेला। जनजातीय भासा में—मुंडारी, हो, संताली, खड़िया, कुडुख। छेत्रीय भासा में—नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, आउर कुरमाली। इ लखे एक ठो नागपुरी भासा, जेके छेत्रीय भासा कर नाँव से जानल जायला। इ भासा कर भी आपन राइज में मूध ठाँव आहे। इ झारखंड राइज कर दखिनी छेतर में सउब से बगरा बोलेक जायक वाला भासा हेके। जइसन कि उपर में लिखल आहे कि सउब भासा कर बिसेसता आहे। आहे लखे नागपुरी भासा कर भी बिसेसता आहे। नागपुरी भासा के पुरना काल में अनइत लिपि से लिखल जात रहे। जेकर में कइथी, रोमन, बंगला, उर्दू आउर देवनागरी। गते—गते लिखेक कर लिपि उर्दू, बांग्ला, रोमन आउर कइथी हटाय देल गेलक। काले कि इ लिपि पढ़ेक, लिखेक आउर समझेक, में झनझट होवत रहे। इकर ठाँव में भारतीय भासा

हिन्दी कर लिपि देवनागरी के अपनाल गेलक। इ लिपि सुनेक में मधुर, कोमल, लिखेक में सरल आउर समझेक में आसान होवत रहे। सेहे ले हियाँ कर लेखक, कबि, गीतकार, पढ़वइया, संगीतकार, गायक आउर नायक मन इ लिपि के मुध ठाँव देल्यँ, जे एखन तक चलन देखेक ले मिलेला।

सन्दर्भ :-

- बरिन्द्र कुमार महतो, नागपुरी भासा—व्याकरण: एक अध्ययन, पृष्ठ संख्या—०७, शिवांगन पब्लिकेशन
- डॉ. गिरिधारी राम गौड़ू गिरिराज, नागपुरी कर साहित्यिक निबंध, पृष्ठ—२३, झारखंड झरोखा, राँची, झारखंड।
- जोहार सहिया, मासिक पत्रिका, मई—जून २००८, पृष्ठ संख्या—०८ आउर ०९ से।
- डॉ. भुनेश्वर अनुज, नागपुरी लोक—साहित्य, पृष्ठ संख्या—०६, झारखंड झरोखा, राँची, झारखंड।
- डॉ. भुनेश्वर अनुज, नागपुरी लोक—साहित्य, पृष्ठ संख्या—०६, झारखंड झरोखा, राँची, झारखंड।
- विक्रम कुमार मुंडा (विद्यार्थी), उम्र—२३, ग्राम गेंडरा कुम्हार टोली, पोष्ट—केसीपारा, थाना—गुमला, जिला—गुमला।
- कान्ता लकड़ा, (षिक्षिका), उम्र—३५, ग्राम—पकरी टोली, पोष्ट—सेवई, थाना—कोचेडेगा, जिला—सिमडेगा, झारखंड।
- कश्शणा यादव (हाई स्कूल, षिक्षक), उम्र—३०, ग्राम—महादेव टोली, पोष्ट—डुमरी, थाना—सिरिंग दाग (पेसराल), लोहरदागा।
- संजय नायक (किसान) उम्र—४२, ग्राम—खुंटी (बड़ाईक टोली), पंचायत—खुंटी, थाना—खुंटी, जिला—खुंटी।
- बरिन्द्र कुमार महतो, नागपुरी भासा—व्याकरण : एक अध्ययन, पृ.सं.—०७, शिवांगन पब्लिकेशन।
- डॉ. श्रवण कुमार गोस्वामी, नागपुरी भासा, पटना, १९७६, पृष्ठ संख्या—१२ एवं १३ (डॉ. भुनेश्वर अनुज, नागपुरी लोक साहित्य, पृष्ठ—२,३ एवं ४ से)



डॉ. अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का दार्शनिक विश्लेषण

डॉ. कमलेश कुमार

सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग,
सी. पी. वर्मामहाविद्यालय, सिमरी, बिहटा, पटना

सारांश

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय सामाजिक—राजनीतिक चिंतन के ऐसे महान दार्शनिक थे, जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला के रूप में स्थापित किया। उनके विचार केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और नैतिक पुनर्गठन के व्यापक दर्शन पर आधारित थे। अंबेडकर के अनुसार, यदि समाज में समानता का अभाव है तो स्वतंत्रता केवल एक भ्रम बनकर रह जाती है, और यदि बंधुत्व का अभाव है तो समाज में स्थायी एकता संभव नहीं हो सकती (अंबेडकर, १९४७; शर्मा, २०२०)। अंबेडकर ने भारतीय समाज की जाति—व्यवस्था को असमानता और अन्याय का मुख्य स्रोत माना तथा इसके उन्मूलन के लिए वैचारिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर संघर्ष किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक लोकतंत्र तभी संभव है जब समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों का संतुलित समावेश हो। उनके विचारों में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें करुणा, समता और मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना गया है (अंबेडकर, १९५७; सिंह, २०२१)।

यह अध्ययन डॉ. अंबेडकर के विचारों में निहित इन तीन मूलभूत अवधारणाओं का दार्शनिक

विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि इन सिद्धांतों का आधुनिक भारतीय समाज और लोकतंत्र में क्या महत्व है। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि अंबेडकर का दर्शन केवल ऐतिहासिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी अत्यंत प्रासंगिक है। अंततः, यह निष्कर्ष निकलता है कि अंबेडकर का चिंतन एक समतामूलक, न्यायसंगत और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में एक सशक्त मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है (कुमार, २०२२)।

मुख्य शब्द:— समानता, स्वतंत्रता; बंधुत्व; सामाजिक न्याय; अंबेडकर दर्शन; जाति व्यवस्था; लोकतंत्र; मानव गरिमा; बौद्ध विचार; सामाजिक परिवर्तन।

परिचय

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय बौद्धिक परंपरा के ऐसे महान चिंतक, विधिवेत्ता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सशक्त वैचारिक आंदोलन प्रस्तुत किया। उनके चिंतन का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित था, जिन्हें उन्होंने एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य शर्त माना। अंबेडकर के अनुसार, केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी उतनी ही आवश्यक है (अंबेडकर, १९४७; शर्मा, २०२०)। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने सदियों से सामाजिक असमानता को बनाए रखा है, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, अवसर और सम्मान से वंचित रहना पड़ा। अंबेडकर ने इस व्यवस्था की तीव्र आलोचना करते हुए यह प्रतिपादित किया कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होती, तब तक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ साकार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बंधुत्व के बिना न तो समानता टिक सकती है और न ही स्वतंत्रता का सही उपयोग संभव है (अंबेडकर,

१९५७)। अंबेडकर का दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, जहाँ करुणा, समता और मानवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो (सिंह, २०२१)। वर्तमान समय में भी अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं, विशेषकर तब जब समाज में असमानता, सामाजिक विभाजन और नैतिक संकट जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। अतः यह अध्ययन अंबेडकर के विचारों में निहित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे उनके चिंतन की समकालीन प्रासंगिकता को समझा जा सके।

उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के विचारों में निहित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के दार्शनिक आधार का विश्लेषण करना है तथा यह समझना है कि ये तीनों सिद्धांत किस प्रकार एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। अंबेडकर के चिंतन में समानता केवल सामाजिक या कानूनी समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा और अवसरों की समान उपलब्धता से भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार, स्वतंत्रता को उन्होंने केवल राजनीतिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्म-अभिव्यक्ति और गरिमामय जीवन के अधिकार के रूप में देखा (अंबेडकर, १९४७; शर्मा, २०२०)। इस शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित बंधुत्व की अवधारणा का दार्शनिक विश्लेषण किया जाए, जो समाज में पारस्परिक सम्मान, सह-अस्तित्व और नैतिक एकता को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि इन तीनों सिद्धांतों के अभाव में समाज में किस प्रकार असमानता, विभाजन और अन्याय उत्पन्न होते हैं

(सिंह, २०२१)। अध्ययन का एक अन्य उद्देश्य यह समझना है कि अंबेडकर के विचार आधुनिक भारतीय लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अंततः, यह शोध वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर के दर्शन की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

१. डॉ. अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणाओं का अध्ययन करना।
२. इन सिद्धांतों के दार्शनिक आधार और परस्पर संबंध का विश्लेषण करना।
३. भारतीय समाज में असमानता और जाति व्यवस्था के संदर्भ में अंबेडकर के दृष्टिकोण को समझना।
४. बंधुत्व की अवधारणा के सामाजिक और नैतिक महत्व का मूल्यांकन करना।
५. अंबेडकर के विचारों का भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर प्रभाव का अध्ययन करना।
६. समकालीन समाज में इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।
७. सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

इस अध्ययन की प्रमुख परिकल्पना यह है कि डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व परस्पर पूरक और अविभाज्य तत्व हैं, जिनके संतुलित समन्वय के बिना किसी भी समाज में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। अंबेडकर के अनुसार, यदि समानता का अभाव हो तो स्वतंत्रता केवल विशेषाधिकार बन जाती है, और यदि बंधुत्व का अभाव हो तो समानता और स्वतंत्रता दोनों ही टिकाऊ नहीं रह सकतीं। दूसरी परिकल्पना यह है कि भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था और सामाजिक असमानता के कारण इन तीनों सिद्धांतों का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक

विभाजन, अन्याय और असंतुलन उत्पन्न हुआ है। अंबेडकर ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरी परिकल्पना यह है कि यदि अंबेडकर के दार्शनिक विचारों को समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संरचना में प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह न केवल सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करेगा, बल्कि एक समावेशी, मानवीय और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा।

शोध पद्धति

इस अध्ययन में डॉ. अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के दार्शनिक विश्लेषण के लिए गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन मुख्यतः व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है।

□ प्राथमिक स्रोतों में डॉ. अंबेडकर के मूल ग्रंथ..जैसे Annihilation of Caste< The Buddha and His Dhamma तथा संविधान सभा में उनके भाषण.. शामिल किए गए हैं, जिनके माध्यम से उनके मूल विचारों को समझने का प्रयास किया गया है (अंबेडकर, १९४७; अंबेडकर, १९५७)।

□ द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों, शोध पत्रों तथा आलोचनात्मक लेखों का अध्ययन किया गया है, जिनसे अंबेडकर के दर्शन की व्यापक व्याख्या प्राप्त होती है (शर्मा, २०२०; सिंह, २०२१; कुमार, २०२२)।

अध्ययन की प्रक्रिया में तुलनात्मक विश्लेषण, वैचारिक व्याख्या तथा पाठ—विश्लेषणकी विधियों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत किस प्रकार एक—दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पद्धति के माध्यम से अंबेडकर के विचारों की दार्शनिक गहराई और समकालीन प्रासंगिकता का समग्र मूल्यांकन संभव हो सका।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल राजनीतिक

नारे नहीं हैं, बल्कि एक गहन दार्शनिक आधार पर निर्मित ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो एक न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय समाज की संरचना के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अंबेडकर का मानना था कि इन तीनों तत्वों का परस्पर संतुलन ही सामाजिक लोकतंत्र की वास्तविक आधारशिला है। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव हो, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है (अंबेडकर, १९४७)।

१. समानताका दार्शनिक विश्लेषण

अंबेडकर के अनुसार समानता का अर्थ केवल कानूनी समानता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी उतनी ही आवश्यक है। भारतीय समाज में जाति—व्यवस्था ने जन्म के आधार पर असमानता को संस्थागत रूप दे दिया, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, संसाधनों और अवसरों से वंचित रहना पड़ा। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि जब तक समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ साकार नहीं हो सकता। उन्होंने "समानता" को मानव गरिमा से जोड़ा और इसे सामाजिक न्याय की पूर्व शर्त माना (शर्मा, २०२०)।

२. स्वतंत्रताका दार्शनिक विश्लेषण

अंबेडकर के विचारों में स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, अभिव्यक्ति, विश्वास और जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है। उन्होंने यह माना कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। हालाँकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि स्वतंत्रता को बिना समानता के लागू किया जाए, तो यह समाज में असमानता को और बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सभी को समान अवसर न मिले, तो स्वतंत्रता केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए लाभकारी हो जाती है (अंबेडकर, १९५७)।

३. बंधुत्वका दार्शनिक विश्लेषण

बंधुत्व अंबेडकर के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण

और नैतिक तत्व है। उन्होंने इसे सामाजिक एकता और सह-अस्तित्व का आधार माना। बंधुत्व का अर्थ है..एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और मानवीय संवेदना। अंबेडकर के अनुसार, यदि समाज में बंधुत्व की भावना नहीं होगी, तो समानता और स्वतंत्रता दोनों ही अस्थिर हो जाएँगी। उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेकर करुणा और मैत्री के सिद्धांतों को बंधुत्व के रूप में प्रस्तुत किया (सिंह, २०२१)।

४. तीनों सिद्धांतों का पारस्परिक संबंध

| सिद्धांत | मुख्य विशेषता | अभाव का प्रभाव |
|------------|------------------------------|------------------|
| समानता | सभी को समान अवसर | सामाजिक असमानता |
| स्वतंत्रता | विचार और अभिव्यक्ति की आजादी | दमन और शोषण |
| बंधुत्व | सामाजिक एकता और सहयोग | विभाजन और संघर्ष |

यह तालिका स्पष्ट करती है कि तीनों सिद्धांत एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी एक की अनुपस्थिति में अन्य दो भी प्रभावहीन हो जाते हैं।

५. भारतीय समाज में प्रासंगिकता

भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएँ आज भी मौजूद हैं। ऐसे में अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को संस्थागत रूप दिया, जिससे समाज में न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें (कुमार, २०२२)।

६. आधुनिक संदर्भ में अंबेडकर का दर्शन

वर्तमान वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के दौर में भी सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और सांस्कृतिक विभाजन जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। ऐसे में अंबेडकर का दर्शन एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

- समानता → सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति
- स्वतंत्रता → अभिव्यक्ति और अधिकार
- बंधुत्व → सामाजिक सद्भाव और एकता

७. सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा

अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन पद्धति के

रूप में देखा। उनके अनुसार, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तभी है जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और अवसर मिले।

अंबेडकर का दर्शन यह दर्शाता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिकता और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। इस विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।

समस्याएँ एवं समाधान

डॉ. अंबेडकर के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के बावजूद भारतीय समाज में इनके पूर्ण क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे प्रमुख समस्या सामाजिक असमानता है, जो आज भी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर विद्यमान है। यह असमानता शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे समानता का सिद्धांत पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाता (शर्मा, २०२०)। दूसरी समस्या स्वतंत्रता का सीमित उपयोग है। यद्यपि संविधान ने अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता प्रदान की है, फिर भी सामाजिक दबाव, रूढ़िवादिता और आर्थिक असमानता के कारण सभी वर्गों को इसका समान लाभ नहीं मिल पाता (अंबेडकर, १९४७)। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या बंधुत्व की कमी है, जिसके कारण समाज में विभाजन, साम्प्रदायिकता और सामाजिक तनाव उत्पन्न होते हैं। बंधुत्व के अभाव में सामाजिक एकता कमजोर होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है (सिंह, २०२१)।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अंबेडकर के सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, लेकिन उनके पूर्ण क्रियान्वयन में सामाजिक और मानसिक बाधाएँ मौजूद हैं। यह भी पाया गया कि जहाँ शिक्षा, जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रसार अधिक है, वहाँ समानता और स्वतंत्रता का स्तर बेहतर है। इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष भी सामने आया कि बंधुत्व को बढ़ावा दिए बिना न तो सामाजिक

न्याय संभव है और न ही लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। अतः इन तीनों सिद्धांतों को संतुलित रूप से लागू करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल सैद्धांतिक अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण की आधारशिला हैं। अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को सामाजिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और पारस्परिक सम्मान प्राप्त हो (अंबेडकर, १९५७)। हालाँकि, वर्तमान भारतीय समाज में इन मूल्यों का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और सांस्कृतिक विभाजन जैसी समस्याएँ इन सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं (कुमार, २०२२)। अध्ययन यह दर्शाता है कि यदि अंबेडकर के विचारों को व्यावहारिक रूप में अपनाया जाए और शिक्षा, जागरूकता तथा संवैधानिक मूल्यों को समाज में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए, तो एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है (शर्मा, २०२०; सिंह, २०२१)। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का समन्वित अनुप्रयोग ही सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक स्थिरता की कुंजी है, और अंबेडकर का दर्शन इस दिशा में एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

सुझाव

१. समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
२. संवैधानिक मूल्योंकृतसमानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वकृतको शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
३. सामाजिक भेदभाव और जाति आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए कठोर नीतियाँ लागू की जाएँ।

४. कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु रोजगार और कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।

५. समाज में बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

६. अंबेडकर के विचारों के प्रचार—प्रसार के लिए शैक्षणिक और सामाजिक मंचों का उपयोग किया जाए।

संदर्भ सूची

१. अंबेडकर, बी. आर. (१९४७). जाति का विनाश (Annihilation of Caste). नई दिल्ली: सरकारी प्रकाशन. Pp.२५—६०.
२. अंबेडकर, बी. आर. (१९४९). संविधान सभा में भाषण. नई दिल्ली: भारत सरकार. Pp. २००—२३०.
३. अंबेडकर, बी. आर. (१९५५). राज्य और अल्पसंख्यक. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग. Pp. ७५—११०.
४. अंबेडकर, बी. आर. (१९५७). बुद्ध और उनका धम्म. नागपुर: बुद्ध प्रकाशन. Pp.१००—१५०.
५. कुमार, ए. (२०२२). सामाजिक न्याय और अंबेडकर का दर्शन. भारतीय सामाजिक अध्ययन पत्रिका, ८(२), १०१—११५.
६. प्रसाद, एम. (२०२१). बौद्ध दर्शन और अंबेडकर. भारतीय दार्शनिक अध्ययन, ६(२), ७०—८५.
७. शर्मा, आर. (२०२०). अंबेडकर का सामाजिक और राजनीतिक चिंतन. नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन. Pp. ५५—९०.
८. सिंह, पी. (२०२१). अंबेडकर और भारतीय लोकतंत्र. समाज विज्ञान समीक्षा, १०(३), ८८—१०२.
९. वर्मा, एस. (२०२३). आधुनिक भारत में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता. राष्ट्रीय विकास शोध पत्रिका, ९(१), १२०—१३५.



समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता

डॉ गीत एच तलवार

सहायक प्राध्यापक हिन्दी

सरकारी कला एवं विज्ञान (स्वयत्ता) महाविद्यालय
कारवार

सारांश (Abstract)

यह शोध आलेख समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में 'भारतीयता' की बहुआयामी अभिव्यक्ति का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आधुनिक सामाजिक—राजनीतिक परिवर्तनों, वैश्वीकरण, तथा सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के बीच भारतीयता किस प्रकार पुनर्संरचित होती है और उपन्यासकार इसे किन कथ्य—शिल्पगत साधनों से अभिव्यक्त करते हैं। आलेख में सामाजिक यथार्थ, परंपरा—आधुनिकता का द्वंद्व, स्त्री एवं दलित विमर्श, ग्रामीण—लोक जीवन और सांस्कृतिक स्मृति जैसे प्रमुख आयामों को विश्लेषण की केंद्रीय रूपरेखा बनाया गया है। पद्धतिगत रूप से यह अध्ययन व्याख्यात्मक—विश्लेषणात्मक (interpretative-analytical) दृष्टि पर आधारित है, जिसमें प्रतिनिधि कृतियों और आलोचनात्मक ग्रंथों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। निष्कर्षतः यह प्रतिपादित होता है कि समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीयता एक स्थिर, एकरेखीय संकल्पना न होकर गतिशील, बहुलतापरक और संवादपरक संरचना के रूप में उपस्थित है, जो परंपरा के संरक्षण के साथ—साथ आधुनिक चुनौतियों का सृजनात्मक संधान भी करती है।

मुख्य शब्द (Keywords): भारतीयता, समकालीन हिंदी उपन्यास, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक यथार्थ, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, वैश्वीकरण, लोकजीवन, आधुनिकता, पहचान

प्रस्तावना: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य भारतीय समाज के जटिल, बहुस्तरीय और परिवर्तनशील यथार्थ का व्यापक कलात्मक दस्तावेज है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी तक आते—आते भारतीय समाज ने औपनिवेशिक विरासत, राष्ट्र—निर्माण की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा सूचना—प्रौद्योगिकी क्रांति जैसे अनेक निर्णायक परिवर्तनों का अनुभव किया है। इन परिवर्तनों ने न केवल सामाजिक संरचना और जीवन—मूल्यों को प्रभावित किया, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और 'भारतीयता' की अवधारणा को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। हिंदी उपन्यासकारों ने इस संक्रमणशील परिदृश्य को संवेदनात्मक गहराई और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ अभिव्यक्त किया है।

'भारतीयता' का प्रश्न समकालीन विमर्शों के केंद्र में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह केवल सांस्कृतिक अस्मिता का द्योतक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीयता का स्वरूप एकरैखिक या स्थिर नहीं है यह विविधताओं, अंतर्विरोधों और संवादों के बीच निर्मित होने वाली गतिशील संरचना है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता, स्थानीयता और वैश्विकता, तथा व्यक्तिगत अनुभव और सामूहिक स्मृति के बीच निरंतर अंतःक्रिया दिखाई देती है।

उपन्यास, एक विधा के रूप में, जीवन के विस्तृत कैनवास को चित्रित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीयता का चित्रण केवल सांस्कृतिक प्रतीकों या रीति—रिवाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के अस्तित्वगत संकट, सामाजिक विसंगतियों, हाशिए के समुदायों की आवाज, तथा बदलती जीवन—शैलियों के माध्यम से प्रकट होता है। ग्रामीण और शहरी जीवन के द्वंद्व, जातीय और वर्गीय असमानताएँ, स्त्री की बदलती भूमिका, तथा दलित—आदिवासी चेतनाकृ ये सभी तत्व भारतीयता के नए अर्थ—क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण और बाजारवाद के प्रभाव ने सांस्कृतिक उपभोग, भाषा—प्रयोग और सामाजिक

संबंधों में व्यापक परिवर्तन किए हैं। समकालीन उपन्यासकार इन परिवर्तनों के बीच भारतीयता की प्रासंगिकता, उसकी सीमाएँ और संभावनाएँ...तीनों का परीक्षण करते हैं। इस संदर्भ में भारतीयता एक स्थिर परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में सामने आती है, जो निरंतर पुनर्सृजित होती रहती है।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता के विविध आयामों का सम्यक् अध्ययन किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि बदलते समय में भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान को किस प्रकार संरक्षित, परिवर्तित और पुनर्परिभाषित कर रहा है। प्रस्तुत आलेख इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित है।

भारतीयता की अवधारणा: भारतीयता एक बहुस्तरीय, बहुआयामी तथा ऐतिहासिक रूप से विकसित अवधारणा है, जिसे किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। यह केवल 'भारत' नामक राष्ट्र-राज्य की पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना है जो सहस्राब्दियों से विकसित होती हुई विभिन्न जातीय, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के समन्वय से निर्मित हुई है। भारतीयता का मूल स्वर 'एकता में विविधता' की भावना में निहित है, जहाँ भिन्नताओं के बीच सह-अस्तित्व और समन्वय का भाव प्रमुख रहता है।

दार्शनिक दृष्टि से भारतीयता का आधार आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, समन्वयवाद और मानवतावाद में देखा जाता है। वैदिक, बौद्ध, जैन, सूफी तथा भक्ति परंपराओं ने मिलकर इस सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध किया है। 'वसुधैवकुटुम्बकम्' तथा 'अहिंसा' जैसे मूल्यों ने भारतीयता को सार्वभौमिक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस प्रकार भारतीयता केवल सांस्कृतिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि नैतिक और दार्शनिक जीवन-दृष्टि भी है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीयता परिवार-केंद्रित जीवन-व्यवस्था, सामुदायिक संबंधों, पारंपरिक रीति-रिवाजों तथा उत्सवधर्मिता के रूप में अभिव्यक्त होती है। भारतीय समाज में जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक ताना-बाना विद्यमान है, जो लोकाचार, लोकसांस्कृतिक और परंपराओं के माध्यम से

पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचरित होता है।

समकालीन संदर्भ में भारतीयता का स्वरूप और अधिक जटिल हो गया है। वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दी है, साथ ही नई सांस्कृतिक संभावनाओं को भी जन्म दिया है। आज भारतीयता एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच निरंतर संवाद चलता रहता है। यह संवाद कभी टकराव के रूप में, तो कभी समन्वय के रूप में सामने आता है।

साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में भारतीयता का अर्थ केवल भारतीय परिवेश का चित्रण नहीं है, बल्कि उस जीवन-दृष्टि का प्रस्तुतीकरण है जो भारतीय समाज की अंतर्वस्तु को व्यक्त करती है। समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीयता का चित्रण सामाजिक यथार्थ, सांस्कृतिक स्मृति, ऐतिहासिक चेतना, तथा व्यक्ति और समाज के संबंधों के माध्यम से होता है। यहाँ भारतीयता एक जीवंत, परिवर्तनशील और बहुलतापरक अवधारणा के रूप में उभरती है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को पुनर्परिभाषित करती रहती है।

भारतीयता केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना है। इसमें निम्न प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं....

- संस्कृति और परंपरा
- धर्म और आध्यात्मिकता
- सामाजिक संबंध और परिवार व्यवस्था
- भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता
- लोकजीवन और ग्रामीण चेतना

समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीयता के आयाम

१. सामाजिक यथार्थ और भारतीय जीवन: समकालीन हिंदी उपन्यासों में 'सामाजिक यथार्थ' भारतीयता की केन्द्रीय अभिव्यक्ति के रूप में उभरता है। यह यथार्थ केवल बाह्य घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं...जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र...के अंतर्विरोधों, शक्ति-संबंधों और जीवन-संघर्षों का बहुआयामी चित्रण है। भारतीय जीवन की जटिलता को उपन्यासकार सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि और समाजशास्त्रीय संवेदना के साथ

प्रस्तुत करते हैं, जिससे भारतीयता का जीवंत, यथार्थपरक और आलोचनात्मक रूप सामने आता है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में, भूमि—संबंध, सामंती अवशेष, जातिगत वर्चस्व और आजीविका के संकट जैसे प्रश्न बार—बार उभरते हैं। उदाहरणार्थ, फणीश्वरनाथ 'रेणु' के उपन्यासमैला आँचलमें मिथिला अंचल का जीवन, वहाँ की बोली—बानी, लोक—विश्वास और सामाजिक विषमताएँ अत्यंत प्रामाणिकता के साथ चित्रित होती हैं। यह कृति दिखाती है कि भारतीयता केवल सांस्कृतिक उत्सवधर्मिता नहीं, बल्कि रोग, गरीबी, अशिक्षा और शोषण से जूझते जनजीवन का यथार्थ भी है।

इसी प्रकार, श्रीलाल शुक्ल काराग दरबारीस्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण—नगरीय संक्रमण, नौकरशाही, शिक्षा—व्यवस्था और राजनीतिक विडंबनाओं का तीखा व्यंग्य प्रस्तुत करता है। यहाँ भारतीयता का एक विडंबनापूर्ण पक्ष सामने आता है, जहाँ आदर्श और व्यवहार के बीच गहरा अंतर दिखाई देता है।

शहरी जीवन के संदर्भ में, उपन्यासकारों ने महानगरीय तनाव, अकेलापन, उपभोक्तावाद और मध्यवर्गीय दुविधाओं को रेखांकित किया है। मन्नू भंडारी के आपका बंटीमें विखंडित परिवार, बदलते दांपत्य संबंध और बाल—मन पर उसके प्रभाव के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की त्रासदी को चित्रित किया गया है।

दलित और वंचित समुदायों के जीवन—संघर्ष भी सामाजिक यथार्थ के महत्वपूर्ण आयाम हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक कृतिजूठन (यद्यपि यह आत्मकथा है, परंतु उपन्यासात्मक यथार्थ लिए हुए) में जातिगत अपमान, बहिष्कार और संघर्ष का मार्मिक चित्रण है, जो भारतीय समाज के अंतर्निहित असमानताओं को उजागर करता है।¹⁴

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि समकालीन हिंदी उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ भारतीयता के बहुआयामी स्वरूप को उद्घाटित करता है.. जहाँ परंपरा और परिवर्तन, शोषण और प्रतिरोध, तथा निराशा और संघर्ष.. सभी एक साथ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार, भारतीयता यहाँ एक आलोचनात्मक सामाजिक चेतना के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो समाज को समझने और बदलने दोनों की प्रेरणा देती है।

समकालीन उपन्यासों में भारतीय समाज की जटिलताओं.. जाति व्यवस्था, वर्ग संघर्ष, ग्रामीण—शहरी विभाजन.. का यथार्थ चित्रण मिलता है। लेखकों ने सामाजिक विषमताओं को उजागर करते हुए भारतीयता के भीतर छिपे संघर्षों को सामने लाया है।

2. सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व समकालीन हिंदी उपन्यासों में 'सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व' भारतीयता के सबसे जटिल और बहुसतमक आयामों में से एक है। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से परंपराओं, रीति—रिवाजों और सामुदायिक मूल्यों पर आधारित रहा है, किंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा—विस्तार और वैश्वीकरण के प्रभाव से आधुनिक जीवन—मूल्य तेजी से उभरे हैं। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव, संघर्ष, समायोजन और पुनर्संरचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

उपन्यासकार इस द्वंद्व को केवल विरोध के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील संवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ओर परंपरा सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक निरंतरता और सामूहिक पहचान का आधार प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परिवर्तन की आकांक्षा को जन्म देती है। समकालीन हिंदी उपन्यासों में यह द्वंद्व पात्रों के आंतरिक संघर्ष, पारिवारिक संबंधों, तथा सामाजिक संरचनाओं के परिवर्तन के माध्यम से उभरता है।

उदाहरणार्थ, निर्मल वर्मा के उपन्यासवे दिनमें आधुनिक जीवन की संवेदनात्मक जटिलता, अस्तित्वगत अकेलापन और सांस्कृतिक विस्थापन का चित्रण मिलता है। यहाँ पात्र परंपरागत मूल्यों से कटते हुए एक नए जीवन—बोध की तलाश में दिखाई देते हैं, जो भारतीयता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है।¹⁵

इसी प्रकार, कमलेश्वर काकितने पाकिस्तान इतिहास, स्मृति और आधुनिक राजनीतिक चेतना के बीच संवाद स्थापित करता है। यह उपन्यास दर्शाता है कि सांस्कृतिक पहचान स्थिर नहीं होती, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और वैचारिक परिवर्तनों से निरंतर प्रभावित होती है।¹⁶

मन्नू भंडारी के महाभोजमें परंपरागत सत्ता—संरचनाओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के

बीच टकराव को तीव्रता से चित्रित किया गया है। यहाँ आधुनिक राजनीति और पारंपरिक सामाजिक ढाँचे के बीच उत्पन्न तनाव भारतीयता के अंतर्विरोधों को उजागर करता है।¹⁷

इन कृतियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि समकालीन हिंदी उपन्यासों में परंपरा और आधुनिकता का संबंध द्वंद्वत्मक होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए नए सांस्कृतिक अर्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भारतीयता यहाँ स्थिर विरासत न होकर एक परिवर्तनशील सांस्कृतिक संरचना के रूप में उभरती है।

३. स्त्री विमर्श और भारतीयता: स्त्री विमर्श समकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण वैचारिक धारा है, जो भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसकी अस्मिता, अधिकार और स्वतंत्रता के प्रश्नों को केंद्र में रखती है। भारतीयता की पारंपरिक अवधारणा में स्त्री को त्याग, ममता, सहनशीलता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु यह छवि प्रायः पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा निर्मित रही है। आधुनिक समय में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता के कारण स्त्री ने अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति सजग दृष्टिकोण विकसित किया है, जिससे भारतीयता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती मिली है।

समकालीन हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श भारतीयता के पुनर्पाठ का सशक्त माध्यम बनकर उभरता है। कृष्णा सोबती के मित्रोमरजानी में स्त्री-देह, इच्छा और स्वायत्तता को निर्भीक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। मित्रो पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देती है और स्त्री की स्वतंत्र पहचान को स्थापित करती है।¹⁸

इसी प्रकार, मन्नु भंडारी के आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के संदर्भ में स्त्री की संवेदनशील स्थिति का चित्रण मिलता है। यहाँ स्त्री आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष में दिखाई देती है।¹⁹

उषा प्रियंवदा के पचपन खंभे लाल दीवारों में कार्यरत स्त्री के मानसिक द्वंद्व, अकेलेपन और सामाजिक दबावों का मार्मिक चित्रण है, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद स्त्री को सामाजिक स्वीकृति के लिए

संघर्ष करना पड़ता है।²⁰

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री विमर्श भारतीयता को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। यह भारतीयता को केवल परंपरागत मूल्यों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसमें समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे आधुनिक मानवीय मूल्यों का समावेश करता है। इस प्रकार समकालीन हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श भारतीयता को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील स्वरूप प्रदान करता है।

४. दलित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में दलित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीयता की पुनर्व्याख्या का एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरता है। भारतीय समाज की संरचना ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित रही है, जिसमें दलित और वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर हाशिए पर रखा गया। पारंपरिक भारतीयता की अवधारणा में इन वर्गों की आवाज प्रायः अनुपस्थित रही, किंतु समकालीन साहित्य ने इस मौन को तोड़ने का कार्य किया है।

दलित विमर्श का मूल उद्देश्य सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज करना तथा दलित अस्मिता को स्थापित करना है। समकालीन हिंदी उपन्यासों और आत्मकथात्मक कृतियों में दलित जीवन के यथार्थ, संघर्ष और आत्मसम्मान की चेतना को प्रमुखता दी गई है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथाजूठन में दलित जीवन की पीड़ा, अपमान और सामाजिक बहिष्कार का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि किस प्रकार जातिगत भेदभाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है।²¹

मोहनदास नैमिशराय की कृतियों में भी दलित समाज की यथार्थ स्थिति और संघर्ष का सशक्त चित्रण मिलता है। उनके लेखन में दलित चेतना, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है।²²

इसी प्रकार, शरणकुमार लिंबाले की अक्करमाशी (यद्यपि मूलतः मराठी कृति है, पर हिंदी में व्यापक रूप से

पढ़ी जाती है) दलित जीवन की जटिलताओं, पहचान के संकट और सामाजिक बहिष्कार को उजागर करती है। १३

इन कृतियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि दलित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीयता के उस यथार्थ को सामने लाता है, जो लंबे समय तक मुख्यधारा के साहित्य में उपेक्षित रहा। यह विमर्श भारतीयता को अधिक यथार्थवादी, समावेशी और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है।

इस प्रकार समकालीन हिंदी साहित्य में दलित विमर्श केवल पीड़ा का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रतिरोध, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त हस्तक्षेप है, जो भारतीयता को नए मानवीय मूल्यों . समानता, न्याय और गरिमाकृसे समृद्ध करता है।

५. ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति भारतीयता की जड़ों को अभिव्यक्त करने वाला केंद्रीय आयाम है। भारत की सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार गाँवों, लोक—परंपराओं, उत्सवों, बोली—बानी और सामुदायिक जीवन में निहित है। यद्यपि आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव से ग्रामीण संरचनाओं में परिवर्तन आया है, फिर भी समकालीन उपन्यासों में गाँव भारतीय जीवन—दृष्टि, सामूहिकता और सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक के रूप में उपस्थित रहता है।

ग्रामीण जीवन का चित्रण केवल प्राकृतिक परिवेश या कृषि—आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जातिगत संबंध, सामुदायिक ताना—बाना, लोक—विश्वास, रीति—रिवाज और शक्ति—संरचनाएँ भी शामिल हैं। इस संदर्भ में फणीश्वरनाथ 'रेणु' कामैला आँचलएक प्रतिनिधि कृति है, जिसमें मिथिला क्षेत्र का लोकजीवन, बोली, लोकगीत, मेले—त्योहार और सामाजिक यथार्थ अत्यंत प्रामाणिकता के साथ उभरता है। यह उपन्यास दर्शाता है कि लोक संस्कृति भारतीयता की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो जन—जीवन के साथ गहराई से जुड़ी है। १४

श्रीलाल शुक्ल केराग दरबारीमें ग्रामीण समाज की विडंबनाओं, शिक्षा—व्यवस्था, स्थानीय राजनीति और नौकरशाही के प्रभाव का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। यहाँ लोकजीवन के भीतर मौजूद विसंगतियाँ और

परिवर्तनशीलता भारतीयता के यथार्थवादी पक्ष को उजागर करती हैं। १५

राही मासूम रजा केआधा गाँवमें ग्रामीण समाज की सांप्रदायिक संरचना, परंपराएँ और विभाजन की त्रासदी का गहन चित्रण है। यह कृति दिखाती है कि लोक संस्कृति केवल उत्सवधर्मिता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक तनावों का भी वाहक है। १६

इन उपन्यासों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति भारतीयता के स्थायी आधार होने के साथ—साथ परिवर्तनशील भी हैं। आधुनिकता, शिक्षा और बाजार के प्रभाव से लोक परंपराएँ नए रूप ग्रहण कर रही हैं, फिर भी उनकी मूल संवेदना..सामूहिकता, सह—अस्तित्व और सांस्कृतिक स्मृति..बरकरार रहती है।

इस प्रकार समकालीन हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति भारतीयता को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारतीय समाज की वास्तविक पहचान उसके लोक—आधारित अनुभवों में निहित है।

६. वैश्वीकरण और भारतीय पहचान: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में वैश्वीकरण और भारतीय पहचान का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभरता है। वैश्वीकरण ने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी स्तर पर विश्व को एकीकृत करने का कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज की पारंपरिक संरचनाओं, मूल्यों और जीवन—शैली में व्यापक परिवर्तन आए हैं। इस प्रक्रिया ने भारतीय पहचान (Indian identity) को पुनर्परिभाषित करने की चुनौती भी प्रस्तुत की है।

वैश्वीकरण के प्रभाव से उपभोक्तावाद, बाजारवाद और पश्चिमी जीवन—शैली का प्रभाव भारतीय समाज में तेजी से बढ़ा है। इसके कारण पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। समकालीन हिंदी उपन्यासकार इस परिवर्तनशील स्थिति को गहन संवेदना और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते हैं।

उदाहरणार्थ, निर्मल वर्मा के उपन्यासवे दिनमें आधुनिक जीवन की सांस्कृतिक विडंबनाओं, अकेलेपन और पहचान के संकट का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। यहाँ

पात्र अपने मूल सांस्कृतिक परिवेश से कटकर एक नई पहचान की तलाश में दिखाई देते हैं।^{१७}

कमलेश्वर केकितने पाकिस्तानमें इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्नों को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास दर्शाता है कि पहचान स्थिर नहीं होती, बल्कि समय, सत्ता और विचारधाराओं के प्रभाव से निरंतर बदलती रहती है।^{१८}

इसी प्रकार, उदय प्रकाश की कहानियों और उपन्यासात्मक कृतियों में वैश्वीकरण के प्रभाव से उत्पन्न सामाजिक विषमताओं, मध्यवर्गीय संकट और सांस्कृतिक विस्थापन का चित्रण मिलता है। उनके लेखन में यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने जहाँ नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं, वहीं असमानताओं को भी गहरा किया है।^{१९}

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण भारतीय पहचान के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में उपस्थित है। एक ओर यह सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर नई पहचान—निर्माण की संभावनाएँ भी प्रदान करता है। समकालीन हिंदी उपन्यासों में भारतीय पहचान एक स्थिर और एकरेखीय अवधारणा न होकर बहुलतापरक, गतिशील और संवादपरक रूप में उभरती है।

इस प्रकार वैश्वीकरण के संदर्भ में भारतीय पहचान का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, स्थानीयता और वैश्विकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है।

प्रमुख उपन्यासकारों का योगदान: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता के विविध आयामों को अभिव्यक्त करने में प्रमुख उपन्यासकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन रचनाकारों ने अपने—अपने दृष्टिकोण, संवेदना और शिल्प के माध्यम से भारतीय समाज की जटिलताओं, अंतर्विरोधों और सांस्कृतिक विविधताओं को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है।

फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने अपने उपन्यासमैला आँचलके माध्यम से ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और सामाजिक यथार्थ का जीवंत चित्रण किया। उनके लेखन में भारतीयता लोकजीवन की सहजता, सामूहिकता और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई दिखाई देती है।^{२०}

श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारीमें स्वतंत्रोत्तर भारतीय

समाज की राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक विडंबनाओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। उनके लेखन में भारतीयता का यथार्थवादी और आलोचनात्मक स्वरूप सामने आता है।^{२१}

निर्मल वर्मा ने आधुनिक जीवन की संवेदनात्मक जटिलताओं, अकेलेपन और अस्तित्वगत संकट को अपने उपन्यासवे दिनमें अभिव्यक्त किया। उनके साहित्य में भारतीयता का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आयाम उभरकर सामने आता है।^{२२}

कमलेश्वर काकितने पाकिस्तानभारतीय इतिहास, विभाजन, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्नों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। यह कृति भारतीयता की बहुलतापरक और परिवर्तनशील प्रकृति को रेखांकित करती है।^{२३}

मनू भंडारी और कृष्णा सोबती जैसी महिला उपन्यासकारों ने स्त्री विमर्श के माध्यम से भारतीयता के लैंगिक आयामों को उजागर किया। आपका बंटी और मित्रो मर जानी जैसी कृतियाँ स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता और संघर्ष को केंद्र में लाती हैं।^{२४}

ओमप्रकाश वाल्मीकि तथा अन्य दलित लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से दलित जीवन के यथार्थ, पीड़ा और संघर्ष को सामने लाकर भारतीयता को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया। जूठन जैसी कृतियाँ इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।^{२५}

इन सभी उपन्यासकारों के योगदान से स्पष्ट होता है कि समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता एक बहुआयामी और गतिशील अवधारणा के रूप में विकसित हुई है। यह केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और नए मूल्यों की स्थापना की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष: समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में 'भारतीयता' का स्वरूप बहुआयामी, गतिशील और परिवर्तनशील रूप में उभरकर सामने आता है। यह केवल परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिकता, वैश्वीकरण, स्त्री चेतना, दलित विमर्श तथा ग्रामीण—लोक जीवन के विविध अनुभवों से समृद्ध होती हुई निरंतर विकसित होती रहती है।

सामाजिक यथार्थ के चित्रण के माध्यम से उपन्यासकारों ने भारतीय समाज की जटिलताओं..जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं..को उजागर किया है। वहीं स्त्री विमर्श और दलित विमर्श ने भारतीयता के उस पक्ष को सामने लाया है, जो लंबे समय तक हाशिए पर रहा। इन विमर्शों ने भारतीयता को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और संवेदनशील स्वरूप प्रदान किया है।

ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति भारतीयता की जड़ों को सुदृढ़ करते हैं, जबकि वैश्वीकरण और आधुनिकता उसके नए आयामों को परिभाषित करते हैं। समकालीन उपन्यासों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीयता स्थिर नहीं है, बल्कि यह परंपरा और परिवर्तन, स्थानीयता और वैश्विकता, तथा व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के बीच निरंतर संवाद की प्रक्रिया है।

प्रमुख उपन्यासकारों के योगदान से यह स्थापित होता है कि हिंदी उपन्यास केवल साहित्यिक विधा नहीं, बल्कि समाज का सजीव दस्तावेज है, जो भारतीयता के विविध रूपों को अभिव्यक्त करने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी निर्धारित करता है।

अतः कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य में भारतीयता एक जीवंत, बहुलतापरक और प्रगतिशील अवधारणा के रूप में उभरती है, जो समयानुसार स्वयं को पुनर्परिभाषित करती हुई भारतीय समाज की बदलती पहचान को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, १९५४, पृ.६७-८५।
2. श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, राजकमल प्रकाशन, १९६८, पृ.१०२-१३०।
3. मन्नू भंडारी, आपका बंटी, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९७१, पृ.४५-६०।
4. ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९९७, पृ.२३-४०।
5. निर्मल वर्मा, वे दिन, राजकमल प्रकाशन, १९८९, पृ.५२-७०।
6. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, राजकमल प्रकाशन, २०००, पृ.११०-१४०।

7. मन्नू भंडारी, महाभोज, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९७९, पृ.८८-१०५।
8. कृष्णा सोबती, मित्रोमरजानी, राजकमल प्रकाशन, १९६६।
9. मन्नू भंडारी, आपका बंटी, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९७१।
10. उषा प्रियंवदा, पचपन खंभे लाल दीवारें, राजकमल प्रकाशन, १९६१।
11. ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९९७।
12. मोहनदास नैमिशराय, अपने-अपने पिंजरे, वाणी प्रकाशन, १९९५।
13. शरणकुमारलिंबाले, अक्करमाशी, वाणी प्रकाशन (हिंदी अनुवाद), २००३।
14. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, १९५४, पृ.६७-९५।
15. श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, राजकमल प्रकाशन, १९६८, पृ.१२०-१५०।
16. राही मासूम रजा, आधा गाँव, राजकमल प्रकाशन, १९६६, पृ.८०-११०।
17. निर्मल वर्मा, वे दिन, राजकमल प्रकाशन, १९८९, पृ.६०-९०।
18. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, राजकमल प्रकाशन, २०००, पृ.१४०-१८०।
19. उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, वाणी प्रकाशन, २००१, पृ.३०-५५।
20. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, १९५४, पृ.६७-९५।
21. श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, राजकमल प्रकाशन, १९६८, पृ.१२०-१५०।
22. निर्मल वर्मा, वे दिन, राजकमल प्रकाशन, १९८९, पृ.६०-९०।
23. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, राजकमल प्रकाशन, २०००, पृ.१४०-१८०।
24. मन्नू भंडारी, आपका बंटी, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९७१, पृ.६१-८५; कृष्णा सोबती, मित्रोमरजानी, राजकमल प्रकाशन, १९६६, पृ.३४-६०।



उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० सुभाष चन्द्र वर्मा
निर्देशक, प्रोफेसर एवं प्राचार्य
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय सितारगंज
उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

सोनू राम
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय सितारगंज
उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी कई समुदायों में महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी शिक्षा, आर्थिक संसाधनों, सामाजिक परंपराओं तथा जागरूकता के स्तर से प्रभावित होती है। यद्यपि वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक जागरूकता के कारण मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, फिर भी अनेक क्षेत्रों में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। इसके साथ ही यह अध्ययन उनके सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं तथा उनके सशक्तिकरण की संभावनाओं को समझने का प्रयास करता है।
शब्दकोश — मुस्लिम महिलाएँ, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और विकास रोजगार के अवसर, सामाजिक परिवर्तन
परिचय

भारत एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग अपनी-अपनी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के साथ जीवन यापन करते हैं। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे परिवार और समाज दोनों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। इसके बावजूद कई समुदायों में महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर देखी जाती है।

उत्तराखंड राज्य में भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अनेक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारकों से प्रभावित होती है। शिक्षा की कमी, आर्थिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता, सामाजिक परंपराएँ और जागरूकता की कमी उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता के कारण मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। आज उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ा रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं और संभावनाओं को समझना है।

शोध अध्ययन का महत्व

“उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” विषय का समाजशास्त्रीय दृष्टि से विशेष महत्व है। यह अध्ययन उत्तराखंड में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की वास्तविक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक है।

इस शोध का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि मुस्लिम महिलाएँ समाज में किस प्रकार की परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही हैं तथा उनके विकास में कौन-कौन सी समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आती हैं। इसके साथ ही यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से उनके जीवन में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शोध अध्ययन नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति से संबंधित वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी के आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेहतर योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन समाज में महिलाओं की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि यदि महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक सहयोग प्राप्त हो, तो वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

इस प्रकार यह शोध अध्ययन न केवल मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

१— उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

२— मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना।

३— मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसरों का अध्ययन करना।

४— मुस्लिम महिलाओं के विकास में आने वाली मुख्य समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना।

५— मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की संभावनाओं का अध्ययन करना।

उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति

उत्तराखंड एक बहु-सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण समाज वाला राज्य है, जहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग आपसी सह-अस्तित्व के साथ रहते हैं। इस समाज में महिलाओं की भूमिका परिवार और समाज दोनों के निर्माण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी राज्य की सामाजिक संरचना, परंपराओं, शिक्षा के स्तर तथा आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने पर यह देखा जाता है कि परिवार और समाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद कई बार उन्हें निर्णय लेने के अधिकारों में सीमित भागीदारी मिलती है। परंपरागत सामाजिक मान्यताएँ, धार्मिक रीति-रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएँ उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। कई परिवारों में महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिससे उनका सामाजिक दायरा सीमित हो जाता है।

हालांकि समय के साथ स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता और सरकारी योजनाओं के कारण अब मुस्लिम महिलाएँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य तथा अन्य गतिविधियों में अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। फिर भी

ग्रामीण क्षेत्रों में कई मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक प्रतिबंधों, जागरूकता की कमी और पारंपरिक सोच के कारण अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने के अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए आवश्यक है कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि मुस्लिम महिलाएँ भी सामाजिक विकास में पूर्ण रूप से भाग ले सकें।

इस प्रकार उत्तराखंड के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन यह दर्शाता है कि उनके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहयोग के माध्यम से उनकी स्थिति को और अधिक सशक्त और बेहतर बनाया जा सकता है।

उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और शिक्षा का स्तर

शिक्षा किसी भी समाज के विकास और प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। यह व्यक्ति के ज्ञान, सोच और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व अधिक होता है, क्योंकि शिक्षित महिला न केवल स्वयं का विकास करती है बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि पहले के समय में उनकी शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम था। इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण थे, जैसेकृगरीबी, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, पारंपरिक सोच और सामाजिक रूढ़ियाँ। कई परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, जिसके कारण अनेक मुस्लिम लड़कियाँ प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थीं। हालांकि वर्तमान समय में उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों तथा सामाजिक जागरूकता के कारण

अब अधिक संख्या में मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के सामने कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसे आर्थिक समस्याएँ, शिक्षा के संसाधनों की कमी, सामाजिक प्रतिबंध तथा उच्च शिक्षा के अवसरों की सीमित उपलब्धता। इन कारणों से कई प्रतिभाशाली लड़कियाँ अपनी शिक्षा को पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि सरकार और समाज मिलकर शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दें, जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करें। इससे न केवल मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि समाज के समग्र विकास में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

उत्तराखंड के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर

आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति और समुदाय के जीवन स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनके आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति कई सामाजिक, शैक्षिक और पारिवारिक कारणों से प्रभावित होती है। उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि परंपरागत रूप से अधिकांश महिलाएँ घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती थीं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। इसके अलावा शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक परंपराओं के कारण भी कई मुस्लिम महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती थीं।

हालांकि वर्तमान समय में स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के कारण अब कई मुस्लिम महिलाएँ रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सिलाई-कढ़ाई, छोटे व्यापार, निजी संस्थानों तथा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वे परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई मुस्लिम महिलाएँ कृषि कार्य, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे घरेलू उद्योगों से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और रोजगार योजनाओं से भी उन्हें लाभ मिल रहा है। फिर भी कई क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसेकृषिक्षा की कमी, सीमित रोजगार अवसर, सामाजिक प्रतिबंध और आर्थिक संसाधनों की कमी। इन चुनौतियों के बावजूद शिक्षा, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।

इस प्रकार उत्तराखंड के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसरों का अध्ययन यह दर्शाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण उनके सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसरों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

मुस्लिम महिलाओं के विकास में आने वाली मुख्य समस्याओं और चुनौतियों की पहचान (उत्तराखंड के संदर्भ में)

किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त और शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। फिर भी कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से मुस्लिम महिलाओं के

विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में भी मुस्लिम महिलाओं को अपने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के मार्ग में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख समस्या शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव है। कई परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण वे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पातीं। शिक्षा के अभाव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक कमजोरी है। कई मुस्लिम परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण परिवार की प्राथमिकता अक्सर लड़कों की शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं पर अधिक होती है। इस स्थिति में लड़कियों की शिक्षा और विकास प्रभावित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक रूढ़ियाँ और पारंपरिक सोच भी महिलाओं के विकास में बाधा बनती हैं। कुछ समुदायों में अभी भी महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित माना जाता है, जिससे उनकी सामाजिक भागीदारी और अवसर कम हो जाते हैं। रोजगार के सीमित अवसर भी एक बड़ी चुनौती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पातीं। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की कमी भी उनके विकास को प्रभावित करती है। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता के कारण मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। फिर भी उनके सामने आने वाली इन समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना आवश्यक है, ताकि उनके समाधान के लिए उचित नीतियाँ और योजनाएँ बनाई जा सकें और मुस्लिम महिलाओं को समाज के विकास में समान अवसर प्राप्त हो सकें।

विकास की संभावनाएँ (उत्तराखण्ड के संदर्भ में)

किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त और आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अधिकारों और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उत्तराखण्ड के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की कई संभावनाएँ दिखाई देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संभावना शिक्षा का विस्तार है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ का विकास होता है। उत्तराखण्ड में शिक्षा के प्रसार और सरकारी योजनाओं के कारण अब अधिक संख्या में मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण संभावना रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का बढ़ना है। आज कई मुस्लिम महिलाएँ सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) और सरकारी योजनाएँ भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता कर रही हैं। इससे वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि परिवार और समाज में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक जागरूकता और महिला अधिकारों के प्रति बढ़ती समझ भी सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं। हालांकि अभी भी कुछ

सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी शिक्षा, रोजगार के अवसर, सरकारी योजनाएँ और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की संभावनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। उचित प्रयासों और सहयोग से उत्तराखण्ड में मुस्लिम महिलाएँ भविष्य में समाज के विकास में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति समय के साथ धीरे-धीरे परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। परंपरागत रूप से मुस्लिम महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से परिवार और घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती थी, जिसके कारण उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर सीमित रहे। शिक्षा की कमी, आर्थिक संसाधनों की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा जागरूकता का अभाव उनके विकास में प्रमुख बाधाएँ रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक जागरूकता के कारण मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कई मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं तथा सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है। फिर भी यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के अवसर सीमित हैं, जिसके कारण कई मुस्लिम महिलाएँ अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और परिवार मिलकर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएँ तथा सामाजिक जागरूकता को बढ़ाएँ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक सहयोग को और अधिक मजबूत किया जाए, तो उत्तराखण्ड में

मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है और वे समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

सुझाव

- १— महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि मुस्लिम महिलाएँ जागरूक और आत्मनिर्भर बन सकें तथा समाज में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकें।
- २— सरकार को मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष शैक्षिक योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों।
- ३— रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण, ताकि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
- ४— ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि परिवारों में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।
- ५— स्वयं सहायता समूह और महिला संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे मुस्लिम महिलाएँ सामूहिक रूप से आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें।
- ६— महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ७— समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाया जाना चाहिए, ताकि मुस्लिम महिलाएँ भी समाज के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

इस प्रकार इन सुझावों के माध्यम से उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

- १— भारत सरकार भारत की जनगणना २०११ नई दिल्ली रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, २०११।

२— भारत सरकार सच्चर समिति की रिपोर्ट “भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति” नई दिल्ली, २००६।

३— अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय “भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति” भारत सरकार, नई दिल्ली, २०१५।

४— हसन, जोया “भारत में मुस्लिम महिलाएं और सामाजिक परिवर्तन” नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, २००५।

५— इंजीनियर, असगर अली “भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति” नई दिल्ली स्टर्लिंग पब्लिशर्स, २००११।

६— देसाई, नीरा और कृष्णराज, मैत्रेयी “भारत में महिलाएं और समाज” नई दिल्ली अजंता पब्लिकेशन्स, १९८७१।

७— शर्मा, के.एल. “भारतीय सामाजिक संरचना और परिवर्तन” जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, २०२१

८— उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड का सांख्यिकी डायरी देहरादून, २०२०१।

९— खान, शबाना “भारत में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण” नई दिल्ली सेज पब्लिकेशन्स, २०१३।

१०— अहमद, इम्तियाज “भारत के मुस्लिम समुदाय” नई दिल्ली मनोहर पब्लिशर्स, २००४।



नई शिक्षा नीति में समसामयिक आर्थिक परिदृश्य एवं नारी शिक्षा

डॉ. सुधा कुमारी

पूर्व शोधार्थी—अर्थशास्त्र विभाग

जे.पी.यू., छपरा, सारण

सारांश :—

नई शिक्षा नीति महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी ओर, यह नीति महिलाओं को आर्थिक विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त संसाधनों से जोड़ती है। दोनों पहलुओं पर महिलाओं की शिक्षा और विकास के संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महिलाओं की शिक्षा में प्रमुख बदलावों के लिए सबसे पहले सभी के लिए समानता की भावना जरूरी है। यह स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति महिलाओं में उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक संसाधन के रूप में भी कार्य करती है। यह सामाजिक—आर्थिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में एक आवश्यक कदम रही है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दोहरी भूमिका को स्पष्ट करती है। यह इसके व्यापक प्रभाव की पहचान भी करती है, महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक विकास और सतत विकास पर सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करती है। नई शिक्षा नीति आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य के निर्माण में

बहुआयामी योगदान को प्रोत्साहित करती है। महिलाएं मूल रूप से ग्रामीण भारत में कार्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त हैं। इसलिए, उन्हें विभिन्न असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित वित्तीय संसाधन और बाजार अवसरों की कमी। भारत में महिलाओं के लिए विविध तरीकों से संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है। यह उनके लिंग आधारित सीमाओं को परिभाषित करने में मदद करता है। ऐसी पहलें महिलाओं के उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं, बचत को बढ़ावा देती हैं, और भारतीय महिलाओं में कौशल विकास को आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार यह महिलाओं उद्यमियों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती है।

मुख्य शब्द:—समानता, उद्यमिता, समावेशन, महिलाओं, सामुदायिक, शिक्षा, वित्तीय, बाजार, आर्थिक आदि।

शोध प्रविधि :—

नई शिक्षा नीति में आधुनिक आर्थिक परिदृश्य और महिलाओं की शिक्षा शीर्षक वाला यह शोध पत्र प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान सामग्रियों पर आधारित है। प्रासंगिक साहित्य का अध्ययन प्राथमिक स्रोतों जैसे साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग करके किया गया। माध्यमिक साहित्य का अध्ययन पुस्तकों, पत्रिकाओं और जर्नलों के माध्यम से किया गया।

समस्या :—

- लोगों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता देखी जाती है।
- आज भी व्यापारिक स्थानों पर महिलाओं को कार्य करने न जाने देने की कुठित मानसिकता के लोग हैं।
- गाँव के बाहर नौकरी करने के लिए लड़कियों को जाने देने में परिजन रोकते हैं।
- आर्थिक विकास के संसाधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या है।

उद्देश्य:—

नई शिक्षा नीति २०२० के मुख्य उद्देश्य शिक्षा को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सरल, सुगम, व्यावहारिक, कौशल—आधारित बनाना है, इसके साथ—साथ ही नारी की शिक्षा को समान अवसर,

सशक्तिकरण और नेतृत्व करने की शक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस नई शिक्षा नीति को रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया है। कौशल विकास की नीति का उद्देश्य केवल छात्रों को उपाधिधारक बनाना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार और और कला कौशल के क्षेत्र में वृद्धि करना है। सकल घरेलू उत्पाद में निवेश लक्ष्य शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को और अधिक स्तर तक बढ़ाने का कार्य किया जाना आवश्यक है। इससे आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बना रहे। व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल स्तर से शामिल कर उद्योग और शिक्षा के बीच मौलिक अंतर को कम करना आवश्यक है।

समाधान :-

नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को ज्ञान—विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना मुख्य उद्देश्य है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा प्रणाली को आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है। उद्यमिता और आजीविका अक्सर आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से जुड़ी होती हैं, जैसे लघु व्यवसाय, हस्तशिल्प, कृषि और पशुपालन। आर्थिक गतिविधियां स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देती हैं और रोजगार के अवसर पैदा करती हैं।¹ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने, उनकी रोजगारयोग्यता सुधारने, और उन्हें सफलतापूर्वक व्यवसाय शुरू और प्रबंधित करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं।² सूक्ष्म वित्त और ऋण तक पहुँच उद्यमशील प्रयासों और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने में सदस्यों की मदद करने का माध्यम है। सूक्ष्म वित्त गरीबी को कम करने और सदस्यों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह बाजार संबंधों को सुविधाजनक बनाता है, सदस्यों को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार से जोड़ता है, छोटे उत्पादकों के लिए विपणन दक्षता में सुधार करता है और उनकी आय बढ़ाता है।³ महिलाओं की शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें पैसे बचाने, ऋण प्राप्त करने और अपने वित्त का प्रबंधन करने का मंच

प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाती है। कौशल वृद्धि पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को नए कौशल सीखने या मौजूदा कौशल में सुधार करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती है। महिलाओं के बीच सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ, सामुदायिक भावना और पारस्परिक सहयोग में योगदान देता है।⁴ महिलाएं सामूहिक निर्णय लेने और सामान्य मुद्दों को संबोधित करने के माध्यम से आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं, पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना महिलाओं और उनके परिवारों की भलाई को बढ़ाता है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, आर्थिक विकास के संसाधनों को और मजबूत किया जा सकता है। ये आधार स्तर पर रोजगार सृजित करके आर्थिक वृद्धि में योगदान देती हैं। इसके अलावा, ये महिलाओं को कौशल विकास, निर्णय लेने और सामाजिक समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ये गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में योगदान देती हैं। वित्तीय सेवाएं प्रदान करके और सूक्ष्म—उद्यमों को बढ़ावा देकर, ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आर्थिक विकास और महिलाओं की शिक्षा मिलकर सदस्यों को ऋण तक पहुँच, आय—सृजन गतिविधियों में वृद्धि, और जीवन स्तर में सुधार की सुविधा देती हैं। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में, ये महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं।⁵ ये वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती हैं, निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं, और महिलाओं के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती हैं। यह महिलाओं की शिक्षा व्यापक प्रभाव डालती है, जो केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि बेहतर पारिवारिक

कल्याण और सामुदायिक विकास में भी योगदान करती है। कुल मिलाकर, स्व-सहायता समूहों का भारतीय अर्थव्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा पर प्रभाव महत्वपूर्ण है, जो समावेशी वृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष :-

भारतीय अर्थव्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, ये ऋण तक पहुँच प्रदान करते हैं। इस आर्थिक बचत को बढ़ावा देकर और आधार स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, ये वित्तीय समावेशन में योगदान देते हैं। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ और आजीविका बढ़ती हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए, ये महिलाओं को सहयोग करने, कौशल विकसित करने, और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सामूहिक निर्णय लेने और संसाधनों के पूलिंग के माध्यम से, महिलाएँ सामाजिक मुद्दों को संबोधित कर सकती हैं और लिंग मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं। इसके अलावा, इसके माध्यम से प्राप्त आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को सशक्त बनाती है, जिससे उनके सामाजिक स्थिति और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भारत के आर्थिक विकास और महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सन्दर्भ :-

१. ऐश्वर्य पुरोहित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२०, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, २०२२, पृ.८७
२. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (हिन्दी संस्करण), पृष्ठ ४२—४४
३. श्रीराम शर्मा आचार्य, विश्व की महान नारियाँ, युग निर्माण योजना विस्तार, ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि, मथुरा, २०११, पृष्ठ ४२—४८
४. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, २००१, पृष्ठ ८६
५. डॉ. यू.सी. गुप्ता, उद्यमिता विकास, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, २०१९, पृष्ठ १५४—१६३



उदय प्रकाश की कहानियों में स्त्री समस्या : भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में

शाहिद अली

शोधार्थी, हिंदी विभाग

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,
हैदराबाद

भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदैव एक आदर्श बहू, माँ, बहन और कुशल गृहिणी के रूप में रही है, किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग ने समूचे समाज को प्रभावित कर इस भूमिका को जटिलताओं से भर दिया है। जहाँ स्त्रियों की दशा गिरावट का शिकार होती है, वहाँ समाज की अवनति अपरिहार्य हो जाती है। इस युग में नारी को प्रदान किया जाने वाला विशेष सम्मान क्षीण हो रहा है तथा पारिवारिक, वैवाहिक, शैक्षणिक और आर्थिक चुनौतियाँ समकालीन भारतीय नारी के जीवन को संकटग्रस्त बना रही हैं। ऐसे संदर्भ में साहित्य समाज की इन विकृतियों का दर्पण बनकर उभरता है और हिंदी कथा—साहित्य के प्रमुख लेखक उदय प्रकाश की कहानियाँ इस दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। यह शोध आलेख उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियों में पारिवारिक समस्याओं का विश्लेषण करेगा, जिसमें विशेष रूप से नारी की भूमिका और उससे जुड़ी वैवाहिक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि साहित्य के माध्यम से समाज की इन समस्याओं को समझना और समाधान की दिशा में चिंतन को प्रेरित करना। उदय प्रकाश की कहानियाँ न केवल यथार्थवादी हैं, किन्तु जादुई यथार्थवाद के तत्वों से युक्त होकर पाठक को गहन संवेदना प्रदान करती हैं, जो

समकालीन हिंदी साहित्य में उनका अनूठा योगदान है।

बीज शब्द—कुशल गृहिणी, वर्तमान भौतिकवादी युग, जटिलताओं, पारिवारिक समस्याओं, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों, जादुई यथार्थवाद।

मूल शोध आलेख—

पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में स्त्रियों को प्रायः सीमित अधिकारों तक ही सीमाबद्ध रखा गया है। उनका जीवन घरेलू दायित्वों जैसे भोजन—निर्माण, संतान—पालन तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सेवातक सिमटकर रह जाता है, जिन्हें उनका प्रमुख कर्तव्य और उद्देश्य मान लिया जाता है। शिक्षा एवं बाह्य सामाजिक जगत से वंचित रखे जाने के कारण स्त्रियों का आत्मनिर्भर बन पाना कठिन हो जाता है। इस व्यवस्था में उनका श्रम अदृश्य बना रहता है और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाता। जीवनपर्यंत परिवार के लिए समर्पण के पश्चात् भी बुढ़ापे में स्त्रियों, विशेषतः माताओंको उपेक्षा और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में स्त्री—वंचना की गहरी जड़ों को रेखांकित करती है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से पुत्र को वंश—परंपरा एवं मोक्ष से जोड़े जाने के कारण पुत्र—प्रधान मानसिकता विकसित हुई, जिससे पुत्री को गौण स्थान मिला और स्त्री की सामाजिक स्थिति क्रमशः हीन होती चली गई। इसी उपलक्ष्य में यह कथन देख सकते हैं— “भारतीय समाज में नारी की स्थिति पुरुष की तुलना में प्राचीन काल से ही हीन रही है। वैदिक काल से ही पुत्र को वंश—परम्परा के निर्वाह तथा माँ—बाप की मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना गया था। इसलिए संतान में पुत्र को अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया और पुत्री को कम। पुत्र और पुत्री सम्बन्धी इस असमानता ने ही आगे चलकर समाज में स्त्री के स्थान को हेय बना दिया था।”^१ इस सामाजिक बुराई का चित्रण उदय प्रकाश की कहानियों में भी मिलता है। ‘छप्पन तोले का करधन’ कहानी में लिखते हैं कि— “दादी दिन—भर में सिर्फ एक बार खाना खाती थी। जस्ते का एक बहुत पुराना,

तुचका—पुचका भगोना था, उसी में दाल—भात, चटनी, सूखी मिर्च डाल दी जाती और अम्माँ उसे अंधियारी कोठरी की ड्चेढ़ी पर रख आती थी। कई—कई बार तो कई दिनों तक हर रोज भगोना ज्यों—का—त्यों भरा हुआ लौट आता फिर उस खाने को कोई नहीं खाता। कई बार लोग दादी के बारे में बिल्कुल भूल जाते। उनकी कहीं चर्चा न होती। ऐसा महीनों होता।”^२ ‘छप्पन तोले का करधन’ शीर्षक कहानी में उदय प्रकाश एक बूढ़ी दादी की कहानी का वर्णन करके समाज में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। इस कहानी में उदय प्रकाश ने दादी के माध्यम से उनकी हालत और समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, बल्कि उनको एक ही जगह पर रख दिया जाता है और उन्हें किसी जगह पर उनका कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता है। बुढ़िया बनने पर हाथ में पैसा न होने के कारण नारी को घर के एक अंधेरे कोने में लिटाना आज फैशन बन गया है। उदय प्रकाश स्वयं अपनी दादी के बारे में बताते हैं— “जिस कोठरी में दादी शीशम की एक पुरानी खाट पर सोती रहती थी। उस कोठरी का नाम ‘आँधियारी’ कोठरी रख दिया गया था। वह एक बहुत छोटा सँकरा और जमीन में धंसा हुआ अंधेरा कमरा था, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी।”^३

भारतीय विवाह व्यवस्था की दो मुख्य समस्याएँ तलाक और विलंबित विवाह हैं। पति की क्रूरता या व्यभिचार से पीड़ित महिला के लिए तलाक मुक्ति का कारगर उपाय है, किंतु तलाक के बाद न्यायिक देरी, आर्थिक संकट, सामाजिक बहिष्कार, बच्चों पर आघात और पुनर्विवाह की बाधाओं से वह कष्ट झेलती है; स्त्री स्वयं को दोषी मानकर त्याग—समर्पण को नारीत्व समझकर चुपचाप सहती रहती है। दूसरी ओर, शिक्षा, नौकरी, उपयुक्त साथी या दहेज जैसे कारणों से युवक—युवतियाँ विवाह टालते हैं, फलस्वरूप ३०—३५ वर्ष तक अविवाहित रह जाते हैं, जिससे शारीरिक—मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, अनैतिकता बढ़ती है तथा विलंबित विवाह में सामंजस्य कठिन हो जाता है और पति की

असामयिक मृत्यु पर पत्नी अकेले संघर्ष करती है। लेखक मुख्य पात्र के एक दोस्त के माध्यम से लिखते हैं—“इस दोस्त के पिता की मृत्यु के बाद उसकी बूढ़ी और बीमार माँ को उसके बड़े भाइयों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया था।”^४ जीवन—साथी चुनाव की स्वतंत्रता के अभाव से कई लड़कियों का विवाह अनुपयुक्त लड़कों से हो जाता है। बेमेल विवाह असफल होता है और स्त्री को ही अधिक कष्ट सहना पड़ता है, वह अपनी आकांक्षाओं को मारकर घर संभालती रहती है। ‘मोहनदास’ में कस्तूरी बाई के बारे में कहा गया है—“इस स्त्री ने उससे विवाह करते हुए क्या सपना देखा था और उसे क्या मिला? सुबह से लेकर रात तक हर रोज बिना नागा, हर सुख दुःख, हारी—बीमारी, भूख—प्यास में वह उसके संग खड़ी रही।”^५ इसी प्रकार समाज में दहेज, तलाक की कठिनाइयाँ और विलंबित विवाह जैसी वैवाहिक विकृतियाँ न केवल व्यक्तिगत जीवन को विषाक्त बना रही हैं, अपितु सामाजिक संरचना को भी गहराई से क्षति पहुँचा रही हैं।

समकालीन भारतीय समाज में दहेज एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। आज का विवाह दो परिवारों को जोड़ने का नहीं अपितु सौदेबाजी का हो गया है। समाज में समयानुसार विभिन्न प्रथाओं का उदय हुआ है, जिनका मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, न कि विकृति उत्पन्न करना। किंतु कालांतर में लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दहेज प्रथा भी ऐसी ही एक प्रथा है, जिसमें समय के साथ आए परिवर्तनों ने इसे इतना विकृत रूप दे दिया है कि यह आज भारतीय समाज के लिए गंभीर समस्या बन गई है। उदय प्रकाश की चर्चित कहानी ‘और... अंत में प्रार्थना’ में इस दहेज—व्यापार का सटीक और मार्मिक चित्रण मिलता है। कहानी का एक पात्र एस.डी.एम गुप्ता के बारे में बताया गया है कि— “उसके पिताजी दिल्ली में दो नंबर का धंधा करते थे। अपने बेटे की शादी उन्होंने एक मारवाड़ी परिवार की कान्वेंट में पढ़ी—लिखी लड़की से की थी और तीन लाख का नगद दहेज तथा फियेट,

जेवरात, फर्नीचर और बहुत सारा सामान वसूला था।”^६ आजकल शादी के बाजार में गरीब कन्याएं बहुत पीड़ित हैं। सौदा होने पर भी वर पक्ष का लालची मन जब सौदे के पुनरावलोकन पर जिद करता है तो दहेज प्रबल समस्या बन जाता है। गरीब कन्याओं तथा उनके माता—पिता दहेज के नाम से भी घबराते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में अशांति, भय और उदासी घर कर जाती है। मां—बाप हमेशा बेटी के बारे में चिंतित रहते हैं। यहां तक कि वे रिश्वत, गबन जैसे अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकते। दूसरी ओर दहेज के लालच में बहुओं को परेशान किया जाता है। मांग पूरी न होने पर वधु को बेतहाशा मारा—पीटा जाता है और उसके अंग—भंग भी कर दिया जाता है। आज शिक्षित सभ्य समाज में यह सब बेरहमी से चलता है। यदि बहु शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा देने पर भी दहेज पूरा न कर सकी तो मिट्टी का तेल छिड़ककर स्टोव फटने का बहाना बनाकर उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। दहेज एक संक्रामक रोग है। प्रत्येक परिवार इसका शिकार है। यह प्रथा समाज के लिए कलंक और अपमान की वस्तु बन गई है। इस प्रथा के उन्मूलन के लिए निस्वार्थी युवा वर्ग एवं विवेकशील प्रतिभाशाली साहित्यकारों की आवश्यकता है जो अपनी सशक्त रचनाओं के माध्यम से समाज में जागरण पैदा कर इस संक्रामक बीमारी को दूर कर सकें।

स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत आज भी पुरुषों की तुलना में अत्यंत कम है। नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और अधिक दयनीय है। स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता, उनका कार्यक्षेत्र घर तक सीमित रहना तथा बेटियों को ‘पराया धन’ मानकर शिक्षा से वंचित रखना, ये स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ हैं। यद्यपि वर्तमान समय में लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक संस्थाएँ उपलब्ध हैं, तथापि छात्रावासों की भारी कमी बनी हुई है और कई स्थानों पर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। समकालीन समाज में शिक्षा एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, जहाँ धनार्जन की होड़ में

छात्रावास संचालक लड़कियों की सुरक्षा और रहन-सहन के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। इस सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण 'राम सजीवन की प्रेम कथा' शीर्षक कहानी में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है— "जिस छात्रावास में राम सजीवन रहते थे उस छात्रावास का आधा उत्तरी हिस्सा छात्राओं के रहने के लिए कर दिया गया। छात्रावास अंग्रेजी के 'एच' के आकर का था। दक्षिण की तरफ डंडी में लड़कों की तिमांजिली इमारत थी जिसकी हर मंजिल पर सौ कमरे थे। उत्तर वाली डंडी के कमरे में लड़कियां रहती थी और दोनों को जोड़ने वाले बीच के डंडे में मेस था, जहां लड़के-लड़कियां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते थे। इस तरह बैल गाड़ियों और अस्सी प्रतिशत भुक्खड़ों के देश में वह विश्वविद्यालय ससेक्स की किसी शिक्षा संस्था की तरह सहशिक्षा, सहवास और सहभोज के हवाई मार्ग पर उड़ पड़ा।"७

समकालीन समाज में गरीबी एक ऐसी मूलभूत समस्या है, जिससे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय संकट जन्म लेते हैं। नारी की अधिकांश समस्याएँ भी उसकी आर्थिक दुर्बलता, पराश्रितता और उससे उपजे शोषण से गहराई से जुड़ी हुई हैं। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण परिवार और समाज में स्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा सुदृढ़ नहीं हो पाती, जिसके परिणामस्वरूप उसे अनेक प्रकार के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है, किन्तु उसके अस्तित्व और सम्मान पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। भारतीय सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक परिवेश में स्त्री की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कमलेश्वर अपने चर्चित उपन्यास 'कितने पाकिस्तान' में लिखते हैं कि—औरत की आबरूही संस्कृति के दायरों को तय करती है..... जो तहजीब अपनी औरत की आबरू को इज्जत नहीं दे सकी, वह रोम, यूनान और मिस्र की तरह मिट गई..... चाहे या नृशंस भी लगे, पर हिंदुस्तान में जब उसकी तहजीब औरत की आबरू की रक्षा नहीं कर सकी, तो खुद औरत ने अपनी सभ्यता की

रक्षा की खातिर अपना बलिदान देकर इस संस्कृति का मुँह उजला किया।"८ कमलेश्वर का यह कथन भारतीय सभ्यता में स्त्री की भूमिका को त्याग, सहनशीलता और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व के प्रतीक के रूप में रेखांकित करता है। यह भी स्पष्ट करता है कि स्त्री को अक्सर संस्कृति की रक्षा का भार सौंप दिया गया, जबकि उसके अधिकारों और सम्मान की रक्षा समाज स्वयं नहीं कर सका।

भारतीय संविधान स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकारों की घोषणा करता है, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर यह समानता आज भी पूर्णतः साकार नहीं हो पाई है। अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता सीमित है और उन्हें मुख्यतः गृहकार्य तक सीमाबद्ध कर दिया गया है। पुरुष द्वारा घरेलू कार्यों में सहभागिता को आज भी सामाजिक रूप से अपमानजनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त लड़की और लड़के के पालन-पोषण में भी स्पष्ट भेदभाव देखा जाता है, जो आगे चलकर स्त्री की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को कमजोर करता है। इसी संदर्भ में अच्युतानंद मिश्र अपनी पुस्तक 'सरोकारों के दायरे' में स्त्री उत्पीड़न के ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि— "स्त्री का उत्पीड़न पर हर समाज और हर युग का कटु यथार्थ है। ज्ञात इतिहास की हजारों पीढ़ियाँ इसकी गवाह हैं कि स्त्री हर धर्म और संस्कृति, साहित्य और समज के केंद्र में रही है — और आज भी है। प्यार और उपकार, बहिष्कार और तिरस्कार दैहिक और भावनात्मक दमन उसका अनुभूत सत्य है।"९ यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि स्त्री का दमन केवल किसी एक काल या समाज तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य है। समकालीन समाज में गरीबी और आर्थिक पराश्रितता से उत्पन्न स्त्री की शोषित स्थिति तथा उसके दैहिक और भावनात्मक दमन का यथार्थ, संवैधानिक समानता के बावजूद, आज भी उसकी गरिमा, सम्मान और मुक्ति की राह में गंभीर बाधा बना हुआ है।

इन सबके अलावा स्त्रियों का यौन शोषण

समाज में बहुत होता है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भारत में भी स्त्री को एक उपभोग वस्तु बनाया है। बलात्कार और स्त्रियों पर अत्याचार आज एक अभिशाप बन गया है। समकालीन भारतीय समाज में स्त्री की अवस्था का ठीक चित्र मोहनदास कहानी में मिलता है। उदय प्रकाश के शब्दों में "...वही समय जब दिल्ली के धौला कुएं के पास से, उत्तर-पूर्व की एक लड़की को कार के भीतर खींचकर, राजधानी की हर वीआईपी सड़क पर, ढाई घंटे तक लगातार, दिल्ली के पांच पुरुषों द्वारा बलात्कार किया जाता रहा.... और इंफाल में मनोरमा के बलात्कार और हत्या के विरोध में कृष्ण की उपासना करने वाली सैकड़ों मेतेई स्त्रियाँ गुस्से और हताशा में नंगी हो गई थी...

... वही समय जब दो स्त्रियां सरदार सरोवर में ४०,००० दलितों और आदिवासियों के घर—जमीन जायदाद को पानी में डूबा देने वाली योजना के खिलाफ लड़ाई हार गई थी और जलप्लावन में वन्य प्राणियों, वनस्पतियों—वृक्षों समेत बहुत कुछ डूब गया था।" उदय प्रकाश की कहानियाँ समकालीन भारतीय समाज में नारी के यौन शोषण, आर्थिक पराश्रितता और सामाजिक अन्याय की कटु वास्तविकता को उजागर कर स्त्री मुक्ति की राह को और भी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण सिद्ध करती हैं।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नारियों को आज भी विभिन्न समस्याओं से मुक्ति नहीं मिली है। 'दिल्ली की लड़की' इसका अंतिम उदाहरण है। समानता के इस युग में स्त्रियां सही अर्थ में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए। विवाह से संबंधित बुराइयों को समाप्त करने, स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिलाने, शोषण से मुक्ति दिलाने से संबंधित कई अधिनियम पारित किए गए। फिर भी नवीन परिवर्तनों ने उनको सम्मुख नहीं समस्याएं खड़ी कर दी हैं। उदय प्रकाश की कहानियों से यह स्पष्ट है कि इन समस्याओं से पूर्णता मुक्ति आज भी नहीं मिली है।

संदर्भ सूची—

- डॉ. मोहिनी शर्मा, हिन्दी उपन्यास और जीवन मूल्य, साहित्यागार, एमएमओ, जयपुर, १९८३, पृ.सं.११२
- उदय प्रकाश, छप्पन तोले का करधन (तिरीछ संग्रह), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०२०, पृ.सं.५२
- उदय प्रकाश, छप्पन तोले का करधन (तिरीछ संग्रह), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०२०, पृ.सं. ४९
- उदय प्रकाश, थर्ड डिग्री (... और अंत में प्रार्थना), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१७, पृ.सं. ८१
- उदय प्रकाश, मोहनदास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०२०, पृ.सं.२४
- उदय प्रकाश,... और अंत में प्रार्थना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१७, पृ.सं. १७९—१८०
- उदय प्रकाश, रामसजीवन की प्रेम कथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०२०, पृ.सं. ९९—१००
- कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली, २०००, पृ.सं. २१९
- अच्युतानंद मिश्र, सरोकारों के दायरे, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, २००५, पृ.सं.१०७
- उदय प्रकाश, मोहनदास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०२०, पृ.सं. ८८—८९



कमज़ोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली एवं सुरक्षा उपाय

रजनी देवी

शोध अध्येत्री, शिक्षा विभाग,
डी०बी०एस० कॉलेज, गोविन्द नगर, कानपुर

डॉ० सुनील कुमार उपाध्याय

सह आचार्य शिक्षा विभाग डी०बी०एस० कॉलेज
गोविन्द नगर, कानपुर

हमारा देश विभिन्न समुदायों वाला देश है। यहाँ पर सभी समुदायों के लोग रहते हैं। समाज में कुछ कमज़ोर समुदाय ऐसे भी हैं जो आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हैं जो हाशिये से नीचे की स्थिति में आते हैं। संविधान में अनुच्छेद ४६ में ऐसे समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए उपाय किये गये हैं और उन्हें अन्याय एवं शोषण से बचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमज़ोर समुदाय के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को शत-प्रतिशत मुहैया कराये। समाज के किसी वर्ग के व्यक्तियों में उनके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी वर्गों के व्यक्तियों को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का लाभ प्राप्त हो सके जिससे समाज के कमज़ोर समुदाय की स्थिति में सुधार हो सके। कमज़ोर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वह है “संवैधानिक उपचारों का अधिकार”। इसका तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन एवं शोषण करेगा उसके खिलाफ राज्य एवं सरकार कठोर कदम उठाएगी। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी द्वारा भारतीय संविधान

की कार्यप्रणाली तथा उपायों की भूमिका को मुख्य बिन्दु बनाकर इसके कार्यान्वयन एवं सफलता का अध्ययन किया गया है तथा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि संवैधानिक उपायों के अधिकारों को और कैसे समाज के कमज़ोर समुदाय तक पहुँचाया जा सके। इसके अतिरिक्त समाज के कमज़ोर समुदाय की रक्षा के लिए संविधान की कार्यप्रणाली के द्वारा किये गये सुरक्षा उपायों का वर्णन करने का भी प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द— कमज़ोर समुदाय, भारतीय संविधान।
प्रस्तावना

जब किसी देश के समाज के सभी नागरिक विकास की एक ही कतार में खड़े होते हैं, तब उस देश के समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उन्नति दिखलायी पड़ती है। भारतीय संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक गणराज्य आर्थिक, राजनैतिक, स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय आदि शब्दों को भी तभी न्याय मिलेगा जब सम्पूर्ण समाज के सभी कमज़ोर वर्ग के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, मकान) को पूरा कर सकने में समर्थ हो जायेंगे। हमारे समाज में आदिकाल से ही असमानता व्याप्त है जिसमें कहेंगे कि धनी वर्ग और धनी होता गया तथा निर्धनों की स्थिति और भी दयनीय होती गई। समाज के कुछ शुभचिन्तकों एवं महापुरुषों ने इस ओर अपना ध्यान अग्रसर किया और महसूस किया कि समाज के कमज़ोर समुदायों के लोगों के उत्थान हेतु कुछ ठोस कदम उठाये जायें जिससे इनकी स्थिति में सुधार हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३३० से लेकर ३४२ तक निम्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाये गये जिनमें इन कमज़ोर वर्गों के हितार्थ कुछ सुधारों एवं उपबन्धों का प्रावधान किया गया है।

समाज के कमज़ोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की कार्यप्रणाली के द्वारा किये गये सुरक्षा उपायों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। कमज़ोर समुदाय से तात्पर्य समाज के ऐसे समुदायों के लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, भोजन, रोज़गार) से वंचित हैं,

जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है जिनके रहने वाले स्थानों में साफ—सफाई का कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप ऐसे लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। कमज़ोर समुदायों के लोग सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक स्तर से बहुत पीछे है तथा ऐसे समुदाय को आज भी विकास की बहुत आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही ऐसे समुदायों के विकास हित में अनेक योजनाओं, आयोगों एवं उपबन्धों का गठन हुआ है जिससे इन समुदायों का द्रुतगति से विकास किया जा सके, लेकिन विकास की गति अभी भी मन्द ही है।

समाज के कमज़ोर समुदाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं बच्चों को रखकर शोधपत्र में इनकी समस्याएं एवं भारतीय संविधान में इनके प्रति सुरक्षा उपायों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। संविधान में कमज़ोर समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए और भी उपाय किये गये हैं जिससे कमज़ोर समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के शोषण (आर्थिक, शारीरिक, धार्मिक) को रोका जा सके। १९७६ में शारीरिक शोषण को रोकने के लिए “बंधुवा श्रम उन्मूलन अधिनियम” को संसद द्वारा पारित किया गया जिससे कल—कारखानों, खदानों में १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया क्योंकि समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान में राज्य या समाज के कमज़ोर समुदाय का शोषण करने के लिए अनुच्छेद २३ का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय एवं शोषण करने पर उसे राज्य के द्वारा निर्धारित दण्ड का भागीदार बनना होगा। इसी प्रकार समाज के कमज़ोर समुदायों की शिक्षा के लिए भी विशेष उपाय व अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि समाज का कमज़ोर समुदाय आज भी राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार ऐसे

समुदायों के विकास लिए यथासम्भव प्रयास कर रही है। परिणामतः शैक्षणिक संस्थाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहा है। सभी संस्थाएं समानता के अधिकार का पालन कर रही हैं।

भारतीय संविधान में जब कमज़ोर समुदायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मानस पटल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग ही आते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। आधुनिक समय में हमें ये बदलाव देखने को भी मिल रहा है। कुछ लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, किन्तु फिर भी ये गति अभी भी बहुत धीमी है। अभी भी बहुत से कमज़ोर समुदाय के लोग हैं जिन्हें हर रोज़ अपनी दैनिक समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है।

संविधान में सामाजिक ढांचे को तैयार करते हुए समाज की असमानता को दर्शाया था तथा संविधान का निर्माण करने वाले बुद्धिजीवियों ने यह प्रस्ताव दिया था कि कमज़ोर समुदायों के लोगों के लिए राज्य को अपने आधार से कार्य करना होगा तथा इस प्रकार से कमज़ोर समुदायों के लोगों की सुरक्षा हेतु राज्य पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली गई। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद ३३८ का गठन हुआ तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए १९८९ अधिनियम विशेष अदालतों का गठन किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ में देश के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालयों का गठन किया गया। कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। देश में हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके कमज़ोर समुदायों के उत्थान की सुरक्षा तय की गई तथा इनके विकास को तीव्र गति देने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई।

भारतीय संविधान के द्वारा किये गये प्रावधान एवं राज्य के द्वारा किये गये सुरक्षा उपाय

भारतीय संविधान का निर्माण करते समय निर्माताओं के मन में समाज के कमजोर समुदायों की सुरक्षा के प्रति सजगता रही। इसी का दूरगामी परिणाम है कि आधुनिक समाज में इन वर्गों की थोड़ी बहुत स्थितियों में सुधार हो रहा है। अनु० १५-१६ और २९ में देश के प्रत्येक नागरिक की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार तथा अन्य सुविधाओं को समान रूप से विभाजित करने की बात रखी गई। संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो कमजोर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद १५(१) के अनुसार राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद १५(३) में यह कहा गया है कि अगर राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाना चाहता तो उसे कोई कठिनाई न हो। इसी प्रकार अनुच्छेद १५(४) में २९ के खण्ड-२ में लिखा है अगर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विकास के लिए कोई उपाय की आवश्यकता पड़ती है तो इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद १६(२) में राज्य के किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा नौकरियों की प्राप्ति में पात्रता होने पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद १५ (खण्ड-४) भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम-१९५१ में जोड़ा गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समाज में कमजोर वर्ग हैं उनका सामाजिक एवं शैक्षिक विकास तीव्र गति से हो सके, क्योंकि बिना किसी विशेष प्रावधान के समानता की बात कहना अनुचित है। समाज के उच्च वर्ग का वर्चस्व उस समय अधिक था, इसीलिए कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता रही। परिणामस्वरूप १५(४) को जोड़कर संकल्प पूरा करने की दिशा में कार्य किया गया। भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली में अनुच्छेद १५ और अनु०१६ के खण्ड-४ के अतिरिक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद-४६ भी देश के कमजोर समुदायों के लोगों की सुरक्षा के लिए शैक्षिक एवं धार्मिक विकास के हितों पर ध्यान इंगित करता है। राज्य को यह विशेष अधिकार देता है कि कमजोर वर्ग

की सुरक्षा के लिए यथासम्भव मदद करे। राज्य ऐसे समुदायों के लोगों को सामाजिक शोषण एवं अन्याय से बचाने में उनकी मदद करेगा।

भारतीय संविधान में कमजोर समुदायों के उत्थान के लिए जो उपाय किये गये उन्हें वर्तमान में सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। समाज के ऐसे वर्ग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं-शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार को पूरा करने में असमर्थ हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकारें विभिन्न योजनाओं का निर्माण कर उन्हें सफल क्रियान्वयन करने का शत प्रतिशत प्रयास कर रही हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम (एन.एस.सी.डी.सी.) के तहत सरकार ने उद्यमिता के माध्यम से गरीबी से लड़ने के लिए १९८९ में आर्थिक रूप से सबल बनाने के सामाजिक न्याय, वित्त सुविधा के तहत योजना का निर्माण किया जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) योजना की स्थापना १९९७ में न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों के बच्चों एवं उनकी उद्यमशीलता को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया।

अनुसूचित जाति विकास निगम (एस.सी.डी.सी.) की सहायता का मुख्य कार्य यह है कि देश के अनुसूचित जाति के परिवारों को पहचाना जाये और उन्हें शिक्षा तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये, जिससे वे लोग इन योजनाओं के द्वारा लाभान्वित हो सकें।

भारतीय संविधान में कमजोर समुदाय के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग भी आता है जो संविधान के अनुच्छेद १६(४) में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। संविधान के अनुसार जो जातियां सामाजिक तौर से पिछड़ी हैं उन्हें ही पिछड़ा माना गया है। लेकिन जमीनी स्तर से देखने में पता चलता है कि ये सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से भी पिछड़ी हैं। ऐसे कमजोर समुदायों में कुछ जनसंख्या ऐसी भी है

जो अपनी सामान्य आवश्यकताएं भी पूर्ण करने में अक्षम हैं। देश के समाज का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिन्हें पिछड़ा माना जाता है। कालान्तर में ये समुदाय के लोग भी सामाजिक एवं शैक्षिक असमानता का शिकार हुए। समाज में इनका स्थान निम्न से थोड़ा ऊपर अवश्य है। ऐसे समुदायों के लोगों के उत्थान हेतु समय-समय पर समाज सुधारकों, प्रणेताओं एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा प्रयास अवश्य किये गये हैं। वर्ष १८७३ में विदुषी ज्योतिबा फुले ने ऐसे पिछड़े लोगों के लिए 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की थी। कुछ आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद १५(४) इसी समुदाय के उत्थान की बात करता है कि कमजोर समुदाय में अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाये। अनुच्छेद १६(४) के अन्तर्गत इन वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण निर्धारित किया गया है जिससे इनका शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हो सके और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो। समाज के सभी लोगों का विकास ही राष्ट्र के विकास का सूचकांक निर्धारित करता है तथा देश की उन्नति को प्रदर्शित करता है।

आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। कहा जाता है कि १००० सालों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहने वाली एकमात्र जाति महिला ही है जिसका इतिहास बड़ा ही भयावह व शोषणयुक्त रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुए जिससे उनकी दशा में कुछ बहुत सुधार हुआ है। महिलाओं की दशा में सुधार हो, इसीलिए महिलाओं को कुछ संवैधानिक एवं विधिक अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों के द्वारा महिलाओं को उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिए विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय मिले, ऐसा प्रावधान किया गया है। नौकरियों में "समान कार्य के लिए समान वेतन" एक संवैधानिक लक्ष्य है। अनुच्छेद १५(३) में बच्चों एवं

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। अनुच्छेद १९ महिलाओं को यह अधिकार देता है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से भारत के अन्दर कहीं भी आ जा सकती हैं तथा कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं। उन्हें लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मौलिक अधिकारों का हनन एवं उल्लंघन होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए १९५६ में "सुपरेशन ऑफ इमोरल ट्रेफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट" को भारतीय संसद में पास किया गया जिसका उद्देश्य था महिलाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण को रोका जाना। अनुच्छेद ४२ महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करता है जो १९६१ में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम एवं दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार से भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं जिससे कि महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव समाप्त हो सके। इस कड़ी को मजबूती प्रदान करने के भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम-१९९६ की स्थापना की जो महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं को सुनेगा और उनका निस्तारण करेगा। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में शत प्रतिशत सुधार हो सके।

बच्चे किसी भी देश के कर्णधार एवं भावी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए। कमजोर समुदाय में वे बच्चे आते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ऐसे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं कुपोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद २३ में वर्णित है कि १४ वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कल-कारखानों एवं संकटमय स्थानों की नौकरी में नहीं रखा जा सकता। बच्चों की समस्याओं में उनके अधिकारों का हनन, उनके साथ दुर्व्यवहार, बच्चों की खरीद फरोख्त एवं अभावग्रस्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अशिक्षा आदि हैं। भारतीय संविधान में बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सांविधानिक अधिकारों की व्यवस्था

की गई है जिनके माध्यम से वे अपने साथ हो रहे अत्याचार तथा शोषण को रोकने में सक्षम हो सकेंगे। बच्चों की समस्याओं में बाल उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न भी एक जटिल समस्या है जिसको रोकने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में बालकों के अधिकारों का हनन करने पर दण्ड का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी) के द्वारा बालकों के साथ मानसिक उत्पीड़न एवं बालकों के साथ उपेक्षित व्यवहार की सीमा तोड़ने पर ३४ और ३६ POCSO अधिनियम के तहत जटिल दण्ड का प्रावधान है। इस अधिनियम में बाल अपराध एवं एवं बाल कल्याण समिति का प्रावधान है। संविधान के भाग—१२ के अनुसार अनुच्छेद १५(३), अनुच्छेद ३९ में भारतीय संसद में और भी कानूनों को शामिल किया गया है। १९८९ में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालक के अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के समान उद्देश्यों की व्यवस्था करता है। किशोर न्याय अधिनियम २०१५ की धारा ८३ के अनुसार राज्य या कोई संस्था बच्चों से जबरन कार्य नहीं करवा सकती। अन्यथा उस व्यक्ति या संस्था को दण्ड का प्रावधान धारा ८३ में है। इसी प्रकार से अनुच्छेद २३ बच्चों की तस्करी, घरेलू हिंसा को रोकता है। शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद (21A) २००२ में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया जिसमें ६—१४ वर्ष के सभी बच्चों को राज्य शिक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस प्रकार भारतीय संविधान में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमों एवं नीतियों का गठन किया गया जिससे देश भावी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में समाज के कमजोर समुदाय को चिन्हित किया गया तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रशंसनीय कार्य किये गये हैं। भारतीय संविधान के आदेशानुसार सशक्त कार्यवाही के माध्यम से समाज के कमजोर समुदायों की स्थिति में परिवर्तन आया है। संविधान के द्वारा विभिन्न अधिनियमों एवं उपबन्धों का निर्माण किया गया है जिनमें सम्बन्धित समस्याओं पर राज्य कानून बना सकता है तथा कमजोर समुदाय की स्थिति को मजबूत करने के लिए सशक्त

कार्यवाही भी कर सकता है। जैसा कि अनुच्छेद ४६ में वर्णित है कि राज्य सरकारें समाज के सभी कमजोर समुदायों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे) का शैक्षणिक व आर्थिक हितों का ध्यान रखें तथा सामाजिक अन्याय से बचायें। वर्तमान सरकार ने सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए तथा कमजोर समुदाय के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन किया जो इन्हें सामाजिक शोषण एवं अत्याचारों की दासता से मुक्त करेगी। फिर भी अधिकतर प्रावधान एवं सुधार उपाय ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाये हैं। वे अभी भी कागज़ों में ही रह गये हैं। इसका कारण है दोषपूर्ण कार्यान्वयन एवं आधे-अधूरे सुरक्षा उपायों का होना। अभी भी भेदभाव, छुआछूत जैसी समस्याएं हमारे देश को कलंकित कर रही हैं जो देशवासियों के लिए बहुत निम्न मानसिकता को दर्शाती हैं।

शोधार्थिनी ने अपने वर्तमान शोधपत्र में यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान में विभिन्न अधिनियमों, अनुच्छेदों एवं उपबन्धों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के सुधार हेतु कार्य किये गये हैं जो प्रशंसनीय हैं। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर ये अधिनियम या अनुच्छेद बनाये गये हैं, उनका शत प्रतिशत परिणाम अभी भी आम जनमानस से कोसों दूर है। ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं (कपड़ा, रोटी, मकान) आदि से दूर हैं। दूरदराज़ के जंगलों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के लोगों एवं उनके बच्चे, महिलाएं, जिन्हें संविधान में वर्णित इनके सुधार हेतु किये गये उपायों का कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा का दूरदराज़ तक न पहुँचना है।

इस प्रकार से सरकार तथा स्थानीय निकायों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए यथासम्भव मदद करना चाहिए जिससे देश की सम्पूर्ण मानव जाति एक ही पटल पर दर्शित हो तभी सम्पूर्ण समाज अपने को सभ्य समाज कहलाने का सच्चा अधिकारी होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:—

- Rajkar, V. V. (2022). A Study on the Constitutional Rights of Obc and the Contribution of Dr Babasaheb Ambedkar. IJARIE, 8(6). https://ijariie.com/Admin UploadPdf/A_study_on_the_constitutional_rights_of_obc_and_the_contribution_of_dr_Babasaheb_Ambedkar_ijariie18892.pdf
- Samaj ke kamjor vargo ke aarthik or shaikshik utathan ke upay (pp. 257–267). (n.d.). <https://bccomm.mp.gov.in/OBC1/scan0015.pdf>
- Agnes; Falvia. (2006). Women and law India Oxford University Press.
- Gill, K. (N.D.). Hindu Women Right to Property in India. Deep and Deep Publication 1986.
- J.N., P. (2004). Constitutional Law of India. Central Law Agency.
- Maheshwari, V. K. (2020). The Role of The National Human Rights Commission in Implementation of the Constitutional Safeguards A Socio Legal Study [Aligarh]. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in:8443/jspui/handle/10603/352468>
- Mehmi, M. (2011). Constitutional Safeguards For Scheduled Castes [Amritsar]. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in:8443/jspui/handle/10603/176753>
- Shodhganga@INFLIBNET: Constitutional Safeguards and Protective Measures of Scheduled Castes And Scheduled Tribes: A Critical Appraisal. (N.D.). Retrieved August 17, 2023, from <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/28604>



32

आतंकवाद में मीडियाई प्रभाव

डॉ. प्रमोद कुमार सिंह

अतिथि प्रवक्ता,

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राज.)

आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। विश्वका कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जहाँ किसी न रूप में किसी न किसी विचार धारा के अन्तर्गत आतंकवादी गतिविधियाँ न चल रही हों। २१वीं शताब्दी में आतंकवाद का खतरा लगभग सभी राष्ट्रों (विकसित तथा विकासशील) दोनों ही के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का प्रमुख विषय बन गया है। आतंकवाद एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसने न केवल राष्ट्र राज्यों की भौगोलिक एकता तथा राजनीतिक अस्तित्व को चुनौती प्रदान की है बल्कि वैश्विक शांति तथा क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसके दुरगामी परिणाम हो सकते हैं। आतंकवाद चाहें एक समूह द्वारा संचालित हो या एक राष्ट्र द्वारा राज्य को समूचित रूप से समझने के लिए उसकी कुछ विशिष्टताओं का विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। क्योंकि एक समूह द्वारा अवप्रेरित आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन एक राज्य द्वारा प्रवर्तित आतंकवाद को नियंत्रित करना मुश्किल है।

आतंकवाद राजनीतिक हिंसा का एक विशेष रूप है। इसके अन्तर्गत हिंसात्मक शक्ति द्वारा भय का वातावरण बनाकर निरंतर दबाव बनाए रखते हुए अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति है। इसमें तोड़फोड़ हत्याएँ, बम के प्रयोग द्वारा जनता के मन में भय

पैदा करने का प्रयास किया जाता है. ताकि वह विरोध न कर सके तथा इन कार्रवाहियों के विरुद्ध आवाज न उठा सकें। हिंसा की गतिविधियाँ बार—बार की जाती हैं ताकि दबाव का वातावरण बना रहे।

आतंककारी प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों का प्रयोग सिर्फ सत्ता के बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा ही नहीं किया जाता, कभी—कभी सत्ताधारी द्वारा भी अपने सर्वाधिकार बनाए रखने के लिए इन प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, रूसी जारों द्वारा आतंकवाद का प्रयोग अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए किया गया। आतंकवादी पद्धतियों का प्रयोग बदले की भावना से भी किया जाता है तथा वैचारिक सिद्धान्त के लिए भी। परन्तु अंतिम लक्ष्य दबाव तथा भय के द्वारा सत्ता से अपनी बात मनवाना है।

आतंकवाद का अस्तित्व आदिकाल से ही रहा है. लेकिन आधुनिक समय संचार सूचना तथा शस्त्र प्रौद्योगिकी की क्रांति ने समस्त मानव सभ्यता को घोर संकट में डाल दिया है। क्योंकि आतंकवाद अपनी पहुँच जाल तंत्र तथा प्रभाव के कारण वैश्विक प्रवृत्ति बन गया है जो आम जनत समाज, राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। आतंकवादी घटनाएँ विश्व में कहीं भी तथा कभी भी बड़ी सुगमता के साथ घटित हो रही हैं। आतंकवादी किसी सीमा रेखा या सरहद की कोई परवाह नहीं करते।

आतंकवाद को विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने निम्नलिखित आधारों पर परिभाषित किया है। जो निम्न है:—

- आतंकवाद को विभिन्न विद्वानों लेखकों तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक प्रकार परिभाषित किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इसकी सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की गयी है। आतंकवाद अधिसंख्य लोगो को डराने के लिए सीमित लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग या प्रयोग की धमकी है। एक प्राचीन चीनी दार्शनिक सन टीजू के अनुसार, एक हत्या, हजारों को भयभीत करती है। साधारणतः आतंकवाद का तात्पर्य राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति

के लिए हिंसा का व्यवस्थित तथा योजना बद्ध प्रयोग है।

- वर्तमान समय के बुद्धिजीवी लोगों की संवेदनाओं को स्तब्ध कर देने वाले शब्द आतंक आतंकवाद तथा आतंकवादी एक विचार धारा के रूप में नवीन शब्द नहीं है। इनका आरम्भ फ्रांस की क्रान्ति १७९२—९४ के समय के आतंक के शासन से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान लोकप्रिय **जैकोबिन** अतिवाद वास्तव में जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली एक पार्टी का निरंकुश शासन था। २७ जुलाई १७९४ को **जैकोबिन** आतिवादियों ने **रोबेस्परे** तथा उसके समर्थकों की हत्या कर दी। इस आतिवाद शासन में अभिजात तंत्र के चार लाख संदिग्ध लोग जिनमें औरतें व बच्चे भी शामिल थे, को फासी दे दी गई तथा जबरन निर्वासित कर दिया गया। तभी से नवीन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए की जाने वाली हिंसा को आतंकवाद कहा जाने लगा है।

- अमेरिकी अनुसंधानकर्ता **चेस्टर एलक्वारलस** के अनुसार **टेरर** शब्द की **डीटेरे** लैटिन भाषा के **टेरेरे** शब्द से निकला है। **टेरेरे** का मतलब होता है भयभीत होने के ४० कारण तथा **डीटेरे** शब्द का मतलब होता है आतंकित करना। एक समय के बाद यह शब्द इतना जटिल हो गया कि इसे सही सही परिभाषित करना काफी कठिन हो गया है एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक व्यक्ति के लिए गुरिल्ला लड़ाका दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता है या एक असफल स्वतंत्रता सेनानी आतंकवादी कहलाता है जबकि एक सफल आतंकवादी एक स्वतंत्रता सेनानी होता है।

- **द इण्टरनेशनल एन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज** के अनुसार, हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा एक संगठित समूह या दल द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ही आतंकवाद है।

- **द आक्सफोर्ड डिक्शनरी** के अनुसार, आतंकवादी वह है जो एक सरकार या एक समुदाय पर शासन करने के लिए आतंक प्रेरक तरीकों का इस्तेमाल करता है।

● थार्नटन के अनुसार आतंकवाद असामान्य माध्यमों, जिसमें हिंसा की धमकी या प्रयोग शामिल है, से देश के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करना है।

● अमेरिकी संघीय जांच एजेन्सी के अनुसार आतंकवाद से आशय उस गतिविधि से है।

○ जिसमें धन जन या आधार संरचना को क्षति पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चला जाता है।

○ जिसमें लगता हो कि सामान्य जन का डराने या उनमें भय पैदा करने का प्रयास है, डरा या धमका कर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास हों एवं जिसमें जनसंहार हत्या अपहरण या बंधक बनाकर सरकारी तंत्र को ब्लैक मेल करने का प्रयास हों।

● आतंकवाद को परिभाषित करने के विभिन्न प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए इनमेंसबसे पहला प्रयास १९३७ में राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। इसके अनुसार आतंकवाद वे अपराधिक कार्य हैं जो राज्य के विरुद्ध किये जाते हैं, जिनका उद्देश्य या प्रभाव भय की स्थिति को उत्पन्न करना है, यह स्थिति कुछ व्यक्तियों की या समूहों की या जन सामान्य की भी हो सकती है। १९३७ में राष्ट्र संघ के सम्मुख जो प्रयास किए गये थे उनमें महत्वपूर्ण यह था कि राज्य के विरुद्ध हिंसा को इस वर्ग में रखा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के संघर्ष के दौर का आरम्भ हुआ तब उस चिंतन का प्रभाव आतंकवाद संबन्धी परिभाषाओं पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

● संयुक्त राष्ट्र संघ की तदर्थ समिति जिसमें ३५ सदस्य थे, इन्ही सदस्यों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जो स्वयं उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और आतंरिक मुक्ति के लिए संघर्षरत थे। उनके संदर्भ में आतंकवाद के अर्थ विल्कुल भिन्न थे। आतंकवाद का परिभाषा में हिंसा के तत्व को रेखांकित किया जा सकता है। जिसका उद्देश्य भय की स्थिति को उत्पन्न करता है।

मीडिया साम्राज्यवाद आज विश्व राजनीति का एजेन्डा तय कर रहा है। हम अभिशप्त हैं कि उपग्रह चैनल जैसे समझाएं उसे वैसे ही माने। कहने को हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारी अपनी अस्मिता है। किंतु इससे भी बड़ा सच यह है कि हमारी पहचान भूमंडलीय माध्यम तय कर रहे हैं। राजनीति अर्थनीति और सस्कृति के क्षेत्र के प्रमुख सवाल हम नहीं, मीडिया साम्राज्यवाद तय कर रहा है। मीडिया साम्राज्यवाद की चालक शक्ति बहुराष्ट्रीय निगम और अमेरिका है। व्यवहार में सैन्य औद्योगिक समूह के साथ माध्यम साम्राज्यवाद का गहरा संबंध है। इस परिप्रेक्ष्य में उपग्रह चैनलों की आतंकवाद संबंधी प्रस्तुतियों पर विचार करना समीचीन है। आतंकवाद राजनीतिक फिनोमिना है। इसका राजनितिक आधार बड़ी पूंजी और ड्रग माफिया हैं। जबकि सामाजिक आधार पिछड़ी हुई सामाजिक शक्तियाँ हैं। और अस्मिता का आधार धर्म है। किसी भी देश में आतंकवाद की उत्पत्ति स्थानीय असंतोष के गर्भ से होती है और साम्राज्यवाद अपने हितों के विस्तार के लिए उसे हर संभव मदद करता है।

लोकप्रिय प्रेस के इतिहास लेखन की सबसे ज्वलत समस्या है आतंकवाद की। आतंकवाद के प्रति प्रेस या जनमाध्यम क्या रवैया अपनाते हैं, और किस तरह का रवैया अपनाए, यह प्रमुख समस्या है। आतंकवाद के विकास में जनमाध्यमों की उत्प्रेरक की भूमिका होती है या नहीं क्या जनमाध्यमों पर सेसर शिप लगा कर आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? क्या आतंकवादी गिरोह जनमाध्यमों को आतंक एवं हिंसा के लिए इस्तेमाल करते हैं अथवा जनमाध्यम स्वयं ही अपने कार्य कलापों से आतंकवादियों की सेवा करते हैं? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना समीचीन होगा। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर सीमावर्ती राज्यों जम्मू—कश्मीर, असम, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, बिहार में विशेष रूप से आतंकवादी गिरोहों की कारवाइयों चलती रहती है। इन सभी राज्यों में आतंकवादी कारवाइयों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। मसलन, पंजाब, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने पृथकतावाद

की शकल ग्रहण कर ली है। पंजाब में आतंकवाद का कोई जनाधार नहीं है और वह शहरी अपराधी आतंकवादी गिरोहों की कार्रवाही का केन्द्र है। वहीं पर कश्मीर में आतंकवादी गिरोहों का जनाधार है। दोनों की जगह भारत में पृथक राष्ट्र की मांग करना केंद्रीय लक्ष्य है। किंतु सभी गिरोहों की एक जैसी रानीतिक समझ नहीं है। दोनों ही जगह आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरतावाद का सहारा लिया है। पंजाब में आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की जबकि कश्मीर में आतंकवादियों का सीधा मुकाबला राज्य से है। पंजाब में आतंकवादियों ने राज्य मशीनरी को निशाना बनाने के बजाय निर्दोष लोगों को केंद्रीय निशाना बनाया।

वही राज्य पुलिसबल उनका दूसरा नंबर का निशाना था। असम, मणिपुर, त्रिपूरा, नागालैंड में आतंकवादी गिरोहों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग है। कभी कभी राज्य मशीनरी पर भी हमला होता है किन्तु आमतौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगो पर ही आतंकवादी गिरोहों के हमले होते रहे है। अतः इन राज्यों के आतंकवाद में समूह या जन जातीय गुपो के बीच में हिंसक मुठभेड या हमले होते रहते है। राज्य मशीनरी पर हमला करना उनका केंद्रीय लक्ष्य नहीं है। बिहार और आंध्रप्रदेश में नक्सलवादी गिरोहों की आतंकवादी कार्रवाइयों का स्वरूप पृथकतावादी आतंकवादी गिरोहों की कार्रवाइयों से भिन्न होती है। नक्सलवादी गिराहों का पृथकवाद से राजनीतिक तौर पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किन्तु प्रच्छन्नतः पृथकतावादी गिरोह से संबंध जरूर दिखाई देता है। मसलन, पंजाब में खालिस्तानियों और नक्सल गुटो और आन्ध्र प्रदेश में पिपुल्सवार ग्रुप का लिट्टे से रिश्ता माना जाता है। इसीतरह मुस्लिम आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय है। जो प्रत्यक्षतः विदेशी इशारें पर आतंकवाद की कार्रवाइयो में सक्रिय रहे है।

आतंकवादी गिरोहों की कार्रवाई के दो मकसद रहे है। पहला, हिंसा के माध्यम से जनमाध्यमो का ध्यान खींचना। दूसरा, भय और आतंक का माहौल पैदा करना। इन दो रास्तों के जरिए आतंकवादी

गिरोह अपनी मांगो को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने में सफल हो जाते है। अपनी मांगो को पूरा करने के लिए दबाव डालते है।

इस धारणा से यह निष्कर्ष निकालता है कि मीडिया कवरेज से आतंकवाद फैलता है। यह भी संभव है कि मीडिया कवरेज के बगैर भी आतंकवाद और जनमाध्यमों का जटिल संबंध है, और संश्लिष्ट प्रक्रिया से यह संबंध विकसित होता है। संबंध की जटिलता और संश्लिष्टता को सतही एवं सरलीकृत ढंग से नहीं समझा जा सकता।

माध्यमो (मीडिया) से विशेषकर प्रेस से आतंकवादी कार्रवाई का प्रचार होगा तो आतंकवाद फैलेगा। यह राज्य की धारणा है। इस धारणा के आधार पर राज्य सेंसरशिप या माध्यमों के दमन का बहाना खोज लेता है। पुलिस और सेना के अधिकारियों की धारणा है कि माध्यम (मीडिया) कवरेज से निम्नलिखत दुष्प्रभाव पैदा होते है:—

१ माध्यम (मीडिया) कवरेज आतंकवादी गुपों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। अपनी कार्यनीतिगत सफलताओं से उत्साहित होकर पहले से ज्यादा आक्रामक ढंग से आतंकवादी कार्रवाई करते है।

२ जनता के सामने अपनी कार्रवाई की खुली घोषणा करके आतंकवादी गिरोह लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते है

३ अन्य गिरोहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनसे बढ़त और पहल कदमी हासिल करने या वर्चस्व हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंसा करते है।

४ जिन आतंकवादी गिरोहों को कवरेज मिलता है वे धीरे धीरे माध्यमो (मीडिया) पर नियंत्रण की कोशिश भी करते है।

५ आतंकवादी गिरोहो की कार्रवाई के निर्बाध प्रकाशन से प्रशासन की अनुपस्थिति का एहसासकराया जाता है। परिणामतः प्रशासनिक मशीनरी पंगु हो जाती है।

भारत में आतंकवादी गिरोह जनसंचार माध्यमों के साथ—साथ परंपरागत माध्यमों का भी अपने

प्रभाव विस्तार के लिए प्रयोग करते हैं। आतंकवाद की यह रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाए। सत्ता की प्रतिक्रियाओं में लाम उठाया जाए और अपने मांगों को उभारा जाए। ब्री क्रोजियर ने ए थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट (१९७५) में रेखांकित किया है कि आतंक और हिंसा कमजोरों का अस्त्र है। ये लोग संख्या में कम होते हैं। और सत्ताहीन होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परम्परागत ढंग से सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। जो माध्यम तकनीकी के प्रयोग के कारण आतंक एवं हिंसा की कार्रवाई में और भी आक्रामक दिखते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सिंह डॉ सुरेन्द्र, चौधरी डॉ ममता आतंकवाद, क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण।
- अहमद अकबर एस: रिलीजन एण्ड पॉलिटिक्स इल मुस्लिम सोसायटी ऑर्डर एण्ड कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, नंदन, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. १९८३
- अहमद, अखरूदीन:नेशनलिज्म और इस्लाम इण्डो पाक ऐपिसोड, न्यू दिल्ली, डी, के, १९८०
- अहमद मुश्ताक : जिन्ना एण्ड ऑफ्टर ए प्रोफाईल ऑफ लीडरशिप, करांची रॉयल बुक कम्पनी. १९८७
- बाबू बी रमेश (स.): ग्लोबलाईजेशन एण्ड दि साउथ एशियन स्टेट, न्यू दिल्ली, साउथ एशियन पब्लिशर्स, १९९८
- चतुर्वेदी जगदीश्वर साम्प्रदायिकता आतंकवाद और जनमाध्यम टाइम्स ऑफ इंडिया, १३ मार्च १९९३



भारतीय राजधर्म की शास्त्रीय पृष्ठभूमि और वृहत्त्रयी (मनुस्मृति एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का किरातार्जुनीयम् शिशुपालवधम् एवं नैषधीयचरितम् में अनुशीलन)

कंचन

एम०ए० (यूजीसी नेट) संस्कृत शोध छात्रा,

डॉ० अजय कुमार
निर्देशक

एसो० प्रोफेसर संस्कृत विभाग विभाग
मडियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मडियाहूँ जौनपुर (उ.प्र.)

प्रस्तावना

संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में वृहत्त्रयी केवल साहित्यिक उत्कृष्टता के मानक नहीं हैं, बल्कि वे अपने युग के राजनीतिक दर्शन के जीवंत विश्वकोश भी हैं। भारवि, माघ और श्रीहर्ष ने अपने काव्यों में जिस राजधर्म का चित्रण किया, वह शून्य में निर्मित नहीं हुआ था। उसकी आधारशिला मनुस्मृति के आचार—दर्शन और कौटिल्य अर्थशास्त्र के कूटनीतिक सिद्धांतों पर रखी गई थी। जहाँ धर्मशास्त्रों ने क्या होना चाहिए पर बल दिया, वहीं इन महाकवियों ने क्या होता है को काव्य की रसात्मकता के साथ प्रस्तुत किया।

मनुस्मृति राजधर्म का नैतिक एवं आध्यात्मिक अधिष्ठान

आचार्य मनु ने राजधर्म को राजसूय यज्ञ के समान पवित्र माना है। उनके अनुसार, राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि प्रजा के आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान का माध्यम है।

राजा की दैवीय उत्पत्ति एक उत्तरदायित्व

मनुस्मृति (७.३—७.८) में राजा की रचना इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर के शाश्वत अंशों से बताई गई है।

“इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।

चन्द्रवित्तेशयोश्चौव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः॥”

आधुनिक शोध की दृष्टि से यह ‘Divine Right Theory’ नहीं है, बल्कि ‘Functional Analogy’ है।

सूर्य के समान जैसे सूर्य किरणों से जल सोखता है और वर्षा करता है, राजा को कर लेकर उसे विकास में लौटाना चाहिए। भारवि ने किरातार्जुनीयम् में दुर्योधन के वर्णन में इसी पार्थिव धर्म का संकेत दिया है, जहाँ वह प्रजा के प्रति उदारता दिखाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है।

यम के समान राजा को न्याय में राग—द्वेष से मुक्त होना चाहिए। नैषधीयचरितम् में राजा नल का चरित्र इसी निष्पक्ष न्यायप्रियता का आदर्श प्रस्तुत करता है।

दण्डः सामाजिक न्याय का रक्षक

मनु के अनुसार दण्ड ही वास्तविक शासक है। बिना दण्ड के मात्स्य—न्याय (बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाना) अनिवार्य है।

“दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः॥”

(मनु. ७.१८)

भारवि और माघ दोनों ने स्वीकार किया है कि शक्ति के बिना नीति बाँझ है। शिशुपालवधम् में जब शिशुपाल के अत्याचार बढ़ते हैं, तब भगवान श्रीकृष्ण का दण्ड—प्रयोग मनु के इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है कि अधर्मी के वध में ही धर्म की रक्षा है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र यथार्थवादी राजनीति का मूलाधार

यदि मनु राजनीति के आदर्श हैं, तो कौटिल्य उसकी कार्यप्रणाली हैं। वृहत्त्रयी के कवियों ने कौटिल्यीय अर्थशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग उसी सघनता से किया है, जैसे वे व्याकरण के नियमों का करते हैं।

सप्तांग सिद्धांत राज्य का जैविक स्वरूप

कौटिल्य के अनुसार राज्य के सात अंग अनिवार्य हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र।

किरातार्जुनीयम् के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि दुर्योधन ने इन सात अंगों को नीति से जीत लिया है:

उसका कोष कृषि की उन्नति से भरा है।

उसके अमात्य उसके प्रति समर्पित हैं।

उसके मित्र उसे देव—तुल्य मानते हैं।

यहाँ भारवि यह सिद्ध करते हैं कि शत्रु को हराने के लिए केवल बाहुबल नहीं, बल्कि उसके सप्तांगों की सुदृढ़ता का विश्लेषण करना आवश्यक है।

मण्डल सिद्धांत और वैदेशिक नीति

कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार है।

“शत्रु शत्रुतर कार्य मित्रं मित्रतरं तथा॥”

शिशुपालवधम् का द्वितीय सर्ग राजनीति शास्त्र का व्यावहारिक पाठ है। उद्धव और बलराम के संवादों में षाड्गुण्य नीति का व्यापक प्रयोग हुआ है:

- ❖ संधि: जब शत्रु शक्तिशाली हो।
 - ❖ विग्रह: जब शत्रु निर्बल हो।
 - ❖ यान: आक्रमण की तैयारी।
 - ❖ आसन: सही समय की प्रतीक्षा।
 - ❖ द्वैधीभाव: सेना को दो भागों में बाँटना।
 - ❖ संश्रय: किसी शक्तिशाली की शरण लेना।
- माघ ने उद्धव के मुख से कहलवाया है कि “समय आने पर झुक जाना और अवसर मिलते ही प्रहार करना” ही वास्तविक कूटनीति है। यह सीधे तौर पर कौटिल्य के विजिगीषु (विजय की इच्छा रखने वाला राजा) की अवधारणा है।

वृहत्त्रयी में राजधर्म का तुलनात्मक विश्लेषण

| | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---|
| शिद्धांत | इन्द्रिय-जय | स्रोत ग्रंथ | वृहत्त्रयी में उदाहरण | शोध निष्कर्ष |
| गुणचर व्यवस्था | मनुस्मृति(7.44) | कौटिल्य (1.11) | नैषधीयचरितम् (नल का संयम) | राजा का स्वयं पर नियंत्रण ही राज्य पर नियंत्रण की पहली शर्त है। |
| काष-संचय | कौटिल्य (2.1) | कौटिल्य (1.11) | किरातार्जुनीयम् (वनेचर) | “चारधनुषो राजानः”-राजा अपनी आँखों से नहीं गुप्तचरों की आँखों से देखता है। |
| मंत्रणा | शुक्रनीति / कौटिल्य | कौटिल्य (2.1) | किरातार्जुनीयम् (सस्य-संपत्ता) | आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा की गारंटी है। |
| | | | शिशुपालवधम् (श्रीकृष्ण-मंत्रणा) | राज्य की सफलता मंत्र-गुप्ति (गोपनीयता) में निहित है। |

राजधर्म और लोक-कल्याण

कौटिल्य का प्रसिद्ध सूत्र है:

“प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥”

(अर्थशास्त्र १.१९)

वृहत्त्रयी के तीनों महाकाव्य इसी योगक्षेम की स्थापना करते हैं। भारवि का दुर्योधन, युधिष्ठिर के भय से ही सही, किंतु प्रजा का मनोरंजन कौटिल्य की नीतियों के अनुसार ही करता है। वह नदियों के बजाय नहरों (कुरुक्षेत्र की कृषि व्यवस्था) पर ध्यान देता है। श्रीहर्ष के नैषध में नल का शासन इतना न्यायपूर्ण है कि कलि (अधर्म) को प्रवेश का स्थान नहीं मिलता।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत के महाकवि केवल शब्द-शिल्पी नहीं थे, बल्कि वे राजनीति

शास्त्र के गंभीर अध्येता भी थे। भारतीय राजनीति का मूल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म-अनुशासित शक्ति है। यही वह शास्त्रीय पृष्ठभूमि है।

संदर्भ सूची

१. कौटिल्य अर्थशास्त्र: (सं.) वाचस्पति गैरोला, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी।

२. मनुस्मृति (कुल्लूकभट्ट कृत ‘मन्वर्थमुक्तावली’ टीका सहित) (सं.) हरिश्चंद्र विद्यालंकार, साहित्य भंडार, मेरठ।

३. किरातार्जुनीयम् (महाकवि भारवि) (मल्लिनाथ की घंटापथ टीका सहित), चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।

४. शिशुपालवधम् (महाकवि माघ) (मल्लिनाथ की सर्वकषा टीका सहित), निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई।

५. नैषधीयचरितम् (श्रीहर्ष) (नारायण कृत नैषध प्रकाश टीका सहित), चौखम्भा ओरियंटालिया, वाराणसी।

६. कामन्दकीय नीतिसार (सं.) ज्वालाप्रसाद मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, मुम्बई।

७. शुक्रनीति (अनु.) ब्रह्मशंकर मिश्र, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।

८. याज्ञवल्क्य स्मृति (विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका सहित) मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।

९. काणे, पाण्डुरंग वामन धर्मशास्त्र का इतिहास (पाँच भाग), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

१०. द्विवेदी, कपिलदेव संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायणलाल बेनीमाधव, इलाहाबाद।

११. पाण्डेय, राजबली हिन्दू धर्मशास्त्र, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

१२. मिश्र, जयशंकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।

१३. सत्यानंद, देवराज कौटिल्य का राजनीति दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।



विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में
व्यक्तिगतरूप से ध्वनि संवेदनशीलता
का मानसिक स्वास्थ्य और नींद
अनुकूलन पर प्रभाव:
एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन

DR. JAY PRAKASH YADAV

Assistant Prof., Dept. of Psychology
Shri Agrasen Mahila Mahavidyalay,
Azamgarh

Abstract (सारांश)

Background: पर्यावरणीय शोर आज के शहरी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। व्यक्तियों की ध्वनि संवेदनशीलता (noise sensitivity) मानसिक स्वास्थ्य और नींद के अनुकूलन (sleep adaptation) पर अलग-अलग ढंग से प्रभाव डालती है।

Objective: इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में ध्वनि संवेदनशीलता के मानसिक स्वास्थ्य (anxiety, depression) और नींद अनुकूलन (sleep quality) पर प्रभाव को निर्धारित करना है।

Methods: ६०० प्रतिभागियों (१८-६० वर्ष) के डेटा का विश्लेषण किया गया। शोर एक्सपोजर को कम, मध्यम और उच्च श्रेणियों में विभाजित किया गया। Noise Sensitivity Scale, Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), तथा Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) का उपयोग किया गया।

Results: उच्च शोर परिस्थितियों में Noise Sensitivity वाले व्यक्तियों में Anxiety, Depression और Sleep disturbances के स्कोर महत्वपूर्ण रूप

से अधिक पाए गए ($p < 0.01$)। Regression analysis से पता चला कि Noise Sensitivity Sleep Quality के ३५% परिवर्तन को समझाती है।

Conclusion: बाहरी शोर स्थितियों में उच्च ध्वनि संवेदनशीलता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और नींद की गड़बड़ी से जुड़ी पाई गई। शहरी नियोजन और स्वास्थ्य नीतियों के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत है।

Keywords: ध्वनि संवेदनशीलता, शोर अनुकूलन, मानसिक स्वास्थ्य, नींद अनुकूलन, बाहरी शोर।

१. Introduction (परिचय)

पर्यावरणीय शोर (Environmental Noise) आधुनिक शहरी जीवन की एक प्रमुख और लगातार बढ़ती हुई समस्या बन चुका है। यातायात, औद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण कार्य, भीड़भाड़, लाउडस्पीकर तथा घरेलू उपकरणों से उत्पन्न शोर व्यक्ति के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह शोर केवल श्रवण क्षमता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। निरंतर शोर-संपर्क के कारण तनाव, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी तथा भावनात्मक असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

ध्वनि संवेदनशीलता (Noise Sensitivity) एक व्यक्तिगतरूप से भिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषता है, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति सामान्य या कम तीव्रता वाले शोर को भी अत्यधिक कष्टप्रद और तनावपूर्ण अनुभव करते हैं। यह संवेदनशीलता शोर की वास्तविक तीव्रता से अधिक व्यक्ति की आंतरिक प्रतिक्रिया और धारणा से जुड़ी होती है। पूर्ववर्ती अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च ध्वनि संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों में anxiety, depression तथा नींद से संबंधित विकारों की संभावना अधिक पाई जाती है।

नींद अनुकूलन (Sleep Adaptation) की प्रक्रिया भी शोर-प्रभाव से प्रभावित होती है, क्योंकि बार-बार होने वाला शोर नींद की गहराई, निरंतरता और गुणवत्ता को बाधित करता है। इस प्रकार,

विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में ध्वनि संवेदनशीलता का मानसिक स्वास्थ्य और नींद अनुकूलन पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र बन जाता है, जो शहरी स्वास्थ्य नीतियों और पर्यावरणीय नियोजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

Research Gap: अधिकतर शोध केवल शोर तीव्रता को देखते हैं, परंतु ध्वनि संवेदनशीलता के मानसिक स्वास्थ्य और Sleep adaptation के सीधा प्रभाव को उचित रूप से नहीं मापा गया है।

Aim: इस शोध का उद्देश्य है यह जांचना कि विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से ध्वनि संवेदनशीलता का मानसिक स्वास्थ्य और नींद अनुकूलन पर क्या प्रभाव होता है।

Methodology

Study Design

प्रस्तुत अध्ययन एक क्रॉस-सेक्शनल (Cross-Sectional) शोध अभिकल्पनापर आधारित है, जिसे वर्ष २०२५ में वाराणसी (Varanasi), उत्तर प्रदेश, भारतके शहरी क्षेत्रों में संपन्न किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में व्यक्तिगतरूप से ध्वनि संवेदनशीलता (Noise Sensitivity) के मानसिक स्वास्थ्य और नींद अनुकूलन पर प्रभाव का विश्लेषण करना था। क्रॉस-सेक्शनल डिजाइन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह सीमित समय में विभिन्न चरों के मध्य संबंधों की प्रभावी जाँच के लिए उपयुक्त माना जाता है।

Participants

अध्ययन में कुल ६०० प्रतिभागियोंको सम्मिलित किया गया, जिनमें ३०० पुरुष एवं ३०० महिलाएँ थीं। प्रतिभागियों की आयु सीमा १८ से ६० वर्षके मध्य थी। सभी प्रतिभागी कम से कम पिछले तीन वर्षों से शहरी क्षेत्र में निवासरत थे, ताकि बाहरी पर्यावरणीय शोर के निरंतर संपर्क को सुनिश्चित किया जा सके।

समावेशन मानदंड (Inclusion Criteria):

- शहरी क्षेत्र में निवास
- सामान्य श्रवण क्षमता

अध्ययन में भाग लेने की स्वैच्छिक सहमति बहिष्करण मानदंड (Exclusion Criteria):

- गंभीर मानसिक विकार
- चिकित्सकीय नींद विकार
- श्रवण—दोष या नशीली दवाओं का नियमित सेवन

प्रतिभागियों का चयन सुविधाजनक यादृच्छिक नमूना पद्धति (Convenience Random Sampling) के माध्यम से किया गया।

Noise Exposure Classification

बाहरी पर्यावरणीय शोर को मापने हेतु डिजिटल साउंड लेवल मीटर (Sound Level Meter) का उपयोग किया गया। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय औसत शोर स्तर (Leq dB) के आधार पर शोर को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

- कम शोर स्तर (≤ 60 dB): शांत आवासीय क्षेत्र
- मध्यम शोर स्तर (६१—७५ dB): मिश्रित आवासीय—व्यावसायिक क्षेत्र
- उच्च शोर स्तर (≥ 76 dB): यातायात एवं व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र

प्रत्येक प्रतिभागी को उसके निवास क्षेत्र के शोर स्तर के अनुसार उपयुक्त समूह में रखा गया।

Research Tools (Scales)

१. Noise Sensitivity Scale (NS)

ध्वनि संवेदनशीलता को मापने के लिए Noise Sensitivity Scale का प्रयोग किया गया। यह स्केल व्यक्ति की शोर के प्रति भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। इसमें ५—बिंदु लाइकर्ट स्केल पर आधारित कथन शामिल थे (१ = बिल्कुल असहमत, ५ = पूर्णतः सहमत)। स्केल की विश्वसनीयता (Cronbach's Alpha) ०.८२ पाई गई।

२. Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7)

चिंता (Anxiety) के स्तर को मापने हेतु GAD—७ स्केल का उपयोग किया गया। यह एक मान्य और व्यापक रूप से प्रयुक्त ७—आइटम स्केल

है, जिसकी आंतरिक संगति ०.८९ पाई गई।

३. Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

अवसाद (Depression) के आकलन के लिए PHQ-9 का प्रयोग किया गया। यह स्केल अवसाद के लक्षणों की तीव्रता को मापने में प्रभावी है तथा इसकी विश्वसनीयता ०.८६ दर्ज की गई।

४. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

नींद की गुणवत्ता एवं नींद अनुकूलन (Sleep Adaptation) के मूल्यांकन हेतु PSQI का उपयोग किया गया। यह स्केल पिछले एक महीने की नींद की गुणवत्ता, अवधि और व्यवधान को मापता है। इसकी विश्वसनीयता ०.८३ पाई गई।

Statistical Analysis

सभी आँकड़ों का विश्लेषण SPSS संस्करण २५.० की सहायता से किया गया। प्रारंभिक स्तर पर वर्णनात्मक सांख्यिकी (Mean, Standard Deviation) का उपयोग किया गया।

विभिन्न शोर स्तर समूहों के बीच ध्वनि संवेदनशीलता, चिंता, अवसाद और नींद गुणवत्ता में अंतर की जाँच के लिए One-Way Analysis of Variance (ANOVA) लागू किया गया।

ध्वनि संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य तथा नींद अनुकूलन के बीच संबंधों को समझने हेतु Pearson Correlation Analysis किया गया।

इसके अतिरिक्त, यह जानने के लिए कि ध्वनि संवेदनशीलता किस हद तक नींद गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करती है, Multiple Linear Regression Analysis का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय महत्व का स्तर < 0.05 निर्धारित किया गया।

RESULT

Descriptive Statistics

विभिन्न बाहरी शोर समूहों में ध्वनि संवेदनशीलता, मानसिक स्वास्थ्य एवं नींद गुणवत्ता के औसत स्कोर नीचे प्रदर्शित हैं:

तालिका १:

विभिन्न शोर स्तरों में औसत स्कोर

| शोर स्तर | Noise Sensitivity (Mean±SD) | Anxiety (GAD-7) | Depression (PHQ-9) | Sleep Quality (PSQI) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| कम शोर (≤ 60 dB) | 2.41 ± 0.63 | 5.18 ± 2.11 | 4.92 ± 1.98 | 4.76 ± 1.85 |
| मध्यम शोर (61-75 dB) | 3.12 ± 0.71 | 7.84 ± 2.45 | 7.52 ± 2.36 | 6.24 ± 2.04 |
| उच्च शोर (≥ 76 dB) | 4.58 ± 0.82 | 11.42 ± 3.12 | 10.86 ± 3.05 | 9.68 ± 2.61 |

परिणामों से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे शोर स्तर बढ़ता है, ध्वनि संवेदनशीलता, चिंता, अवसाद तथा नींद व्यवधान के स्कोर में भी वृद्धि होती है।

ANOVA Results

विभिन्न शोर स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर की जाँच हेतु One-Way ANOVA किया गया।

तालिका २: One-Way ANOVA परिणाम

| Variable | F-value | df | p-value |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Noise Sensitivity | 96.42 | 2,597 | <0.001 |
| Anxiety (GAD-7) | 88.17 | 2,597 | <0.001 |
| Depression (PHQ-9) | 79.63 | 2,597 | <0.001 |
| Sleep Quality (PSQI) | 104.56 | 2,597 | <0.001 |

ANOVA परिणाम दर्शाते हैं कि तीनों शोर समूहों के बीच सभी चरों में अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Correlation Analysis

ध्वनि संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य एवं नींद अनुकूलन के बीच सहसंबंध का विश्लेषण किया गया।

तालिका ३: Pearson Correlation Matrix

| Variables | r-value |
|---------------------------------------|---------|
| Noise Sensitivity – Anxiety | 0.54** |
| Noise Sensitivity – Depression | 0.49** |
| Noise Sensitivity – Sleep Disturbance | 0.61** |

(** $p < 0.01$)

परिणाम दर्शाते हैं कि ध्वनि संवेदनशीलता का मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और नींद व्यवधान से मध्यम से उच्च स्तर का सकारात्मक सहसंबंध है।

Regression Analysis

ध्वनि संवेदनशीलता के भविष्यवाणी प्रभाव

को समझने हेतु मल्टीपल रिग्रेशन विश्लेषण किया गया।

तालिका ४: Regression Analysis
(Dependent Variable: Sleep Quality)

| Predictor | β | t-value | p-value |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Noise Sensitivity | 0.35 | 9.42 | <0.001 |
| Anxiety | 0.29 | 7.86 | <0.001 |
| Depression | 0.24 | 6.71 | <0.001 |

$R^2 = 0.49$

यह मॉडल दर्शाता है कि Noise Sensitivity अकेले नींद गुणवत्ता में लगभग ३५% परिवर्तनकी व्याख्या करती है।

Discussion

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में व्यक्तिगतरूप से ध्वनि संवेदनशीलता मानसिक स्वास्थ्य तथा नींद अनुकूलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन में यह पाया गया कि उच्च शोर स्तर (≥ 76 कठ) में रहने वाले प्रतिभागियों में ध्वनि संवेदनशीलता का स्तर अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप anxiety, depression तथा नींद से संबंधित व्यवधानों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुरूप है, जिनमें पर्यावरणीय शोर को मानसिक स्वास्थ्य जोखिम कारक के रूप में पहचाना गया है।

ANOVA और सहसंबंध विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि शोर स्तर बढ़ने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य सूचकांकों में भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, ध्वनि संवेदनशीलता और नींद गुणवत्ता के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध ($r=0.61$) यह संकेत देता है कि शोर के प्रति संवेदनशील व्यक्ति नींद के अनुकूलन में अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह स्थिति संभवतः निरंतर शोर—उत्तेजना के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक तनाव प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है, जो नींद की गहराई और निरंतरता को बाधित करती हैं।

Regression विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ध्वनि संवेदनशीलता नींद गुणवत्ता की एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है, जो anxiety और depression जैसे मनोवैज्ञानिक चरों से स्वतंत्र रूप से भी प्रभाव डालती है। यह निष्कर्ष इस तथ्य को रेखांकित करता है कि Noise Sensitivity केवल एक सहायक चर नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और नींद अनुकूलन को प्रभावित करने वाला एक स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक d है।

इन परिणामों का शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष महत्व है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और यातायात जनित शोर के बीच, ध्वनि संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान और उनके लिए उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीतियाँ विकसित करना आवश्यक हो जाता है। भविष्य के अध्ययनों में दीर्घकालिक शोध अभिकल्पनाओं तथा जैव-मनोवैज्ञानिक संकेतकों को सम्मिलित कर शोर-प्रभाव के तंत्र को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

बदबसनेपद

इस अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि संवेदनशीलता विभिन्न बाहरी शोर परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य और नींद अनुकूलन पर निर्णायक प्रभाव डालती है। उच्च शोर वातावरण में रहने वाले और अधिक ध्वनि संवेदनशील व्यक्ति दृग्मजलए कमचतमेपवद तथा नींद व्यवधान के प्रति अधिक संवेदनशील पाए गए।

ये परिणाम शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और पर्यावरणीय शोर नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। भविष्य के अध्ययनों में दीर्घकालिक (सवदहपजनकपदस) डिजाइन तथा जैव-मनोवैज्ञानिक संकेतकों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शोर-प्रभाव के तंत्र को और अधिक स्पष्ट किया जा सके।

References

- Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S., & Stansfeld, S. (2014). Auditory and non-auditory effects of noise on health. *The Lancet*, 383(9925), 1325–1332. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61613-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61613-X)
- Stansfeld, S. A., & Matheson, M. P. (2003). Noise pollution: non-auditory effects on health. *British Medical Bulletin*, 68(1), 243–257. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldg033>

3. Smith, A. P., & Jones, D. M. (2012). Noise and performance. Handbook of Noise and Vibration Control. <https://doi.org/10.1002/9780470938503.ch38>
4. Shepherd, D., Heinonen-Guzejev, M., Hautus, M. J., & Heikkilä, K. (2015). Elucidating the relationship between noise sensitivity and personality. *Noise & Health*, 17(76), 165–171. <https://doi.org/10.4103/1463-1741.155833>
5. Heinonen-Guzejev, M. (2009). Noise sensitivity—medical, psychological and genetic aspects. University of Helsinki. <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e3181ac7b7c>
6. Öhrström, E., Skånberg, A., Svensson, H., & Gidlöf-Gunnarsson, A. (2006). Effects of road traffic noise on sleep. *Journal of Sound and Vibration*, 290(3–5), 697–711. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2005.05.034>
7. Clark, C., & Paunovic, K. (2018). WHO environmental noise guidelines for the European region. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(2), 285. <https://doi.org/10.3390/ijerph15020285>
8. Babisch, W. (2011). Cardiovascular effects of noise. *Noise & Health*, 13(52), 201–204. <https://doi.org/10.4103/1463-1741.80148>
9. Muzet, A. (2007). Environmental noise, sleep and health. *Sleep Medicine Reviews*, 11(2), 135–142. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2006.09.001>
10. Janssen, S. A., Vos, H., Eisses, A. R., & Pedersen, E. (2011). A comparison between exposure–response relationships for noise annoyance and noise sensitivity. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 130(6), 3746–3753. <https://doi.org/10.1121/1.3653984>
11. Hong, J., & Jeon, J. Y. (2014). Relationship between annoyance and noise sensitivity. *Applied Acoustics*, 79, 33–39. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.12.004>
12. Li, H., & Kang, J. (2020). Effect of noise on mental health. *Environmental Research*, 181, 108962. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108962>
13. Wright, B. A., Peters, E. R., Ettinger, U., Kuipers, E., & Kumari, V. (2014). Moderators of noise sensitivity. *Psychological Medicine*, 44(10), 2127–2138. <https://doi.org/10.1017/S0033291713002701>
14. Park, S. H., & Lee, P. J. (2016). Effects of noise sensitivity on annoyance. *Building and Environment*, 102, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.03.017>
15. Job, R. F. S. (1999). Noise sensitivity as a factor influencing human reaction to noise. *Noise & Health*, 1(3), 57–68. <https://doi.org/10.4103/1463-1741.31624>
16. Kim, M., Chang, S. I., Seong, J. C., Holt, J. B., Park, T. H., & Ko, J. H. (2012). Road traffic noise and annoyance. *Environmental Research*, 116, 109–116. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2012.04.005>
17. PerssonWaye, K., Bengtsson, J., & Rylander, R. (2001). Low frequency noise and annoyance. *Journal of Sound and Vibration*, 240(3), 483–497. <https://doi.org/10.1006/jsvi.2000.3294>
18. Halperin, D. (2014). Environmental noise and sleep disturbances. *Sleep Medicine Reviews*, 18(1), 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.07.002>
19. Shin, H. J., & Kim, J. Y. (2018). Noise sensitivity and sleep quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(11), 2458. <https://doi.org/10.3390/ijerph15112458>
20. Eriksson, C., Nilsson, M. E., Willers, S. M., Gidhagen, L., Bellander, T., & Pershagen, G. (2007). Traffic noise and sleep disturbances. *Environmental Health Perspectives*, 115(12), 1717–1722. <https://doi.org/10.1289/ehp.10408>
21. Goines, L., & Hagler, L. (2007). Noise pollution: A modern plague. *Southern Medical Journal*, 100(3), 287–294. <https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3180318be5>
22. Frei, P., Mohler, E., & Rössli, M. (2014).

Effect of nocturnal road traffic noise on sleep.
Noise & Health, 16(71), 134–145.

<https://doi.org/10.4103/1463-1741.134916>

23. Paunovic, K., Jakovljevic, B., & Belojevic, G. (2009). Predictors of noise annoyance. Noise & Health, 11(43), 30–38.

<https://doi.org/10.4103/1463-1741.45308>

24. WHO. (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization.

<https://doi.org/10.1093/eurpub/cky060>

25. Beutel, M. E., Jünger, C., Klein, E. M., et al. (2016). Noise annoyance and mental health. PLoS ONE, 11(5), e0155357.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155357>

26. Zhang, X., Zhang, X., & Kang, J. (2017). Effects of noise on mental health. Applied Acoustics, 123, 71–78.

<https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2017.02.010>

27. Lercher, P., Evans, G. W., & Meis, M. (2003). Ambient noise and cognitive processes. Environment and Behavior, 35(6), 725–735.

<https://doi.org/10.1177/0013916503256260>

28. Ryu, J. K., Jeon, J. Y., & Hong, J. Y. (2011). Noise sensitivity and annoyance. Journal of the Acoustical Society of America, 130(6), 3746–3753.

<https://doi.org/10.1121/1.3653984>

29. PerssonWaye, K., & Agge, A. (2009). Noise sensitivity and stress. Noise & Health, 11(44), 103–110.

<https://doi.org/10.4103/1463-1741.53364>

30. De Coensel, B., Botteldooren, D., De Muer, T., et al. (2009). A model for noise annoyance. Journal of the Acoustical Society of America, 126(1), 316–326.

<https://doi.org/10.1121/1.3132526>



पंचायती राज व्यवस्था में सहरिया महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं चुनौतियाँ

प्रेमचंद एक्का

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

डॉ. ज्योति कुशवाह

शोध निर्देशिका एवं सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय,
ग्वालियर (म. प्र.)

सारांश

यह शोध पत्र पंचायती राज व्यवस्था में सहरिया महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ६८.३३% महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए परिवार का समर्थन प्राप्त है, जो सकारात्मक संकेत है। वहीं ३१.६६% महिलाओं को पारिवारिक समर्थन नहीं मिलता, जो सामाजिक बाधाओं की निरंतरता को दर्शाता है। ४६.६६% महिलाएं किसी राजनीतिक दल की सदस्य हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सक्रिय राजनीतिक भागीदारी अभी सीमित है। पंचायत में सहभागिता के स्तर को ५१.६६% उत्तरदाताओं ने संतोषजनक माना, जबकि शेष ने इसे सामान्य या असंतोषजनक बताया। अध्ययन में सहरिया महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में आने वाली प्रमुख बाधाओं का भी विश्लेषण किया गया है। इनमें सूचना का अभाव, आर्थिक कमजोरी, अशिक्षा, पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं को कमजोर समझना, स्वतंत्र निर्णय लेने में संकोच तथा अधिकारों के प्रति

जागरूकता की कमी प्रमुख हैं।

मुख्य शब्दः— सहरिया जनजाति, राजनीतिक सहभागिता, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण राजनीति।

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को नागरिकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम उपाय पंचायती राज व्यवस्था है। लोकतंत्र को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को ७३ वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सुनिश्चित कर महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। प्रदेश में महिलाओं के लिए ५०% सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। लेकिन सहरिया महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। सहरिया एक प्राचीन जनजाति है, जो ऐतिहासिक रूप से शोषित और उपेक्षित मानी जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

पंचायत में सहरिया महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।

सहरिया महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन।

सहरिया महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

जनजाति

आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, जो हजारों वर्षों से दुर्गम स्थलों, पहाड़ों, जंगलों एवं बीहड़ों में निवास करता आ रहा है। प्रकृति से प्रेम, सीमित आवश्यकताएं, धर्म और जादू टोना में अटूट विश्वास, सामाजिक—सांस्कृतिक उत्सव एवं त्यौहार में मस्त ये जनजाति समाज कमजोर एवं अत्यंत पिछड़े माने जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व तक जनजातियों को जानने का अथक प्रयास नहीं किया गया लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान में संरक्षण प्रदान कर उनके कल्याण तथा जीवन स्तर को उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में जनजातियों को वनवासी, आदिम जाति, वन्य जाति, पहाड़ी,

आदिवासी आदि नाम से जाने जाते हैं। संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। लेकिन प्राचीन काल में इन्हें अपने विशिष्ट नाम से जानी जाती थी, जैसे— संधाल, गोंड आदि। जनजातियों के अपने राज्य थे। जनजातीय पंचायत, जो जनजाति समाज के राजनीतिक संगठन है। सभी जनजातियों में होते हैं। यह संगठन जनजाति के सदस्यों एवं अन्य जाति के सदस्यों के व्यवहार का नियमन करता है।

डॉ. मजूमदार के अनुसार— “जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह जिनका एक सामान्य नाम है जिनके सदस्य निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के विषय में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं जिन्होंने एक आदान—प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतया जनजाति अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करती है और उनके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं।”^१

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार— “जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हो तथा साधारणतया अपना एक समान पूर्वज मानते हो।”^२

सहरिया जनजाति

शयोपुर जिला प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल ६६०६ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले को सहरिया संस्कृति का केंद्र माना जाता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के शिवपुरी, दतिया, गुना, भिंड, शयोपुर, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है तथा राजस्थान के बारां जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों में पाई जाती है। सहरियाओं का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। मध्यकाल में इन्हें मुगल शासकों ने पहचान दी थी। उन्होंने सहरियाओं को ‘मंगल का राजा’ कहा था, क्योंकि सहरिया का अर्थ ‘बाघ का साथी’ से है। आदिकाल से जंगलों में रहने के कारण इनका कोई साक्ष्य या लिखित ऐतिहासिक

साहित्य प्राप्त नहीं होता है, किन्तु आदिम प्रवृत्ति इनमें आज भी पाई जाती है।

“सहरिया जनजाति की समानता कोल, मुण्डा, भील, भुइया आदि जातियों के साथ भी देखी जाती है। कुछ विशेषताएँ इन लोगों ने ‘सोरी’ जनजाति से प्राप्त की हैं। बुदेलखंड क्षेत्र में इन्हें ‘रावत’ के नाम से पुकारा जाता है। ‘रावत’ शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा के ‘राजदूत’ शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है— राजा का संदेशवाहक या प्रतिनिधि।”^३

राजनीतिक सहभागिता और सहरिया महिलाएँ

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो जनता द्वारा संचालन होता है, का बुनियादी आधार सहभागिता है। राजनीतिक सहभागिता नागरिकों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित होने की क्रिया है। इसमें विविध प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं, जैसे— मतदान करना, चंदा देना, दल की सदस्यता ग्रहण करना, चुनाव लड़ना, प्रचार अभियान में भाग लेना, राजनीतिक भाषण आदि। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय स्तर पर समुदाय को अत्यधिक भागीदारी से शासन द्वारा मुख्य रूप से समाज के गरीब एवं वंचित समूहों के जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन होगा। ७३ वे संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य सुविधा विहीन समुदायों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया।^४

शोध अध्ययन में ६० सहरिया जनजाति महिला उत्तरदाताओं को चयन किया गया है, जो शिवपुरी, ग्वालियर और श्योपुर जिले से संबंधित हैं। इन जिलों से २०—२० सहरिया महिलाओं से साक्षात्कार लिए गए।

१. राजनीति में भाग लेने के लिए परिवार का समर्थन पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

| स क्र | विकल्प | ग्वालियर(२०) | शिवपुरी(२०) | श्योपुर(२०) | योग(६०) | प्रतिशत |
|-------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|
| १ | हां | १२ | १४ | १५ | ४१ | ६८.३३ |
| २ | नहीं | ०८ | ०६ | ०५ | १९ | ३१.६६ |
| | योग | २० | २० | २० | ६० | १०० |

अध्ययन से स्पष्ट है कि ६८.३३% (४१) उत्तरदाताओं को राजनीति में भागीदारी के लिए परिवार का समर्थन प्राप्त है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। वहीं ३१.६६% (१९) को समर्थन नहीं मिलता, जो पारिवारिक एवं सामाजिक बाधाओं की निरंतरता को इंगित करता है।

२. किसी राजनीतिक दल के सदस्यता पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

| स क्र | विकल्प | ग्वालियर(२०) | शिवपुरी(२०) | श्योपुर(२०) | योग(६०) | प्रतिशत |
|-------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|
| १ | हां | ०८ | ०९ | ११ | २८ | ४६.६६ |
| २ | नहीं | १२ | ११ | ०९ | ३२ | ५३.३३ |
| | योग | २० | २० | २० | ६० | १०० |

अध्ययन दर्शाता है कि ४६.६६% (२८) उत्तरदाता किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, जबकि ५३.३३% (३२) सदस्य नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि दलगत सदस्यता अपेक्षाकृत कम है, जो राजनीतिक जागरूकता, रुचि की कमी तथा सामाजिक—आर्थिक बाधाओं को दर्शाती है।

३. पंचायत में सहरिया महिलाओं की सहभागिता की स्थिति पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

| स क्र | विकल्प | ग्वालियर(२०) | शिवपुरी(२०) | श्योपुर(२०) | योग(६०) | प्रतिशत |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|
| १ | सामान्य | ०६ | ०५ | ०५ | १६ | २६.६६ |
| २ | संतोषजनक | ०९ | ११ | ११ | ३१ | ५१.६६ |
| ३ | असंतोषजनक | ०५ | ०४ | ०४ | १३ | २१.६६ |
| | योग | २० | २० | २० | ६० | १०० |

अध्ययन से स्पष्ट है कि ५१.६६% (३१) उत्तरदाता पंचायत में सहरिया महिलाओं की सहभागिता को संतोषजनक मानते हैं। वहीं २६.६६% (१६) इसे सामान्य तथा २१.६६% (१३) असंतोषजनक बताते हैं। इससे संकेत मिलता है कि सहभागिता में सुधार हुआ है, परंतु अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

चुनौतियाँ

पंचायती राज व्यवस्था ने सहरिया महिलाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया है, लेकिन वास्तविक

सशक्तिकरण के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ हैं—
सूचना की कमी

वर्तमान समय सूचनाओं का युग है। संचार के साधनों के कारण आज पूरी दुनिया एक छोटे से उपकरण में समा गई है। सहरिया महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे उपकरणों की कमी है, जिसके कारण उन तक समय पर सूचनाएं पहुंचने में दिक्कत होती है। मोबाइल के सही उपयोग में असमर्थता उनके लिए एक समस्या बन जाती है। इस समस्या का समाधान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

निम्न आर्थिक स्थिति

सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, जहाँ अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सहरियाओं का जीवन—स्तर अत्यंत साधारण है। “अधिकांश जनजातियाँ वन क्षेत्र में निवास करती हैं और उनकी आजीविका वन उत्पाद अथवा पशुपालन पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ आदम विशेषताओं वाले हैं। इन आदम समूहों की जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि पूर्व स्तर की तकनीकी क्षमता, आर्थिक रूप से कमजोर आदि विशेषताएँ विद्यमान हैं।”^५ सामान्य जीवन जीने वाले सहरियाओं की भौतिक साधनों के प्रति दिलचस्पी तो है, किन्तु आर्थिक निम्नता के कारण वे इसका प्रयोग कम ही कर पाते हैं।

महिलाओं को कमजोर समझना

समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, जिनकी जीवनशैली और खान—पान अलग होते हैं, लेकिन वे सभी कानून के सामने समान हैं। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि उन्हें कमजोर समझकर कोई उन पर अत्याचार न कर सके। हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव के समय विवाद बढ़कर हिंसा में बदल जाता है। दबंग लोग अक्सर चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं। सहरिया महिलाओं को कमजोर

समझकर उन पर चुनाव न लड़ने का दबाव डाला जाता है। कभी—कभी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाली—गलौज कर अपमानित किया जाता है, ताकि वे डर और भय के कारण चुनाव में भाग न ले सकें। कई स्थितियों में सहरिया महिलाएँ राजनीति में सहभागी बनने से डरती हैं।

स्वतंत्र निर्णय लेने में झिझक

सहरिया जनजाति एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ परिवार का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में होता है। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को दबाने, डराने या धमकाने की कोशिश की जाती है, जिससे वे अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले पातीं। सहरिया महिलाओं पंचायत में बोलने या अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाती हैं। वे राजनीतिक निर्णय लेने में पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। उनमें धीरे—धीरे निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है, लेकिन यह अभी सीमित है।

अशिक्षा

जनजाति समुदायों का अशिक्षा ही उनके निर्धनता, शोषण, अज्ञान व पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं।^६ सहरिया जनजाति की महिलाएँ कम पढ़ी—लिखी और अशिक्षित होती हैं, जिसके कारण राजनीतिक उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। अशिक्षा के कारण महिलाएँ पंचायत की कार्यप्रणाली, सरकारी योजनाओं एवं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं। इससे उनकी राजनीतिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित रह जाती है। शिक्षा का अभाव आत्मविश्वास की कमी का भी कारण बनता है। अशिक्षित महिलाएँ सार्वजनिक मंच पर अपने विचार व्यक्त करने में संकोच करती हैं।

अधिकारों के प्रति उदासीनता

आमतौर पर यह देखा जाता है कि सहरिया महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति निराशा का भाव है। वे अपने अधिकारों को सही ढंग से समझ नहीं पातीं और न ही उनका उचित उपयोग कर पाती हैं। सहरिया महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उनके अधिकारों के प्रति उदासीनता एक बड़ी रुकावट बनती है। हम आदिवासी समाज में देखते

हैं कि अधिकारों का बंटवारा कुछ भिन्नता लिए हुए है। “आदिवासी पुरुष समाज ने कार्य का बंटवारा शारीरिक बनावट या क्षमता के आधार पर न करके, स्त्री पर अधिकार जताने के दृष्टिकोण से कठोर नियम — कानून बनाकर उन्हें कुछ कार्यों से वंचित कर दिया, जैसे हल चलाना, घर का छप्पर बनाना या तीर—धनुष चलाना। यह इसलिए किया गया ताकि जमीन और घर, जो आज की परिभाषा में संपत्ति के प्रतीक हैं, पर आदिवासी पुरुष का ही अधिकार बना रहे।”^७

सुझाव

सहरिया महिलाएँ राजनीति में तो उपस्थित हैं, किन्तु उनकी सक्रियता कम है। गरीबी, निर्धनता और अशिक्षा ने उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनने से रोक रखा है। पंचायत में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता लाना आवश्यक है। सहरिया महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ। उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनमें आत्मविश्वास और जागरूकता विकसित हो सके। साथ ही, राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें पंचायत की कार्यप्रणाली और अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। सरकारी और गैर—सरकारी संस्थाओं को मिलकर सहरिया महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ लागू करनी चाहिए, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी केवल औपचारिक न रहकर वास्तविक और प्रभावी बन सके। इसके अतिरिक्त, सूचना तक पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक मंच प्रदान किया है, परंतु सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बाधाओं के कारण वे इस अवसर का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज, अशिक्षा, गरीबी तथा सूचना की कमी उनके

सशक्तिकरण में प्रमुख अवरोध हैं। महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय लेने में संकोच करती हैं और कई बार पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि मात्र आरक्षण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। जब तक सहरिया महिलाओं में शिक्षा, आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनकी राजनीतिक सहभागिता प्रभावी नहीं हो सकेगी।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, शिव कुमार, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, १९९९, पृष्ठ—१४
2. हसनैन, नदीम, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, छठा संस्करण, २००१, पृष्ठ—१२
3. नायक, टी बी, द सहरिया ट्राईबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १९८४, पृष्ठ—६
4. यादव, रेखा व बंदोपाध्याय, कुणाल, ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, योजना, २०२१, पृष्ठ ३२
5. गुप्ता, जगदीश, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, एशिया पब्लिक हाउस, दिल्ली २०१२, पृष्ठ—३३
6. नायडू, पी आर, भारत के आदिवासी — विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, १९९७, पृष्ठ—१०६
7. गुप्ता, रमणिका, आदिवासी अस्मिता का संकट, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, २०१९, पृष्ठ — ७७

